(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] पंचम विधान सभा के छठे सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

सोमवार,
12 अगस्त, 1974 ।

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्नोत्तर

[सहकारिता, खाद्य, उपनिवेशन, स्वायत्त शासन, कृषि, जनस्वास्थ्य, पंचायत राजस्व, आबकारी, राजस्व, योजना, वन, खनिज, योजना विभाग] ।

शपथ

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम, श्री रामगोपाल ।

श्री केदारनाथ : पहले शपथ ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : पहले शपथ हो जाय Otherwise the member will be deprieved.

श्री अध्यक्ष : Sorry श्री किशोरीलाल ।

(श्री किशोरीलाल, सलूम्बर, ने शपथ ग्रहण की)।

नव निर्वाचित सदस्य श्री रतिराम व श्री मोहरसिंह शपथ ग्रहण कर चुके हैं।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : खड़े तो कर दें।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : आपके पीछे खड़े हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : दुबारा शपथ ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है ?

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री चेतराम, श्री, रामगोपाल !

सवाई माधोपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

1. **श्री चेतराम (टोडाभीम), श्री रामगोपाल (खण्डार) :** क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में पिछले एक साल (1 अप्रेल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक) मे कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पंजीकरण हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव पिछले काफी समय से नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो चुनाव न कराने के कारण क्या हैं ?

Page No 2

(2)

(श्री चेतराम)

(3) क्या यह सही है कि जिले की अधिकतर समितियां डिफाल्टर हैं फिर भी ऋण आदि देने का कार्य हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इन समितियों का चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक चुनाव पूर्ण हो जावेंगे?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री बनवारी लाल) : (1) इस जिले में पिछले एक साल (1 अप्रेल, 73 से 31 मार्च, 74 तक) में किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीकरण नहीं हुआ है।

(2) सवाई माधोपुर जिले में कुल 239 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। 58 समितियों के चुनाव गत वर्ष हुए। शेष समितियों में चुनाव समय पर न होने का मुख्य कारण समिति स्तर पर निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाना है।

(3) जी हां। डिफाल्टर समितियों को ऋण नये सदस्यों तथा उन सदस्यों के लिये दिया जाता है जिन्होंने कि अपना पूरा ऋण चुका दिया है।

4) जी हां। समस्त समितियों के चुनावों के लिये निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है ताकि शेष समितियों के चुनाव नियमानुसार करवाये जा सकें।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष जी...

श्री विजयसिंह (मांडल) : कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री रामगोपाल : मेरे पास सूची नहीं आयी है। फिर भी मैं थोड़े प्रश्न करूंगा। पहला यह है....

श्री बनवारीलाल : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री रामगोपाल : निर्वाचन अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, वह क्यों नहीं कराया गया है? उसमें किसकी गलती था? इस प्रश्न का जवाब दें।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष जी, इसमें मुख्य जवाब में निवेदन किया जा चुका है, समिति के जो पदाधिकारी थे, उनकी ओर से निर्वाचन अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया।

श्री रामगोपाल : क्यों नहीं कराया गया?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 58 के चुनाव हुए उसमें अधिकतर....

श्री रामगोपाल : यह रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया, इस प्रकार की रुकावट करने से क्या निर्वाचन अधिकारी को दिक्कत नहीं हुई? क्या राज्य सरकार इसको दिक्कत नहीं समझती है?

श्री चेतराम : चुनाव न होने का कारण बताया गया कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। अध्यक्ष जी, मन्त्री जी को मालूम नहीं है, पूरी तौर से जानकारी नहीं है और यहां जवाब देने को खड़े हो गये।

Page No 3

(3.)

श्री मीठालाल मीणा : बहुत बुरा बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : विभाग से सूचना प्राप्त हुई वही कह रहे हैं।

श्री चेतराम - विभाग की जानकारी नहीं हैं। जब मिलते हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके सवाल का जवाब नहीं है, लाजवाब है।

श्री चेतराम : बहुत सारी सोसायटीज ऐसी हैं। सवाई माधोपुर को, जिनके रिकार्ड की बात कहते हैं वह गलत है। वहां चला कर चुनाव नहीं कराते हैं। कई समितियां ऐसी हैं, जिनके दस दस साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से व्यवस्था हो जाय, जिन जिन सोसाइटो के चुनाव नहीं हुए है, जिन-जिन सोसाइटीज में घपले हैं, उनके निकट भविष्य में, टाइम में चुनाव करा दिये जायं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : कब तक चुनाव करा देंगे ?

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या मंत्री महोदय, जो चुनाव की पद्धति है, इसमें परिवर्तन करने की बात सोचते हैं ? परिवर्तन के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह अलग सवाल है।

श्री बनवारी लाल : यह अलग प्रश्न है, इसका अलग उत्तर दिया जायगा। यह निवेदन मूल जवाब में किया जा चुका है कि अधिकारियों की ओर से उनकी रिकार्ड समय पर नहीं दिया गया, इसलिए समय पर चुनाव नहीं कराये गये। अब कराने का प्रश्न है, वह बहुत शीघ्र कराये जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब तक ?

श्री बनवारी लाल : बहुत शीघ्र।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : स्पष्ट बतायें, कब तक ?

श्री चेतराम : कब तक चुनाव करा देंगे ? यह चुनाव कब तक होने वाले हैं ? यह हाउस पांच सात दिन का है, बाद में बजट सेशन के वक्त मोट करेंगे, तब फिर खबर आयेगी। इसलिए आप टाइम मुकर्रर करायें।

श्री बनवारी लाल : समस्त समितियों के निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो शेष हैं, बाकी हैं उनमें शीघ्र चुनाव होंगे।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : मैं पूछना चाहूंगा कि सहायक रजिस्ट्रार ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव करायेंगे। इनके और सहकारी बैंकों के, दोनों के आपने आदेश दे रखे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं दो सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहूंगा, आपने जो 339 समितियों में से 58 समितियों के चुनाव कराये हैं, क्या यह गम्भीर स्थिति नहीं है ? अगर बहुत गम्भीर स्थिति है तो इसके सम्बन्ध में आपको पूरी जानकारी करनी चाहिए, रिकार्ड वगैरह क्यों उपलब्ध नहीं कराया

Page No 4

(५)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गया ? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? प्रश्न तीन हैं, उसमें स्वीकार किया गया है, बहुत ज्यादा समितियां डिफाल्टर हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि डिफाल्टर होने के बावजूद उन समितियों को ऋण क्यों दिया जाता है, ऋण बन्द क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनवारी लाल : इसके पीछे सिद्धांत यह है, जो नये सदस्य बने हैं और जिन लोगों ने ऋण का चुकारा समय पर कर दिया है, उन लोगों को उन लोगों के कारण क्यों भुगताया जाय जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया है। उसलिए उन सदस्यों को ऋण का भुगतान किया जाता है, जिन्होंने समय पर चुकारा कर दिया है और जो नये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कहा पंजीकरण किसी समिति का नहीं हुआ है, तो पंजीकरण के प्रोसेस में कितनी पड़ी हुई हैं समितियां एक दूसरा इसके साथ और, माननीय सदस्य ने एक बात कही थी, आपके अनुसार आपका अधिकार नहीं है तो आपको उसका आन्सर दे देना चाहिये आन द फ्लोर, नहीं तो आपका अधिकार नहीं रहेगा। आपका अधिकार है या नहीं, इस पर मत व्यक्त कर दें।

श्री बनवारीलाल : 339 समितियों का गठन हो चुका है, उसमें सभी ग्राम आ गये हैं। लिहाजा नई समितियों के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर अधिकार का।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

श्री मीठालाल मीणा : पहली बात डिफाल्टर के सम्बन्ध में है। गत सत्र में यह सवाल उठाया था, सवाई माधोपुर जिले में कुछ सोसाइटीज हैं जिनमें 91 लाख 70 हजार रुपया बकाया है जो दस दस साल से चला आ रहा है और वसूल नहीं हो रहा है। 13 सोसाइटीज ऐसी हैं, जिनका रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है, रिकार्ड गायब हो गया है। आठ दस साल बीत गये, लेकिन उनका रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है और उनमें 13 लाख 15 हजार बकाया है। आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? क्या आप लिखा पढ़ी करते चले जायेंगे ? आपने क्या निर्णय किया है। जिन जिस सोसाइटीज में गबन घोटाला है, जिनका रिकार्ड गायब कर दिया गया है उनके बारे में क्या किया है।

श्री बनवारीलाल : वैसे यह अलग से प्रश्न है किन्तु डिफाल्टर का मतलब यह है कि जिसके पास से पैसा समय पर नहीं वसूल होता है। दूसरी बात जवाब में कहा गया है कि उन लोगों की तरफ से रैकार्डर उपलब्ध नहीं कराया गया, इसमें हम दुबारा कार्यवाही करेंगे।

श्री मीठालाल मीणा : 13 सोसाइटीज का रैकार्ड गायब है, 10–10 आदमियों के पास बकाया है, उनके बारे में आपने क्या किया।

(अनुत्तरित)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

पाली जिले की खाद्य सलाहकार समिति की बैठक

2. **श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में मार्च, 1974 के पश्चात् जिला खाद्य सलाहकार समिति की बैठक कब कब हुई और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गये ? सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(खाद्य मंत्री) श्री शिवचरण माथुर : (1) पाली जिले में मार्च 1974 के पश्चात् जिला खाद्य सलाहकार समिति की बैठक 29-4-74 को हुई। मीटिंग में लिए गए निर्णयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपभोक्ताओं एवं कृषकों को उपलब्ध एवं आवश्यकतानुसार शक्कर, केरोसिन, सीमेन्ट व डीजल दिलवाने की आवश्यक कार्यवाही की गई।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शंकरलाल (पाली) : इन समितियों की बैठक कितने समय में बुलाई जानी चाहिये ?

श्री शिवचरण माथुर : वैसे जिलाधीशों को आदेश दिये गए हैं कि नियमित रूप से हर महीने बुलायें। यह पिछली बार भी सदन में सवाल आया था उसके बाद में आदेश दिये गए थे और अपेक्षा की जाती है कि प्रति माह इस प्रकार की मीटिंगें बुलाई जानी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री शंकरलाल : यदि पालन नहीं किया जाता है तो सरकार क्या कदम उठाती है ?

श्री शिवचरण माथुर : पाली की सलाहकार समिति की प्रोसीडिंग्स मेरे पास है। उन्होंने सिफारिश की थी कि सीमेंट, केरोसिन, डीजल की तादाद बढ़ाई जाए ऐसी सिफारिश तो उपलब्धि के आधार पर ही मानी जा सकती है।

श्री शंकरलाल : आपने कहा कि प्रतिमाह जिलेवार खाद्य सलाहकार समिति की बैठक होनी चाहिये। कई समस्यायें आती हैं, अगर महीने में एक बार किसी जिलाधीश ने यह बैठक नहीं बुलाई तो उसके लिये सरकार क्या कर रही है ? क्या आदेशों का पालन उनकी मर्जी पर ही है कि जिलाधीश मानें या न मानें, उसके लिये कोई प्रावधान नहीं है ?

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : हर महीने में जब खाद्य सलाहकार समिति की बैठक होती है तो क्या मंत्री महोदय वापस सूचना मंगाते हैं कि किस जिले में समय पर हुई या नहीं ?

श्री निरंजननाथ 'आचार्य' : आपने अभी कहा कि जिलाधीशों को आदेश दिए हैं उसका मतलब हुकम दिया गया है। आपका हुकम बराबर जिलाधीश गवारा करते रहे हैं ? आपके आदेशों की अव-

Page No 6

(6)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
हेलना का जाती है तो उनके विरुद्ध डिसप्लीनरी एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एक जिलाधीश नहीं सारे जिलाधीश अवहेलना करते हैं।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : अन्य जिलों में भी बैठकें नहीं हो रही हैं। आपके आदेश केवल फाइल पर हैं तामील नहीं हो रही है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : एक एक होकर बोलें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : स्पष्ट है कि समिति की बैठक 29-4-74 को बुलाई यानी 3½ महीने हो गए, जिलाधीश पाली ने दूसरी बैठक नहीं बुलाई। ऐसे जिलाधीश के विरुद्ध एग्जेम्पलरी कदम उठा कर सदन को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि सारी जगह सलाहकार समितियों की यही स्थिति है, कहीं पर तो बिल्कुल नहीं बुलाई जाती है। मेरे जिले में तो बुलाने का कतई प्रश्न नहीं पैदा होता। आपके सामने एक कान्क्रीट उदाहरण आया है, 3½ महीने हो गये, इस जिलाधीश ने दूसरी बैठक नहीं बुलाई क्या सदन को आश्वासन देंगे कि इस जिलाधीश के विरुद्ध कठोर कदम उठायेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो आदेश देने से क्या फायदा ?

श्री विजयसिंह : जिस खाद्य सलाहकार समिति के मंत्री महोदय सदस्य हैं उसकी बैठक भी नहीं बुलाई जाती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : पुनः आदेश किस तारीख को जारी किये गए और खाद्य सलाहकार समिति के कौन कौन सदस्य होंगे इस बारे में क्या आदेश दिए गए ?

श्री जयकिशन तोसावड़ा (फागी) : यह एक जिले की समस्या नहीं है, समस्त जिलों की समस्या है। प्रत्येक जिले में यह समिति है। आज तक किसी जिले में यह कमेटी बुला कर कोई निर्णय नहीं लिया और निर्णय नहीं लिया तो समिति किस काम के लिये बनाई है ? इसी कमेटी के अन्दर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, उसका क्रियान्वयन कहां तक किया गया और कहां तक नहीं किया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : जिला खाद्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाने के संबंध में माननीय सदस्यों की जो व्यग्रता है, वह वास्तव में सही है, और पिछली बार भी इसी सदन में सवाल उठाया गया था और उस समय जब हमने सारी सिचुएशन को असेस किया तो जाहिर होता था कि इन समितियों की बैठक नहीं बुलाई जाती है। बाद में सदन की इच्छा के अनुकूल सभी जिलाधीशों को आदेश दिये गये थे ताकि एक एक महीने में कम से कम एक बार मीटिंग बुलाये और यदि आवश्यकता हो तो उससे अधिक भी बुलाये। मुझे जैसी पाली के बारे में जानकारी मिली है उन्होंने 4 महीने से मीटिंग नहीं बुलाई, वास्तव में यह जिलाधीश की सीरियल लैप्स है और सरकार के आदेशों के विपरीत है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बात की जानकारी और जिलों से

(श्री शिवचरण माथुर)

भी करके सख्ती से इस निर्णय का पालन करवाने के लिये कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा प्रश्न, समिति की सिफारिशों के इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसा मैंने निवेदन किया इन समितियों की गई सिफारिशें ऐसी होती हैं जो कि तादाद बढ़ाने के लिए होती हैं। इसमें माननीय सदस्य भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, जिला प्रमुख भी होता है। उन सबसे यह स्पष्ट बात है कि वे अपने जिले की कोटा एवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए सिफारिश करते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि आज जो कुछ अलग अलग चीजें देश में उपलब्ध हैं उसी के अनुकूल ये हर जिले को उपलब्ध कराई जाती हैं। पाली की सलाहकार समिति ने सीमेंट केरोसीन इत्यादि बढ़ाने की बात कही थी, यह निश्चित बात है कि हमारे पास में कटौतियां होती जाती हैं, सीमेंट का जो क्वार्टरली एलाटमेंट था उसमें कमी हुई है, केरोसीन में कमी हुई है इसलिए एलोकेशन की कमी के कारण अलग अलग जिलों में रिफ्लेक्शन आता है इसलिए सलाहकार समिति की ऐसी सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। यदि जो कुछ उपलब्ध वस्तुएं हैं उनका सही तौर से उचित वितरण हो और उसमें प्रशासन की कमियां हों, मैं समझता हूं सलाहकार समितियां उन पर ज्यादा जोर दें ताकि इम्पलीमेंटशन के आस्पेक्ट को भी देख सकें वरना केवल उपलब्धि बढ़ाने की सिफारिश की जायेगी तो उसमें कठिनाई आयेगी।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता महोदय।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो अभी सदन में यह कहा कि खाद्य सलाहकार समितियां जो जिले में बनी हुई हैं और खासतौर से पाली का खाद्य सलाहकार समिति ने कोटा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश की है यह कहना तो उनका सही नहीं है। मैं पाली जिले को खाद्य सलाहकार समिति का सदस्य हूं और उसने अपनी मीटिंग में जो निर्णय लिए थे उसमें उसने सीमेंट और केरोसीन की मात्रा बढ़ाने का ही निर्णय लिया हो ऐसी बात नहीं है। उस मीटिंग में जो नये राशन कार्ड बने थे उसके बारे में भी विचार किया गया था। अभी जो पाली में नये राशन कार्ड बने थे उसमें कई राशन कार्ड फर्जी बनाये गये उनको चैक करने के बारे में भी निर्णय लिया था। सिर्फ कोटा बढ़ाने की ही बात हो वह उचित प्रतीत नहीं होती। जब खाद्य सलाहकार समिति महीने में एक बार ही होती है तो उसमें कई प्रकार की प्रोब्लम्स को लिया जाता है। कोटा बढ़ाने की बात को हो नहीं लिया जाता दूसरे जो फर्जी राशन कार्ड हैं उसके बारे में क्या निर्णय लिया? इसके अलावा जहां पर राशन कार्ड नहीं हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? जिन लोगों के वहां पर कार्ड नहीं बन पाये हैं उनके बारे में राज्य सरकार क्या फैसला कर रही है? इसका जवाब राज्य सरकार द्वारा मिलना चाहिये। मंत्री महोदय का यह कहना कि खाद्य सलाहकार समिति सिर्फ कोटा बढ़ाने की ही बात करते हैं यह कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे क्या ?

(अश्रव्य, शोरगुल)

माननीय सदस्य ! मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक प्रश्न के पूरक प्रश्न पूछते हुए अगर उसमें भाषण हो जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि इसमें काफी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा माननीय सदयों से यह निवेदन है कि समय के अभाव को देखते हुए थोड़ा ऐतिहात बरतें।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ एक प्रश्न मेरा भी है मन्त्री महोदय उसका जवाब दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि जब राज्य सरकार ने हर जिले में ऐसी कमेटी बनायी है और इस प्रकार की कई जिलों की कमेटियों ने यह शिकायत की है कि उनकी मीटिंग्ज तक नहीं बुलायी गई है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि उन जिलों की कमेटियों को बुलाया जाय। तथा वहां की दिक्कतों को उन कमेटियों के मारफत हल किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया है। नेक्स्ट प्रश्न। श्री भीमसेन।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने राशन कार्ड वाला जवाब नहीं दिया।

श्री मोहनलाल : अध्यक्ष महोदय इसके साथ साथ मेरे प्रश्न का भी जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहां पर अभी मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा था कि खाद्य सलाहकार समितियां कोटा बढ़ाने की ही बात करती हैं। इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि पाली जिले की खाद्य सलाहकार समिति ने जो कोटा बढ़ाने की बात कही है उसके लिए एक आधार मान कर राज्य सरकार को निवेदन किया गया है। आज पाली जिले की जनता को जो सीमेंट, केरोसीन वगैरह मिलता है वह दूसरे जिलों से कम मिलता है। इसके लिये राज्य सरकार ने आबादी का ही मापदण्ड रखा है और अगर एलोटमेंट करती है तो पाली जिले की आबादी के आंकड़ों को अगर हम ध्यान में रख कर देखें तो उदयपुर जिले की जो आबादी है और जोधपुर जिले की आबादी है उसके अनुपात से काफी अधिक है। आबादी के अनुपात से पाली जिले को सीमेंट और केरोसीन अधिक मिलना चाहिये। पाली जिले में यह कम क्यों दी जा रही है? उसके लिये राज्य सरकार का क्या कहना है? राज्य सरकार का क्या आधार है ? क्या राज्य सरकार आबादी के अनुपात से पाली जिले को अधिक सीमेन्ट और केरोसीन देने का विचार करेगी ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। राज्य सरकार उन जिलाधीशों के खिलाफ में क्या एक्शन लेने

(श्री दीपंकर)

जा रही है जिन्होंने बगैर जन-प्रतिनिधियों की सलाहकार समिति को बुलाये ही फैसला कर लिया था? उनके खिलाफ में राज्य सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय!

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राशन कार्ड के बारे में राज्य सरकार का क्या निर्णय है पूछा है। उसके बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है पाली शहर के राशन कार्ड तो बना दिये गये हैं और देहात के राशन कार्ड बन रहे हैं उनका रिन्यूअल हो रहा है।

जहां तक पाली जिले को सीमेन्ट और केरोसीन कम मिल रहा है उसे अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा गेप है तो उसको देखना पड़ेगा कि आखिर इतना गेप क्यों है? और अगर वाकई में काफी ज्यादा गेप है तो उसे पूरा करने की कोशिश की जायेगी। मैंने तो केवल एक ही बात के बारे में निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर क्षेत्र की मण्डियों के विकास की योजना

3. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में राज्य सरकार ने कौन कौन सी मण्डियां प्रस्तावित की हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में मन्डी विकास कार्यक्रम की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है? अगर हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या राज्य सरकार मन्डी विकास कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने हेतु कोई स्वायत्तशासी संस्था या मन्डी डवलपमेंट बोर्ड या कारपोरेशन स्थापित करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। मन्डियों के विकास के लिये उपयुक्त संगठन के प्रस्ताव मन्त्रि-मण्डल की एक उपसमिति के विचाराधीन है।

(3) अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह मण्डियां कितनी हैं और कौन कौन सी प्रस्तावित की हैं इसमें कितनी मण्डियां तय कर दी गयी हैं और अभी कितनी मण्डियां उसमें से प्रोसेस में है?

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय जो सूची दी गयी है उसमें जो मण्डियां हैं जैसे यह हनुमानगढ़ टाउन वगैरहा की मन्डी है यह तो भाखरा प्रोजेक्ट की है। यह राजस्थान केनाल की नहीं है। दूसरे जो

(श्री गोपाल जोशी)
कोलायत, महाजन और लूणकरणसर है यह मन्डियां प्रस्तावित नहीं हैं क्या राज्य सरकार उनको भी प्रस्तावित मन्डियों में रखने का विचार रखती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि राज्य सरकार का मण्डियां तय करने का क्या क्राइटेरिया है ? दूसरा क्या राज्य सरकार इस बात को उचित नहीं समझती कि राज्य उन मण्डियों को जल्दी तैयार करके वहां पर जल्दी ही प्लाट काट दे ? इससे राज्य सरकार को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है । जैसा कि जब गगनहर बनी थी जब हुआ था । वहां पर प्लोट काटने से उस जमाने में सरकार को साढ़े तीन करोड़ रुपये सन् 1928 में मंडियों के प्लाट से आवंटन कर लिया था । इस प्रकार राज्य सरकार को भी आर्थिक लाभ हो सकता है । इसी प्रकार भाखरा प्रोजेक्ट की मान्डयां भी नहीं बनी हैं आज सन् 58 से 1974 हो गया है । करीब 16 साल हो गये है । वह भी तुरन्त होना चाहिये । इसी प्रकार राजस्थान केनाल के अन्तर्गत 8 लाख एकड़ से एक्सीड कर रही है पर अभी तक मान्डयों के बारे में कोई कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हो पायी है । राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? इसका जवाब आप देने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय मण्डी विकास कार्यक्रम अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो राज्य सरकार को अपने प्रजेन्ट पेटर्न को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मोजूदा पेटर्न बहुत खराब है । इसमें वेलफेअर अथोरिटीज द्वारा कायम किया जाना चाहिये ।

उपनिवेशन मन्त्री : (श्री परसराम मदेरना) अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में जो मन्डी कमेटियां हैं उनका चेअरमेन एरिया डेवलेपमेंट कमिश्नर है । हालांकि उसके पास और काम है लेकिन राज्य सरकार का यह निर्णय है कि चेअरमेन उसका वही रहेगा । इसके अलावा अभी जो वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेन्ट राज्य सरकार का हुआ है उसके अनुसार यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा । उसके अन्तर्गत काफी काम होंगे जैसे लेण्ड का लेवलिंग और उसके बाद में ही मन्डी कमेटियां बनेंगी । यह काम कालोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा किया जायेगा । अभी जो इसमें मण्डियां हैं वे 16 हैं और प्रस्तावित मण्डियां मिलाकर वे कुल 28 हो जाती हैं । अब इसमें यह बात भी है कि इसे देहली डेवलेपमेन्ट आथोरिटी की तरह ओटोनामस बनायी जाय या डेवलपिंग आथोरिटी बनायी जाय यह सभी चीजें देखकर तय किया जायेगा । कितने रेडियस में रखी जाय । क्योंकि अभी तो राजस्थान केनाल के एरिया में कुछ नहीं है । वह पूरा एरिया वीरान है । इसके लिये जो भी खास मुद्दे हैं उस बारे में एक सब कमेटी बनायी हुई है केबीनेट स्तर पर । इसका एजन्डा अब पूरी तरह से तैयार हो गया है वह मेरे पास है और जल्दी ही मैं समझता हूं कि करीब 8–10 दिन में हो इस पर फैसला कर लिया जायेगा । इसके लिये यह भी देखना पड़ेगा कि यह मण्डियां कैसी हों । मेरी राय है कि यह मण्डियां सेल्फ जनरेटिंग होनी चाहिये, वायोबल होनी चाहिये । इसका डेवलपमेन्ट अच्छी तरह से होना चाहिये, ऐसी राज्य सरकार की मंशा है । इसके अलावा पचायतों

(श्री केदारनाथ)

को भी ध्यान में रखकर उन मण्डियों का गठन किया जायेगा। आवादी वगैरहा सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर तथा वहां पर मण्डियों को सेल प्रोसीड्स कैसी हों तथा वहां पर उनके लिये एक कन्सोलीडेटेड फन्ड हो। यह सभी वह सब कमेटी जो केबीनेट स्तर पर बनी हुई है देख रही है। इन मण्डियों का चेअरमेन कोलोनाईजेशन कमिश्नर होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री भीमसेन : मेरा एक क्वेश्चन रह गया है ?

श्री अध्यक्ष : वह भी पूछ लीजिये।

श्री भीमसेन : यह कब से सब-कमेटी के विचाराधीन है ?

श्री परसराम मदेरणा : निश्चित तारीख अभी नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीराम गोटेवाला

जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों का विकास

4. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के विकास के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) जयपुर शहर में किन-किन बस्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और उनमें कितने कितने प्राणी निवास करते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त बस्तियों के कितने व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित कर पट्टे दिये जा चुके हैं ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुंशी लाल महावर) : (1) जयपुर नगर को प्रत्येक कच्ची बस्ती में सड़क, पानी, बिजली व नालियों का निर्माण कराकर उनमें बसे नागरिकों को स्वच्छ वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। इन बस्तियों का विकास कर इनमें 21 अगस्त 1971 से पूर्व से बसे निवासियों को यथा सम्भव उसी बस्ती में बसाये जाने का भी राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है। ऐसे कच्ची बस्ती वासियों की गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन कर उन्हें दी, राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि. के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उनके लिये न्यास द्वारा स्वीकृत डिजायन के अनुसार पक्के आवास गृह भी निर्मित कराये जा रहे हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जयपुर नगर की 109 बस्तियों में से 73 कच्ची बस्तियां नगर विकास न्यास के क्षेत्र में स्थित हैं। न्यास द्वारा विभिन्न बस्तियों में 3493 व्यक्तियों को बस्तियों में गठित समितियों के माध्यम से आवंटन पत्र वितरित किये जा चुके हैं। आवंटित भूखण्डों के प्रति पट्टे उन पर भवन निर्मित हो जाने के पश्चात् ही जारी किये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट—3 देखिये)

Page No 12

(12)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय; कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा मैं क्या प्रश्न पूछूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय मंत्री-जी परसरामजी को बड़ी निराशा हो रही है आपके रिकार्ड तोड़ उत्तर से।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी सूची उपलब्ध नहीं हुई है। एक जानकारी प्राप्त करनी थी। माननीय मंत्रीजी ने बताया कि गृह निर्माण समितियों को राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव फाइनेन्स हाउसिंग सोसाइटी की ओर से लोन दिया जा रहा है। सो कितनी हाउसिंग सोसाइटीज ने एप्लाई किया और कितनी सोसाइटीज को मिला और कितनी का पेन्डिग है ?

श्री मुंशीलाल महावर : यह अलग से प्रश्न है। इसके लिये को-आपरेटिव विभाग से सूचना मांगिये।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनका काम तो पूरा हो गया।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जवाब देना चाहेंगे ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न पूछा है और हाउसिंग सोसाइटीज के लोन के बारे में जानना चाहा, वह तो सहकारिता मंत्रीजी से ही पूछ लिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि सहकारी विभाग स्वायत्त शासन मंत्री के पास ही है। मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिये।

श्री दीपंकर : आप इनको ज्यादाXXX करना चाहते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : पूछिये प्रश्न आप।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता था कि सहकारी समितियों को कितना कितना लोन मिला और कितनों को नहीं मिला, इसके लिये राज्य मंत्रीजी ने तो कह दिया कि सहकारिता मंत्री जवाब देंगे। क्या सरकार इन बस्तियों को बसाने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित करना चाहती है या नहीं ? यदि चाहती है तो यह कौनसी तिथि तक हो जायेंगी ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : आपने बताया कि उन बस्तियों में प्राणी रहते हैं। उनमें कितने व्यक्ति रहते हैं यह बता दीजिये ?

श्री केदारनाथ : जो राज्य मंत्री निजी जानकारी का जवाब दें उस पर फिर सप्लीमेन्टरी नहीं होना चाहिये।

XXX ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गये।

श्री मूलचन्द सार्मारिया (दौसा) : जो राज्य मंत्री एक भी सप्लीमेन्टरी का जवाब देने की स्थिति में न हो कब तक उस पर मंत्री महोदय जवाब नही देंगे ? मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : (स्वायत्त शासन मंत्री) अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने जयपुर में कच्ची बस्तियों के विकास के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम चाहा है। जयपुर की कच्ची बस्तियों के सुधार और निर्माण के विषय में राज्य सरकार ने इस बजट के अन्दर, चालू बजट में, 28 लाख का प्रावधान जयपुर के लिये रखा है और 22 लाख का प्रावधान जोधपुर के लिये रखा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 28 लाख की बजाय उसको 35 लाख कर दिया है और 35 लाख इन कच्ची बस्तियों के सुधार और निर्माण के लिये खर्च करने की योजना है। कितने समय में यह सब हो जायगा, यह अभी कहना संभव नहीं है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी बाकी रह गया है ?

श्री माणकचन्द सोगानी : जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री माणकचन्द सोगानी : कच्ची बस्तियों के सुधार और निर्माण के लिये बड़ी धन राशि निकाली गयी है किन्तु उसके समय पर उपलब्ध न होने से गरीब जनता को लाभ नहीं मिलता है। उसकी जल्दी उपलब्धि हो इसकी व्यवस्था करायी जायगी क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 71 तक सर्वे की जो तारीख मुकर्रर की गयी थी उस तारीख तक कुछ बस्तियां पूर्ण रूप से सर्वे होने से वंचित रह गयी थी। क्या उनका भी सर्वे कराने का विचार कर रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मेरे ख्याल से कोई बस्ती सर्वे से वंचित नहीं रही है। कई बस्तियां अब ऊपर आना चाहती हैं दुबारा तो उनको ऊपर नहीं आने दिया जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बजरंग बस्ती, छीपावाड़ा, काजीवाड़ा। ये बाकी रह गयी हैं सर्वे होने से।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य, सूचना दे रहे हैं। मैं इसको देखूंगा। एक डेढ लाइन दे दी है। बड़ा प्रोग्राम हम हाथ में लेकर चले हैं। इसका मतलब यह तो नहीं है कि कच्ची बस्तियां ऊपर आती ही चली जायें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : माननीय गिरधारीलालजी ने कहा कि कुछ बस्तियां रह गयी हैं। बस्तियां तो नहीं रही हैं। कुछ व्यक्ति जरूर रह गये सर्वे करने में कुछ गलतियां रह जाने के कारण उनका राज्य सरकार को हल निकालना चाहिये। मोहल्ले का व्यक्ति कोई रह गया है तो उसका तो होना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : यह बिलकुल भिन्न स्थिति है और वह बिलकुल भिन्न स्थिति है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि कृषि भूमि पर मकान बनाने वालों के लिये आपने अवधि बढ़ाकर 14 नवम्बर 73 कर दी। इसी तरह से जिन्होंने अपने मकानों को प्लिन्थ लेवल तक बना लिया है और जिसके लिये कच्ची बस्ती के नाम पर लोगों ने आन्दोलन किया था और जिसके लिये स्वर्गीय मुख्य मन्त्री बरकतुल्लाखां ने 14 नवम्बर 73 तक जो मकान बना लिये हैं उनको भी कृषि भूमि वालों की तरह 14 नवम्बर 72 को जो जहां बसा है उनको वहीं आबाद करने की आप घोषणा कर दें। एग्रीकल्चर लैंड वालों को जो सहूलियत आपने दी उसके लिये धन्यवाद।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री गोपाल जोशी : जयपुर के अलावा राजस्थान के अन्य शहरों जोधपुर, बीकानेर अजमेर, उदयपुर, कोटा आदि की कच्ची बस्तियों के लिये भी सरकार कुछ करना चाहती है?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान के प्रमुख शहरों की कच्ची बस्तियों के बारे में कार्यक्रम बनाया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से इसके लिये पहले जयपुर शहर को लिया गया है मैं माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करूंगा कि इस बारे में राज्य सरकार ने जो अब तक काम किया है उसे वे देखें। मैं ऐसा समझता हूं कि काफी अच्छा काम हुआ है और यह बहुत अच्छा अचीवमेंट है। इसको हम दूसरे शहरों पर भी लागू करना चाहते हैं। इसके लिए एक तरीका तो यह हो सकता है कि हर शहर के लिए एक साथ काम करना प्रारम्भ कर दें और इसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करते रहें सबको बांट बांट कर पांच लाख यहां खर्च कर दिये पांच लाख वहां खर्च कर दिये पांच और जगह कर दिये इस तरह से हम सालों तक चलते रहें। दूसरा तरीका यह है कि एक दो वर्षों में एक जगह का काम कम्पलीट कर दें सारा पैसा वहीं खर्च करके और फिर तीसरे साल दूसरी जगह को ले लें, उसका कम्पलीट करके एक दो साल में फिर तीसरी जगह को ले लें। मैं समझता हूं इस वर्ष और अगले वर्ष टेन्टेटिवली मैं कहता हूं जयपुर को हाथ में लेकर यहां का काम पूरा कर दिया जायेगा। इसके बाद एक्सटेन्ड करने जा रहे हैं अजमेर, जोधपुर और बीकानेर आदि शहरों तक इस काम को।

श्री निरंजननाथ आचार्य : केन्द्रीय मन्त्री ने जिसकी तारीफ कर दी अभी उस काम को देखने के लिए फरमा रहे हैं क्या आप?

एक माननीय सदस्य : आप देख लेंगे तो आपको भी सन्तोष हो जावेगा केन्द्रीय मंत्री जी की तरह।

प्रश्न संख्या 5

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम!

(अनुपस्थित)

कृपया आगे देखिए।

श्री विम्मनसिंह!

श्री लूनाराम : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पहले जो उपस्थित हैं उनके ले लिये जावें। इनको फिर देख लेंगे।

श्री चिम्मनसिंह !

लस्सानी एवं दवेर ग्रामों की जल योजना

6. **श्री चिम्मनसिंह भाटी (ब्यावर) :** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर जिले की पंचायत समिति, देवगढ़ की लस्सानी ग्राम पंचायत में व पंचायत समिति, भीम के दवेर ग्राम में जल-प्रदाय योजना प्रारम्भ करने हेतु अपनी राशि विभाग को किन किन तिथियों में जमा कराई ?

(2) अभी तक ग्राम लस्सानी तथा ग्राम दवेर में जल प्रदाय योजना क्यों नहीं चालू की गई और अब कब तक चालू कर दी जावेगी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल) :

(1) जन सहयोग के रूप में धनराशि निम्न प्रकार जमा कराई है :

ग्राम लसानी रुपया 2500), जनवरी, 73 में रुपया 1800) दिनांक 16-11-1973 को। ग्राम दवेर रुपया 2500) सितम्बर, 72 में।

(2) उपरोक्त दोनों योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है। धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : क्या इन्हीं गांवों के लिये यह धन उपलब्ध हुआ है ? बाकी दूसरों के लिये नहीं हुआ क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : इस साल तो कोई भी ग्रामीण योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी है। हां 72 में जिसका पैसा जमा हो गया है उनके बारे में जब भी योजना स्वीकृत होगी पहले ध्यान दिया जावेगा। दवेर वालों ने 16-11-73 को पैसा जमा कराया है और फिर जितना होना चाहिये उससे कम करवाया है। अब तक तो केवल लसानी ने जमा कराया है। समय के अन्दर। अब चूंकि 73-74 में कोई भी ग्रामीण जल योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी है इसलिये अगले साल जब भी कोई स्कीम स्वीकार की जावेगी, तो इस पर जरूर ध्यान दिया जावेगा।

मूल्य वृद्धि और संग्रहखोरी को रोकने की योजना

7. **श्री मोहनराज (बाली) :** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मूल्य वृद्धि एवं संग्रह खोरी रोकने की दशा में राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? कृपया विस्तृत जानकारी देते हुए एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से वांछित नतीजे नहीं निकले हैं ?

(3) क्या सरकार इन समस्याओं से जूझने के लिये मौजूदा सरकारी मशीनरी

(16)

(श्री मोहन राज)
के साथ साथ प्रत्येक पंचायत व शहरी इलाके में वार्ड स्तर पर जमा खोरी व मुनाफाखोरी विरोधी जनअभियान समितियां बनाकर सक्रिय व प्रभावशाली उपयोग लेने का विचार रखती है ?

खाद्य मन्त्री : (श्री शिवचरण माथुर) (1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार इस समस्या का हल निकालने के लिये समाज के हर वर्ग से सहयोग प्राप्त करना चाहती है।

(विवरण के लिये कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखें)

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : यह विवरण सदन की मेज पर जो रख दिया गया है, उससे आप सदन को अवगत करा दें तो अच्छा हो।

श्री मोहनराज : मेरे प्रश्न के भाग दो के उत्तर में मन्त्रीजी ने यह फरमाया कि वांछित नतीजे निकले हैं। वे क्या हैं जरा बता दें ? मेरे विचार से उनका कथन गलत है। कोई वांछित नतीजे नहीं निकले। अभाव और जमा खोरी आज भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। क्या इसी को सरकार वांछित नतीजे समझती है।

साथ में मन्त्री महोदय ने जो विवरण दिया है उसमें वितरण प्रणाली को सुधारने के लिये नागरिक समितियां बनाने का आदेश जिलाधीशों को दिया बताया है। ये आदेश कब दिये ? किन किन जिलों में ऐसी समितियां बन गई हैं बन गई है तो उन्होंने क्या किया है यह भी बताने का कष्ट करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह विवरण मन्त्री महोदय पढ़कर सबको सुना दें। बड़ा आवश्यक है। यह बड़ा अहम मसला है।

श्री शिवचरण माथुर : मूल्य वृद्धि के कारणों का जहां तक प्रश्न है यह जो इसका फेनोमेना है यह केवल हमारा राष्ट्रीय ही नहीं है अन्तराष्ट्रीय भी है इसके कारण। इसलिए इन कारणों में मैं जाऊं तो यह समय भी उपयुक्त नहीं है, अधिक समय लग जावेगा और लम्बी चौडी बहस का भी विषय बन जावेगा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : इसके कारण जब अन्तर्राष्ट्रीय हैं तो आपका जवाब भी अन्तर्राष्ट्रीय आना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तो चर्चा में गये बगैर आदेश के मुताबिक विवरण पढ़ कर सुना दें सदन को।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न यह गम्भीर है और समय प्रश्नोत्तरकाल का है। इस के दायरे में इसको विस्तार से डिसकस करना सम्भव नहीं होगा। मोटे मोटे कारण मैं आपके आदेश से पढ़कर सुना देता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इस पर विस्तृत स्टेटमेन्ट देना स्वीकार कर लें। स्टेटमेन्ट ही दे दीजिये। समय सदन का बच जावेगा।

श्री शिवचरण माथुर : वांछित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में निवेदन है कि मूल्य वृद्धि एवं आवश्यक वस्तुओं की संग्रहखोरी यद्यपि

(श्री शिवचरण माथुर)

देशव्यापी समस्या है तथा विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी होना मुद्रास्थिति और वितरण प्रणाली में अनियमितताएं एवं अन्य कमियों के फलस्वरूप भी मूल्य वृद्धि एवं जमाखोरी को प्रोत्साहन मिला है। इसके उपरान्त भी राज्य सरकार ने अपनी यथा शक्ति से इस समस्या पर काबू पाने के लिये भरसक प्रयत्न किये हैं जो निम्नांकित हैं :

(1) गेहूं जो जनता का आहार है की कीमतों को रोकने एवं संग्रह न होने देने के लिये राजस्थान गेहूं (व्यापार विनियमन) आदेश संख्या 1974 में उत्पादक द्वारा एक समय में 20 क्विन्टल प्लस 1.5 क्विन्टल प्रति हैक्टर बोई जाने वाली जमीन के आधार पर बीज के रूप में संग्रह करने तथा उपभोक्ता द्वारा जिसके परिवार में पांच सदस्य या कम हैं 2 क्विन्टल एवं 5 से अधिक होने पर 5 क्विन्टल गेहूं संग्रह करने की सीमा निर्धारित की है ताकि बड़े बड़े किसान एवं धनी उपभोक्ता फसल में अधिक गेहूं का भण्डार न रख सकें।

(2) व्यापारियों द्वारा 2600 क्विन्टल तक एक समय में गेहूं संग्रह करने की सीमा निर्धारित की गई ताकि वे क्रय किये गये गेहूं का 50 प्रतिशत भाग लेवी के रूप में राज्य सरकार को दे सकें जिससे राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिये अधिक गेहूं का बफर स्टाक बना सकें।

(3) राज खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) आदेश, 1973 के अन्तर्गत ज्वार बाजरा एवं मक्का के संग्रह करने की व्यापारियों द्वारा अधिकतम सीमा 500 क्विन्टल निर्धारित की गई है ताकि व्यापारी गए मोटे खाद्यान्न जो गरीब जनता का खाद्यान्न है का संग्रह कर अधिक कीमत न ले सकें।

(4) जिलाधीशों को जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। तथा इस सम्बन्ध में जिलाधीशों द्वारा काफी संख्या में मामले बनाये गये हैं।

(5) जिलाधीशों को यह भी हिदायतें दी गई कि वे व्यापारियों को बुलाकर आवश्यक वस्तुओं के अभाव कम करने के लिये राजी करें।

(6) वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए नागरिक समितियां बनाने के आदेश जिलाधीशों को दिये गये हैं।

जमाखोरों व तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही के निम्नांकित परिणाम हासिल हुए हैं :—

1	केस बनाये गये	851
2	चालान प्रस्तुत किये	115
3	लाइसेंस कैंसिल किये गये	61
4	जमानत जब्त हुई	47352) रु.
5	व्यक्ति गिरफ्तार हुए	87
6	वाहन पकड़े गये	68
7	सजा दी गई	44

सामान जब्त किया गया।

8	खाद्यान्न	4298 क्विन्टल
9	डीजल	10800 लीटर
10	केरोसीन	33400 लीटर
11	वनस्पति घी	14043 टिन

(श्री शिवचरण माथुर)

12	सीमेन्ट	2993 बोरे
13	माचिस	384000
14	साबुन	5000 किलो
15	खाद	700 बोरे
16	नियन्त्रित कपड़ा	1300 मीटर
17	दवाइयां	408 पेटियां

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : जनता के मनोविज्ञान की दृष्टि से जनता का सहयोग इन कामों में लिये जाने के बारे में आपने क्या कदम उठाये ताकि जनता का मानस बने और आपको वह इसमें सक्रिय सहयोग दे सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : समितियों के निर्माण के लिए आपने जिलाधीशों को आदेश दिये तो इन समितियों का क्या निर्माण हुआ ? आदेश आपने कब दिये ? निर्माण होने के बाद समितियां सक्रिय नहीं बनीं तो फिर उन जिलाधीशों के सम्बन्ध में आप क्या विचार रखते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या मंत्री महोदय इसे सन्तोषजनक मानते हैं। ये जो एक्शन्स लिये हैं क्या सन्तोषजनक मानते हैं और पांच बड़े व्यापारियों की मिसाल देंगे जिनको आपने गवर्नमेंट आफ इंडिया की डि-होर्डिंग की किसी धारा में धरा हो जिससे सारे हिन्दुस्तान में एक वातावरण बना हो या कोई इम्पेक्ट पैदा कर सके ?

श्री गोपाल जोशी : जो जब्त हुआ माल है उसका क्या हुआ, एक बात और दूसरी बात यह है कि जो क्वान्टिटी दो हजार क्विन्टल व्यापारियों को रखने की इजाजत दी थी जब लेवी वसूल करनी थी तब थी और जब लेवी दी नहीं तो क्या अब भी दो हजार क्विन्टल रखने के अधिकारी हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने प्रश्न संख्या दी है क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से वांछित नतीजे नहीं निकले हैं के उत्तर में यह कहा, जो नहीं। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि कौन कौन से आइटम्स में सीमेन्ट में, कोयला में, वनस्पति घी में, केरोसिन तेल में, साबुन में किस किस में रोकने में सफल हुये हैं और कहां कहां मूल्य-वृद्धि में कमी हुई है। क्या लगातार जितने प्रयास किये हैं उन प्रयासों के बावजूद भी वे प्रयास केवल घोषणाओं के द्वारा और नारेबाजी तक पहुंच सके हैं। उपभोक्ता का जहां तक प्रश्न है वह पिसा जा रहा है, मूल्य वृद्धि बढ़ रही है, मंहगाई बढ़ रही है। मैं निवेदन करूंगा आप निश्चित रूप से आंकड़े देकर बतायें कि वे कौन कौन से आइटम्स हैं घासलेट का तेल है, साबुन है, वनस्पती घी है, सीमेन्ट है—किस चीज के अन्दर कमी हुई है, किस चीज में कमी की है, यह बतलायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने इस बात के लिये दिल्ली में तस्लीम किया था, वायदा किया था उसे पूरा नहीं किया और जिसने लेवी अदा नहीं की तो क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि उतनी ही चीज की संग्रह करने की आज्ञा दी जाए जितनी पहले थी ? क्या यह उचित नहीं है कि उनकी रियायतों को खतम किया जाय ?

Page No 19

(19)

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह सही है। मेरा ख्याल है इसको हमने सामूहिक रूप से किया है, लेकिन आफिसियली रूप से यह नहीं कह सकता हूं कि भारत सरकार कैसे करेगी उसको। व्हीट पालिसी भारत सरकार तय करती है जब यह फैसला किया गया था कि प्रोड्यूसर से लेवी को व्यापारी से ली जाय, तब स्वाभाविक रूप से क्वान्टम बढ़ा दिया गया था लेकिन मेरा अपना बहुत स्पष्ट मत है कि आने वाले कुछ वर्षों तक इस देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास प्रोड्यूसर की लेवी के आधार पर कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता है और जब दूसरा आधार नहीं हो सकता है तो जो ट्रेडर आयेगा उसका मिस यूज करेगा इसलिये राजस्थान सरकार स्पष्ट रूप से इस राय की है कि ट्रेडर के लिये जितने क्वान्टम हैं, आज की परिस्थिति में ठीक नहीं हैं। इसको हम भारत सरकार से कह चुके हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी): क्या कहीं हाऊस में इस बात को कहीं पहले कहा गया है ?...

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस प्रश्न के उत्तर में जो वांछित उपलब्धि पहले प्राप्त की है उस प्रश्न के दो भाग हैं–एक संग्रह करने की दिशा जिसमें मूल्य वृद्धि की बात है आपने मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयास किया है ? क्या आपने कोई खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि रोकने का प्रयास किया है ? किसान को जो खाद्य देते हैं क्या उसमें आपने कोई मूल्य वृद्धि रोकने का प्रयास किया है ? किसी भी वस्तु की कीमत को रोकने में क्या आपने कोई वांछित सिद्धि प्राप्त की है ? ये जमाखोरी रोकने के लिये जो आपने छापेमार कर डी-होर्डिंग का कैम्पेन लिया है, क्या यह सही है कि जो आपने मशीनरी वे जो होर्डिंग करते हैं उनको वहां छापे न लगाकर जो डी–होर्डिंग ही नहीं करते हैं उन पर छापे लगाकर आप दिखावा करना चाहते हैं...

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो वास्तव में...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे गोदाम हमको बतायें और हम ताला तोड़कर आप को बता देते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र इसके लिये तैयार हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उन्होंने जो छोटे छोटे ठेले चलाने वाले हैं उन पर छापे मारे हैं। उदयपुर में वनस्पति घी के बड़े बड़े होर्डिंग करने वाले हैं, किसी पर छापा नहीं मारा है और चाहते हैं किसी तरह छोटे छोटे व्यापारियों पर छापा मार अपना नाम कमा लें...

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक महिला का प्रश्न है उस पर रहम कीजिये।

एक माननीय सदस्य : रहम कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रहम किस पर कीजिये, गरीब है, जखीरेबाज है...

श्री शंकरलाल: रहम की बात ही नहीं है ये तो वैसे ही ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक ठेले वाला जिसके पास केवल साबुन होम मेड 200-250 किलो, उस पर छापा मारा और अखबार में छपाकर वाहवाही हमारी सरकार करे। जब तक बड़े बड़े जमा खोरों को नहीं पकड़ेगी और उनके हथकड़ी डालकर नहीं घुमायेगी तब तक सही दिशा बदलने वाली नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंहगाई, जमाखोरी और एडल्ट्रेशन ये ऐसी चीजें नहीं हैं कि एक दिन के अन्दर कोई परिणाम निकल सके। मैं तो एक निवेदन कर सकता हूं और वह यह है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में अर्नेस्ट एफर्ट्स किये हैं। इसको एप्रीसियेट करने की जरूरत है। पहली मर्तबा राजस्थान के इतिहास में मीसा के तहत गिरफ्तार किया है उनको हवालात में रखा है। कोई ऐसा उदाहरण इससे पहले कि मीसा में पकड़ कर और हथकड़ी डालकर घुमाया ही नहीं है। हम पब्लिक में जो घुमाने की बात करते हैं वह केवल डराने वाली बात ही नहीं है....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह भी बता दीजिये कितने लोगों को पकड़ा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य सबकी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। मैं एक एप्रोच की बात कह सकता हूं जिसको हम तय करते हैं। हमारा इरादा यह है कि हम होर्डिंग करने वालों को और मिलावट करने वालों को खतम करेंगे और इस प्रकार के सामाजिक अपराध करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को आपके सामने लायेंगे। इसके कारण बहुत से दवाब बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझिये मैं एक ही बात कहता हूं—ठीक मालूम नहीं पड़ता है पर हनुमान सहाय चौधरी जो यहां काम कर रहा था वह एक दिन से तो काम नहीं कर रहा था। वह वर्षों से काम कर रहा था उसके ऊपर वर्षों से कई प्रकार के एलीगेशन्स थे लेकिन पहली बार उसको पकड़ा गया और जयपुर के बाजारों के अन्दर हथकड़ियां डालकर घुमाया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल उस समय पकड़ा गया जिस समय मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा और उसके भी एक महीने के बाद तक नहीं पकड़ा।

श्री हरिदेव जोशी : आप क्रेडिट लेना चाहें तो ले लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो चीजें सदन में आ जाती हैं उनको पकड़ लेते हैं और जो हजारों गोदाम हैं उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हजारों हैं। एक को पकड़ लिया तो क्या हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से जोधपुर के अन्दर भी हमने पकड़ा। जहां तक पब्लिक के अन्दर इनको गिराने की बात है वह तो यह है और अब रह जाता है सवाल कि औरों के बारे में क्या किया? मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर स्मगलर्स को पकड़ा गया अडल्ट्रेटर्स को पकड़ा गया है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि ठेले वालों को भी पकड़ा और वो कर दिया दिस इज जस्ट पासीबल कि हमने सैकड़ों एक्शन लिये उनमें

(श्री हरिदेव जोशी)

किन्हीं लोगों के द्वारा गलत एक्शन भी लिये गये हों और जो गलत एक्शन लिए गए हैं उसके लिए हमको अफसोस है, लेकिन कुछ गलत एक्शन हो गए इसलिए इस एक्शन को बंद कर दें ऐसा नहीं हो सकता। यह एक्शन बन्द नहीं किये जायेंगे। इसके लिये और अधिक सावधान रहा जायेगा और अधिक लोगों को पकड़ा जायेगा। उसमें एक बात और निवेदन करनी है कि हमारी जिम्मेदारी केवल सरकार को कह कर अन्त नहीं हो जाती. एक होर्डर जो कि 100 बोरियां अनाज अपने गोदाम के अन्दर रखता है और वह कोई अपने सिर के ऊपर उठाकर नहीं ले जाता है, अपनी बीवी और बच्चों के मार्फत वहां नहीं रखता है। आखिर वह किसी ट्रक में ले जाता होगा, उसको कई लोग देखते होंगे लेकिन आज सामाजिक स्थिति यह है लोग आकर नहीं कहते। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में वह राज्य सरकार को सहयोग दें और अगर कहीं भी इसके अन्दर हम कमजोर पाये जावें तो हमको पब्लिकली कन्डेम कीजिए उसको मैं अपने सिर पर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं केवल एक [illegible] चाहता हूं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): यह बहुत बड़ा प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको भी समय नहीं दिया। जब मैं निवेदन करता हूं माननीय सदस्यों से कि कुछ समय कम करें उस समय आपका आग्रह रहता है कि और बोलने दिया जाये। आखिर प्रश्नों के लिए एक घन्टा मुकर्रर है और अब मैं माफी चाहता हूं।

श्री केदार नाथ : एक ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आगे के लिए भी माननीय सदस्य ध्यान रखें।

श्री मूलचन्द सामरिया : जो आपने कहा है····

श्री अध्यक्ष : (श्री मूलचन्द सामरिया के बार बार बोलने पर) Not to be recorded,

श्री मूलचन्द सामरिया :+ + +

श्री अध्यक्ष : समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य काफी अर्से से सदन के सदस्य हैं। नये नहीं तो पुराने ही हैं और मैं आपसे आशा करता था कि आप बहुत शालीन माननीय सदस्य हैं। बैठने के लिए कहा जाता है तो उसका आप पालन करें, ऐसी मैं आपसे आशा करता था। आपसे आशा नहीं करता था कि आप अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। आइन्दा इसका ख्याल रखें।

श्री मूलचन्द सामरिया : बेहद खुशी हुई है इस बात के ऊपर।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 22

(22)

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था कि ज्यादा समय लेने का इरादा है तो कुछ प्रणाली बैठकर निकाल सकते हैं जिससे अधिक से अधिक प्रश्न आ जायें। प्रश्नों के लिए समय निश्चित है और इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन्स भी हैं।

श्री केदारनाथ : इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : खाद्यान्न और मंहगाई ऐसे प्रश्न हैं कि जिसके बहुत से पूरक पहलू हैं और जिसके ऊपर सारे ही माननीय सदस्य निवेदन करना चाहेंगे तो इस जनरल समस्या के ऊपर माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना स्टेटमेन्ट कल या परसों दें। इसके बारे में निश्चित कर दें तो जो यह प्रश्न अधूरा रह गया है यह पूरा हो जायेगा।

श्री केदारनाथ : इसके बारे में कई स्थगन प्रस्ताव हैं उनके लिए आप आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : इसमें दो राय नहीं है कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों से सम्बन्धित भी है और इस सदन में चर्चा हो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इस संबंध में काल अटेन्शन नोटिसेस भी कुछ आये हैं। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात करके कि किस रूप में क्या हो वह तय कर लूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू जिले में संकर बाजरे के बीज का वितरण

5. **श्री रावतराम (छापर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1974–75 के चालू वर्ष में चूरू जिले को संकर बाजरे का कितना और कब बीज मिला तथा कब वितरण किया गया ?

(2) सुजानगढ़ पंचायत समिति ने संकर बाजरे के बीज की मांग कब की और उसे बीज कब मिला ?

(3) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के काश्तकारों को समय समय पर बीज नहीं मिलने से बाजरे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) सन् 74–75 के चालू वर्ष में चूरू जिले को 23.67 कुयपटला संकर बाजरा का बीज जुलाई 74 के प्रथम सप्ताह में वितरण करा दिया गया।

(2) सुजानगढ़ पंचायत समिति ने संकर बाजरे की मांग माह मई, 74 के दूसरे सप्ताह में की और उसके अनुसार

(कृषि मंत्री)
राष्ट्रीय बीज निगम से जैसे ही माह जुलाई, 74 में बीज कृषि निगम को प्राप्त हुआ तुरन्त ही सुजानगढ़ क्षेत्र को भी जुलाई, 74 के प्रथम सप्ताह में बीज उपलब्ध करा दिया गया।

(3) जी, नहीं। कृषि निगम को राष्ट्रीय बीज निगम से जुलाई, 74 के प्रथम सप्ताह में बीज प्राप्त हुआ उसे तुरन्त ही सुजानगढ़ पंचायत समिति को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।

शोक प्रस्ताव एवं श्रद्धांजलि

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र के बाद में इस सदन के कुछ माननीय भूतपूर्व सदस्यों का देहावसान हुआ। सर्व श्री राव धीरसिंह, श्री ज्वाला प्रसाद जी, श्री मोतीलाल जी चौधरी और श्री भैरोंसिंहजी खेजरला इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। राव श्री धीरसिंह चतुर्थ विधान सभा के सदस्य रहे, श्री ज्वाला प्रसाद जी पहली से लेकर तीसरी विधान सभा के सदस्य रहे, श्री मोतीलाल जी चौधरी पहली से तीसरी विधान सभा तक के सदस्य रहे और श्री भैरोंसिंह जी खेजरला भी दो बार इस सदन के सदस्य रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब अतीत के ऊपर दृष्टिपात करता हूं तो मुझे सर्वश्री ज्वालाप्रसाद जी की याद आती है। जब हम छोटे थे और राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्दर भागीदार हुए तो अखबारों में हम श्री ज्वालाप्रसाद जी के नाम को पढ़ा करते थे। एक शेर दिल नौजवान, दिलेर आदमी भारत माता के बन्धन की कड़ियों के लिए आगे आया, अपने जीवन की परवाह किये बिना और उसने इस बात को भी नहीं सोचा कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं वह आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उस समय आजादी के संघर्ष की जो परिपाटी थी उसकी दूसरी प्रकार की धारा से वह सहमत हो गए। क्रांतिकारी दल से उनका सहयोग हुआ और उनकी मानसिक स्थिति उनके जीवन पर्यन्त उनके अन्दर बनी रही।

श्री ज्वालाप्रसादजी का कार्य क्षेत्र शुरू शुरू में अजमेर रहा। वहां उन्होंने सार्वजनिक जीवन में काम किया, जेलों में गये और सारी प्रवृत्तियों में उन्होंने भाग लिया जो उस जमाने में देश सेवक किया करते थे। ज्वालाप्रसादजी ने उस जमाने के सैकड़ों नवयुवकों पर अपना असर डाला और उसी का परिणाम था कि उनका अपना एक मित्रों का घेरा था, एक समूह था। देश के आजाद होने के बाद ज्वालाप्रसादजी अन्य लोगों की तरह विधान सभा के सदस्य रहे। और यहां पर भी उनका वही प्रतिबिम्ब दिखता था जो आजादी के संघर्ष में था। बाज मर्तबा वे दूसरों से भिन्न अपनी आवाज खड़ी करके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विषयों के ऊपर अपने विचार प्रगट किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को ज्वालाप्रसादजी के नजदीक रहने का मौका मिला है वे लोग बहुत अच्छी

(श्री हरिदेव जोशी)

तरह से जानते हैं कि वे एक एम.एल.ए. के सिवाय कितने अच्छे दोस्त थे। मुझे तो उनके साथ में वर्षों तक काम करने का मौका मिला है। कांग्रेस संगठन के अन्दर वे भी जनरल सैक्रेट्री थे, मैं भी जनरल सैक्रेट्री था। उनका कमरा इधर हुआ करता था, मेरा कमरा उधर हुआ करता था। मगर आम तौर पर वे अपने कमरे में कम और हमारे कमरे में ज्यादा बैठते थे। वे एक अपने ढंग के अजीब इंसान थे जिसे प्यार से काबू किया जा सकता था मगर डरा करके कोई काबू नहीं कर सकता था। बड़ी 2 ताकतों ने उन्हें धमकाने की कोशिश की, मगर किसी को उन्होंने इसका अवसर नहीं दिया कि उन पर असर डाल सके। अपने ढंग की जिन्दगी जीने वाला आदमी अजीब ढंग के एक्सीडेंट से इस दुनियां से चला गया। मैं यहां यही कह सकता हूं कि ज्वालाप्रसादजी जैसी राष्ट्रीय भावना और तड़फ भगवान सब लोगों को दें।

इसी प्रकार से इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री मोतीलाल जी चौधरी थे। उच्च शिक्षित थे और इस सदन के प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे। उन्होंने विधान सभा की सदस्यता के साथ 2 सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर बहुत प्रभावशाली काम किया। मैं यह कह सकता हूं कि श्री मोतीलालजी चौधरी राजस्थान के उन कतिपय व्यक्तियों में से थे जिन्होंने राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन को बल दिया। वे ठेट ग्रामीण ढंग के कार्यकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर उन्होंने अपनी सेवा से एक छाप और एक असर डाला था। उन्होंने राजस्थान विधान सभा कांग्रेस पार्टी के सैक्रेट्री के रूप में और इस सदन के सदस्य के रूप में जो सेवायें दी हैं वे भुलाई नहीं जा सकतीं। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मोतीलालजी चौधरी जैसे डिवोटेड वर्कर हों तो सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान को और अधिक पनपाया जा सकता है।

तीसरे व्यक्ति जिनका दुखद देहावसान हुआ, अध्यक्ष महोदय, वे हैं श्री भैरोंसिहजी खेजड़ला। एक शांत, गम्भीर और मृदु स्वभाव के व्यक्ति। शुरू 2 में वे विरोधी पक्ष से जीत करके आए थे। हमारी उनसे जान पहचान बहुत कम थी, मगर जितना 2 हमने उन्हें जाना, मैं यह कह सकता हूं कि उतना ही उन्होंने अपने जान पहिचान के लोगों के ऊपर असर डाला। किसी का उनसे मत मिला हो, किसी का उनसे मत न मिला हो, मगर उनकी सौजन्यता के बारे में किसी को कोई कहीं शिकायत नहीं हो सकती। इन पिछले वर्षों में वे इस सदन के सदस्य नहीं थे किन्तु फिर भी उन्होंने इस सदन के कई माननीय सदस्यों से जो उनका मृदु सम्बन्ध था उनको हमेशा जीवित रखा। एक बात मैं यह कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, जागीरदारी तबके से जो लोग आए, कांग्रेस को जिन्होंने ज्वाइन किया, उनमें भैरोंसिहजी खेजड़ला ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं एक सबसे ऊंचे स्थान पर रख सकता हूं। अपने स्वभाव के कारण से, अपनी शालीनता के कारण से और अपनी एक सब के साथ हिल मिल करके रहने और काम करने की दृष्टि से।

अध्यक्ष महोदय, देवी प्रकोप से एक ऐसे नवयुवक का दुर्भाग्यपूर्ण देहावसान हुआ

(श्री हरिदेव जोशी)
हैं जिसको याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राव धीरसिंहजी कहीं से आ रहे थे, उनकी गाड़ी में पैट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी एक किनारे के ऊपर खड़ी रख करके और वे उसमें रात को लेट से गए। उनका आदमी पैट्रोल लेने के लिए गया, पीछे से अंधेरे में एक ट्रक से उनकी गाड़ी के टक्कर लगी और वह टक्कर इतने जोर की थी कि उनका वहीं देहावसान हो गया। जिन लोगों ने उस दृश्य को देखा है, उनके रौंगटे खड़े हो गये हैं। एक होनहार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस विधान सभा के सदस्य के रूप में अपनी शालीनता की छाप डाली थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उप मंत्री के रूप में प्रशासन के ऊपर छाप डाली थी, हमारे बीच से उठ गया।

अध्यक्ष महोदय, चारों महानुभावों के प्रति मैं हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को इस असीम दुख को बरदाश्त करने की क्षमता प्रदान करे।

श्री **गुमान मल लोढ़ा** (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने चार दिवंगत आत्माओं के प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित की है मैं और मेरा दल उन दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

गत सत्र के पश्चात् एक एक करके कहीं पर दुर्घटनाओं के कारण व कई अन्य कारणों से चार महानुभाव, भूतपूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे। स्वर्गीय श्री ज्वाला-प्रसादजी अपने आप में एक ज्वाला थे। शांति की ज्वाला के स्वरूप में राजस्थान की धरती पर श्री ज्वालाप्रसाद का व्यक्तित्व विकसित हुआ। उसकी अलौकिक अमिट छाप आज की पीढ़ी पर ही नहीं, आने वाली पीढ़ी पर चिर स्थायी रहेगी। श्री ज्वालाप्रसाद जी ने केवल अजमेर में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र के अन्दर जिस प्रकार से क्रांति का संदेश अपने जीवन को जोखिम में डाल कर पहुंचाया वह वास्तव में उदाहरण के रूप में रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेज सल्तनत के साथ में संघर्ष करने में हमारी पीढ़ी के हजारों व्यक्ति शामिल थे और उन्होंने योगदान दिया परन्तु श्री ज्वाला प्रसाद ने उच्चतम उदाहरण उस समय प्रस्तुत किया जब अंग्रेजी सल्तनत के यहां पर जो अधिकारी जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उनका मुकाबला करने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर कातिलाना हमला करके उन आततायियों को समाप्त करने का प्रयास किया। इन क्रान्तिकारियों के बीच में अंग्रेजों का भजा हुआ एक व्यक्ति था जो इन क्रान्तिकारियों की खबरें सरकार को दिया करता था, श्री ज्वाला प्रसाद ने अपनी पिस्तौल से उस व्यक्ति को खत्म कर दिया। श्री ज्वाला जी का जीवन निश्चित ही प्रेरणा प्रदान करने वाला हमेशा बना रहेगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि उनका मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया जा सका। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि राजस्थान के एक वरिष्ठ, उच्चतम नागरिक श्री भगवतीप्रसाद बेरो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ने, जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी लेखनी से जब श्री ज्वाला प्रसाद के बारे मे, उनके संस्मरण पढ़े तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इतना गहन चिन्तन करने वाला व्यक्ति, क्रान्ति के क्षेत्र में इस प्रकार अपने आपको झौंक देने वाला व्यक्ति किस प्रकार से आर्थिक संकट से संघर्ष करता रहा जीवन पर्यन्त। अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति एक क्रान्तिकारी के रूप में ही समाप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य था कि एक कार की दुर्घटना मे उनका जीवन समाप्त हो गया और हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री आचार्य को अपने पुत्र को खोना पड़ा, उन्हें पुत्र शोक इस दुर्घटना में हुआ। यह हमारी वेदना को और भी अधिक तीव्र कर देता है। यह दुर्घटना अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में से श्री ज्वाला प्रसाद जी को खींच कर ले गयी। अजमेर रोड़ पर आये दिन ऐसी दुर्घटनाओं का तांता लगा रहता है। यह हमारे लिये चिन्तनीय है। कई व्यक्ति इन दुर्घटनाओं में, इसी रोड़ पर मौत के शिकार हुए हैं। एक प्रकार से यह सड़क मौत का सड़क, मौत की घाटी के रूप में गिनी जाने लगी है। हमारे अपने बीच में से कई व्यक्ति इस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और श्री ज्वाला भी इसके शिकार हो गये लेकिन उनकी ज्वाला क्रान्ति के रूप में हमें प्रेरणा प्रदान करती रहेगी और वास्तव में यही उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजली होगी।

अध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंह जी शेखावत जिस तबके से आये थे और जिस प्रकार का जीवन उन्होंने स्वतन्त्रता से पहले, सभी प्रकार के विलास के अन्दर ढला था, उनसे यह उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, वे भी एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकेंगे। राजस्थान के विकास के क्षेत्र के अन्दर भी उन्होंने अपना योगदान दिया एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में दिया और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जब जब उनके दिमाग में, उनके कन्वीक्शन के अनुसार यह विचार आया कि इस समय मेरा कर्तव्य सरकारी दल के साथ में हैं उन्होंने ऐसा किया। सरकारी दल, कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने कार्य किया लेकिन जब 71 के जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में विरोधी पक्ष की आवश्यकता को समझते हुए अपना सक्रिय सहयोग विरोधी पक्ष को भी दिया।

अध्यक्ष महोदय, श्री मोतीलाल जी चौधरी किसान की झोंपड़ी में पैदा हुए और एक किसान कार्यकर्ता के रूप में उभरे। जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक कार्यों में प्रगति की, सहकारी क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया, वह वास्तव में हमारे राजस्थान के लिये उदाहरणीय है। श्री चौधरी ने सहकारी क्षेत्र के अन्दर ही नहीं बल्कि चन्द छात्रों के अन्दर भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इतना ही नहीं उन्होंने सत्ता के साथ रहने का प्रयास नहीं किया। जब आवश्यकता हुई तो वे सत्ता से भी अलग हो गये और अपने सिद्धान्तों के अनुसार, विचारों के अनुसार अलग से कार्य किया।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, राव श्री धीरसिंह के बारे में सदन के माननीय नेता महोदय ने अपने जो विचार व्यक्त

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

किये हैं, मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इन विचारों के अन्दर अपने को शरीक करते हैं और इन चारों दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता-परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और दुःखी परिवार इस वज्रपात को सहन कर सके, परमात्मा इस प्रकार का साहस उनको दें।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा(कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरूआत में संवेदना प्रकट करते हुए मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा है कि चार माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे। श्री ज्वाला प्रसाद को कौन नहीं जानता। प्रदेश का बच्चा बच्चा श्री ज्वाला प्रसाद के त्याग और तपस्या से वाकिफ है। आजादी के लिये उनका बहुत बड़ा बलिदान है। जेलों की उन्होंने यातनाएं सही हैं और आजादी के बाद जो उनके कार्यकलाप रहे उनसे हम परिचित हैं। इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में जब जब उनके विचार दूर बैठे हुए हमको सुनने को मिलते थे तब उनकी भाषा क्रान्ति के समान होती थी। वास्तव में वे गरीबों के हिमायती थे, मजदूरों के समर्थक थे और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की, देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका काम, त्याग और तपस्या हमेशा हमेशा हमारे सामने रहेगी।

इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य, भूतपूर्व उपमंत्री राव धीरसिंह जो अपने इलाके में काफी लोकप्रिय रहे हैं, प्रधान की हैसियत के रूप में और उपमंत्री की हैसियत के रूप में, वे भी हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने जो कार्य किये हैं वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। वे काफी अपने क्षेत्र के अन्दर लोकप्रिय थे। उनकी कार्यदक्षता विलक्षण थी और काम करने का उनमें जोश था और जो भी काम उनको मिला निष्ठा के साथ उसको उन्होंने पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, आज हम जो सहकारिता का स्वरूप देख रहे हैं उसका सारा श्रेय श्री मोतीलाल जी चौधरी को है, यह कहना कोई अनुचित नहीं होगा। आज वे भी हमारे बीच में नहीं रहे। वे इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं और वित्तीय समिति के चेयरमेन के रूप में उन्होंने जो सेवाएं की हैं वे सराहनीय योग्य हैं।

श्री भैरोंसिंह खेजड़ला के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं जानता। सदन के माननीय नेता महोदय ने जो कुछ कहा है उसमे सहमति प्रकट करता हुआ इन दिवंगत आत्माओं के प्रति मेरी, मेरे दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि परमात्मा इनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने, सदन के जिन चार भूतपूर्व सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है उसमें मैं और मेरा दल भी शामिल होता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री ज्वाला प्रसाद का जहां तक सम्बन्ध है, आजादी की लड़ाई के समय से ही मेरा उनसे सम्पर्क था और विशेष तौर से जब श्रीमती अरुणा आसफ-अली हैदराबाद में हथियार इक्ट्ठा कर रही

Page No 28

(28)

(श्री रामकिशन)

थीं। उस समय हम लोग नजदीक में आये, सम्पर्क में आये। उसके बाद से हमारा सम्पर्क निरन्तर बढता चला गया और जब हम अलग अलग मंचों पर आये, कांग्रेस छोडी, सोशलिस्ट पार्टी में आये और वे कांग्रेस में रहे तब भी उनके विचारों में कटुता देखने में नहीं आती थी। और उस पुराने सम्बन्ध के आधार पर जब हम मिलते थे तो जितना भाईचारा और जितना निकट का सम्बन्ध उनमें नजर आता था उतना आज के सदस्यों में निकटता नजर नहीं आती है। मृत्यु से एक दिन पूर्व जिस दिन वे अजमेर जा रहे थे आचार्य जी के साथ उस दिन शाम को आचार्य जी के साथ उनके निवास स्थान पर बैठे हुए थे तो इस बात की कल्पना भी नहीं हुई थी कि ज्वाला प्रसाद जी इतने जल्दी हमारे बीच में से चले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मनुष्य के आने और जाने का सम्बन्ध है यह क्रम तो निरन्तर संसार में चलता ही रहेगा, लेकिन किसी विशेष पुरुष में जो विशिष्टता होती है उससे समाज को प्रेरणा मिलती है, और मैं समझता हूं इस संदर्भ में ज्वालाप्रसादजी का जो कार्यकलाप आजादी से पहले का रहा है वह निश्चित तौर से बहुत ही प्रशंसनीय था। उसके बाद वे सदन के सदस्य रहे थे और हम लोग साथ-साथ रहे हैं तो मैंने देखा है कि उस वक्त भी आजादी से पूर्व की निर्भीकता कांग्रेस दल का सदस्य होते हुए भी जब कभी भी गलत काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता था तब ज्वाला प्रसाद जी में दिखाई देती थी। वह विरोधी पक्ष से भी तीव्रतर आवाज में अपनी आवाज उसके खिलाफ बुलन्द करते थे। इसके लिए वे राजस्थान के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं, और उसी रूप से हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धान्जली हो सकती है कि हम किसी भी अन्याय को बरदाश्त नहीं करेंगे चाहे हम किसी दल में हों या विचार के हों।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राव श्री धीरसिंहजी का सम्बन्ध है उनसे हमारा परिचय उनके विधान सभा के सदस्य बनने के बाद ही हुआ। एक बार जब राजस्थान के मंत्रिमण्डल में भूतपूर्व जागीरदारों को शामिल करने का दृष्टिकोण था तो हम गैलेरी में से जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि क्या आप लोग हमको अभी भी भूतपूर्व जागीरदार ही समझते हैं और आपका वही दृष्टिकोण अब भी है जो कि आज से 10 साल पुराना था। इसमें कितनी सच्चाई थी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन वह इतना बड़ा तथ्य था कि भूतपूर्व जागीरदार समाज के नये बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे। इसी दृष्टि से राव धीरसिंहजी का परिचय उस समय हुआ था।

श्री मोतीलाल जी चौधरी एक साधारण किसान थे और सहकारिता के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति थे। वे बड़े मिलनसार और हमेशा हंसमुख और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखने की उनकी आदत थी। एक बार मैं और हम लोग गंगानगर कार दुर्घटना में घायल हो गए जिसमें मोतीलाल जी के ज्यादा चोट आई, गौरी पूनियाजी के कम चोट आई और मेरे भी चोट आई। उस समय यह खतरा पैदा हो गया था कि मोतीलालजी के ज्यादा चोट आई है और उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन अस्पताल में और अस्पताल के बाहर

(श्री रामकिशन)

गंगानगर से आने के बाद जयपुर तक जितना आत्मविश्वास और दृढ़ता उनमें दिखाई देती थी उसमें यह अन्दाज लगाया जा सकता था कि अगर वे ज्यादा जीते और मौका उनको मिलता तो राजस्थान की और छोटी साधारण जनता की ज्यादा सेवा कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे हमारे बीच में नहीं रहे।

श्री भैरोंसिंह खेजड़ला से मेरा विशेष परिचय नहीं रहा लेकिन मृत्यु के कुछ दिनों पहले हम मिलते थे तो साहित्यिक और राजस्थान की दूसरी प्रवृत्तियों के मामले में गहराई से उनसे विचार हुआ करता था। मैं समझता हूं कि वे बहुत ही सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे और राजस्थान के भविष्य के सम्बन्ध में बहुत ही चिन्तित रहा करते थे।

मैं और मेरा दल इन चार महाविभूतियों को श्राद्धान्जलि अर्पित करता हूं और यह कामना करता हूं कि जो रास्ता इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में दिखाया है उस पर राजस्थान की जनता चलने की चेष्टा करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज चार भूतपूर्व सदस्य और राजनीतिज्ञ हमारे बीच में नहीं रहे। इन चारों राजनीतिज्ञों का राजनीति के क्षेत्र में, विधान सभा के सदस्य के रूप में कुछ राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के रूप में राजस्थान की राजनीति में काफी योगदान रहा, जो कि भुलाया नहीं जा सकता। मेरी और मेरे दल की इनसे वैचारिक एकता नहीं हो सकती, लेकिन मेरे दल की यह निश्चित मान्यता है कि ये कर्मठ लोग थे। इन्होंने अपने विचारों के अनुकूल ईमानदारी से अपने सिद्धान्तों के लिए संघर्ष किया। ज्वाला प्रसाद को तो राजस्थान में कभी भी नहीं भूल सकता है। वह एक जागृत ज्वाला थी। मुझे डाक्टर मेडम क्यूरी के वे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने रैडियो एक्टिविटी का आविष्कार करते समय जब उनका निधन होने वाला था और वे केन्सर से पीडित थीं तब कहा था—

"We shall take the torch of knowledge and one day lay down the cave of death."

मैं और मेरा दल उसी दिशा में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं, शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हैं कुछ मान्यताओं को प्रतिपादित करने के लिए, और मैं समझता हूं कि इन राजनीतिज्ञों का और विशेष रूप से ज्वाला प्रसाद जी का भी इस रूप के अन्दर एक विशेष योगदान रहा है। मुझे 5 वर्ष तक माननीय ज्वालाप्रसाद जी के साथ इस सदन में रहने का अवसर मिला उस समय वयोवृद्ध नेता स्वामी कुमारनंदजी भी इस सदन के सदस्य थे और मैं वह दिन नहीं भूल सकता जब स्वामी जी ने एक दिन कहा था कि ज्वालाप्रसाद जी को हमने कन्धों पर चढ़ाकर दिन में जेल का फाटक तोड़ा। यह सही है कि ज्वालाप्रसाद जी का स्वतन्त्रता संग्राम में एक बहुत ही विशेष योगदान रहा है, और हम उनको राजस्थान के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों में से एक कह सकते हैं। वह हर प्रकार से देश को दासता से मुक्त कराने के लिए लड़े, और उसके बाद

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

भी उनके अन्दर एक ज्वाला रही जो कि सदन के अन्दर और सदन के बाहर हमेशा प्रकट होती थी। अध्यक्ष महोदय, वह एक बहुत ही अच्छे साथी थे और उनको अपना मित्र समझकर चलने वाले लोगों में से थे। मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध रहा है और यह एक दुर्भाग्य की बात है कि आज एक दुर्घटना के कारण हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन एक सौभाग्य समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कि राजस्थान की एक विभूति हैं माननीय निरंजननाथ आचार्यजी वे उस दुर्घटना में उस समय बच गये किन्तु उनका 10 वर्ष का बालक उस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया।

जब वास्तविक इतिहास लिखा जायगा देश को मुक्त कराने वाले लोगों, देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों का, पूरी छानबीन करके जब हम उनका सच्चा इतिहास लिखेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्वालाप्रसादजी भी उसमें एक स्थान पायेंगे।

जहां तक मोतीलालजी चौधरी का प्रश्न है, वह और मैं साथ–साथ 5 वर्ष तक विधान सभा में रहे हैं। उनका आम आदमी के जीवन से गहरा सम्बन्ध था। आम आदमी की बातचीत को समझने का उनमें एक बड़ा माद्दा था। मैं उनके साथ एस्टीमेट कमेटी में भी रहा। एस्टीमेंट्स कमेटी में भी वे अपने सारे सदस्यों को साथ लेकर चलते थे और हर चीज का गहराई से निरीक्षण करके चलते थे उनका विश्वास था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सहकारिता के अन्दर बहुत बड़ा योगदान दिया और इस सदन के अन्दर भी वह आम आदमी की बात, झौपड़ियों की बात, कच्ची बस्तियों की बात, शोषित वर्ग की बात, इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया करते थे, जहां तक माननीय भूतपूर्व उपमन्त्री राव धीरसिंह और विधायक भैरूंसिंह खेजड़ला का प्रश्न है, वह भी गम्भीर व्यक्ति थे। उनका भी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से इन चारों दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। मैं यह विश्वास करके चलता हूं कि जब राजनीति का इतिहास लिखा जायेगा तो उनका जीवन एक प्रकाश के रूप में लोगों का मार्ग दर्शन करेगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : माननीय महोदय, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में आज का दिन मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। गत दो तीन महिनों में 4 विशिष्ट महानुभाव हमारे बीच नहीं रहे। यह अद्‌भुत विषम स्थिति का परिचायक है। मैं राजस्थान विधान सभा के इतिहास को टटोलता हूं तो मुझे लगता है कि गत सत्र और इस सत्र के बीच का समय कितना काला समय रहा है जिसने चार विशिष्ट व्यक्तियों का जीवन लिया। दो विशिष्ट व्यक्ति एक्सीडेण्ट के शिकार हुए, तो दो अन्य का रुग्णता से उनका निधन हुआ। अध्यक्ष महोदय, नियति किस तरह से आदमी को खींचकर ले जाती है। श्री ज्वालाप्रसाद उनमें से एक थे। जो ज्वालाप्रसाद फांसी के तख्ते से नीचे उतरे। जिन ज्वालाप्रसाद ने अपने संघर्ष मय जीवन में हमेशा मौत को चूमा। उन ज्वालाप्रसाद के जीवन से ऐसा प्रकट नहीं होता था कि उनके जीवन में वह एक्सीडेण्ट के शिकार

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य)

होंगे। मेरा दुर्भाग्य था अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्यक्रम को जानकर वह सुबह ही मेरे यहां पर आये जब कि हम निकल रहे थे। सम्भवतः एक मिनिट लेट हो जाते तो वह बच सकते थे। लेकिन उनको जाना था। मुझको रहना था। वह मेरी मौत पर सवार हो गये और मुझे को पीछे ढकेल दिया। नियति किस प्रकार आदमी को खदेड़ती है, इसका यह अजीब उदाहरण है। वह मेरे साथ रहते हुये ही एक्सीडेण्ट के शिकार हुए। मेरी समझ में नहीं आता, इतने साहस और शौर्य वाला व्यक्ति जो कभी झुका नहीं। जो अंग्रेजों के जुल्मों के आगे कभी झुका नहीं। जिसको काल कोठरियों में कई बार पटके रखा गया। जिसने दो बार जेल की दीवारों को लांघा। जो इतने लम्बे अरसे तक जंगलों में भटकता रहा। लम्बे अरसे तक कारागृहों में यातनाएं सहीं। वह समय था अंग्रेजों का उस समय 10 खतरनाक आदमियों में से वे एक समझे जाते थे। ऐसे ज्वाला प्रसाद को उस समय तो नियति ने जिन्दगी नहीं बख्शी। वे फांसी के तख्ते से बचे, किन्तु अब एक्सीडेन्ट के शिकार हो गये। वह कल्पना से परे था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्वाला प्रसाद संघर्षों में जुझते रहे। दरिद्रता से जूझते रहे; दरिद्रता में ही मरे। उन्होंने गृहस्थ जीवन बहुत देर से आरम्भ किया था। आपने पीछे 5 या 6 नाबालिग बच्चे छोड़कर मरे। ज्वालाप्रसाद, जो चन्द्रशेखर आजाद के साथी रहे हैं, एस. पी. डोगरा पर जिन्होंने पिस्तौल चलाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ही क्रूर था, क्रान्तिकारियों को बहुत सताता था, ऐसे ज्वालाप्रसाद के संस्मरण लिखना मैंने आरम्भ किया था कई जेलों से सामग्री इकट्ठी की थी। मैं चाहता था, उनके व्यक्तित्व को उजागर किया जाये। दास्तान के रूप में मैं उस पर लिखना चाहता था। लिखना चाहता था लेकिन ज्वालाप्रसाद वह लेकर चले गये। मैंने कितनी कोशिश की कुछ एक संस्मरण दें वह खुद देना नहीं चाहते थे। वह हिम्मत के साथ अपने दल के खिलाफ बोलते थे। यह सदन का प्रांगण इस बात का साक्षी है कि वह अपने दल के खिलाफ ही समय समय पर बोले। ज्वाला प्रसाद जीवन भर ज्वाला उगलते रहे। अपनी मान्यताओं पर अडिग रहे हैं। उनका जीवन भावी पीढ़ी में प्राण फूकने वाला है। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी मान्यता है, मुख्य मंत्री जी उनकी आर्थिक विकृतियों को समझते हैं। उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार किया होगा या करेंगे। वह उनमें से नहीं थे, जो स्वतन्त्रता सेनानियों के अनुदान को लेते। ज्वालाप्रसाद इस सदन के प्रांगण के एक ऊंचे नक्षत्र थे। राजस्थान की राजनीति में और इस देश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है, स्वर्गीय राव धीरसिंह का इस सदन पर बड़ा इम्पेक्ट रहा है। वह "यथा नाम: तथा गुण: थे।" धैर्य रखनेवाले थे। मितभाषी और मधुर भाषी थे। सब के साथ वह अच्छा सम्पर्क रखने वाले थे। भैरोंसिंह जी और

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य)
उनका दोनों का ही सामन्ती वातावरण में पोषण हुआ लेकिन वह समाजवादी ढांचे में ढले हुये थे। भैरोंसिंह जी खेजड़ला राजा हरिश्चन्द्र जी के समय में मेरे मित्र रहे हैं। यह दोनों ही राजनीति में बड़े योग्य और जनसम्पर्क वाले व्यक्ति थे।

श्री मोतीलाल जी चौधरी के बारे में जो भावना प्रकट की गई है, मैं उससे सहमत हूं। सहकारिता को ऊंचा उठाने में, उसमें विश्वास पैदा करने में उनका अपूर्व योगदान रहा है। यह विधि का विधान है कि कच्ची उमर में ही वह चल बसे। बहुत प्रयत्नों से एक कार्यकर्ता बन पाता है किसी विशेष क्षेत्र का कार्यकर्ता। ऐसे व्यक्ति का उठ जाना सहकारिता क्षेत्र की भारी क्षति है। अध्यक्ष महोदय, मैं चारों स्वर्गीय आत्माओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विश्वास करता हूं कि आपके इस सम्बल से, भावनाओं के सम्बल से उन परिवारों को शान्ति मिलेगी। भगवान दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करेंगे।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के चारों दिवंगत माननीय सदस्यों को मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक मात्र सदस्य होने के नाते अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री ज्वालाप्रसाद और श्री मोतीलाल चौधरी से मेरा वर्षों ताल्लुक रहा है। ज्वाला प्रसाद जी शुरू शुरू में जब अर्जुनलाल सेठी और विजयसिंह पथिक के साथ कार्यक्षेत्र में आये तो उसके कुछ दिनों बाद ही से अजमेर इलाके में काफी काम किया है। वास्तव में ज्वालाप्रसाद जी बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने वाले थे। सादगी का जहां तक प्रश्न है, उनके अन्दर बहुत ज्यादा थी, सीधे सादे ढंग के थे ज्वाला प्रसाद जी। वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से, ताकत से, मजबूती से, खास करके भ्रष्टाचार की खिलाफत के अन्दर उनका नाम बहुत अग्रगणी रहा।

मोतीलाल जी चौधरी का जहां तक प्रश्न है, वह यहां से पचास-साठ कोस के फासले पर डीडवाना के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। किसानों के अन्दर काम करने की गति बहुत बढ़िया थी। उन्होंने वास्तव में बहुत लगन से किसानों के अन्दर काम किया।

इसके साथ ही राव धीरसिंह, भैरूंसिंह खेजड़ला से साधारण तौर से जितना परिचय रहा, मैंने पाया, उनमें भी एक दो किस्म के गुण थे।

इन चारों महानुभाव ने कांग्रेस पार्टी के अन्दर रहते हुए भी वास्तव में जन साधारण को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। उनके अन्दर जो गुण थे, वह हमारे अन्दर आवें जिससे हम सार्वजनिक जीवन के अन्दर और अच्छा काम कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के दुःख में अपना दुःख भी प्रकट करता हूं।

श्री झाबरमल सूंडा (फतहपुर): अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद, मोतीलाल चौधरी, भैरूंसिंह खेजड़ला,

(श्री झाबरमल सूण्डा)

राव धीर सिंह-इन चारों ही व्यक्तियों ने इस विधान सभा के सदस्य की हैसियत से राजस्थान की जो सेवा की है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। परन्तु मेरा इन चारों में से सबसे ज्यादा सम्पर्क चौधरी मोतीलाल जी से रहा। इनमें मैं ऐसा पाता था, जैसे वह एक एनसाइक्लोपीडिया थे। खेती का प्रश्न करते, तो वह हमको बहुत सुन्दर जवाब देते। जौहरी की अरल के बारे में प्रश्न करते तो वह माकूल ढंग से समझाकर बात कहते। मैं उनके जीवन से स्वयं बहुत प्रभावित रहा। सहकारिता के कार्य क्षेत्र के अन्दर उनके साथ काम करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज को-आपरेटिव जगत में दरअसल में शिथिलता आ गई है। यह विधान सभा बहुत बड़े बड़े सदस्यों से बनती है, चलती है और चलती रहेगी। लेकिन मुझे इसमें शक है कि राजस्थान का को-आपरेटिव जगत उस प्रकार की गति हासिल कर सकेगा, और को-आपरेटिव मूवमेंट आगे बढ़ सकेगा जिस प्रकार दरअसल वह चाहते थे। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि इन चारों व्यक्तियों में नाम के समान गुण थे-एक धीर थे, एक मोती थे, एक ज्वाला थे, एक भैरूं थे-इतिहास, संस्कृति और परम्परा में भैरूं का स्थान है। यह चारों व्यक्ति महान अपने गुणों के हिसाब से थे। मोतीलाल जी अब नहीं रहे-इसको मैं पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से बहुत ही बड़ी क्षति मानता हूं। मैं उस आत्मा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री ज्वाला प्रसाद जी, जब प्रदेश कांग्रेस के महा मंत्री थे, से हम सीकर जिले में आपस में टकराते रहते थे, जैसे अमूमन कांग्रेसी टकराते थे। उनको भी मौका पड़ा था नजदीक से जानने का। वह क्रांतिकारी ही नहीं, समझौतावादी भी हुआ करते थे और हमें वह समझाने में सफल भी हो गये थे। वह स्वतन्त्रता सेनानी अब नहीं रहे–इसका हम सबको अफसोस है। लेकिन एक बात मेरे दिल में घर करी हुई है, किसी के दिमाग में कुछ भी होगा, दिल में कुछ भी होगा, लेकिन राज्य पथ परिवहन निगम के चेअरमैन की हैसियत से उन्होंने राजस्थान को लाभ दिया था सबसे पहले– वह हम कभी नहीं भूल सकेंगे। आंकड़े थे, वास्तविकता थी, क्या था-उसकी गहराई में मैं नहीं जाता, लेकिन नई शुरुआत यातायात, पथ परिवहन को दी और सबसे पहले राज्य पथ परिवहन निगम को लाभ के अन्दर ले जाकर रखा था।

राव धीर सिंह जी, ज्वाला प्रसाद जी का निधन जिस तरीके से हुआ मुझे उससे क्षोभ है। आये दिन इस प्रकार की घटना हुआ करती है। इसलिए श्रद्धांजलि के साथ इस हाउस से मैं यह भी अपेक्षा करूं, ऐसी दुर्घटनाओं में ऐसी महान् आत्माओं की क्षति होती है उसके लिये नये रूप से विचार करें। यह ट्रक ऐसी आत्माओं को परलोक में पहुंचा देते हैं-और हम श्रद्धांजलि तक सीमित रहते हैं-इससे मुझे गहरा धक्का लगता है। इन दुर्घटनाओं के कारणों की खोज की जानी चाहिए। ऐसे लाइसेंस वाले ड्राइवर ट्रक चलाते हैं जो आत्माओं को दिवंगत कर देते हैं–इस पर गम्भीरता से विचार करके एक्शन लेना चाहिए। वैसे श्रद्धांजलि का प्रश्न गम्भीर होता है। लेकिन

Page No 34

(३५)

(श्री झामरमल सुण्डा)
यह बात है, परलोक में जाने का साधन है यातायात, इस लिए इस यातायात महकमे को श्रद्धांजलि दे दूं। मुझे दुःख होता है, आत्मिक रूप से।

चौथे हैं भैरूसिंह जी, इन सबने जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में राजस्थान की सेवा की है, इन आत्माओं को मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि परमात्मा इन आत्माओं को शांति प्रदान करेगा। और इनके परिवार जो पीछे रह गये हैं, उनको समाज और सरकार भी उचित सहायता देगी और परमात्मा उनके बच्चों को शक्ति देगा ताकि वह आगे चल सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो शोकाभिव्यक्ति, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री ज्वाला प्रसाद, श्री मोतीराम चौधरी, श्री भैरूसिंह खेजड़ला और राव धीरसिंह के निधन पर दी है, उनमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित करता हूं। यह चारों ही व्यक्तियों से मेरा काफी नजदीक का सम्बन्ध रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इन चारों ने ही अपने अपने क्षेत्र में राजस्थान की, राजनीति में, समाज में देश की काफी सेवा की है और जब हम विचार करेंगे और इतिहास जब लिखा जायेगा तो हम शायद भूल नहीं पायेंगे इस बात को कि इन लोगों का क्या हिस्सा, क्या कन्ट्रीब्यूशन रहा है। विशेष रूप से भाई ज्वाला प्रसाद जी का।

ज्वाला प्रसाद जी का जन्म 1911 में हुआ। आपने छात्र के रूप में क्रांतिकारी आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेना आरम्भ कर दिया था। आपके द्वारा विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण आपको कई बार जेल जाना पड़ा। क्रांतिकारी होने के कारण आपको भूमिगत भी रहना पड़ा। आप 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये और बहुत अर्से तक सदस्य बने रहे। आप 1952 में प्रथम लोक सभा के सदस्य चुने गये और 1957 व 1962 में राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुने गये। आपने राजस्थान राज्य पथ निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर इस निगम को घाटे से लाभ में लाकर इसे सफल एवं सही दिशा दी। आपके आकस्मिक निधन से आपके परिवार जनों, सहयोगियों एवं राज्य की जनता को अपूर्णीय क्षति हुई है।

इसके साथ ही, इस दुखद घटना के साथ ही, एक दुखद घटना और जुड़ी हुई है, वह है, श्री आचार्य, जो हमारे इस सदन के माननीय सदस्य हैं, के पुत्र की मृत्यु भी उस घटना में हुई है। उसके लिए भी मैं शोक जाहिर करता हूं।

श्री मोतीलाल जी चौधरी 1952 से 1962 तक लगातार तीन बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं। वह एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। आपका जन्म नागौर जिले के खाटू ग्राम में हुआ। आपने बी. काम. एल-एल. बी तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मंत्री पद पर भी रहे। श्री चौधरी राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के प्रमुख कर्णधार थे। आपने सहकारी

Page No 35

(35)

(श्री अध्यक्ष)

आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया व राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के भी अध्यक्ष रहे। आप राष्ट्रीय कृषि सहकार संघ व फार्मर्स फर्टीलाइजर्स सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य तथा नाफेड के अध्यक्ष भी रहे। आपकी सहकारी आन्दोलन, किसानों की उन्नति और कृषि उत्पादन में वृद्धि में गहरी दिलचस्पी थी और इस दिशा में आपने सक्रिय कार्य कर ठोस उपलब्धियां प्राप्त कीं जो आपकी यादगार चिरस्थाई बनायेगी। आपने अपने स्वास्थ्य की ओर भी कोई विशेष ध्यान न देकर इन कार्यों में कठिन परिश्रम किया। आपकी अल्पायु में ही निधन हो जाने के कारण सहकारी आन्दोलन और कृषकों को बड़ा धक्का पहुंचा है, क्षति हुई है जिसकी पूर्ति कठिन है।

श्री भैरूंसिंह खेजडला का जन्म 31 अगस्त 1913 को तहसील बिलाड़ा के ग्राम रुकिन में हुआ था। आपने मेयो कालेज अजमेर से डिप्लोमा प्राप्त किया। आप 1947 में भूतपूर्व जोधपुर रियासत में जन स्वास्थ्य मंत्री रहे और स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास के लोकप्रिय मंत्री मण्डल में भी जोधपुर में मंत्री रहे। आप प्रथम एवं द्वितीय विधान सभा के सदस्य रहे। आपकी अभिरुचि डिंगल कविताओं, प्राचीन चित्रकारी के संग्रह, बागवानी एवं क्रिकेट तथा टेनिस के खेलों में काफी प्रशंसनीय रही।

चतुर्थ विधान सभा के सदस्य एवं भूतपूर्व उप शिक्षा मंत्री श्री राव धीरसिंह सर्व प्रथम चतुर्थ विधान सभा में चुनकर आए थे। इससे पूर्व आपने अपने क्षेत्र की जनता की सेवा प्रधान पंचायत समिति के रूप में की। हालांकि आप राज घराने से थे लेकिन आपमें जनसेवा की भावना भरी हुई थी। आप मिलनसार तथा लोकप्रिय व्यक्ति थे। आपकी अल्पायु में ही आकस्मिक मृत्यु से आपके परिवारजनों एवं क्षेत्र की जनता को गहरा दुःख हुआ है। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी थी जो आपके द्वारा जयपुर में आमेर रोड पर स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ से प्रकट होती है। आपकी यादगार को यह विद्यापीठ चिरस्थाई बनायेगी।

इन चारों ही माननीय सदस्यों से, जैसा मैंने निवेदन किया, मेरा काफी लम्बे अर्से से घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। खास तौर से मैं यदि कहूं कि इनके जीवन से भी बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, विशेष रूप से श्री ज्वाला प्रसाद, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी, बलिदान, त्याग, दुःख भरे दिन क्या क्या नहीं उठाया। सारे देश को स्वाधीन बनाने में आपने सहयोग और कुर्बानी दी है। आने वाली पीढ़ी बहुत सा सबक ले सकती है, अपने जीवन को निर्मल बना सकती है। उनके बारे में एक दो शब्द कोटेशन के रूप में कहता हूं:

Lives of Great men all remind us, we can make our lives sublime and they leave behind them foot prints on the sands of time.

श्री ज्वाला प्रसाद ने समय पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं जो मिट नहीं पायेंगे, इति-

(श्री अध्यक्ष)
इास में अमर रहेंगे। उनके सारे जीवन के बारे में अभी जैसे आचार्य जी ने कहा, मालूम नहीं है कि लेकिन जिस समय उनकी सारी जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से वह एक स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी।

मैं इन सब दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को दुःख सहन करने मन की शक्ति प्रदान करें। मैं अब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मृत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट मौन खड़े रह कर प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर
अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य विधानसभा की ओर से सीकर की दांता रामगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा यूरिया खाद के परमिट देने से इन्कार कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(2) श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधानसभा की ओर से तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के पुलिस थाने में श्री सोमला पुत्र श्री मोती, आयु 25 वर्ष को पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु के विषय में,

(3) सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य और केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना न करने के विषय में मुख्य मंत्री की घोषणा के विषय में,

(4) श्री मूलचन्द डागरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से जमवा रामगढ़ बांध के अतिरिक्त पानी की सिंचाई हेतु काम में न लिये जाने के विषय में,

(5) श्री जौहिम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के 12 जिलों में वर्षा न होने तथा विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में भूख से मृत्यु होने के समाचारों के विषय में,

(6) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में आवश्यक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध न होने के विषय में,

(7) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में गत डेढ़ वर्ष में 70 हत्या कर देने वाले डाकू/कांकरिया गणेशगढ़ की गिरफ्तारी न करने के विषय में,

(8) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गेहूं की लाल बहादुर शास्त्री किस्म किसानों के लिये हानिकारक होने के विषय में।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(श्री अध्यक्ष)

(9) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, मोहर सिंह सुरेशचन्द्र, गिरधारीलाल भार्गव, मीठालाल मीणा, केसरीमल, रतीराम यादव व मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर की बिड़ला वेगन फैक्ट्री के मजदूरों पर पुलिस द्वारा किये गये गोली कांड से कुछ मजदूरों की मृत्यु व अनेक मजदूरों के घायल हो जाने के विषय में।

मैं चाहूंगा कि इस विषय में राज्य सरकार आज एक वक्तव्य दें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : प्रोफेसर केदार और मेरी ओर से भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : एक ही स्थगन प्रस्ताव दे सकते हैं वैसे बोलने का मौका तो सबको मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सर्वश्री केशरीमल व रतीराम ने भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर आए हैं, उन सबको एक ही मानकर लिया जाए। वक्तव्य देने के लिए मैंने सरकार से कहा है, अगर कुछ माननीय सदस्यों के नाम नहीं भी आए हैं तो भी विषय के महत्व को देखते हुए उनको समय देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव द्वारा माननीय श्री जोशी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जबसे इन्होंने गृह विभाग संभाला है तब से प्रदेश में पुलिस की निरंकुशता इतनी बढ़ गई है कि सीमा को पार कर गई है। एक वनवासी भील क्योंकि वह एक गरीब है इसलिए उनको पुलिस ने 9 मई को सोमला नामक भील को जो मोती भील का लड़का था जिसकी आयु 25 वर्ष थी, को गिरफ्तार किया गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और साथ में पीछे से बांध दिया गया। यह शायद राजस्थान के इतिहास में कलंक की बात होगी कि उसको 11 तारीख को वहां के डी.वाई.एस.पी. ने इतना बुरी तरह से पीटा कि पीटते पीटते वह मर गया और उसके बाद मनगढंत कहानी बनाई कि हम उसे गांव गोडावली के अन्दर इन्वेस्टीगेशन के लिए ले जा रहे थे और इन्वेस्टीगेशन करते हुए जब एक पहाड़ी स्थान से निकल रहे थे तो वह जो 4 पुलिसवालों से घिरा हुआ था बंधा हुआ था, बेड़ियां पड़ी हैं, वह भागने की कोशिश करता हुए वहां से गिर गया। अध्यक्ष महोदय जिसकी चैन एक पुलिसमैन की बैल्ट से बन्धी हुई थी। वह व्यक्ति मुलजिम भागने की कोशिश करता है। यह मुलजिम सोमला भागने की कोशिश करता है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें उस मुलजिम के हाथ बन्धे हुए हैं। उसके चारों ओर पुलिस है वह कैसे भाग सकता है? वह कैसे गिर सकता है? मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मनगढंत कहानी है। एक गरीब आदमी का मर्डर किया गया है। उसका कत्ल किया गया है। और इसके लिये कई प्रमाण हमें मिल सकते हैं। पहला तो यह कि जब उसकी मृत्यु हुई वह तारीख 11 है। पुलिस जब यह कहती है कि वह गिर गया एक गड्ढे में और उसको पुलिस ने

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

जब निकाला तो उसके दो घन्टे बाद वह अगर मरा तो पुलिस ने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? इसके अलावा जब वह मर गया तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया उसी दिन अध्यक्ष महोदय वहां से उदयपुर सिर्फ 6–7 मील से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा उसकी लाश का पोस्ट मार्टम दूसरे दिन क्यों करवाया गया?

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा था कि इसके लिये जानकारी चाही है?

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि जानकारी चाही है वह जानकारी आपको राज्य सरकार द्वारा कितने दिन बाद मिलेगी। हो सकता है कि सदन इसी बीच में समाप्त हो जाय, यह सदन कब तक चलेगा यह भी हमें पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप पता लग जायेगा उसके बारे में तो।

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह पुलिस इसके लिये सही तिथि बतायें। इसके अलावा इस केस में एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी बैठनी चाहिये, क्योंकि उस व्यक्ति के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर पर चोटें आयीं। उसके शरीर पर घाव के निशान थे यह कहां से आये घाव के निशान? इसका मतलब यह है कि पुलिस ने पीटा इसलिये इसकी मृत्यु हो गयी। अध्यक्ष महोदय आज पुलिस की निरंकुशता ऐसी है कि हर किसी व्यक्ति को पुलिस डाकू घोषित कर देती है और उसे पकड़ लेती है। आज पुलिस के इन कार्यों की कोई जांच नहीं होती है। इसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मन्त्री महोदय को भी पत्र लिखा था उसमें मैंने लिखा था कि इस केस में एक ज्युडिशियल कमेटी बैठायी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर गृह मन्त्रीजी थोड़ा न्याय करने की मन्शा रखते हों तो इस केस में एक न्यायिक जांच होनी चाहिये। वह न्यायिक जांच एक न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि पहले उस डी. वाई. एस. पी. नाग को तथा पुलिस सबइन्सपेक्टर व कांसटेबल्स को सस्पेन्ड किया जाय व उनके खिलाफ केस चलाया जाय। अध्यक्ष महोदय, इन पुलिस आफिसरों ने उसका प्राणान्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उस लाश का पोस्ट मार्टम उसी दिन क्यों नहीं करवाया गया? उसके रिश्तेदारों को उसके परिवार वालों को उसकी लाश क्यों नहीं दी गयी? अध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर के क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनका जीना दूभर हो जायेगा। इसलिये मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि वह इस बारे मे यह स्पष्ट आश्वासन दें कि वह कब तक इसका जवाब देंगे? तथा इस विषय में एक न्यायिक जांच न्यायाधीश के मारफत करवायी जायेगी। ऐसा करने पर ही इसका सही निदान हो सकेगा। इसके साथ साथ में मुख्य मन्त्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि इसमें जो दोषी अधिकारी व कर्मचारी हैं उनको

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ससपेंड करके उनका सीधा चालान किया जाये। इसके लिये मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जांच का आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : (श्री गुमानमल लोढ़ा के खड़े होने पर) मैंने कहा ना कि इसकी जानकारी चाही है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर जो इस सबंध में स्थगन प्रस्ताव देकर सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस कास्टडी में जब कोई मरता है तो इस प्रकार के समाचार छपते हैं कि अभियुक्त पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। या पुलिस की कस्टडी में मुलजिम अपने आप ही मर गया। या मुलजिम तालाब में डूब कर मर गया या मुलजिम ने आत्म घात कर लिया, मुलजिम ने कूद कर जान दे दी, आत्म हत्या कर ली। ऐसे प्रसंग आये दिन समाचार पत्रों में आते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय यह एक ऐसा केस है जिसमें मुलजिम पुलिस कस्टडी में मारा गया। जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है वह यह कहती है कि मुलजिम का पोस्ट मार्टम 12-5-74 को हुआ। जबकि उसकी मृत्यु दिनांक 11 को ही हो गयी थी। अध्यक्ष महोदय जब मृत्यु 11-5-74 को ही हो गयी तो उसका पोस्ट मार्टम 11-5-74 के पांच बजे जब वह मरा तो उसी दिन क्यों नहीं हुआ? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 तारीख की है जिसमें मेडीकल ज्यूरिस्ट जनरल हौस्पिटल, उदयपुर ने अपने फाइंडिंग्ज में लिखा है। multiple abrasions on the left part of the chest, multiple abrasions on the left part of the neck and swelling on the left side. यह इन्जरीज जो 5, 6, 7, 8 जो पोस्ट मारटम रिपोर्ट के अनुसार मरने के 4–5 घन्टे के बाद आयो वह कहां से आयी। इसके बाद जहां तक सवाल स्वेलिंग का है वह तो उसके पांच दिन पहले की बताते है। अध्यक्ष महोदय यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या की गयी। यह तो स्पष्ट बात होगयी कि मरने के बाद उसके चोटें कैसे आयीं? इसके लिये तो जांच होना अतिआवश्यक हो गया। आमतौर से पुलिस यह कहती है वह व्यक्ति ऊपर से गिर गया या अपने आप ही मर गया। लेकिन उदयपुर के जनरल होस्पिटल के मेडिकल ज्यूरिस्ट ने यह रिपोर्ट दी है कि इन्जरीज मरने के बाद आयी। मेरा यह निवेदन है कि पुलिस ने मारने के बाद यह साबित करने की कोशिश की चोटें लगाकर कि मुलजिम ने पुलिस कस्टडी में भागने की कोशिश की और भागते हुए वह गड्ढे में गिर गया जिससे यह व्यक्ति मर गया। अध्यक्ष महोदय यह तो केस कत्ल का है जो पुलिस के खिलाफ दफा 302 का रजिस्टर होना चाहिये। और इस केस में जो सबइन्सपेक्टर और कोन्सटेबल्स इन्वाल्व हों उन्हें दण्डित किया जाना चाहियें। अध्यक्ष महोदय केस रजिस्टर करने के लिये तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ही काफी है। पहले तो इन लोगों को ससपेन्ड करके इनके खिलाफ में केस रजिस्टर किया जाना चाहिये और उसके बाद में न्यायधीश द्वारा जांच की जानी चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अध्यक्ष महोदय, जनता का विश्वास

(श्री गुमानमल लोढा)

प्रशासन से उठ जायेगा। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने जानकारी चाही है। सदन का पता नहीं कितने दिन चले। आज अगर जल्दी सदन समाप्त हो जाता है और जानकारी की रिपोर्ट न आ सके तो राजस्थान की जनता में इस केस के लिये बहुत ही भारी ससपेन्स बना रहेगा कि एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस कस्टेडी में हो गयी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का प्रशासन में विश्वास उठता चला जायेगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मेडिकल ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट पर जो कि एक प्राईवेट एजेन्सी नहीं है उस पर विश्वास करके उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर 302 आई. पी. सी. के अन्तर्गत करें, क्योंकि प्राईमाफेसी केस तो बन ही गया है। इसलिये अगर प्रशासन की इमेज आप राजस्थान की ढाई करोड़ जनता में अच्छी करना चाहते हैं और अगर राजस्थान सरकार कथनी और करनी में अन्तर नहीं समझती है तो उसे चाहिये कि उन लोगों के खिलाफ में केस चलाकर उनका चालान किया जाये। नहीं तो जनता में भारी आक्रोश बढ़ता ही रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं लाल बहादुर शास्त्री बीज के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, लाल बहादुर शास्त्री बीज सर्वप्रथम 1959 में हमारे सामने आया। इस लाल बहादुर शास्त्री बीज ने अपने राजस्थान में ही बल्कि सारे देश में तहलका मचा दिया था। और इस बीज का बड़ा लम्बा चौड़ा जिक्र हुआ अध्यक्ष महोदय मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह बीज राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान रिलीफ कमेटी द्वारा 14 अक्टूबर 1967 को वितरित किया गया और पहली बार में यह 40 क्विन्टल बीज पांच पांच किलो के पैकेट्स में सारे राजस्थान में सप्लाई किये गये थे। लेकिन ब्लेक मार्केट में गंगानगर के अन्दर इस बीज की कीमत तीन हजार रुपया क्विन्टल तक पहुंचायी है। आज पांच वर्ष के बाद उस लाल बहादुर शास्त्री बीज के सम्बन्ध में डॉ. बोरलो, जो विश्व में एक व्हीट स्पेशलिस्ट हैं, एक विश्व की महान विभूति हैं और जिन्होंने सोना कल्याण जैसे बीज का आविष्कार किया जिसने आज सारे विश्व में एक चमत्कार पैदा कर दिया है और जिसके कारण से उनको नोबल पुरस्कार भी मिला, आल कन्ट्रीज में आज सोना कल्याण उगता है, हर देश में उगता है, उनके हवाले से डॉ. गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि वह बीज स्कैन्डल है और उस बीज के नाम पर कई विभाग के डॉ. मेहता साहब ने, खुद डा. गांधी ने और अन्य लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है, इसको लेकर आज एक गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें सरकार जानकारी दे। सब ही समाचार पत्रों में यह छपा है और डा. बोरलो के सम्बन्ध में लेटर छपा है मैं यह नहीं जानता कि डॉ. बोरलो ने यह पत्र लिखा है, लेकिन उनके नाम से यह पत्र

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है, नवभारत टाइम्स में और नवज्योति में डा. बोरलो के नाम से प्रकाशित हुआ है जिन्होंने चार तरह की डिवीजेज से इसको सस्सेप्टिवल बताया है। मैं नहीं जानता कि डॉ. बोरलो ने लैटर लिखा है। एक लेटर डॉ. एन्डरशन ने जो डॉ. बोरलो से कम नहीं हैं, जिसका विश्व में उन्नत बीज तैयार करने में जिनका उच्च स्थान है, उन्होंने, एक विद्यार्थी को लिखा है। इसमें और उसमें कान्ट्राडिक्ट्री बातें हैं। डा. एन्डरशन ने लिखा है कि इस बीज में कुछ सस्सेप्टिविलिटी है। इस बीज में दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जहां तक ग्रोथ का प्रश्न है उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Be brief please;

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेंट मोशन दिया, उसकी जानकारी चाही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पांच वर्ष का पुराना केस है। क्रानिक केस है। अब विस्फोट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मुख्तसर कह दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विश्व की महान विभूतियां और हरित क्रान्ति का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। एक तरफ हरित क्रान्ति के ढोल पीटे जाते हैं और दूसरी तरफ एक वेराइटी को फ्राड बताया जाता है। क्या इस प्रकार के समाचार जो अखबारों में प्रकाशित हुए हैं वे फ्राड हैं या वास्तव में बीज फ्राड हैं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान सरकार के सामने उपस्थित हुआ है।

डा. गांधी को मेरिट दे दिया। दो हजार का अवार्ड भी दे दिया। हाइयेस्ट अवार्ड दिया। डा. गांधी का सारे देश में और विश्व में एक स्थान है। आज लेटिन अमेरिका में उनकी बड़ी डिमान्ड है। बड़े बड़े अखबारों में छापा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। डा. गांधी के नाम से, ड्यूरन्ड वेराइटी 911 जिसको काठा गेहूं कहते हैं और जो सोना कल्याण जैसा ही होता है पापुलर किया जा रहा है। आज ऐसे व्यक्ति के विषय में और उसके सीड के विषय में यह कहा जाय कि यह फ्राड है तो निस्संदेह यह कोई मामूली बात नहीं है, सारे किसान जगत में इसकी बड़ी भारी चर्चा है। 999, 885 ये इन्टरनेशनल सीड हैं। इसमें कितना स्केन्डल हुआ है, हमारे भूतपूर्व खाद्य मंत्रीजी हैं उनको भी इस सिलसिले में पिन किया जा रहा है और अखबारों में एन्टेंगल किया जा रहा है उनको और लोगों को एन्टेंगल करने का प्रश्न सामने आया है। किसान के दिमाग में एक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि.........

श्री अध्यक्ष : Please be brief. It is not a debate, on demand.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन तीन वेराइटीज के जो पांच सीड्स हैं उसमें लाल बहादुर शास्त्री का एक अपना स्थान है। आज का किसान अब कहां जाय ? अध्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
महोदय, यह बात कही जाती है कि इस सीड को एक्सेप्ट नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : विषय पर ही अपने भाषण को सीमित रखे तो अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : थोड़ीसी भूमिका प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी भूमिका ही एक लम्बा विषय हो गई है।

श्री रामकिशन : एक ही माननीय सदस्य को एग्रीकल्चर का ज्ञान है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दुर्भाग्य से आप जैसे सदस्यों को कन्विन्स करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज यह प्रश्न एग्रीकल्चर साइन्स में एक प्रमुख प्रश्न के रूप में उपस्थित हुआ है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के टोप साइन्टिस्ट्स में भी पोलिटिक्स प्रवेश कर गयी है। आज हमारे पोलिटिशियन्स यह चाहते हैं कि हाईड्रोलिक, एग्रोनोमी के सिद्धान्तों को बदल दें यह उनके बश की बात नहीं है। पानी ऊपर के स्थान से नीचे के स्थान को ही जावेगा। यह देश का दुर्भाग्य है कि जहां संसार भर में प्रसिद्ध साइन्टिस्टों के बारे में इस प्रकार का अनर्गल प्रचार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : लाल बहादुर शास्त्री पर फर्माइए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पांच साल के बाद इतना बड़ा स्केन्डल हमारे सामने आया। राजस्थान सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस पर अपना बयान जारी करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय आचार्यजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आदेश दें राज्य सरकार को कि वह कोई न कोई स्टेटमेन्ट दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय आचार्यजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चाहूंगा कि कोई स्टेटमेंट राज्य सरकार की ओर से आवे। जानकारी तो हो जाती है लेकिन स्टेटमेन्ट सदन में आने से सब तथ्यों की जानकारी भी माननीय सदस्यों को हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : काल अटेन्शन भेज दीजिये तो अच्छा रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काल अटेन्शन ही इसको समझ लीजिये। यह ऐसा फेक्ट है, इस प्रकार की घटना है कि इस पर माननीय मंत्री महोदय का कोई स्टेटमेन्ट आना बहुत ही आवश्यक है। डा. बोरलो का प्रश्न आता है तो एग्रोनोमिस्टों की इन्टेग्रिटी का प्रश्न आता है। इन वैराइटीज के बारे में एक अनिश्चितता भी पैदा होती है। करोड़ों रुपया किसान इन वेराइटीज के पर्चेजेज में खर्च करते हैं और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो एक उलझन पैदा हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : Please confine yourself to the subject.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने कभी इतना इन्सिस्ट नहीं किया है किन्तु इस विशेष प्रश्न पर मैं आसन से प्रार्थना करूंगा कि सदन के अन्दर सरकार की ओर से एक स्टेटमेन्ट दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आपके आग्रह पर मैं विचार करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुपर जिंक स्मेल्टर के बारे में····

श्री रामकिशन : हांडा साहब ने जो प्रश्न रखा है उस पर सारे राजस्थान को चिन्ता है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : मैं निवेदन कर रहा था····

श्री रामकिशन : इस पर स्टेटमेन्ट दिलायें।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव सुपर जिंक स्मेल्टर के बारे में रखा है। आपने उस पर जानकारी चाही है सरकार से। जानकारी का प्रश्न इसलिए नहीं कि मुख्य मंत्री ने एक स्टेटमेन्ट इस पर दिया था शायद 26 जुलाई, 1974 को दिया था। इसलिये मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि यह सुपर जिंक स्मेल्टर जो लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का काम्लेक्स है, सारे मूलभूत मुद्दों को देखते हुए राजस्थान में ही लगना चाहिये, इसके लिये हमें पूरे प्रयत्न करने चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह पहले हम आइल रिफाइनरी खो चुके हैं उसी तरह आलस्य में इसे भी खो बैठें। इस सन्दर्भ में सारा राजस्थान इस मुद्दे पर चिन्तित है। इसलिए जो स्टेटमेन्ट मुख्य मंत्रीजी ने सदन से बाहर दिया है, मुख्य मन्त्रीजी हाउस को भी कान्फीडेन्स में लेकर उस स्टेटमेन्ट में अगर कोई अमेण्डमैण्ट या करेक्शन या तर्क-वितर्क पक्ष-विपक्ष में जो रखना चाहें हाउस को कान्फीडेन्स में लेने हेतु सदन में रखें।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कोई स्टेटमेन्ट कहीं नहीं दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 26 जुलाई को जयसमन्द पर आपने दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : स्टेटमेन्ट नहीं दिया। किसी पत्रकार ने कोई प्रश्न पूछा और उस पर मैंने उत्तर दिया, यह अलग बात है।

श्री केदारनाथ : नवज्योति 27 जुलाई, इसमें आपने कहा है कि 'पांचवीं योजना में राजस्थान में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लाण्ट लगने की कोई सम्भावना नहीं है।'

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इसकी सच्चाई समझ ली जाय।

यह आपका स्टेटमेन्ट है। अब पंचवर्षीय योजना में नहीं होने का आपने कहा है। इसके लोकेशन और प्लेस के बारे में मैं नहीं जाना चाहता। यह तो टेक्निशियन्स का का विषय है। मैं तो आपके गुड सेंस को अपील करना चाहता हूं कि इस बारे में आपकी ओर से क्या प्रयत्न हो रहे हैं या हुए हैं। अब आपने इसका संकेत किसी स्टेटमेन्ट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
में या सूचना के रूप में दिया हो यह अलग बात है। पर आपने ऐसा कहा है इसलिए इसमें अधिक जानकारी का प्रश्न नहीं रहा। पर इस मामले पर सदन को विश्वास में लिया जाकर आप एक विस्तृत स्टेटमेन्ट इस पर यहां दें। राजस्थान के लिए यह एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न है ऐसा मेरा ही नहीं सारे सदन का विश्वास है ऐसा भी मैं कह सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष, आपने जानकारी लेकर सदन को अवगत कराने की बात कही। पर तो सीधा सा प्रश्न है स्वयं मुख्य मन्त्रीजी इसे स्वीकार करें।

श्री केदारनाथ : प्लानिंग कमीशन ने इसकी मन्जूरी दे दी थी, हमें पहले यह जानकारी मिली थी। केन्द्र जितने प्रोजेक्ट खोलती है अन्य स्टेटों के मुकाबले में राजस्थान इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पर अब समय होगा तब कहूंगा। अभी तो इस जिंक स्मेल्टर के बारे में ही निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिये अब कौनसी प्लेस स्यूटेबल है, यह अलग प्रश्न है जो टेक्निशियन्स से सम्बन्धित है। प्लेस के लिये कहूंगा पर सेन्ट्रल प्रोजेक्ट इस बारे में राजस्थान में खुलना चाहिये यह जरूर कहूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझ से तो एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में मैंने स्पेसिफिकली ही जवाब दिया कि पांचवीं योजना में इसका कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री केदारनाथ : इस बारे में नवज्योति की न्यूज आपने पढ़ी होगी?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे अच्छी तरह याद है। एजूकेशन डिपार्टमेंट के किसी फंक्शन में मैं वहां गया था। उस अवसर पर मुझसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा और उसके उत्तर में मैंने भी स्पेसिफिक रिप्लाई दिया। अब यह दूसरी बात है कि विस्तार में उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह राजस्थान के लिये एक चिन्तन का विषय हो गया है। दो तीन दिन पहले ही नवज्योति में सूचना प्रकाशित हुई है कि जिसमें कहा गया था कि सुपर जिंक स्मेल्टर के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न प्रारम्भ हैं। इस तरह से अब आपके सामने दो स्थितियां हो गई। प्रथम तो जो आपने फर्माया, इतना स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, दूसरी सूचना अखबारों में दूसरे ढंग से निकली है और इसके लिये आपके प्रयत्न आरम्भ हैं। इस स्थिति में यह उचित होगा कि सामूहिक रूप से इस पर एक स्टेटमेंट हो जाय ताकि हमें मालूम हो सके कि इस सुपर जिंक स्मेल्टर की क्या स्थिति है?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस बारे में उदयपुर में लोगों में असन्तोष है। दो तरह के स्टेटमेंट निकले हैं जो कन्ट्राडिक्ट्री हैं। एक में कहा गया कि स्मेल्टर नहीं लगेगा, दूसरी बार पार्लियामेंट में इस प्रकार से कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने इस बारे में दूसरा सुझाव दिया है। ऐसी स्थिति में सदन यह चाहेगा कि मुख्य मन्त्रीजी सारा स्थिति सदन में स्पष्ट कर दें। हमें भय

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
है कि पहले की तरह यह सुपर जिंक स्मेल्टर भी राजनैतिक आधार पर हमारे हाथ से चला न जावे।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने यह नहीं कहा कि नहीं लगेगा। मुझसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया कि पांचवीं योजना में प्रोवीज़न है क्या? मैंने कहा प्लान में इसका प्रोविजन नहीं है। अब यह दूसरी बात है कि अध्यक्ष महोदय मुझे स्टेटमेन्ट देने का आदेश दें तो मैं दे दूंगा। अब आप कन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेन्ट की बात कहते हैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। यह तो ऐसा ही है जैसे आप पूछें, अभी आप कहां जा रहे हैं? मैं कहूं, हाउस में मैं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। फिर बाद में चलने को कहूँ कहीं और मैं जाऊं। बस इतना फर्क है। जयसमन्द में मुझसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया और मैंने उसका स्पेसिफिक उत्तर दे दिया कि इसका पांचवीं योजना में प्रोवीजन नहीं है। बात वहीं खतम हो गई। अब यह पूछा जाय कि सुपर जिंक स्मेल्टर लगने का है या नहीं, लगने का है तो कहां है? तो यह बिल्कुल अलग, सेपरेट, चीज है।

श्री गुमानमल लोढा : यह आपका उत्तर तो वैसा ही है जैसा कहा है अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उनके सामने यही था।

श्री गुमानमल लोढा : उस समय होगा, आज सदन में तो यह है कि वे इस पर पूरी जानकारी दें।

श्री हरिदेव जोशी : अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य दूंगा स्टेटमेंट। अब सुपर जिंक स्मेल्टर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह उससे ऑलटूगेदर डिफरैन्ट इश्यू है। इसको लेकर अध्यक्ष महोदय अगर आदेश देंगे कि गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना चाहिये तो अवश्य दूंगा। किन्तु यह जो कहा जा रहा है कि कन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट दिया है। यह चीज सही नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। पोइन्टेडली पूछा गया कि प्लान में प्रोविजन किया गया है क्या, मैंने स्पेसिफिक जवाब दिया कि प्लान में प्रोविजन नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्टेज पर अब जानकारी सदन को दी जावे।

श्री अध्यक्ष : जानकारी तो दे दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इम्पोर्टेन्स इस प्रश्न की है कि सुपर जिंक स्मेल्टर राजस्थान में लगेगा या नहीं? लगेगा तो कब लगेगा? क्या पोजीशन है उसकी? सरकार उसके लिये क्या प्रयत्न कर रही है? इस पर स्टेटमेंट आना चाहिये। यह महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसके महत्व से इन्कार नहीं करता।

श्री गुमानमल लोढा : मुख्य मन्त्रीजी तो स्टेटमेंट देने को तैयार हैं, आप आदेश दे दीजिये।

श्री रामकिशन : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदन भी चाहता है, मुख्य मन्त्रीजी भी चाहते हैं और आसन भी चाहता है। आप

(श्री रामकिशन)
कृपा करके मुख्य मन्त्रीजी से स्टेटमेंट देते हुए इस बारे में सदन को पूरी जानकारी देने के लिए निवेदन करें।

श्री अध्यक्ष मैं जरूर इस बारे में उनसे बात करूंगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। 18 फरवरी, 73 से लेकर 25 मार्च, 74 तक राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अन्दर लगभग 70 हत्याएं हुईं जो किसी कनपटो-मार द्वारा की गई बताई गई हैं। इस सिलसिले में 3 जून, 74 को एक शंकरिया नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : इस केस में चालान हो गया है क्या अदालत में ?

श्री केदारनाथ : कुछ में हुआ है, कुछ में अभी बाकी है। इन्टर-स्टेट मसला है यह।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : वह करणपुर का रहने वाला बताया जाता है। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि 18 फरवरी 73 को जो सबसे पहला वाकया हुआ जो 5 एम. एल. में हुआ था उसके अन्दर शंकरिया, नविया, पूरण इन तीनों के नाम आ गये थे कि इन लोगों ने हमला किया है। इनके नाम आने के बाद उनको नहीं पकड़ना यह बहुत बड़ी अनियमितता है।

27 सितम्बर को इन्हीं हत्यारों में से, शंकरिया ने, कहा जाता है, करणपुर में छः हत्याएं कीं।

वहां एक खोज मिला जो स्टेशन से आया और स्टेशन को वापिस चला गया क्योंकि करनपुर का रहने वाला और करणपुर के रहने वाले ने ही कहा, यह शंकरिया की खोज है। 5 सितम्बर को गंगानगर में...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय यह केस कोर्ट में चालान हो गया है। मैं चाहता हूं इसको डिटेल में नहीं लिया जाकर...

श्री अध्यक्ष : मैंने इसीलिये पहले पूछा था। आप संक्षेप में कह दें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं। इस सिलसिले के अन्दर कुंडी का डेरा नाम के स्थान पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उन लोगों का नाम ले सकता हूं जिनको पहले हिरासत में रखा गया। एक कुबड़ी औरत है जो डेरा में रहती थी, वही आदमी यह काम करता है। जो डेरे का पता बतायेगा उसको 100 रुपये दिये जायेंगे और जो पकड़वायेगा उसको 500 रुपये दिये जायेंगे और सितम्बर में उन लोगों को पकड़ कर अलग अलग थाने में रखा गया। 10–12 हजार बावरियों को पकड़ कर पिटाई की गई और झूठे मुकदमें बनाये गये। आज स्थिति यह है (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं बहुत शार्ट कर रहा हूं, आज स्थिति यह है कुबड़ी का डेरा...

श्री अध्यक्ष : आप थोड़े में कह दीजिये।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : आज स्थिति यह है कि जो लास्ट इन्सीडेन्स हुआ है वह

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
25 मई, 1974 को गंगानगर के पास एक व्यक्ति के परिवार के चार सदस्यों को मार दिया। हरनेकसिंह का यह कहना है यह आदमी वह है जिसने मेरे घर पर हमला किया · · ·

श्री अध्यक्ष : ये सब डिटेल कोर्ट की बातें हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं सबसे पहले अगर 18 फरवरी को उसी शंकरिया को गिरफ्तार कर लिया जाता तो वह····

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास कोई दूसरे ढंग की जानकारी व्यक्तिगत रूप से है तो उसे कहिये ताकि आपकी निगाह से सारी चीजों को देखें बजाय इसके कि यहां पर पब्लिकली कुछ कहें, उससे कोई चीज बनने वाली नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह नहीं है जो माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है। उसको मैं दो मिनिट में रखूंगा। एक हत्यारा 70 मर्डर करता है। एनसाइक्लोपीडिया उठा कर आप देख लीजिये। कालिंग की जो क्लासिकल किताब है उस किताब में वहं है "Murderer"

इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं रहा है। अब यह क्रिमिनल केवल राजस्थान का नहीं है। पंजाब की विधान सभा में इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव आये, राजस्थान की विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव आये, हरियाणा विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव आये। पंजाब में साधुओं की हत्यायें हुई· · · ·

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह कहना चाहता हूं यह मामला राजस्थान की कस्टडी का ही नहीं रहा है। इसकी जांच सी.बी.आई. करे। बहुत से लोग हैं जो निर्दोष हैं जिनको कुछ मर्डर केस में पकड़ कर सजा हुई है। बहुतसों का चालान हो गया है। यह शंकरिया बयान देगा कि उन लोगों का मैंने मर्डर किया है। प्रश्न यह है कि वे निर्दोष लोग जो आज साधुओं की हत्याओं में सजा भुगत रहे हैं। आखिर यह सी. बी. आई. तीनों स्टेट्स की जांच क्यों नहीं कर रही है ?· · ·

श्री अध्यक्ष : इसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया को एप्रोच करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राज्य के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को चाहिये· · ·

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक अपराधी, मर्डर करने वाला है और उसी आरोप में दूसरे सजा भुगतें। अगर यह राज्य सरकार ने किया है तो राज्य सरकार इनकम्पोटेन्ट है। राजस्थान की सरकार असमर्थ रही है। इसकी जांच करवाई जानी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पंजाब सरकार में केसेज चल रहे हैं और यह कह रहा है वह मर्डर मैंने किया है· · ·

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था इस स्थगन प्रस्ताव की जानकारी के लिये मेजा था। मुझे इस बात का पता नहीं

Page No 48

(४८)

(श्री अध्यक्ष)
या आया चालान हो गया है या चालान नहीं हुआ है। लम्बे वाद-विवाद में नहीं जाना चाहिये और उसकी पालना करनी चाहिये। अगर ऐसे कोई फेक्ट्स हैं जो नहीं आये हैं तो जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा है आप उनको बता देवें और वे कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सब-जुडिस है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 35 मर्डर में 3 का चालान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इश्यू तो वही है ताकि आपको राहत मिल जाय।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं एक अर्ज कर रहा हूं कि जिसका चालान हो गया है जो निर्दोष है या गुनहगार है उन केसेज पर असर नहीं पड़ने वाला है····

श्री अध्यक्ष : पड़ता है, मुजरिम वही है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं देखता हूं, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : इसमें दिक्कत क्या है, मुख्य मंत्रीजी सुनना चाहते हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं कहता हूं कि किसी चीज का जिक्र नहीं करूंगा। मेरा स्थगन प्रस्ताव इससे मुखालिफ नहीं है और न मैं ऐसी बात करूंगा। मेरी अर्ज यह है कि 15 फरवरी को पता चल गया, जो पहला वाकया हुआ है वह शंकरिया पूरण ने किया है तो उन लोगों को आज तक गिरफ्तार न करना, गिरफ्तार करने की कोशिश न करना और 27 सितम्बर के बाद एक खोज फिर मिल गई और उसकी भी जांच न करना। इसका क्या कारण है इसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन पर आती है और अगर प्रशासन कोशिश करता तो 70 कत्ल नहीं होते। यह मेरा यह कहना है। मैं शंकरिया को बात नहीं करना चाहता हूं···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस जो कत्ल शंकरिया ने नहीं किये हैं उनके लिए उसे जिम्मेदार साबित कर यह करना चाहती है कि गंगानगर में सारे कत्ल के केसेज उसने किये हैं तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं चूंकि मामला इन्टर स्टेट है इसलिए सी. वी. आई. द्वारा जांच कराई जाय। जनता में भावना पैदा हो चुकी है कि शंकरिया को जेल के अन्दर मरवा दिया जायगा ताकि इससे राज न खुल सके। इस प्रकार की तीन बातें हैं। शंकरिया की बात नहीं है, पुलिस प्रशासन उन मामलों को रोकने में असमर्थ रही है और दूसरे दूसरे मामलों को लेती रही है। तो मैं यह अर्ज करूंगा सरकार को, उस प्रशासन जो गलत स्टेटमेंट देता रहा है, जो गलत बातें करता रहा है, के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये और इसकी जांच सी.बी.आई. द्वारा करानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता से पूर्व

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दौसा, जमवा-रामगढ़ और वस्सी तहसील की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई रामगढ़ के बन्धे से होती थी और स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने टैक्स जनता से इकट्ठा करके प्रदेश में नये नये बांध सिंचाई के बनाये, लेकिन ये तीन तहसीलें दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं। जो पहले जमवा रामगढ से पानी दिया जाता था उसको बन्द करके जयपुर को पीने के लिए पानी दिया। यह राजस्थान सरकार की असफलता है कि जयपुर की जनता की पेय जल की समस्या हल नहीं कर सकी और जो खेतों को पानी दिया जाता था उनका दूध और पानी भी इस सरकार ने छीन लिया। आज जो पानी है उसको भी राज्य सरकार के इंजीनियर अन्धाधुन्ध तरीके से यह कह कर कि जयपुर की जनता को पीने के लिए 40–50 फीट पानी की आवश्यकता है उतना रखना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, उसकी फुल केपेसिटी के मुताबिक 60 फीट भी पानी रखा जाये और फिलहाल उससे जयपुर के लिये पीने का पानी दें, बाद में और जयपुर के लिए किसी दूसरी किस्म की व्यवस्था की जाये और हर साल 10 पर्सेन्ट या 20 पर्सेन्ट पानी का जयपुर के पीने के लिए किसी और दूसरी जगह से इन्तजाम उस बांध के अलावा करें। मैं समझता हूं कि दूसरी व्यवस्था सरकार करे तो उस बन्धे से जमवा रामगढ और दौसा तहसील के किसानों को सिचाई के लिए पानी दे सकती है। जयपुर के लिए पीने के लिए 45 फीट की आवश्यकता है और आज उसमें 15 फीट पानी ज्यादा है उसको खेती के लिए उपलब्ध कराया जाये और जो किसान बन्धे के अभाव में आज परेशान हो रहे हैं उनको राहत दिलायें और इस बन्धे का उपयोग पूर्व की तरह से ही सिंचाई के लिए किया जाये नहीं तो इसके लिए किसानों को मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ेगा।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है, दांता रामगढ पंचायत समिति के बी.डी.ओ. ने फर्टीलाइजर किसानों को देने से इन्कार किया—इस संबंध में। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अनाज की पैदावार पहले से ही कम हो रही है और क्या भारत सरकार और क्या राजस्थान की सरकार...

श्री अध्यक्ष: क्या होते हुए इन्कार कर दिया?

श्री झाबरमल सूंडा: हां, होते हुए इन्कार कर दिया। नहीं तो कहां से देता? खुद थोड़े ही पैदा करता?

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। मैं 8 तारीख को पंचायत की मीटिंग में था और उस समय डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, जिलाधीश और सब वहां थे। उससे पहले जो पूर्व में फर्टीलाइजर का स्टाक था वह हाई कोर्ट के स्टे के कारण से बन्द था और उसके कारण से विकास अधिकारी ने कलेक्टर जब तक दूसरे आदेश नहीं दे कि कौन सी डेट हो तब तक के लिए बन्द रखा। 8 तारीख से लोगों को यह दे रहे हैं और मैं समझता

(श्री नारायण सिंह)
हूं कि माननीय सदस्य को अब पूरी जानकारी हो गयी होगी।

श्री झाबरमल सुन्डा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी के लिए मैं कहूंगा कि एक्शन लेना चाहिये जो कि ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में ज्यादा वर्षा से अनाज पीला पड गया। यह सही बात है कि कुछ व्यापारी हाई कोर्ट में गये और स्टे ले आये। सिर्फ रैट का ...न था। बी.डी.ओ. ने यह कहा कि जब तक आप यह लिखा कर नहीं लायेंगे कि अमुक खसरा नम्बर में बाजरा है और कितना रकबा है तब तक मैं खाद नहीं दूंगा। दो डीलर्स हैं जिनके पास 470 बोरे रखे हैं और आज तक एक भी बोरे का वितरण नहीं किया है और वह स्थानान्तरण करना चाहते हैं लोगों को परेशान करके तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे विकास अधिकारी को विकास महकमे से हटाया जाये...

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको यह भी जानकारी नहीं है...

श्री अध्यक्ष : बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री झाबरमल सूंडा : अध्यक्ष महोदय, इनसे सारी जानकारी ले लें फिर मैं बैठ जाता हूं।

श्री नारायण सिंह : आप तो यह कह रहे हैं कि बी. डी. ओ. का ट्रान्सफर करें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसका जवाब आप थोड़े ही देंगे।

श्री जीथिंग (कुशलगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अकाल की गम्भीर स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है खास कर बांसवाडा जिले के बारे में और उसमें जो पहाड़ी इलाका कुशलगढ़ और पीपलखूंट क्षेत्र है उस क्षेत्र में आज ऐसी गम्भीर स्थिति बन चुकी है कि वर्षा काफी अर्से से नहीं आ रही है और फसलें सूख रही हैं। इसलिये वहां पर अकाल से पीड़ित लोग वर्षों से हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी कुछ जमीन का हिस्सा एक दूसरे के यहां रहन और गिरवी रख कर और बेच कर जमीन का पेट भरा, बीज उपलब्ध किया और वहां आज वर्षा के अभाव में फसल बिल्कुल सूख रही है। उस इलाके में आज दिन तक पिछले वर्ष से लेकर अब तक कोई अकाल राहत का कार्य नहीं चल रहा है। हमने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से इस संबंध में कुछ अरसे पहले भी निवेदन किया और इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया कि अकाल की स्थिति गम्भीर बनती जा रही है, लोग भूख से मर रहे हैं और अपना इलाका छोड़ कर अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तब हमको यह आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी ही एरिया डवलपमेंट का कार्य चालू कर रहे हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया का जो काम चलाया गया वह बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम चलाया गया। तालाबों का काम और कुछ रोड्स का काम घाटोल और बागीदोरा क्षेत्र में चलाया

(श्री जोशिंग)

गया लेकिन कुशलगढ़ और पीपलखूंट में बिल्कुल राहत कार्य नहीं चलाया गया और इस क्षेत्र को बिल्कुल ही अछूता रखा गया है। वहां के किसानों और आदिवासियों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह रवैया वहां के किसान और आदिवासी लोग बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि बार बार इन आदिवासियों के साथ और इन भीलों के साथ सरकार का यही रवैया रहा, और मुख्य मंत्री जी का तो हमेशा यही रवैया रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाये, भूख से मारा जाये और उनको किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाये ताकि मजबूरी से वह कुछ नहीं कर सकें ऐसी परेशानी सरकार के द्वारा पैदा की गयी। प्रकृति तो साथ नहीं दे रही है लेकिन सरकार भी गरीब काश्तकारों और भीलों को भूखों मार रही है और उनके डंडे मार कर लेवी भी वसूल की गयी है। आपको शर्म आनी चाहिए कि पंचायतों में राशन की दुकानों पर क्या अनाज मिल रहा है? आप डी.एस.ओ. और कलेक्टर से रिपोर्ट लें कि पंचायतों की दुकानों पर कितना मक्का और कितना गेहूं गया। एक भी पंचायत समिति की दुकान पर गेहूं और मक्का का एक भी दाना नहीं पहुंचा। आदिवासी किसानों को सड़ा माइलो तक नहीं मिल रहा है। मैं यह बिलकुल साफ कहूंगा कि यह अन्याय हम बरदाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें और कोई कदम उठाना पड़ेगा और भीलस्थान की हम मांग करेंगे और यह मैं बिलकुल साफ शब्दों में कहूंगा कि आपसे अगर इनका भरण-पोषण नहीं होता है तो हमारा बांसवाड़ा और कुशलगढ़ का इलाका गुजरात में मर्ज कर दीजिए। हम यह चाहते हैं कि हम गुजरात में मिल जायें लेकिन आपका इस प्रकार का रवैया बरदाश्त नहीं करेंगे। मुख्य मंत्रीजी को बिलकुल साफ कहूंगा कि 8 तारीख को आप आये, तस्कर व्यापारियों के मेहमान होकर आये, लेकिन कुशलगढ़ जो कि सिर्फ 8 मील ही था वहां नहीं आये और ऐसा लगता है कि आप कुशलगढ़ को फूटी नजरों से देखना चाहते हैं। मैं आपको कहूं कि न वहां पर कोई तालाव है, न कुआ है, न कोई एनीकट है, न बिजली है, न रोड है। कुशलगढ़-बांसवाड़ा के बीच एक रोड है वह भी जगह जगह से टूटी पड़ी है। आप कहते हैं कि डवलपमेंट हो रहा है तो कहां हो रहा है? घाटोल में हो सकता है जोशीजी के क्षेत्र में, नाथूरामजी के क्षेत्र बागीदौरा में हो सकता है, लेकिन पीपलखूंट और कुशलगढ़ के अन्दर एक भी तालाब नहीं लिया, एक भी रोड कम्पलीट नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जोशिंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति आ चुकी है वह और भी गम्भीर बन सकती है, लोग अपनी खड़ी फसल को छोड़ कर दूसरे राज्यों में चले गये हैं और वहां पर भी उनको मजदूरी नहीं मिल रही है और इधर उधर भटक रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे रास्ते में भटक भटक कर मर गए हैं और वे

(श्री जोशिंग)

उनको छोड़ कर चले आए। मैं अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो नामों की लिस्ट जो है वह आपके सामने जरूर पेश कर दूंगा, लेकिन आप अगर इन्क्वायरी करायेंगे तो आपकी व्यवस्था इस प्रकार की है. आपने व्यवस्था दी है कि जानकारी चाही गई है, मुझे विश्वास नहीं है कि इस पर कोई जानकारी देंगे। सरकार इस पर हमको कोई आश्वासन दे। आपके यहां पर हमने कई ऐसे स्थगन प्रस्ताव पिछले सत्र में भी पेश किए थे लेकिन उनकी कोई जानकारी आज दिन तक नहीं आई है और अगर आई भी है तो वह आपकी रद्दी की टोकरी में डाल दी गई है। इसलिए यह मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मुखमपुरा जो कांग्रेस का गढ़ है वहां पर एक आदमी की भूख से मौत हुई है। कसुरापाड़ा में एक आदमी भूख से मर गया है। अभी तो मेरे पास में गांवों की लिस्ट है और आप चाहेंगे तो मैं आदमियों की लिस्ट भी आपकी सेवा में पेश कर दूंगा, लेकिन अभी तो मैं आपके सामने गांवों की सच्ची बात बता रहा हूं। अगर अब भी, चार आठ दिन के बाद भी, वर्षा नहीं हुई इस इलाके में तो मैं कह देना चाहता हूं कि हजारों लोग इस इलाके में भूख के शिकार होंगे। आज लोगों के पास में अन्न नहीं है, कपड़ा नहीं है, मजदूरी नहीं है। लोग भटक रहे हैं। आप कुशलगढ़ में जाकर देखिए। लेकिन जोशीजी वहां आवें किस नाक से ? कुशलगढ़ में लोग रोटियां बांट रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जोशिंग : इसलिए वे वहां की शकल नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि वे इस सदन में स्टेटमेंट दें कि बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य के लिए क्या कर रहे हैं ? इसका स्टेटमेंट दें। अगर वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो हमको मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा, यह निश्चित बात है। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : दो मिनिट के लिए मैं भी निवेदन कर देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। यह जानकारी आप किससे ले रहे हैं ? मुख्य मंत्रीजी दो दिन पहले वहां आये थे और वहां पर खुद ही देख कर आए हैं लेकिन उन्होंने जानकारी ली या नहीं ली है, यह मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हम लोगों को तो बुलाया नहीं और न हम लोगों से कोई बातचीत की जाती है। उन्होंने कांग्रेसी साथियों से बातचीत जरूर की होगी लेकिन वहां की स्थिति आज देखें तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी भले ही कह दें कि मैंने जिन्दगी भर आदिवासियों की सेवा की है लेकिन उन्होंने कोई आदिवासियों की सेवा नहीं की। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर आपने आदिवासियों की सेवा की होती तो आप झोंपड़ी झोंपड़ी जाकर देखते और आपको पता होता कि लोग भूख से मरे हैं। एक दिन फेफर की एक औरत आई वह चार दिन से भूखी थी। वह वहां अनाज के लिए आई थी कि कहीं न कहीं उधार मिल जाय बनिये से लेकिन उसको किसी ने उधार नहीं दिया और वह चक्कर खाकर गिर गई। उसको लोगों ने मिल कर उठाया और उसको रोटी का टुकड़ा लाकर दिया।

(श्री विट्ठलभाई भाई)

लोटे में पानी लाकर दिया। मैं थोड़ी दूर खड़ा देख रहा था कि लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। जब मैं वहां पहुंचा और पूछा कि क्या हुआ तो लोगों ने कहा कि तीन चार दिन से भूखी थी। उसके साथ एक लड़का भी था वह भी भूखा था, उसको चक्कर नहीं आया लेकिन औरत जो एक जवान औरत थी वह चक्कर खाकर गिर गई। फिर उसको रोटी का टुकड़ा खिलाया तो उसको होश आया। उससे पूछा तो उसने बताया कि चार दिन से एक दाना नहीं मिला है। वह यहां पर धान का दाना लेने आई थी कि कहीं से मिल जाय तो चालीस रुपये का बीस किलो मिलता है। मैंने कहा कि इसको कुछ रुपये इकट्ठे करके दो। लोगों ने एक एक रुपया दिया, मैंने भी दो रुपये दिए और इस तरह से पांच छः रुपये दिए कि आज का दिन तो निकाल फिर आगे सोचेंगे। यह एक व्यक्ति की ही बात नहीं है, वहां हजारों की तादाद में भूखे लोग हैं जिनको चार चार, छः छः दिन से रोटी नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, अभी कहना अच्छा नहीं है लेकिन वहां एक पुग्राड का ठेका दिया गया है बीज का। पुमांड पर नमक डाल कर लोग खाकर पेट भरते हैं और अन्न नहीं मिल रहा है। एक महीने में माईलो दिया तो एक डीलर को। वह भी निवेदन करूं कि तीन चार महीने हो गये वह भी 80 क्विन्टल से ज्यादा नहीं दिया एक महीने में। जब हमने कलेक्टर साहब से कहा कि अनाज मिल नहीं रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं अनाज नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास अनाज नहीं है। वाला साहब तो चले आए हैं लेकिन अब जो नए कलेक्टर आए हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अनाज ही नहीं है। मध्य प्रदेश से नहीं आ रहा है। मैं जयपुर जा रहा हूं, जैसे तैसे कोशिश करूंगा। पता नहीं क्या कोशिश की उन्होंने। कल परसों से तो मैं इधर आ गया हूं लेकिन अभी तक तो कोई अनाज नहीं पहुंचा है और महंगा लेकर आदिवासी लोग खा रहे हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं कि एक इंसान तीन रुपये मजदूरी का लाकर दस इंसानों का, पांच इंसानों का पेट भरता है, राबड़ी बना कर पेट भरता है। बाजार से महंगे भाव से, वह भी कितना कि चालीस रुपये की बीस किलो मक्का या ज्वार या गेहूं खरीदते हैं। एक रुपये का आधा किलो .....

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में कोई अलग समय रखेंगे।

श्री विट्ठल भाई : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाय; नहीं तो एक महीने बाद बरसात हो गई तो बरसात के बाद एक महीने में फसल पक जाएगी, लोगों को मरना होगा तो मर जायेंगे, जिन्दगी रहनी होगी तो जिन्दा रहेंगे। इस एक महीने के लिये तो मंत्रीजी वहां पर अनाज की अविलम्ब व्यवस्था करें। वहां पर अनाज के लिये, मजदूरी के लिए हम पहले भी गत सत्र में विधान सभा में बोले थे और आपको पर्सनली भी मिले, आपने कहा कि मजदूरी की व्यवस्था की जाएगी लेकिन आपने अपने दोनों कानों का ध्यान रखा। ठीक है पीड़ित लोग हैं उनको और पीड़ित कर लो। उनको मरना होगा तो मरेंगे। आप बीछीवाड़ा

Page No 54

(54)

(श्री विट्ठल भाई)

में भाषण देकर आए लेकिन भाषण से क्या होता है। आप उनको मजदूरी दें, रोटी दें नहीं तो जितना भी बदला लेना हो ले लें इन क्षेत्रों से, कोई फिक्र नहीं, मरना है तो मरेंगे। आपने अपने क्षेत्र में सड़क निकाली, बिजली दी लेकिन मेरे पीपलखूंट कस्बे में आज दिन तक किसी कुए पर बिजली नहीं दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने कोई सुविधा काश्तकारों को नहीं दी। इस तरह से हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं तो कर लीजिये। आप यही खिलवाड़ अनाज के साथ कर रहे हैं। आप सब तरह से खिलवाड कर रहे हैं, यह आपके लिये शोभा नहीं देता। आपको अब भी थोड़ा सोचना चाहिये। इस इलाके में आवें तो हमसे पूछें, हम विरोधी हों तो क्या हुआ। कम से कम थोडी मजदूरी की व्यवस्था कर दीजिये। यह सब जगह की मांग है। इलाके में लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर काम खोलना जरूरी है। हजारों की तादाद में छोटे छोटे आदिवासी, औरतें, बच्चे...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री विट्ठल भाई : वहां की स्थिति बता दूं साहब। अभी मुख्य मंत्रीजी कह देंगे कि मैं वहां पर जाकर आया हूं। वहां पर हजारों की तादाद में लोग चार चार दिन से भूखों मर रहे हैं। सरवरण में दो दो, चार चार मन चने इकट्ठा करके लोग बांट रहे हैं। इस तरह की हालत हो रही है। लोग भिखारी बन गए हैं। आप कहते हैं कि मैंने आदिवासियों की सेवा की.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किस युग में आदिवासियों की सेवा की है? जब 56 में अकाल पड़ा था तब भी हमारे आदिवासी लोगों ने भीख नहीं मांगी, लेकिन आज भीख मांग रहे हैं। इसलिये मुख्य मंत्रीजी जरा तरस खाकर के वहां पर व्यवस्था करें। बाकी कोई भाषण से काम नहीं चलेगा। जनता भूखी है इसलिये कम से कम एक महीने के लिये तो अविलम्ब व्यवस्था करें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय...

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह दूं थोडा।

श्री रामकिशन : पहले मैं कह दूं, आपको बोलने में आसानी रहेगी। भरतपुर में चीजें नहीं मिल रही हैं। वहां की जो स्थिति है उसके बारे में राज्य सरकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करे। अभी बांसवाडा की जो हालत यहां रखी है वैसी ही हालत राज्य के अन्य जिलों की है। विशेष तौर से जो हमने बांसवाडा की हालत सुनी है राज्य सरकार के लिये इससे ज्यादा शर्म की स्थिति और कोई नहीं हो सकती कि लोग भूखे मरने शुरू हो जायें इस क्षेत्र की मुख्य मंत्री जी आपको ज्यादा जानकारी है। मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी बांसवाडा के बारे में ज्यादा है इसलिये मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा लेकिन जो तथ्य माननीय सदस्य बार बार यहां पर प्रस्तुत करते हैं कि कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है,

(श्री रामकिशन)

ऐसा करना गलत है। मुख्य मंत्रीजी आप वहां पर जाते हैं। मैं भी वहां पर जाता हूं। यह सही बात है और आपको भूख की बात को, भूख के सवाल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिये। यह बात अब आपके स्तर की नहीं रही है। दो साल पहले ऐसी घटनाएं होतीं तो हम उपेक्षा कर देते। आप राज्य के मुख्य मंत्री हैं। किसी क्षेत्र के बारे में आपको ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। आपको व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो माननीय सदस्य यह कहने लग जायेंगे कि इस क्षेत्र को राजस्थान से हटा कर गुजरात में मिला दिया जाये। भरतपुर वाले उत्तर प्रदेश में मिलने की बात उठाना शुरू कर देंगे। और झुंझुनूं वाले हरियाणा में मिला देने की बात कहेंगे। तब राजस्थान का अस्तित्व ही मिट जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री को व्यापक दृष्टिकोण अपना कर इस ओर ध्यान देना चाहिये। बयाना की आज क्या हालत है? यह उस क्षेत्र के माननीय सदस्य आपको बता सकते हैं। इसके लिये मुख्य मंत्री का बयान ही काफी नहीं है। ये जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर बहुत कम पैदावार होती है। हमेशा अकाल से पीड़ित रहते हैं और जमीन भी खराब है। यहां के लिये अविलम्ब कोई नये कार्य करने की घोषणा की जानी चाहिये। मैंने पीपलखूंट निर्वाचन क्षेत्र को देखा है। वहां पर विकास की काफी सम्भावनायें हैं लेकिन किसी भी प्रकार की राजकीय मदद विकास कार्य के लिये नहीं मिल रही है। भूख से हुई मौत का असर राजस्थान पर पड़ेगा।

इसके बाद दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वे तस्करियों को बन्द कर देंगे, उनके खिलाफ सामाजिक वातावरण बनायेंगे। कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप अपने प्रवास के दौरान तस्कर के यहां पर ठहरे। मुझे यह जानकारी नहीं कि आप किस के यहां पर ठहरे। वह कांग्रेसी तस्कर है या व्यापारी तस्कर है। यह तो आप ही जानकारी दे सकते हैं कि किसके यहां पर आप ठहरे। लवाणा गांव में आप किसी के यहां पर ठहरे हैं तो यह एक दर्दनाक स्थिति है। मुख्य मंत्रीजी का उनको सहयोग है या आकस्मिक ही वे वहां पर ठहरे हैं? इससे सारे तस्करियों को प्रोत्साहन मिलता है।

एक बात और है। अनाज और खाद के मामले पर विचार करने के लिए इस सदन का कोई दिन नियत होना चाहिये। आज सारे राजस्थान के लोग भूखे मर रहे हैं। भरतपुर के बारे में मैंने खाद्य मंत्रीजी को निवेदन किया था। मैंने उनसे कहा है कि वे गलत ढंग से चल रहे हैं। भरतपुर जिले में अनाज नहीं है। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य से आप पूछ लीजिये आज वहां पर गेहूं 240 रुपये क्विन्टल तक पहुंच गया है। यह तो उस जिले की हालत है जिसको आप सरप्लस मानते हैं। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनकी क्या हालत है? सरप्लस रहने वाले जिले की आज यह स्थिति हो गई है तो जो अभाव वाले जिले हैं उनकी आप कल्पना कीजिये क्या स्थिति होगी? राज्य सरकार खाद के मसले को, इस मामले को किस प्रकार हल

Page No 56

56

(श्री रामकिशन)

करना चाहती है, इस समस्या का क्या निराकरण करना चाहती है, यह इस सदन में जानना चाहेंगे। चाहे केन्द्रीय सरकार से अनाज मिले या नहीं आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह हम जानना चाहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात को अनाज मिल जाता है। तामिलनाड थोड़ा सा बोलता है तो वहां पर अनाज पहुंच जाता है। परन्तु राजस्थान की शालीनता, सदन की गंभीरता को केन्द्र कमजोरी समझता है। चाहे और बातें हों या न हों किन्तु यह सदन भूख से मौत को बरदाश्त नहीं करेगा। अगर भूख से आपके राजस्थान में कोई मरता है तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन की उपयोगिता निरर्थक है। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को शीघ्र ही ऐसे कदम उठाने चाहियें जिससे कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम होता कि इस प्रश्न के ऊपर इस प्रकार का विवाद होगा तो मैं आंकड़े लेकर आता और माननीय सदस्यों को बतलाता जो कुछ वहां पर हो रहा है। यहां पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है यह सारी बात पोलिटिकल मोटिवेटेड है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और साउथ उदयपुर का जो हिस्सा है, और उसमें जो आदिवासी लोग रहते हैं वे बहुत ज्यादा गरीब हैं वे कम पढ़े लिखे हैं। वहां पर पैदावार भी कम होती है और एक प्रकार से अभाव की स्थिति बनी रहती है इसलिए गरीबी भी ज्यादा है और गरीबी ज्यादा होने के कारण जैसे ही उत्पादन में कमी होती है तो वे सस्टेन करने की स्थिति में नहीं होते हैं और इसका उनकी स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। किन्तु यह कहना कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ, मैं इसको नहीं मानता और इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जोड़ने की कोशिश की गयी है।

श्री जोशिंग : इसके लिये जांच कमीशन बिठाइये।

श्री हरिदेव जोशी : जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप आपकी बात को सुन रहा था। उसी प्रकार आपको मेरी बात को सुनना चाहिये।

मेरा कहना यह है कि मुझे वहां की सोशलिस्ट पार्टी से शिकायत है। जो दूसरे भाई हैं उनकी बात को छोड़ दीजिये लेकिन दूसरे×××मैं मेरे क्षेत्र को ही सहायता करता हूं दूसरे क्षेत्र की ओर देखता ही नहीं हूं, यह इन लोगों का गलत ख्याल है, गलत आरोप है। पोलिटिकली मोटिवेटेड है। ये भाई कभी भी मुझसे मिलते नहीं। कभी भी मेरे से बात नहीं करते और अपने एरिया के डवलपमेंट के बारे में कोई रुचि नहीं लेते। यह मेरा उनको उलाहना है।××× इनकी यह हमेशा से तमन्ना रही है।

श्री विट्ठल भाई : यह गलत है। आप हमेशा कांग्रेसियों को साथ लेकर घूमते हैं। कभी भी हम को साथ में नहीं लेते हैं...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपा कर के सुन लीजिये।

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। माननीय सदस्य विट्ठल भाई आज से नहीं गत 20 वर्षों से इस सदन के सदस्य चले आ रहे हैं। ××× मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्य श्री विट्ठल भाई का अपमान है और इस सदन का अपमान है।

श्री हरिदेव जोशी : होगा...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह गलत बात है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इन्फेटिकली कहता हूं...

श्री विट्ठल भाई : आप गलत बात कह रहे हैं...

श्री हरिदेव जोशी : मैं गलत बात नहीं करता हूं। हरगिज गलत बात नहीं होगी, इसको समझ लीजिये।

श्री विट्ठल भाई : आप हमारे काम में रोड़े अटकाते रहते हैं...

श्री हरिदेव जोशी : आपसे मिलने का सवाल है, आप कहिये आपने कब समय मांगा मिलने के लिए और मैंने आपको ना कहा हो बल्कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ वे एक बार मिलने को आये थे तो उनसे यह कहा था कि मुझ से मिलते रहेंगे और इलाके की बात बतलाते रहेंगे। आप किसी भी दिन मुझ से मिलने आये हों और मैंने आपको ना कहा तो बता दीजिये। एक भी उदाहरण बतला दीजिये। दूसरी चीज, मैं दावत देता हूं कि मैं अब जब भी बांसवाड़ा आऊं मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला प्रमुख नहीं होंगे, आप मेरे साथ मोटर में चलिये और मेरे प्रोग्राम के साथ मेरे साथ चलिए। मैं किसी को अछूत नहीं मानता हूं। दूसरे लोग नहीं आते हैं इसलिए उनको अछूत नहीं मानता हूं। मुझे तो आपको यह कहना है कि आप अपने इलाके के अन्दर जांच लीजिये। आज हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इनके इलाके के फेक्ट्स लेकर नहीं आया हूं वरना बतलाता कि क्या क्या विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं। आपकी कान्स्टीटुएन्सी में डूंगला तालाब है कि नहीं? खमेरा से नरवाली सड़क पहले की बनी है या अब बनी है? इस वर्ष के अन्दर यह काम चल रहा है। भूंगडा से लेकर माही डेम सड़क अभी बनी है। यह आपके क्षेत्र के अन्दर है या नहीं? शांतापुर का तालाब अभी बना है या पहले का बना है? शामपुरा का तालाब अभी बना है या पहले का बना है? मैं इस प्रकार से आपको पूछना चाहता हूं।

मैं इसी प्रकार आपसे पूछना चाहता हूं कि घोड़ा तालाव, जो आपकी कान्स्टीटुएन्सी में है, पापलखूंट का तालाब वह मैंने शुरू करवाया है या आपने शुरू करवाया है? रोयणा का तालाव वह किसने शुरू करवाया है? इसी तरह से मैं पूछना चाहता हूं कि आमलिया की सड़क वह मैंने शुरू करवाई है या आपने? इसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विट्ठलभाई, कि तरकनिया से गुजरात की सीमा तक जो सड़क बन रही है वह अभी शुरू की गई है या पहले की है? अध्यक्ष

××× ये शब्द अध्यक्षपीठ के आदेश से निकाले गये।

58

(श्री हरिदेव जोशी)
महोदय, मैं आपको, माननीय सदस्यों के एक नहीं अनेकों उदाहरण बतला सकता हूं कि जिसमें सौगन्ध खाने के लिए एक भी माननीय सदस्य ने यह आकर कहा हो कि यह काम है और मैंने नहीं किया हो। सिर्फ एक काम के लिए मेरे पास आये थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस काम को नहीं कर सकता था...

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकता हूं। इससे उनकी नाराजगी हो सकती है, मगर इसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है जिसमें आकर इन्होंने कहा हो और मैंने नहीं किया हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका इलाका है पीपलखूंट उसमें मिडिल स्कूल खोला गया तो क्या आप मेरे पास आये थे मांगने के लिए ? वह मैंने खुलवाया था और इसलिए खुलवाया था कि पीपलखूंट ब्लाक हैडक्वार्टर था और वहां के रहने वाले आफिसरों के बच्चे कहीं नही पढ़ सकते थे। मगर आज पीपलखूंट स्कूल में बच्चे कितने हैं यह आपको मालूम है ? कितने बच्चे वहां आते हैं ? माननीय शिक्षा मंत्रीजी जानते हैं। यह मेरी कान्स्टीटुएन्सी में नहीं है आपकी कान्स्टीटुएन्सी में है और एक-दो बार ऐसा मौका आया कि वह पीपलखूंट का स्कूल जा रहा था तो वह मैंने रुकवाया है। आज हालत यह है कि सरकारी स्कूल खुले हुए हैं और आपके इलाके में बच्चे नहीं पढ़ते हैं और मेरे इलाके में बच्चे पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो भीलों को लूटने वाले और ठगने वाले हमेशा तुमको ठगते रहेंगे। आपके इलाके में अस्पताल खोला गया। क्या कभी आपने जाकर देखा है कि अस्पताल में कितने लोग दवा लेने आते हैं ? आप यह चाहते हैं कि लोगबाग भोपे और बाबाओं के अन्दर ही डूबे रहें और उनका कोई भी विकास न हो। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास का प्रकरण है तो विकास वहां पर ज्यादा होता है जहां जनता के प्रतिनिधि विकास के लिए अपने आपको खपाते हैं। आपने कभी मालूम किया कि सजनगढ़ की बिजली की योजना कब मन्जूर हुई ? सजनगढ़ की बिजली की योजना मन्जूर हुई तो उसके लिए आपने मुझसे कभी मांगा था क्या ? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारा इलाका मेरा है। मैं नहीं कहता हूं कि यह मेरी कान्स्टीटुएन्सी है। और उनकी कान्स्टीटुएन्सी हमारे खिलाफ इलाका है। वह भी मेरी कान्स्टीटुएन्सी है और मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों के आधार पर उन इलाकों के लोगों को छोड़ कर नहीं चल सकता। अगर आप लोगों के आधार पर उन इलाकों की बात मेरे मन में होती तो किसी भी प्रकार का वहां पर विकास नहीं हो पाता। आप उस समय कहां थे जब कुशलगढ़, वह स्थान है, जहां पर हिन्दुस्तान भर में सबसे पहले ट्राइबल ब्लाक खोला गया ? उसका इम्पेक्ट क्या हुआ ? आप वहां के प्रधान हुए। क्या हुआ ? वहां पर कितने कुए खुदे, कितने कुओं के लिये आपने पैसा लिया ? कितने कुओं में पानी आया ? इसको आप समझें। मैं यह कहना चाहता हूं कि पोलिटिकली मोटीवेटेड होकर

(श्री हरिदेव जोशी)

इस प्रकार की बातें करें तो आप मुझसे किसी भी स्थिति में अपने आपको वह नहीं करके चल सकते हैं। मैं यह क्लेम नहीं करता हूं कि मैं भीलों की सेवा करने वाला साधू हूं और न मुझे उसके लिये किसी से सर्टिफिकेट लेना है। आप भीलीस्तान की बात करते हैं, लेकिन मैं उसके अन्दर जमा हुआ हूं और तुम मुझसे मुक्त नहीं हो सकते। मैं किसी दूसरे इलाके का नहीं हूं। आपने मेरे खिलाफ हमेशा भील खडा किया है मगर वह भील 9, 10, 15 और 25 हजार वोटों से हारा है। आपकी पार्टी का नेता हारा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं और एक बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि भील अब समझ गया है कि कौन हमारा भला करता है और कौन नहीं।

अब रहा सवाल यह कि आपने कहा कि मैं वहां पर क्यों गया? अध्यक्ष महोदय, मैं केवल डेढ दिन के लिए बांसवाडा गया और डेढ दिन मैंने चारों कान्स्टीटुएन्सीज का दौरा किया। आम तौर पर एम. एल. एज. और मिनिस्टर्स अपनी अपनी कान्स्टीटुऐन्सीज में ही ज्यादा जाते हैं और दूसरी में कम जाते हैं, मगर मैंने चारों कान्स्टीटुएन्सीज का दौरा किया है, और चारों कान्स्टीटुएन्सीज के अन्दर सभी लोगों को बुलाकर बैठाकर बातें करने की कोशिश की है। आप पांचनवास की बात करते हैं तो वहां पर केवल डूब के एरिया के लोग आये थे और मैंने उनसे कहा था कि मेरी यह जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से बसाऊं और इसी के लिये हम सब चिन्तित हो रहे हैं। मैंने उनकों सारा प्रोसेस समझाया कि किस प्रकार से रिहेबिलिटेशन का काम होगा। ठीक उसी प्रकार से आपकी कान्स्टीटुएन्सी में गया था और जीयिंग भाई की कान्स्टीटुएन्सी में गया था। किसी के यहां पर नहीं ठहरा। यह बिल्कुल वाहियात और तथ्यहीन बात है कि मैं किसी के यहां पर ठहरा। घन्टा डेढ घन्टा वहां पर ठहरा। गांव के लोग आकर मिले और पब्लिक मीटिंग में ले गये और जो कुछ लोगों का कहना था उन्होंने मीटिंग में कहा और मैंने सुना और पब्लिक मीटिंग में मैंने भाषण दिया। उसके बाद खाना खाने गये। वह खाना गांव की तरफ से रखा गया था किसी आदमी की तरफ से नहीं। वहां पर खाना खाया और एक मिनिट ठहरा नहीं। जिन लोगों से बातें करनी थी उनको जीप में बैठाया और दूसरे लोगों को जो मेरे साथ बैठे थे उनको उतारा और उनसे बात करता हुआ सज्जनगढ तक ले गया। इतनी सी तो बात है और कह दिया गया कि तस्करी है या वह है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके भीलों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश मत कीजिये। मेहरबानी करके उनकी गरीबी पर तरस खाइये। यह संभव है कि आप और हम सब मिलकर उनको आगे बढा सकेंगे। अगर यह तरीका अख्तियार किया तो भील आगे बढ सकता है निश्चित रूप से वर्ना भीलों को अन्धेरे में डाले रखेंगे तो वह नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश के भील जो डूंगरपुर के आस पास के हैं और दूसरे लोग जो उदयपुर में बाहर से आते हैं वह यह जानते हैं कि दर असल

(श्री हरिदेव जोशी)
उनकी आर्थिक स्थिति को कौन समझता है, कौन वह करना चाहता है।

विट्ठलभाई जानते हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माही का बान्ध बन रहा है वह किस की कान्स्टीटुएन्सी में बन रहा है ? वह क्या मेरे इलाके में होकर नहर निकलेगी ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री विट्ठल भाई : वह हमारे क्षेत्र में नहीं, डूंगरपुर में है।

श्री हरिदेव जोशी : माही जैसा बांध जो बांसवाड़े जिले के अन्दर आपकी कान्स्टीटुएन्सी में बने रहा है इससे बड़ा काम और कोई दूसरा बांसवाड़ा जिले के अन्दर नहीं हो सकता है। आज राजस्थान के अन्दर चम्बल बान्ध, भाखरा नहर और राजस्थान कैनाल के बाद अगर कोई दूसरा काम हो रहा है तो वह आपकी कान्स्टीटुएन्सी में हो रहा है। विट्ठलभाई, आप इस सारी चीज को देखते नहीं है। आप खाली ××× इसके सिवाय उनके जीने और मरने से आपको कुछ लेना-देना नहीं है।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह सही है कि जिस रास्ते मैं गया, यह एक्सीडेंटल भी हो सकता है, कि मक्का की उपज की सबसे अधिक पैदावार जो है वह जीथिंग भाई की कान्स्टीटुएन्सी में भूरा कुआ से डेंगरा तक, मैं कहता हूं वहां तक है।....

श्री जिथिंगभाई : मेहनत की है।

श्री हरिदेव जोशी : मेहनत की है यही बात मैं कहना चाहता हूं और दूसरी चीज यह है कि मैं यह जानता हूं कि आज अगर कहूं, दूसरी बातों को छोड दें जैसा कि आप कहते हैं उससे मैं सहमत हूं, कि अगर 2 दिन में चार दिन में या आठ दिन में यानी एक हफ्ते के अन्दर अन्दर बरसात नहीं होती है तो निश्चित तौर से वह फसल सूख जायेगी। मैंने तथ्यों को भारत सरकार के सामने रखने की कभी कमी नहीं रखी है। प्राइम मिनिस्टर को जो मेमोरेण्डम पेश किया गया है उसके अन्दर भी कहा है और मैं रिपीटेडली कहता चला आ रहा हूं कि आज जैसलमेर में, बाड़मेर में सूखा है, पार्ट आफ पाली, पार्ट आफ उदयपुर, पार्ट आफ बांसवाड़ा जिले में सूखा है।

मैं एक बात और कह दूं। आप यह सोचते होंगे कि आपने कहा कि मोखनपुरा तो मेरा गांव है। वहां पर साल भर में एक बार जाता हूं और आदमियों से मिलता हूं। और भी गांवों में जाता हूं तो जिन लोगों ने दूसरों को वोट दिये हैं तो उनके विरोध में होऊंगा, तो इसको अगर आप उस रूप में मानते हैं तो अपने दिमाग से इसको निकाल दें। मेरे विरोधी दल के अन्दर भी अच्छे से अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे ही दोस्त हैं जैसे कि इधर बैठे हुए लोग हैं। इलेक्शन आयेगा तो मैं सख्त विरोध करूंगा और कोशिश यह करूंगा कि वह हारे। मैं व्यक्तिगत जीवन में आप लोगों से मित्रता रखना चाहता हूं, और यह कोशिश करना

××× ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहता हूं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ इलाका है। राजस्थान में पांचवीं पंच वर्षीय योजना में पहली मर्तबा ट्राइबेल डेवलपमेंट का एलिमेंट उसके अन्दर इन्ट्रोड्यूस किया गया है और, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब फाइव ईयर प्लान के डिटेल्स को मैंने पसन्द नहीं किया तो आई ब्रियू हट गये। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप समझते हों कि ट्राइबल विकास की बात कौन करता है तो

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर कुछ भी भला चाहते हैं उस इलाके का तो फालतू की बातें छोड़ दें। मिलकर काम करें। मिलकर काम करने की कोशिश करें। अगली बार बांसवाड़ा जाऊंगा तो रामकिशन जी और प्रो. केदार को चिट्ठी लिखूंगा। नहीं आयेंगे और मेरे साथ में बैठकर नहीं घूमेंगे तो मैं यह सदन को बताऊंगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आपका मोशन नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अभी मैं भाषण सुन रहा था तो मुझे यहीं लगा कि हरिदेव जोशी बोल रहे हैं राजस्थान का मुख्य मन्त्री नहीं बोल रहा है। अफसोस है कि मुख्य मन्त्री ने बांसवाड़ा के हमारे दल के लोगों पर आरोप लगाया है। ×× का उनके ऊपर आरोप लगाया है। उनको कहना है कि वह ××× यह गलत है। यह ××× आप ××।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री रामकिशन : ×××। गिरधारीलाल व्यास को कांग्रेस अध्यक्ष आपने बनाया।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : ···फैक्ट्स बताइये।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कहने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : उनकी बात तो सुनिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये कैसे एम. एल. ए. हुये हैं, यह हमें पता है।

श्री दीपंकर : यह सदन में गलत तथ्य रखते हैं।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। बैठिये। बैठिये।···मि. दीपंकर। मि. दीपंकर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब ये कहेंगे कि आपको ×××।

×××ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (संकेत करते हुये) इतने × × ×।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि सदन की गरिमा बनी रहे। अभी जब मुख्य मन्त्रीजी आरोप लगा रहे थे तो हम शान्तिपूर्वक सुनते रहे। अब जब माननीय रामकिशनजी उत्तर दे रहे हैं तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह × × × की जो बात उठाई गई है। मैं निवेदन करूंगा, अपने दोनों ही हाथ उठा कर यह कहा है कि आपको भी कहेंगे अध्यक्ष महोदय भी × × × हैं। इन शब्दों को एक्सपंज किया जाये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ये एक्सपंज किये जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष। सभी माननीय सदस्यों द्वारा कुछ न कुछ कहा गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, ये अलफाज एक्सपंज किये जायें।

श्री अध्यक्ष : कर दिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : वह तो एक्सपंज हो गये।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह आरोप लगाना उचित नहीं है। जो आंकड़े दिये हैं कि 100 में से 90 काम हो चुके हैं। एक–एक तालाब का जिक्र किया है। दूसरे क्षेत्रों को देखें तो मैं इस मामले में क्लेश में नहीं आना चाहता। बांसवाड़े का हित हम भी चाहते हैं। ये आपके साथ आये हैं। जो जो आपके साथ बैठे हैं।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय.....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो आपके साथ बैठे हैं, निश्चित तौर से वह विकास चाहेंगे। आप खुद सोचिये। आपने कह दिया कि एक काम को आया था, वह नहीं कर सका। अकाल राहत कार्य खोले जाने का सवाल था। अकाल राहत का सवाल नहीं था। आपने कहा कि माही का बांध उनके क्षेत्र में बन रहा है। वह तो दूसरी जगह बन नहीं सकता है क्योंकि उसकी धारा ही वहां पर है। दूसरी जगह बन नहीं सकता है। राजस्थान नहर तो गंगानगर में ही बन सकती है। भरतपुर में मैं कहूं तो भरतपुर में नहीं बन सकती है। अन्त में मैं कहूंगा आप कहते हैं कि × × × शब्द को एक्सपंज किया जाये लेकिन ये छंगाणीजी बैठे हैं, इनमें कोई योग्यता नहीं है लेकिन इनको मन्त्री बना रखा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपका और हमारा तो पर्सनल समझौता है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, ग्रोन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

× × ये शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाले गये।

Page No 63

(63)

(श्री हरिदेव जोशी)

मेरे मन में कहीं भी यह नहीं है। आप आरोप लगाने की बात करते हैं। मैं अन्तरात्मा से बात करता हूं। आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री विट्ठल भाई : आप करना नहीं चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आज सवाल यह है कि आपका साथी हमारे साथ बैठ जायेगा तो गड़बड़ हो जायेगी। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टी के सदस्यों पर ही अविश्वास करते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, एक भरतपुर के सम्बन्ध में प्रस्ताव है। आपने आदेश किया कि मन्त्री महोदय स्टेटमेंट दें। मामला अत्यन्त गम्भीर है। मैं चाहूंगा कि भरतपुर के मसले को ले लिया जाये। कोई भी दूसरा कार्य होने से पहले इसको ले लिया जाये। क्योंकि कल से लेकर आज तक जो सूचनाएं आई हैं, तीन मजदूरों की मृत्यु हो गई है। कितने ही घायल हो गये हैं। पुलिस ने किस निर्ममता से गोली चलाई है। आज सदन प्रारम्भ होने से पहले सबसे पहले यही खबर मिली है। 3 मर गये हैं और बहुत से घायल हो गये हैं।

मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में, दूसरा कार्य प्रारम्भ करें, उसके पहले मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर...

श्री मीठालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से आधा मिनिट में एक निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष : वह खत्म हो गया।

श्री मीठालाल : माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि जब कभी अपोजीशन के या कांग्रेस के किसी क्षेत्र में जाते हैं उस समय वहां के विधायकों को सूचना दी जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा विरोधी दल के एम. एल. ए. हैं, उनके क्षेत्र के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री या कोई माननीय मंत्री जाते हैं, तो पूर्व सूचना वहां के विधायकों को नहीं दी जाती है। इससे बड़ी असुविधा होती है। माननीय मुख्य मंत्री मेरी कान्स्टीटूएन्सी में गये, लेकिन मुझे सूचना तक नहीं दी। मैं सभी मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी कान्स्टीट्यूएन्सी में जायें, स्थानीय विधायकों को पूर्व सूचना दें और मिलने का मौका दें। होता यह है कि मंत्रियों के इर्द-गिर्द चमचे घूमते फिरते हैं, लोग और विरोधी दल के विधायक मिलना चाहें तो मिलने का मौका नहीं मिलता है। इतनी भारी भीड़ चमचों की होती है। मेरा निवेदन है कि भविष्य में किसी कान्स्टीट्यूएन्सी में जायें, वहां के विधायक को पूर्व सूचना अवश्य भिजवा दें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप स्वागत की तैयारी रखना।

श्री जोगिन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री से उम्मीद की थी कि वहां की समस्यायें हैं उनके लिये तत्कालीन व्यवस्था के बारे में घोषणा हो जायगी...

श्री हरिदेव जोशी : हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर के स्थगन प्रस्ताव के बारे में कहा है । उसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो, इस सिलसिले में जो कुछ कहना हो कह लें और वक्तव्य दें । दूसरा सुझाव यह है, और अगर हाउस सहमत हो, और सही भी कहा जा सकता है कि यह औपचारिक काम है, दूसरा, यह दस बीस मिनिट में हो जाय, इसके बाद गवर्नमेंट को कह दूं कि वक्तव्य दें और उस पर डिबेट हो जाय और विचार रख दें ।

श्री रामकिशन : औपचारिक काम हो जाय ।

श्री हरिदेव जोशी - अध्यक्ष महोदय, मैं तैयार होकर आया हूं । यह ऐसी चीज थी, जिसे मुझे खुद समझना था, गवर्नमेंट को समझाना था । लेकिन मेरे सामने सदन में आने के बाद दूसरे फैक्ट्स आये हैं । मुझे उसके लिये समय चाहिये । आप चाहें, सदन उपयुक्त, उचित समझे तो स्टेटमेंट हाउस एडजोर्न हो, उसके पहले दे दूं । तब तक मुझे समय मिल जायगा, जो कुछ फैक्ट्स आये हैं उनको यहां लेने के लिये । मुझे उसमें ऐतराज नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट मेरे पास इस समय भी पड़ा हुआ है । उसमें दूसरी बात कही है···

श्री रामकिशन : आज के लिये कह रहे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : हां, आज के लिए कह रहा हूं । आज शाम को हाउस एडजोर्न हो, उसके पहले । मैं अभी भी प्रिपेअर्ड हूं । लेकिन मेरे सामने कुछ फैक्ट्स, दूसरा वर्शन आया है, तो वास्तव में क्या स्थिति है, वह जानकारी कर लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, चार, साढ़े चार बजे, पांच बजे····

श्री हरिदेव जोशी : साढ़े चार बजे ।

श्री अध्यक्ष : साढ़े चार बजे इस सम्बन्ध में वक्तव्य हो जाय ।

श्री रामकिशन : चार बजे रख लीजिये ।

श्री मोहरसिंह : और जल्दी कीजिये । क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है··

श्री नत्था सिंह : भरतपुर का है । साढ़े चार बजे हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है, पांच बजे से ज्यादा बैठ जायेंगे ।

श्री मोहरसिंह : यह महत्वपूर्ण विषय है, इसको इस प्रकार टाला नहीं जाय···

श्री अध्यक्ष : साढ़े चार के बाद छः बजे तक डिबेट चल सकती है, टाइम मिल जायगा ।

श्री मोहरसिंह : चार बजे से ले लें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आप समय चाहते हैं जानकारी करने के लिये वह दे दीजिये । साढ़े चार बजे कहा है, साढ़े चार बजे वक्तव्य हो जाय । उस वक्त जो कहना हो वह कह दीजिये । पांच बजे से ज्यादा बैठना हो तो बैठ जायं ।

Page No 65

(65)

श्री मोहरसिंह : पांच बजे के बाद में सदन को चलाने के लिये सदन की सहमति आवश्यक होगी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये उसे पहले ले लें। इतने आदमियों का खून हुआ है, इसको हल्के रूप से देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन तब स्थगित होगा जब सदन चाहेगा।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमेंट के बारे में हम चाहते थे, दूसरी कार्यवाही चालू हो, उसके पहले ले लें क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है। सरकारी वक्तव्य समाचार-पत्रों को दिया जा चुका है, एक वर्णन आ चुका है। अब हाउस असेम्बल हुआ है, इस स्टेटमेंट को पांच बजे तक पोस्टपोन कर दिया जाय तो जो विचार माननीय सदस्य व्यक्त करेंगे, उनको समाचार पत्रों में स्थान नहीं मिल पायेगा, जनता जान नहीं सकेगी कि यह विचार हैं। यह आवश्यक विषय है, इस विषय को, मैं समझता हूं, कोल्ड स्टोरेज में इस प्रकार न डालें। अभी माननीय मुख्य मंत्री कम से कम····

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे आग्रह न करें। मुझे टाइम चाहिये। मुझे एस. पी. और कलेक्टर से बात करना जरूरी है। मैं माननीय लोढा से निवेदन करता हूं···

श्री अध्यक्ष : सुनिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य लोढा से निवेदन करता हूं कि आप आग्रह न करें। मेरा निवेदन है कि मैं तैयार होकर आया हूं, स्टेटमेंट मेरे पास है, लेकिन मेरे सामने दूसरे प्रकार का वर्णन आया है इसलिए मेरे लिये लाजिमी है कि कलेक्टर और एस. पी. से खुद बात कर लूं मैं बात करना चाहता हूं। घण्टे ढाई रह गये हैं, आप कुछ बोलेंगे तो सदन में मैं बैठा रहूंगा। आप विराज जायं तो मैं बोल दूं····

श्री गुमानमल लोढा : चार बजे ले लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसलिए पहले यह आये, लें ताकि अखबारों में छप जाय, वरना नहीं छपेगा। यह जची नहीं बात। यह छपने की भूख नहीं होनी चाहिए किसी सदस्य को कि अखबारों में छप जाय। मुख्य मंत्रीजी, ज्यादा अच्छा होगा, पूरी जानकारी करके वक्तव्य दें।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सदस्य कुछ भी कह सकते हैं। जनता के सामने इस प्रकार किस प्रकार के कौनसे मुद्दे रखे गये, कौनसी बातें रखी गईं, समाचार पत्रों में वह छपती हैं—यह महत्वपूर्ण है। इसलिए भूख है, कहना गलत है। यह समाचार पत्र के साथ अन्याय है, और जनतंत्रीय पद्धति के के ऊपर अन्याय है। यह प्रयास करना कि यह मुद्दा उस समय आये, तो मैं समझता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रसंग को महत्व नहीं देना चाहती। मजदूर मर चुके हैं, गोली काण्ड हो चुका है—फिर भी इस प्रसंग को कोल्ड स्टोरेज में डालना मैं आपत्तिजनक समझता हूं। मैं चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी चार बजे वक्तव्य दें। अभी करीब पौने तीन बजे हैं, काफी समय मौजूद है, वायरलैस आपरेशन आपके पास है, ट्रंक टेलीफोन हैं—अब प्रकार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
से बात हो सकती है ताकि चार बजे आप हमें स्थिति से अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे में फर्क कितना है। आपका आग्रह है वह मान लें। सदन की मेज पर...

श्री मोहरसिंह : इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसको इतना कम, गौण क्यों आंका जा रहा है ? मामला क्या है ? क्या मुख्य मंत्री के पास इतना टाइम नहीं था ? टाइम उनको नहीं मिला कि गोली काण्ड की सूचना का पता लगा लेते। जहां इन्सानों का खून हो और जिसे डायर की मिसाल देकर कहा जाय कि सड़कें खून से रंग गईं—उस सवाल को इतना गौण समझा जाय...

श्री अध्यक्ष : समय का सवाल है।

श्री मोहर सिंह : समय का सवाल नहीं है। वक्तव्य दिलवा दीजिये चार बजे, चार बजे के बाद इस बात को मत डालिये।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा !

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक—

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974

(2) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974

(3) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974

(4) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974

(5) राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) विधेयक, 1974

(6) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1974

व्यवस्था का प्रश्न-अध्यादेश संबंधी

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश !

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा निवेदन करना यह है कि लोक सभा में इस प्रकार का प्रश्न आया था, माननीय अध्यक्षजी, और...

श्री अध्यक्ष : समझ गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दो मिनिट में निवेदन कर दूं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आपके अधिकार का प्रश्न है, राजस्थान विधान सभा के अधिकार का प्रश्न है। 11 अप्रेल को विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ। उसके बाद तीन महीने के भीतर भीतर राजस्थान सरकार का इतना उतावलापन मुझे नजर आया कि राज्यपाल महोदय···

श्री अध्यक्ष : बीच में इन्टरवीन करके आपकी ही बात कह रहा हूं···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि राज्यपाल महोदय से अध्यादेश जारी कराये यह सरकार···

श्री अध्यक्ष : आपकी ही बात कह रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राज्य सरकार अध्यादेश जारी कराये उस समय जिस समय असेम्बली चलने वाली हो, जब कि उसे मालूम था कि असेम्बली चलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच में राज्य सरकार चौदह अध्यादेश लायी है। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने, माननीय सदस्यों के, इस सदन के, और मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय आप भी शामिल हैं, आपके अधिकार की अवहेलना की है, हनन किया है। यह अच्छी परम्परा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप राज्य सरकार को चेतावनी दें, राजस्थान विधान सभा का सत्र बार बार बीच में बुलायें। मैं समझता हूँ कि सत्य से डरने की बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री जोशीजी ने कहा था कि राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन बार बार बुलायेंगे, फिर आप डर क्यों रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होना है, 17 तारीख को वोट डलवाना चाहते हैं इसलिए सात दिन के लिए बुला लिया, अगले सोमवार को छुट्टी, फिर छः महीने के बाद बजट सेशन बुलाया जायगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा की थी कि बार बार सदन बुलायेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको सदन को बुलाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिएं। इस प्रकार बार बार अध्यादेशों की मार्फत माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन किया जाता है, मैं समझता हूं, आप इसके लिए राज्य सरकार को चेतावनी दें। यही निवेदन है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में रूलिंग दी है, वैसी ही रूलिंग आप भी दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मुझे अधिकार है कि मैं सदन से निवेदन करूं कि मुझे सुना जाए और उस मेरे अधिकार से आप भी सहमत हो सकते हैं। मैं कह रहा था कि अध्यादेश जारी किए जाने चाहिए थे या नहीं, उचित था या अनुचित था उसकी स्टेज है। अध्यादेश जब सदन की टेबल पर रखे जाते हैं उस समय वह स्टेज होती है या जब वे बिल के रूप में इन्ट्रोड्यूस किए जाते हैं उस समय आपको हक है कहने का। उस समय मुझसे भी राय मांगेंगे, मेरे मार्फत कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा। आप अध्यादेश को टेबल पर रखने दें, जब बिल्स इन्ट्रोड्यूस होते हैं उस समय···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह स्टेज दूसरी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मेरे पास 50 बिलों की सूची है, अध्यादेश हैं. . .

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश टेबल पर रखे जायं उस समय कहें, आपके एतराज से मुझे कोई एतराज नहीं है। टेक्नीकल पाइन्ट इतना सा है कि अध्यादेश मेज पर रखा जाए उस समय यह प्रश्न रखना चाहिए या विधेयक इन्ट्रोड्यूस करते समय आप रोशनी डालें, अगर टेबल पर अध्यादेश रखे जाने पर डिबेट होती है तो उसमें भी मुझे एतराज नहीं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जो राज्य सरकार का रवैया है. .

श्री अध्यक्ष : मेरिट पर कहने की बात नहीं है। अध्यादेश को टेबल पर रखे जाने के समय बोलना चाहिए या जब उसका बिल पेश हो, उस समय कहें, उस पर रोशनी डालें तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री केदार नाथ : अगर आप टेबल पर ले करने की इजाजत दें तो हमारी कमेंट हैं। जब 26 जुलाई को हाउस बुलाया उसके बाद ऑर्डिनेन्स प्रामल्गेट होता है तो अन्जस्टीफाइड और अण्डेमोक्रेटिक है। 14 अप्रेल को आपने इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया और 12 अगस्त तक इस बीच में 14 ऑर्डिनेन्सेज हमारे सामने हैं और ये सारे के सारे बिल्स के रूप में आयेंगे। खास तौर से राजस्थान होम्योपैथिक मेडिसिन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स 1974 28–8–74 को निकाला' ' '

श्री अध्यक्ष : मैं मार्गदर्शन चाहता था मुझसे पूर्व जो अध्यक्ष रहें हैं उनसे मैं मार्ग दर्शन चाहूंगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्योंकि टेबल पर आया तो वह प्रापर्टी आफ दी हाउस है। जब टेबल पर रखा जाए तो हम उस अध्यादेश के सम्बन्ध में स्थिति से अवगत करें कि यह गलत है। पहले टेबल पर आए उस समय भी आपत्ति कर सकते हैं और सेकेन्ड स्टेज पर तो हमारा अधिकार है ही। लेकिन दिक्कत यह है कि गिरधारीलालजी इतमिनान से बोल रहे हैं, तो उनसे कहा जाए कि सेकेण्ड स्टेज पर नहीं बोल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोलें मुझे आपत्ति नहीं। इश्यू तो सदन के सामने आना ही है, 5 मिनट पहले या पीछे। यदि सदन चाहता है कि इसी स्टेज पर बहस हो जाए तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री केदार नाथ : पर्टीक्यूलरली इस बारे में आपके आदेश क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : सदन की भावना को देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसी स्टेज पर अपनी आपत्ति पेश करना चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं संविधान की धारा 213 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है:–

"(1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require"

अध्यक्ष महोदय उसके साथ में इसका सब क्लाज 2 है :

"An Ordinance promulgated under this Article shall have the same force and effect as an Act or the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance—

(a) Shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is Legislative Council in the States, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the Legislature; or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council;"

अध्यक्ष महोदय, यह संविधान की धारा 213 इसलिए बनाई गई थी कि जिस समय अत्यावश्यक कार्य लगे राज्य सरकार को क्योंकि जहां तक माननीय राज्यपाल महोदय का प्रश्न है, वह राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार ही सारी कार्यवाही करते हैं। तो मैं राज्यपाल को इस विवाद में न लाकर और इस सदन में मैं इसको लाने की इजाजत भी नहीं चाहता न लेनी भी चाहिए, परन्तु यह बहुत गंभीर स्थिति है। आज संविधान की धारा 213 की हत्या राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। इससे कॉन्स्टीट्यूशनल बुचरी आफ आर्टीकल 213 है। जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने नहीं सोचा होगा कि राज्यपाल जिस दिन आज्ञा निकाल देंगे कि विधान सभा बुलाई जाती है उसके बाद ऐसी समस्यायें जैसे होम्योपैथिक का प्रश्न है या विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न है...

श्री खेतसिंह : पहले निकाला गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो अंतिम निकाला है।

श्री केदारनाथ : 25–7 को।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 28-7-74 को होम्योपैथिक अध्यादेश निकाला है।

श्री गुमानमल लोढा : हो सकता है, तिथियों के बारे में मंत्री महोदय कह सकते

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हैं। वैसे तो सत्र की समाप्ति के पश्चात् और नए सत्र के प्रारम्भ में जितना कम अंतर रखा है उसमें कॉन्स्टीट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी है मैं अवैधानिक तो नहीं कह सकता इस कारण से कि आर्टिकल 213 में अधिकार तो है लेकिन वह अधिकार कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी और सदन की अवहेलना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। समझ में आ सकता है कि युद्ध हो जाए और उसमें इस प्रकार की आवश्यकता पड़ जाए कि एक दिन भी न रुका जा सके, उस समय कहा जा सकता है कि राज्य की स्थिति को खतरे में नहीं डाल सकते थे इसलिए यह अध्यादेश जारी किया।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौनसा रक्तपात हो रहा था कि ऑर्डिनेन्स को जारी करना आवश्यक था। विधान सभा का सेशन आहूत हो चुका था सदन होने वाला था। कोई देश की सुरक्षा खतरे में नहीं हो रही थी कि जिससे अगर होम्योपैथिक बोर्ड का गठन नहीं किया जाता तो गम्भीर परिस्थितियां पैदा हो जातीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में पटना हाई कोर्ट के आल इन्डिया रिपोर्टर के पेज 19 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसमें लिखा गया है...

श्री मोहनलाल छंगाणी : This question was raised in Parliament also when Compulsory Deposits Scheme Ordinance was moved. It was referred to the Hon'ble Speaker and he has given some ruling. If we can get hold of that ruling, it will help us.

श्री गुमानमल लोढ़ा : we would, we would.

श्री मोहनलाल छंगाणी : That can guide our actions.

श्री रामकिशन : छंगाणीजी अगर आप हिन्दी में बोलें तो अच्छा है क्योंकि आप अंग्रेजी सही नहीं बोल सकते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरे ख्याल से पन्डितों को अंग्रेजी नहीं आती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में भी इस प्रकार के सरकार के रवैय पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर राज्य सरकार को अथवा केन्द्रीय सरकार को कोई अध्यादेश जारी करना हो तो उन्हीं परिस्थितियों में जारी किया जाना चाहिये जब कि अत्यन्त ही आवश्यक परिस्थितियां हों। लेकिन इस वक्त ऐसी कौनसी विकट परिस्थितियां पैदा हो गयीं थीं जिससे ऐसा करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन की गरिमा का है और इसके लिये हम आपके पास ही निवेदन कर सकते हैं। यह आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप इस सारे मामले को देखें। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, उस ऑर्डिनेन्स के जारी होने के कुछ ही समय बाद जबकि विधान सभा का सत्र होने वाला है जिससे सभी माननीय सदस्य अपनी राय दे देते और वह बिल पास हो जाता। लेकिन राज्य सरकार ने गवर्नर साहब से ऑर्डिनेन्स इश्यू करवा दिया। अब

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सदन के माननीय सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसको पास करावें उसके लिये कमिटेड हो जाते हैं। गवर्नमेन्ट की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है कि वह उस ऑर्डिनेन्स को लैप्स नहीं होने दे। सदन में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं और वह ऑर्डिनेन्स के जरिये होलो एक्ट बन जाता है कि उसको पास किया जाये। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की प्रणाली को रोका जाय। इस प्रकार 14–14 ऑर्डिनेन्स लाकर तांता लगाया जाता है। विधान सभा आहूत हो चुकी थी फिर इनको लाने की क्या जरूरत थी? मेरा आपसे अनुरोध है कि इन ऑर्डिनेन्सेज को सदन की टेबल पर रखने की आप अनुमति नहीं दें।

जो पटना हाई कोर्ट के आल इण्डिया रिपोर्टर के पेज 19 पर साफ लिखा है कि यह सही है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति ऑर्डिनेन्सेज इश्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं। अध्यक्ष महोदय, पटना हाई कोर्ट के मामले में बात विपरीत थी। उसमें सदन तो समाप्त हो चुका था लेकिन हाउस प्रोरोग नहीं हुआ था। हाउस एडजोर्न होने के बाद अध्यादेश जारी किया था। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया था कि ऐसे अध्यादेश को स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिये। यह अनकॉन्स्टीट्यूशनल है। क्योंकि हाउस प्रोरोग नहीं हुआ था। सदन की बैठक भी बुलाई जा सकती थी। यह कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी है हमें लकीर के फकीर होकर नहीं चलना चाहिये। हमें तो देखना चाहिये कि सदन में कोई बिल आये उस पर सदन के माननीय सदस्य विचार करें। उस पर फर्स्ट, सेकन्ड और थर्ड रीडिंग होता और बाद में बिल पास होता। इससे सदन के माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का समय मिलता। वह अपने इनडिपेण्डेन्ट व्यूज रखते। लेकिन यहां तो 14–14 अध्यादेश निकाल कर तांता लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न सदन की भावना, सदन की गरिमा का प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 213 का दुरुपयोग होता है। इसलिए इसको रोका जाना चाहिये। चूंकि कॉन्स्टीट्यूशन सार्वभौम सत्तायुक्त और उसके नीचे यह सभी आता है इसलिए भविष्य में ऐसी परिपाटी का रिपीटेशन नहीं हो इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि सदन की गरिमा को ठेस न लगे और सदन के अधिकारों की रक्षा हो उसके लिये आप इन ऑर्डिनेन्सेज को सदन की टेबल पर रखने की अनुमति नहीं दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो यह प्रोसीजर है कि राज्य सरकार ऑर्डिनेन्सेज इश्यू कर देती है यह गलत है जबकि विधान सभा का सत्र जल्दी ही होने वाला था। इस प्रकार के सरकार के रवैये पर प्रारम्भ में लोक सभा में भी यह प्रश्न आया था उस वक्त लोक सभा के अध्यक्ष, श्री मावलंकर साहब थे उन्होंने उस समय जो अपने विचार प्रकट किये थे वह मैं पढ़ कर आपको सुना रहा हूं:—

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

"The procedure of promulgation of Ordinances is inherently undemocratic. Whether an Ordinance is justifiable or not the issue of a large number of Ordinances has psychologically bad effect. The people carry an impression that the Government is carried on by the Ordinances. The House carries a sense of being ignored and Central Secretariat perhaps gets into the habit of slackness which necessitates Ordinances, and an impression is created that it is desirable to commit the House to particular legislation as the House has no alternative but to put its seal on matters that have been legislated by the Ordinances. Such a State of things is not conducive to the development of the best parliamentary traditions."

इसको कन्डेम किया है। हमारे भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने भी इसे माना। इस परम्परा को गलत माना। ऑर्डिनेन्स तो कोई खास परिस्थितियों में ही इश्यू होना चाहिये।

यहां पर राजस्थान विधान सभा को अभी समाप्त हुए 3–4 महीने से अधिक नहीं हुए और राज्य सरकार ने 14–14 ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिये। आखिर इसका कोई जस्टीफिकेशन तो होना चाहिए। आप सिर्फ अपने बहुमत के आधार पर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। यह सदन का और आसन का दोनों का ही डाइरेक्ट अपमान है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा आपसे कि आप इन्हें टेबल आफ दी हाउस पर रखने की अनुमति नहीं दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी गुजारिश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : समय को ध्यान में रखते हुए माफ करें। क्योंकि इससे सदन का जो आज का महत्वपूर्ण बिजनेस है वह र जायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। जहां तक आर्डिनेन्सेज इश्यू करने की पावर का सवाल है गवर्नमेंट का ज्युरिस्डिक्शन यह है कि वह आॅर्डिनेन्सेज इश्यू कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टीट्यूशन में उसके लिए राइडर्स लगा रखे हैं। कॉन्स्टीट्यूशन में रेस्ट्रीक्शन इसके लिए लगा रखें है। इसके लिए यह खास दिया हुआ है कि कोई विशेष परिस्थितियां पैदा हों, कोई गम्भीर परिस्थितियां पैदा हो गयी हों कोई हालात ऐसे पैदा हो गये हों जबकि देश की सुरक्षा खतरे में हो या मुल्क के एक विशेष हिस्से में या वहां के लोगों की सुरक्षा को खतरा हो और उस वक्त समय बहुत ही कम रह गया हो या यहां पर कोई उपद्रव पैदा हो गया हो या होने की आशंका हो जिससे कि इन्डीविजुअल लिबर्टी खतरे में हो जावे तो आप आर्डिनेन्स इश्यू कर सकते हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

लेकिन यहां पर मामला ही विपरीत है वहां पर खोदा पहाड़ और निकाला गया चूहा वह बात है। बड़ी लम्बी फहरिश्त आॅर्डिनेन्सेज की जारी कर दी गयी, लेकिन इसमें कोई मामला नहीं पाया गया जिसमें कि उनका लाना बहुत ही जरूरी हो। कोई गम्भीर स्थितियां पैदा नहीं हो गयी थीं। और न ही देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा था। किसी में एक मेम्बर बढ़ाना है तो किसी में कोई बोर्ड के बारे में छोटा मोटा चेंज करना था। इन छोटे–छोटे मसलों को लेकर आप आॅर्डिनेन्स इश्यू करते हैं यह तो गलत है। इसमें एक ऐसा आॅर्डिनेन्स है जिसमें कोई विश्वविद्यालय में थोड़ी सी कानूनी तब्दीली करना था। ऐसा करना भी गवर्नमेंट के लिए मैं नाहलियत का सबूत मानता हूं। इसके लिए मावलंकर साहब ने भी सरकार को कन्डेम किया था। अभी सदन में माननीय सदस्य ने मावलंकर साहब ने जो कहा था उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक्जीक्यूटिव की इस प्रकार की टेन्डेन्सीज को और गवर्नमेंट की इस प्रकार की प्रवृत्ति को कन्डेम किया जाना चाहिये। उन्होंने कन्डेम किया है। और उन्होंने कहा कि आॅर्डिनेन्सेज उस सूरत में आने चाहिये कि जब हालात बहुत गम्भीर हों।

अब आप ही मुलाहिजा फरमाइये कि फहरिश्त इसकी दी गयी है और जिसको आपके सामने पढ़ा गया है, कोई ऐसा आॅर्डिनेन्स नहीं है जिसको लाना जरूरी था और जिसको नहीं लाया जाता तो मुल्क में दिक्कतें पैदा हो जातीं, काम्युनिटी में झगड़े पैदा हो जाते और ऐसे हालात पैदा हो जाते कि गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल नहीं कर सकती थी।

यह सिद्धान्त की बात है। हम आप से चाहेंगे कि आपकी तरफ से राज्य सरकार को मुनासिब और उचित हिदायतें दी जानी चाहियें कि आगे के लिये वे इस प्रकार न करें जिससे हमारे हकूक का उल्लंघन हो, मान्यताओं का उल्लंघन हो। हम यह मानते हैं कि इमर्जेन्सी के वक्त कोई भी कानून लाया जाय हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आॅर्डिनेन्स के द्वारा यह सेन्स न छोड़ा जाय कि गवर्नमेन्ट सब मान्यताओं और हकूक को एक तरफ ताक पर रख दे। तो फिर हम यहां पर किस लिये बैठे हैं? जनता ने चुन कर भेजा है तो किस लिये भेजा है? इसके साथ साथ, आपने कहा कि उस डेट को इसको कर दें। तो फिर हमारा कोई हक नहीं है, कोई कॉन्स्टीट्यूशनल राइट नहीं रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि 213 दफा में कॉन्स्टीट्यूशन आॅफ इन्डिया में जो लिखा गया है उस कानून के मातहत यह राज्य सरकार को आप आदेश दें कि इस प्रकार आॅर्डिनेन्स नहीं लाये जाने चाहियें जिनको बिल की शक्ल में लाकर हाउस से पास करवाया जा सकता था। यह हमारे राइट्स का उल्लंघन है। यह आपके आदेशों का उल्लंघन है। यह पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस का उल्लंघन है, और यह मान्यताओं का और परम्पराओं का भी उल्लंघन है जिनके ऊपर हमने डेमोक्रेसी की बुनियाद डाली है। इसलिये इन आॅर्डिनेन्सेज को टेबल पर रखने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये।

श्री रामकिशन (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आ-

(श्री रामकिशन)

स्वयम् ही परिचित हैं कि तीन महीने में राजस्थान सरकार ने इतने अध्यादेश निकाले हैं कि पिछले 20 वर्ष के सदन में नहीं निकले हैं। एक एक मंत्री ने एक एक बार नहीं, दो दो बार अमेन्डमेन्ट पर अमेन्डमेन्ट निकाले हैं। एक बार एक मंत्री अमेन्डमेन्ट आॅर्डिनेन्स निकाल रहा है और दूसरी बार दूसरा मंत्री आॅर्डिनेन्स निकाल रहा है। आर्टिकल 213 के अनुसार यदि कोई गम्भीर स्थिति पैदा हो जाय और ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि जो कि नियन्त्रण से बाहर हो तो इस प्रकार से कोई आॅर्डिनेन्स ला सकते हैं। लेकिन 213 की मंशा के खिलाफ इस प्रकार से आॅर्डिनेन्सेज निकाले गये हैं। कोई भी मंत्री खड़ा होकर यह कह दे कि यह आॅर्डिनेन्स आवश्यक था और राज्य सरकार की ओर से 213 का कोई उल्लंघन नहीं है। कोई भी ऐसा आॅर्डिनेन्स नहीं है कि जो बिल की शक्ल के रूप में यहां सदन में नहीं लाया जा सकता था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप जल्दी जल्दी बोलते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मोटर वेहीकल्स को लाना जरूरी नहीं था क्या ?

श्री अध्यक्ष : Government will have time to say.

श्री रामकिशन : गवर्नमेन्ट को धैर्य नहीं है। विधान सभा 12 तारीख से शुरू हो रही है। जिस दिन विधान सभा के अधिवेशन की सूचना निकाली है उस दिन से माना जाय यह कहा गया। जब विधान सभा को आहूत कर लिया तो फिर आॅर्डिनेन्स निकालना क्या जरूरी था ? संवैधानिक व्यवस्थाओं और परम्पराओं के विपरीत आचरण राज्य सरकार की ओर से किया गया है। सदन में विचार करना जरूरी होता है क्योंकि संविधान की रक्षा का दायित्व सदन का है और, अध्यक्ष महोदय, का दायित्व है। इसलिये हम आप से इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश चाहेंगे क्योंकि संविधान के पालन कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सरकार ने इस प्रकार अध्यादेश निकाल कर न तो व्यवस्थाओं का पालन किया है और न ही परम्पराओं का पालन किया है। पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस और मान्यताओं और व्यवस्थाओं का यह स्पष्ट उल्लंघन है। छंगाणीजी ने कहा कि पढ़ा नहीं। बहस की उस समय होगी जब कि यह पूर्ण रूप से प्रश्न आयगा। लेकिन मैंने संसदीय परम्पराओं को पढ़ा है, व्यवस्थाओं को पढ़ा है। मैं यह मानता हूं कि सरकार की यह स्पष्टतः गलती है कि इस प्रकार उसने आॅर्डिनेन्सेज को इश्यू किया है जिनको कि सदन के अन्दर बिल की शक्ल में लाया जा सकता था।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप धीरे 2 इस प्रक्रिया में अपने आपको एडजस्ट कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : आप कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : चाहे मधुलिमिये हों या आप हों ?

श्री रामकिशन : इस प्रकार अध्यादेशों का निकालना यह गलत है, और संविधान के आदेशों और मान्यताओं का और व्यवस्थाओं का यह स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान की मंशा का आपने पालन नहीं किया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जयप्रकाश-नारायण को एडजस्ट कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : जयप्रकाशनारायणजी के बारे में आप बोल रहे हैं। यह तो समय ही बतायेगा। हालांकि उन्होंने हमारा नुकसान किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से इस सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिये। कोई ऐसी व्यवस्था बतला दें कि जिसमें राज्य सरकार को यह अधिकार था कि इस प्रकार वह आर्डिनेन्सेज इश्यू कर सकती है।

श्री दीपंकर : यह हाउस पांच छः सदस्यों की ही कोई प्रोपर्टी नहीं है कि ये ही बोलते रहें।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं और बोल रहे हैं।

श्री शंकरलाल (पाली): ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : क्या पॉइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री शंकरलाल (पाली) : आप बिराज जायं तो मैं बताऊं।

श्री अध्यक्ष : आल राईट।

श्री शंकरलाल (पाली) : जब आर्डिनेन्स आते हैं तो सदन स्वीकार करे या न करे जब इस पर विचार होता है तब ही यह विचार किया जा सकता है। किन्तु यह तो मेज पर रखे जाने की स्टेज है इस पर इस का विरोध नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : वह निर्णय हो चुका है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): दो प्रश्न रखना चाहता हूं अध्यादेश जारी हों, समय पर जारी हों इसकी तो परम्पराओं पर तो किसी की आपत्ति नहीं है। अभी यह प्रश्न लोक सभा में भी आया था। क्या राज्य सरकार सजग है उस पर? लोक सभा में इस प्रश्न को उछाला गया था और एजीटेशन इस प्रश्न पर हुआ था और बार बार माननीय सदस्यों ने यह आग्रह किया था कि जब असेम्बली या पालियामेण्ट इन सेशन हों अथवा नजदीक सेशन आने वाला हो तो आर्डिनेन्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये, और सारे सेशन को रूल आफ आर्डिनेन्स का नहीं बनाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय जहां जहां भी अध्यादेशों का प्रयोग किया है वहां की प्रोसिडिंग्स उनके सामने आयी होगी और माननीय सदस्यों ने उसको बराबर पढ़ा होगा साथ ही लोक सभा के अध्यक्ष महोदय ने मौन, परोक्ष-अपरोक्ष में अपना रोष और एजीटेशन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार को इन सारी परिस्थितियों में तो कम से कम शिक्षा लेनी चाहिये थी पालियामेन्ट में जो कुछ हो रहा था उससे। पालिया-मेन्ट में इन मुद्दों पर इरिटेशन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पैदा हुआ। उसकी शिक्षा देश की अन्य विधान सभाओं ने ली है और ऑर्डिनेन्सेज को जारी करने के प्रश्न पर अपने हाथ को रोका है। आपका सेशन शुरू हो गया और लोक सभा की मान्यताओं और परम्पराओं की अवहेलना की जाती है तो सदन की अवहेलना है मुख्यतया इन अध्यादेशों के सम्बन्ध में, उन अध्यादेशों को जब कि उछाला जाय, यह सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा के विरुद्ध होगा। जब यह होगा तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। मैं इसको स्ट्रेस नहीं करना चाहता। असेम्बली का सेशन शुरू होने वाला है उस समय यदि ऑर्डिनेन्स इश्यू करें तो यह सदन की प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा के प्रतिकूल ही नहीं है किन्तु यह तमाम परम्पराओं, मान्यताओं और संविधान की प्रक्रिया के विरुद्ध है। राज्य सरकार को भविष्य में इस प्रकार के एजीटेशन्स से शिक्षा लेनी चाहिये। बस, मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो शब्द कहने हैं। इस बारे में आपने जो रूलिंग दी है वह पालियामेन्ट की हिस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। किस तरह से हमारा सेक्रेटरियट काम करता है यह इससे स्पष्ट हो गया। आगे से उनको चेक लगेगी और यह बैलेन्स का भी काम देगी। इस तरह से आपका रूलिंग पालियामेंट की दृष्टि से भी और एडमिनिस्ट्रेशन को सही लाइन पर लाने की दृष्टि से भी बड़ी अहमियत रखता है।

हाउस जब काल कर लिया गया, उसके बाद हल्के ढंग से इस तरह का वेलिडेटिंग ऑर्डिनेन्स आता है तो इसमे स्पष्ट है कि हाउस को इग्नोर किया जा रहा है। बेसिकली डेमोक्रेसी के मैथड को सुपरसीड करके उस पर सेक्रेटरियेट हावी हो रहा है। फिर तो इस हाउस को कोई कीमत नहीं हैं। किसी भी रूप में आज ये ऑर्डिनेन्स इश्यू कर देते हैं। जुलाई में 8 ऑर्डिनेन्स इश्यू किये राजस्थान प्रोड्यूस मार्केटिंग के बारे में। बहुत माइनर इश्यू पर यह ऑर्डिनेन्स है एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन्स भी कोई जरूरी नहीं था। सदन में आ सकता था। राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट ऑर्डिनेन्स राजस्थान में कोई बक्त नहीं रखता। नगरपालिकाएं हैं ही नहीं, उनके अभी चुनाव भी नही हो रहे है। सदन में बिल ला सकते थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेन्स इसकी थोड़ी बहुत अहमियत मान लेता हूं। पर यह भी अमेण्डमेंट के रूप में अगर आता तो ज्यादा डिसकशन हो सकता था। टीचर्स में डिसकशन होता। सिंडीकेट में डिसकस होता। तो इसका बिल लाते तो ज्यादा लाभ होता।

श्री खेतसिंह : नियुक्तियां तो यूनिवसिटी खुलने के बाद ही हो जाती हैं।

श्री केदारनाथ : इसमें भी छः महीने के लिये सर्विस कन्टीन्यू करदी। अब कोई नई सर्विस नहीं है। ऐसी सूरत में आज की हालत में इसकी कोई कीमत नहीं रह गई। कोई अहमियत नहीं रह गई।"

राजस्थान होमियोपैथिक ऑर्डिनेंस। यह भी ऐसा ही है। 26 तारीख को विधान सभा काल करने के नोटिस इश्यू हो

(श्री केदारनाथ)

गये। जो लोकल सदस्य थे। उनको 26 को मिल गये। इसका मतलब यह है कि नोटिस इश्यू करने के बाद आपने ऑर्डिनेन्स इश्यू किये हैं जो बिलकुल अनडेमोक्रेटिक हैं। मेरा अध्यक्षजी आपसे निवेदन है कि इनको टेबल करने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिये।

इस बारे में आइन्दा जो रूलिंग लोकसभा में हमारे स्पीकर देने वाले हैं आपकी यह रूलिंग उनको भी मजबूती के रास्ते पर ले आयेगी कि राजस्थान में भी यह प्रश्न उठा था और राजस्थान के दबंग स्पीकर ने यह रूलिंग इस पर दी है। इससे लोकसभा के अध्यक्ष को भी मजबूती मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो एक पक्ष इसका प्रस्तुत करना चाहता हूं। इनमें कोई भी अध्यादेश ऐसा नहीं है जिसका ड्राफ्टिंग मन्त्री महोदय ने स्वयं ने किया हो।

श्री अध्यक्ष : They are not Draftmen.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां। ये सारे ड्राफ्ट्स हमारी ब्यूरोक्रेसी ने तैयार किये हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : केरल में कौन करता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां भी ब्यूरोक्रेसी करती है। तो, अध्यक्ष महोदय, चाहे केरल हो, या राजस्थान हो, ब्यूरोक्रेसी का डेमोक्रेसी का, टेक्नोक्रेट्स का और ब्यूरोक्रेट्स का हर जगह एक स्ट्रगल चल रहा है। केन्द्र में भी, अध्यक्ष महोदय, इन ब्यूरोक्रेट्स के आई. ए. एस. के पावर्स कोन्ट्राक्ट्स को कर्ब करने के लिये उनके प्रिविलेजों को समाप्त करने के लिये इसी कांग्रेसी सरकार ने एक्ट में अमेण्डमेन्ट किया है कान्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेन्ट किया है। ऐसी स्थिति में मैं समझ नहीं पाता कि ये डेमोक्रेसी का दम भरने वाली सरकारें कैसे इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों कठपुतली की तरह नाच रही हैं। अध्यादेशों का इतनी तादाद में आने का क्या यह सीधा सा अर्थ नहीं है कि राजस्थान सरकार पर ये ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा हावी हो गये हैं। ये पावरफुल होते जा रहे हैं और उनके सामने यह डेमोक्रेसी नाकारा होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहली बार सदन में आया हो, ऐसा भी नहीं है। जब से यह सदन राजस्थान में स्थापित हुआ यही क्रम चलता चला आ रहा है। 26 तारीख को असेम्बली काल करने का नोटिस इश्यू होता है और 28 को ये ऑर्डिनेन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और वे भी कैसे हैं, होमियोपैथी पर, नगरपालिकाओं पर ऐसे छोटे छोटे नाकारा मुद्दों पर जिनकी कोई अहमियत नहीं। हां मैं मान लेता अगर ये जमाखोरों, व्यापारियों के बारे में एडल्टरेशन करने वाले व्यापारियों के बारे में बंगाल की तरह कुछ करने के लिये ऑर्डिनेन्स लाते कि इनको डेथ पेनल्टी तक दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : समाप्त तो अध्यक्ष महोदय, ये अध्यादेश होने चाहिये जो आप कर सकते हैं। आप इनको टेबल पर रखने की अनुमति न दें। सदन में सदस्यों का बोलना आप समाप्त नहीं कर सकते। यह समाप्त नहीं हो सकता। हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक आपके पवित्र आसन से यह कठोर रूलिंग न दी जावेगी कि इन 14 ही अध्यादेशों को रिजेक्ट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : इन्तजार करिये।

श्री दीपंकर : मुझे भी अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : You won't wait for the eye of the Speaker.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह ब्यूरोक्रेसी इस सदन का भी बराबर अपमान करती रही है, अवहेलना करती रही है। रात्रि को दस बजे हमें बजट की प्रतियां मिलती रहती हैं, 11 बजे डाक मिलती है और कहा जाता है कि बिजली के बजट पर बहस करिये। अगर सदन चलाना है तो यह तरीका बदलना होगा। चार दिन का सदन का बिजनेस रखा जाता है। पांचवें दिन चलाने का इरादा नजर नहीं आता। इस तरह से सारा दृष्टिकोण ही इनका सदन की अवहेलना का स्पष्ट झलकता है। सारे का सारा ब्यूरोक्रेसी को क्रश करने का एटीट्यूड रखकर यह सरकार चल रही है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी...

श्री रामकिशन : लॉ मिनिस्टर नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जॉइन्ट रैस्पोन्सिबिलिटी।

श्री रामकिशन : डिप्टी लीडर की हैसियत से ये बोल रहे हैं क्या ? इतना तो यह सीरियस मैटर नहीं है। लॉ मिनिस्टर ही बोल लें तो काफी होगा।

श्री परसराम मदेरणा : लॉ मिनिस्टर ही बोलेंगे।

श्री रामकिशन : फिर आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ऑर्डिनेन्सों के प्रोमलगमेशन के बारे में कहा। ये दो तरह से होते हैं। एक तो पिछले असेम्बली सेशन के बीच में, दूसरा सदन नहीं किया गया इसके पहले और बाद में। दूसरी केटेगरी के सम्बन्ध में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह एक तरह से ब्रीच आफ प्रिवीलेज है। पर यह बात ऐसी है नहीं। यह कोई ब्रीच आफ प्रिवेलेज नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि बैंकों के नेशनेलाइजेशन का ऑर्डिनेन्स जब निकला था तब संसद को कॉल करने के नोटिस जा चुके थे। 3 दिन ही सेशन के मीट होने में थे। फिर भी इसे ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं माना गया। इसी तरह से राजस्थान में भी मेरे विभाग से सम्बन्धित एक ऑर्डिनेन्स फरवरी 73 में सदन के काल करने से दो दिन पहले प्रोमलगेट हुआ था। जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी पर रेस्टोरेशन इम्पोज किया

(श्री परसराम मदेरणा)

गया है इतना अर्जेन्ट था। गवर्नमेंट सेटिसफाइड है। आर्टिकल 213 के अन्दर कॉन्स्टीट्यूशन में जो लेजिसलेशन की पावर्स है उनको इनवोक करना जरूरी है। अब क्वेश्चन प्रापर्टी का रहता है। माननीय सदस्यों को यह बात सही है कि आर्डिनेन्स की संख्या काफी है और उन 14 आर्डिनेन्स के बारे में, एक एक आर्डिनेन्स को प्रोमलगेट करने की और गवर्नमेंट की लेजिसलेशन पावर्स को इनवोक करने की आवश्यकता थी या नही। माननीय सदस्यों की आपत्ति यह है कि स्टेज तो वह थी कि हाउस के सामने मूव करते....

कई माननीय सदस्य : वह अलग अलग हैं.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सुनियें सुनिये, उस वक्त जो है प्रभारी मन्त्री अपने अपने विभाग के बारे में बतायेंगे कि आया सरकमस्टान्सेज थे या नहीं सदन के सामने लाना चाहिये था या नहीं। ये सब बातें है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आर्डिनेन्स जो है वैसे मैं भी इस सदन की टेबिल पर रखने जा रहा था लेकिन किसी मामले में 22 को हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाऊन कर दिया गया और स्ट्रक डाऊन के बाद बहुत से ट्रेसपासर्स बैठने लगे। उसी के अनुसार कम्पलसरी वहां पर वाटर रेग्युलेटर बनाना पड़ा है इसलिए जो वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, वह उनके बगैर सेंक्सन नहीं होता, और जो वर्ल्ड बैंक की टीम ने कहा है उस प्रकार के कानून बनाने चाहिये थे। इन्डीजुअल आर्डिनेन्स के बारे में यहां नहीं बता सकता हूं लेकिन माननीय प्रभारी मंत्री का स्टेट्यूटरी मोशन आयेगा और आपको सेटिसफेक्शन होगा।

माननीय सदस्यों ने दो बातें कही है। सदन कभी भी नहीं चाहता और न राज्य सरकार की मंशा है। आज भी बहुत सारे आर्डिनेन्स नहीं लाये है बहुत से बिल इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं-और होंगे। यह सही है कि इस वक्त आर्डिनेन्स की संख्या ज्यादा है लेकिन सरकार को जो पावर्स लेजिस्लेशन में दी गई है वह अन-कॉन्स्टीट्यूशनल नहीं है। पार्लियामेंट्री ट्रेडीशन की बात, कान्स्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी की बात कही। राज्य सरकार आश्वासन देती है अब तक कोई ऐसा ऐक्शन नहीं हो जायगा भविष्य में हम ज्यादा आर्डिनेन्स नहीं निकालेंगे, लेकिन सरकमस्टान्सेज एडजस्टेड नहीं हों आर्डिनेन्स निकालने के अलावा और राज्य सरकार के सामने दूसरा विकल्प नहीं रहे और जब विकल्प नहीं रहता तो कान्स्टीट्यूशन में यह प्रोविजन किसके लिये है? कॉन्स्टीट्यूशन में जो प्रोविजन है, उसका इस्तेमाल होना चाहिये राज्य सरकार इस बात को मानती है। माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए इस बात का भविष्य में ध्यान रखने की कोशिश की जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में रूलिंग दे दें तो आपको सम्बल मिलेगा।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद कोई खास आवश्यकता अब मैं माननीय सदस्यों के लिये नहीं समझता हूं कि

(श्री खेतसिंह)
लेकिन विरोधी दलों के जो माननीय सदस्य हैं वे यह समझेंगे कि ला नोइंग नहीं है...

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रामकिशन : हम जानना चाहते हैं आपने एल. एल बी. पास किया है कि नहीं।

श्री खेतसिंह : माननीय मंत्री जी ने सारी बातें बता दी हैं कि जो आर्डिनेन्स लाये हैं वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कितनी बार सत्र में जोर दिया विश्वविद्यालयों में बहुत गड़बड़ी है। जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम यू. पी. विश्वविद्यालय रख दिया जाना चाहिये क्योंकि सारे अपाइन्टमेंट्स वहीं के होते हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। मैं मानता हूं ऐसे आर्डिनेन्स लाने पर आप बहुत बहुत बधाई देंगे और ऐसा कहेंगे कि इनको एक्ट में कनवर्ट कीजिये। मगर खामखाह की बहस करके सदन का समय जाया करते हैं। जितने आर्डिनेन्स लाये हैं इनका निश्चित रूप से बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए सरकार को जरूरी हो गया था और गवर्नर साहब ने जो आर्डिनेन्स पास किये हैं वह सारी स्थिति को मध्य नजर रखते हुए किये हैं। पहले की परम्परा बता दी गई, आर्डिनेन्स लाना क्यों जरूरी था यह बता दिया गया। अब मैं मानता हूं आप सब माननीय सदस्य सहमत होंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब पूरा समझ में आ गया।

श्री मानुकुमार शास्त्री : यह कान्स्टीट्यूशनल प्रोग्राम का प्रश्न नहीं है....

श्री रामकिशन : माननीय विधि मंत्री ने माननीय सदस्यों के लिये जो खामखाह कहा है, हम तो कह रहे हैं...

(व्यवधान, अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : उस पर क्षमा मांग लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने तो खामखाह नहीं सुना खम्मा खम्मा सुना है।

(व्यवधान...)

श्री केदार नाथ : मैंने और आपने साथ साथ डिग्री ली थी। उस समय पापूलर सीरीज होती थी, किताबें नहीं होती थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने आर्डिनेन्सेज को टेबिल पर रखे जाने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। प्रश्न यह है कि आर्डिनेन्सेज को टेबिल पर रखे जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये और इसी वजह से नहीं दी जानी चाहिये कि इसका जारी किया जाना अनावश्यक ही नहीं था बल्कि अवैधानिक और इम्प्रापर भी है और शायद इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति काफी गम्भीर है। मैं यह मानता हूं कि डेमोक्रेसी के अन्दर किसी कानून को बनाना लेजिसलेचर का काम है। लेजिसलेचर के बगैर कोई कानून बनाना एक नारमल प्रेक्टिस नहीं हो सकती है। ऐसा करना अन-डेमोक्रेटिक है लेकिन कुछ अपवाद

(श्री अध्यक्ष)

(एक्सेप्शन) इस मामले में दिये गये हैं जो संविधान की आर्टिकल 213 के अन्दर हैं। कुछ ऐसी आवश्यकतायें हैं, कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें अध्यादेश जारी किया जा सकता है। परम्पराओं को देखते हुये, अब तक की धारा सभाओं और पार्लियामेंट के निर्णयों को देखते हुये जिन हालातों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है उसकी दो शर्तें हैं। मार्ग प्रदर्शन के दो उसूल हैं जिस समय आर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है एक मुख्य बात तो यह है कि लेजिसलेचर का सत्र नहीं चल रहा हो दूसरी बात कोई एमेरजेन्सी ऐसी हो जिसके कारण अध्यादेश जारी करना जरूरी है और किसी वजह से धारा सभा के सत्र का इन्तजार नहीं कर सकते हों ये दो बड़े उसूल हैं जिनके आधार पर अध्यादेश जारी किये जाते हैं। मुख्य मुद्दा सामने है वह यह है इस समय कि यह दो तरह के हैं। एक तो यह आर्डिनेन्स असेम्बली बुलाने के पहले जारी करते हैं और दूसरे असेम्बली आहूत करने के बाद जारी करते हैं—यह दो तरह के आर्डिनेन्सेज हैं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उन्होंने पटना के हाईकोर्ट की बात कही। जिन परिस्थितियों में निर्णय दिया गया है वह बहुत स्पष्ट है और वह माननीय सदस्य खुद भी मानते हैं। समानता के आधार पर उन्होंने बताया है कि अगर असेम्बली एडजर्न हो जाये और प्रोरोग होने का नोटीफिकेशन नहीं है तो उसके बीच में अगर आर्डिनेन्स निकलता है तो हाईकोर्ट ने उसको सैट-असाइड किया है। मैं समझता हूं कि वह फैसला सही है क्योंकि जब तक असेम्बली प्रोरोग नहीं होती है तब तक असेम्बली एडजर्न ही मानी जाती है और जब एडजर्न ही मानी जाती है तो आर्डीनेन्स कानूनन नहीं आ सकता है। इसलिए हाईकोर्ट का यह निर्णय कि असेम्बली जब तक प्रोरोग नहीं हो और एडजर्न हो चुकी हो उस समय के बीच में कोई आर्डीनेन्स निकलता है तो वह इल्लीगल करार दिया है और वह सेट-असाइड किया है।

दूसरी स्थिति वह है कि जिसका समानता के आधार पर मुद्दा उठाया गया है कि असेम्बली बुलाई गयी हो और बुलाये जाने के बाद और असेम्बली का सत्र प्रारम्भ हो उसके बीच में कोई आर्डीनेन्स निकला है तो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वह उसी समानता के आधार पर इल्लीगल करार दिया जाना चाहिए और कानून के खिलाफ करार दिया जाना चाहिए। इसमें मेरा थोड़ा इख्तलाफ है। मैं यह मानता हूं कि असेम्बली शुरू हो उसके पहले और असेम्बली को आहूत करने का नोटीफिकेशन निकले उसके बाद अगर कोई आर्डिनेन्स निकला है तो मुझे ऐसी कोई अथोरिटी या आब्जर्वेशन पार्लियामेन्ट का या और किसी धारा सभा का या और किसी का भी देखने में नहीं आया कि उस आर्डिनेन्स को उन्होंने इल्लीगल करार दिया हो जैसा कि एडजर्न होने के बाद और प्रोरोग होने के पहले की हालत में दिया है।

मैं ऐसा मानता हूं कि जो आर्डिनेन्स आहूत किये जाने के नोटीफिकेशन के बाद निकले हैं और असेम्बली के सत्र से पहले

(श्री अध्यक्ष)
निकले हैं उनको मैं इल्लीगल तो नहीं मानता लेकिन यह इम्प्रापर हो सकते हैं, प्रोप्राइटी के पाइन्ट आफ व्यू से वह देखे जा सकते हैं।

मैंने दो तरह की शर्तें रखी हैं कि जिनमें आर्डिनेन्स निकाला जा सकता है। एक तो धारा सभा का सत्र जारी और फिर इमरजेन्सी वाली बात होनी चाहिए। इमरजेन्सी ऐसी थी या नहीं थी कि जिसकी वजह से वह अध्यादेश लाने पड़े। अब यह समझने की बात है और सरकार से जानने की भी बात है कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं कि जिनकी वजह से नोटीफिकेशन निकलने के बाद भी आर्डिनेन्स निकाले। लेकिन यह जो आर्डिनेन्स है प्राइमाफेसी मेरे खयाल से होमियोपैथिक बोर्ड के मुतल्लिक है। तो उसकी इतनी इमरजेन्सी थी या नहीं थी मैं कह नहीं सकता। शायद सरकार के स्पष्टीकरण से यह बात साफ हो कि ऐसी क्या जरूरत थी कि इसी दस रोज के अन्दर यह आर्डिनेन्स निकालना पड़ा और अगर यह बाद में बिल के रूप में आता तो पब्लिक के ऊपर देर का क्या असर पड़ता—यह तो देखने की बात है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो होमियोपैथी संबंधी आर्डिनेन्स है, जब कि 26 को तो अहूत का नोटीफिकेशन जारी हुआ है और 28 को यह आर्डिनेन्स है—मैं यह इल्लीगल नहीं मानता लेकिन इम्प्रापर हो सकता है।

इसी तरह से यह आर्डिनेन्स, जो नोटीफिकेशन के पहले निकाले गये हैं उनको भी प्रोप्राइटी के बारे में कह सकते हैं। मैंने शुरू में आब्जर्वेशन दिया और निवेदन किया कि नार्मल प्रैक्टिस आर्डिनेन्स निकालने को नहीं होनी चाहिए और आर्डिनेन्स सिर्फ एक्सेप्शनल केसेज में ही निकाले जाने चाहिए। अब राज्यपाल महोदय उन वजूहात में गये और उनको अधिकार है और उसमें उन्होंने मुनासिब समझा जारी करना तो उसमें मैं दखलन्दाजी नहीं कर सकता हूं लेकिन उसूल की बात कह सकता हूं कि जब तक बहुत मजबूरी की बात नहीं हो इस तरह के आर्डिनेन्सेस निकाले जाना अनुचित है और काफी बड़ी संख्या में यह आर्डिनेन्सेस निकाले हैं। कुल मिलाकर 14 आर्डिनेन्सेस हैं। यह एक दफा की ही बात नहीं है बल्कि इससे पहले के सत्र में भी यह प्रश्न सदन में आया था कि आर्डिनेन्सेस ज्यादा निकाल रहे हैं और सदन आने वाला होता है तब भी निकाल रहे हैं। दो तीन दफा पहले ऐसे मौके आ चुके हैं कि जब ऐसे आर्डीनेन्सेज निकले हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जब तक बहुत अधिक औचित्य नहीं हो इसके लिए अध्यादेश निकालें मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि कभी कभी यह लेजिस्लेटर को भी समझना पड़ेगा और स्पीकर को भी समझना पड़ेगा कि अध्यादेश उचित है या नहीं है। हमने कभी इसके लिए नहीं कहा इसलिये कि स्वतः ही कान्स्टीट्यूशन के अन्दर प्रोवीजन्स हैं और जो पार्लियामेन्ट के प्रिसिडेन्स हैं उनका स्वतः ही गवर्नमेंट ध्यान रखेगी लेकिन हमारा तो मैं इस बारे में यह जो नोटीफिकेशन निकालने से पहले के आर्डिनेन्स हैं जैसा, मैंने उनको भी इल्लीगल नहीं माना है और हर प्रोप्राइटी का पाइन्ट इसमें केवल रहता है तो यह जज किया जा सकता है कि इन्हीविजुअल आर्डीनेन्स में जाने

(श्री अध्यक्ष)

के बाद कि वह यह बतायें कि ऐसी कौनसी मजबूरियां आ गयीं थीं कि जो सत्र के प्रारम्भ होने तक का इन्तजार नहीं कर सकते थे और वह बात समझ में आ जाये कि ऐसे वजूहात थे कि जिनकी वजह से आर्डीनेंसेज जारी करने पड़े । इसके विपरीत इसके लिये जितनी दलील दी जाती है और आर्डीनेन्सेस निकालने की वजूहात दी जाती है वह थोडा फार्मल होती हैं । इस समय तो यह निर्णय देना चाहता हूं और जहां तक हो सके मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि आर्डीनेन्सेस कम से कम निकाले जायें, बहुत इमरजेन्सी कोई हो तब ही निकाले जायें, और नोटीफिकेशन के बाद तो करीब करीब नहीं ही निकालें तो बहुत ही अच्छा हो। कोई मजबूरी बहुत आ जाये तो ही निकालें क्योंकि पालियामेन्ट के हाल के निर्णय भी सरकार ने पढ़े होंगे । हम संसदीय प्रणाली से चलना चाहते हैं तो उसके अनुसार करना भी चाहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि उनका ध्यान नहीं गया हो या ऐसे जरूरी काम आ जाते हैं कि जिनकी वजह से आर्डीनेन्स जारी करने पड़े हों। तो मैं फ्यूचर के लिए कहना चाहता हूं गवर्नमेंट से और इस मामले में सलाह देना चाहता हूं कि आइन्दा जहां बहुत जरूरी हो वहीं आर्डिनेन्स निकालें वरना बिल के जरिये से ही काम किया जाना आवश्यक है । मैं आशा करता हूं कि आगे ऐसा नहीं होगा। अब मैं जो यह आर्डीनेंसेस आये हैं उनको इललीगल नहीं मानता, इरेगुलर जरूर हो सकते हैं। अतः मैं इत्तलाबी के साथ इनको रखने की इजाजत देता हूं ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, अध्यादेश व अधिसूचनायें

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1974) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1974)

(ख) राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1974)

(ग) राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1974)

श्री मोहनलाल छंगाणी (परिवहन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1974)

(ख) राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1974)

(ग) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश)

Page No 84

(84)

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
संख्या 19 सन् 1974)

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1974)

(ख) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1974)

(ग) राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 15 सन् 1974)

(घ) राजस्थान सहकारी सोसाइटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1974)

श्री खेतसिंह : (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1974)

(ख) राजस्थान विश्व-विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक 1974 (अध्यादेश संख्या 17 सन् 1974)

(ग) राजस्थान विश्व-विद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 18 सन् 1974)

अधिसूचनायें

श्री अध्यक्ष : अधिसूचायें।

श्री परसराम मदेरणा : (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं ;

अधिसूचना सं. प 3 (क) (83) राजस्व।उप।71 दिनांक 1 जून, 1974.

अधिसूचना सं. प. 4 (10) राज उप।74 दिनांक 3 जून, 1974

अधिसूचना सं. प. 3 (क) (85) राजस्व उपनिवेशन।72 दि. 10 जून, 1974

अधिसूचना सं. प. 18 (149) राज।उप। 73 दिनांक 15 जुलाई, 1974

अधिसूचना संख्या प. क. (1) राज। उप।74 दिनांक 24 जुलाई, 1974।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प. 2 (19) वित्त।74 जी. एल. आर. (10) दिनांक 18 अप्रेल, 1974 को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री रामकिशन : ये अधिसूचनाएं क्या हैं साहब?

श्री अध्यक्ष : यह सूचनाओं में लिखा हुआ है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अधिसूचनाएं क्या हैं?

श्री परसराम मदेरणा : आपको कोई ऐतराज हो ....

श्री रामकिशन : मैं यह जानना चाहता कि इसमें है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : सदन की मेज पर रखने के 14 दिन तक अगर कोई माननीय सदस्य ऐतराज करना चाहें तो यह माननीय सदस्यों को अधिकार है।

श्री रामकिशन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमे क्या है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ :

(1) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (3) परि।74 दि. 17 जनवरी, 1974

(2) अधिसूचना सं.प. 10 (1) (2) गृह–ख–1167 दि. 8 नवम्बर, 1973

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट ..

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय....

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री) : पहले प्रतिवेदन एवं लेखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक लेखे वर्ष 1972–73 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 72–73 का वार्षिक लेखा जोखा तो रखा गया है पर आडिट रिपोर्ट 72–73 की सदस्यों को कब दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : : डिस्कस करें तब कह दीजिएगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आडिट रिपोर्ट माननीय सदस्यों को जब नहीं मिलती है...

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : नहीं अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह प्रश्न दबाया नहीं जा सकता है। वह प्रश्न बहुत गम्भीर है...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं कह कर जब काम हो जाय तब आप बता दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर आडिट रिपोर्ट जो पहले रखी जानी चाहिए...

श्री अध्यक्ष : इसका तो आपको डिस्कस करने के लिए मौका मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कब मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आज ही मिलेगा। आप डिस्कस नहीं करना चाहें तो और बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट का डिस्कसन कब होगा। बजट आ रहा है...

श्री अध्यक्ष : फिलहाल हमारे सामने जो बिजनेस की लिस्ट है उसका पालन होना चाहिए। जो बिजनेस सामने है उसके अनुसार काम करना है, इसके बाद आप जब डिस्कस करें उस समय कहना चाहें कह दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसके लिए कौन सा समय होगा। आखिर यह सूचना इतनी देर से रखी जाती है, रिपोर्ट इतनी देर से मिलती है, सदस्यों को इतनी देर से प्राप्त होती है, वह पढ़ नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, सदन में अपनी राय नहीं दे सकते। 11 बजे रात को रिपोर्ट सदस्यों को मिलती है तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा आर्डीनरी जीनियस सदस्य तो है नहीं कि रात भर में उसको पढ़ ले सारी और...

श्री अध्यक्ष : इस वक्त कहने की बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फिर क्या डिस्कस करेंगे किस प्रकार...

श्री अध्यक्ष : डिस्कसन के समय जो कुछ कहना हो आप कह सकते हैं। इस वक्त नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इलेक्ट्रिसिटी पर डिबेट आज के बिजनेस में रखी गई है:—

श्री अध्यक्ष : आप यह कह सकते हैं कि आपको समय पर नहीं मिली, आगे से जल्दी मिले यह बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन इस वक्त इसकी भी जरूरत नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस तरह की अवहेलना होती है। न कोई आडिट रिपोर्ट...

(व्यवस्था सूचक अनवरत घण्टी)

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।... बिराजिये, तशरीफ रखिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आखिर यह कब तक चलता रहेगा?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूँ..

श्री अध्यक्ष : मैं बीच में समय नहीं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह 72–73 की वार्षिक रिपोर्ट पर सदन विचार करेगा लेकिन आडिट रिपोर्ट माननीय सदस्यों को मिलना जरूरी है। रिपोर्ट सदस्यों ने पढ़ी नहीं, देर से मिलती है और फिर आप यों ही पांच बजाना चाहें...

श्री अध्यक्ष : वह तो आप कह चुके हैं :

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदस्यों को जब वे इस पर विचार करें तो 72–73 की आडिट रिपोर्ट पहले मिलनी चाहिए...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वार्षिक रिपोर्ट सर्कूलेट हुई हैं, आडिट रिपोर्ट नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह आफिस से मुझे सूचना मिली है कि आडिट रिपोर्ट सर्कूलेट हो गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आडिट रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : सर्कूलेट हुई है आफिस से सूचना मिली है।

(व्यवधान—अश्रव्य)

हम आपको बता देंगे कि कब जारी हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य श्री गुरदयालसिंह संधु को आज 11 बजे वार्षिक रिपोर्ट मिली है।

श्री अध्यक्ष : आप यह मत कहिये कि नहीं मिली है। यह कह सकते हैं कि देर से मिली है।

श्री केशरीमल : सदस्यों को यह रिपोर्ट रात को 11 बजे के बाद मिली है....

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि सदन को चलाने के लिए खास नियमों के अनुसार चलाना होगा इस प्रकार से बीच बीच में बोलना उचित नहीं है। जब एक विषय आएगा तब कहिए, मैं आपको मौका देता हूं। जब वह बिजनेस आपके सामने आए तब कहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह देरी से रिपोर्ट रखो जाती है इस संबंध में आप माननीय सदस्यों को कुछ कहने दें। आखिर यह बराबर चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : जो आपको कहना था कह चुके।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1969-70 एवं उन पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा इस सम्बन्ध में कहना यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 का समय माननीय मंत्रीजी क्यों बढ़ाना चाहते हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
क्या वजह है जिसकी वजह से समय बढ़ाना चाहते हैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य मंत्रीजी दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आम तौर पर समय बढ़ाने के अवसर पर कोई डिस्कसन नहीं होता....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या वजह है आखिरकार....

श्री अध्यक्ष : बिना डिस्कसन के समय बढ़ा दिया जाता है...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो स्थितियां हैं। कई प्रवर समिति के प्रतिवेदन तैयार हो गए हैं वे सदन के सामने रखे गए और वे डिस्कसन में आते हैं। कई प्रवर समिति के प्रतिवेदन तैयार नहीं हैं उनके लिए समय मांगा जाता है यह राज्य करने वाले लोगों की बात है चित भी मेरी और पुट भी मेरी। प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो रखते नहीं हैं और प्रतिवेदन तैयार नहीं है तो समय मांग लेते हैं। कोई हार्ड या फास्ट कोई परम्परा इन राज्य करने वालों के लिये कायम करनी होगी। मेटेरियल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : रेस्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कारण है, यह बताने चाहिये।

श्री दीपंकर : ये सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ने देना चाहते नहीं हैं। यही इनका उद्देश्य है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : सुनिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इस समिति के प्रतिवेदन के लिये समय बढ़ाने के लिये मांग करने का मुख्य कारण यह है कि इस समिति का गठन राज्य कर्मचारियों से संबंधित अधिकरण के गठन पर संबंधित बिल पर प्रतिवेदन देने के लिये किया गया था। समिति के अन्दर इस बिल पर विचार हुआ और यह निश्चय हुआ कि यह ऐसा मसला है जिसके बारे में अन्य राज्यों में प्रचलित कानून का भी अध्ययन किया जाना चाहिये। साथ ही साथ इसके गठन से जिनका सम्बन्ध है, उनकी बात को भी हमें सुनना चाहिये। इसलिये समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिये समय चाहती है। दूसरे राज्यों के कानून भी अभी समिति को नहीं मिले हैं। प्रवर समिति इस बिल को एक कन्सोलिडेटेड रूप में पेश करना चाहती है और इसके लिये समय लगने की संभावना है अतः समय की मांग की गयी है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समिति के समय की अवधि बढ़ा दी जाये?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितना समय चाहते हैं....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें लिखा है आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक..

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समिति का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

पुरःस्थापित करने वाले विधेयक।

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

श्री जुझार सिंह (राज्य मंत्री खनिज): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभ्रक (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय,

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ठहरिये···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है प्री पब्लिकेशन हो जाता है तो आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। प्री पब्लिकेशन के बाद आज्ञा नहीं मांगी जाती है। यह प्रीजम्पशन है।

श्री रामनारायण चौधरी (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटीज (संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 16 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन एवं विधिमान्यता) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं······

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन एवं विधिमान्यता) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहन लाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाडी कराधान (संशोधन) विधेयक 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 अध्यादेश संख्या 10 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान यात्री एवं माल कर संशोधन अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अध्यादेश, 1974, (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के आय-व्ययक पर विचार

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्ययक) 1974-75 पर, जो दिनांक 10 अप्रेल, 1974 को सदन की मेज पर रखा गया था, विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

बजट पर विचार।

इस सम्बन्ध में जो आडिट रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्य कहना चाहते थे, अब कह दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह विचार विमर्श 74-75 के बजट पर होगा जो कि इस सदन की मेज पर 10 अप्रेल, 74 को रख दिया गया था। यह जो रिपोर्ट की बात पहले आयी थी, वह रिपोर्ट तो केवल सदन की मेज पर रखी जानी मात्र है और इस रिपोर्ट को पी. यू. सी. एग्जामिन करेगी। सदन के अन्दर इस रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसलिये इसको देर से भेजने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बजट पर विचार किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो आडिट आब्जेक्शन होते हैं उन को सदन के अन्दर यूज किया जा सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : Public Undertakings Committee will examine it.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : करोड़ों रुपयों की राशि बकाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल रात को एक बजे यह डिलिवर की गई है। क्वेश्चन भी रात को एक बजे मिले हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाये कि ये जल्दी मिल सकें। रात के एक बजे जागते हैं तो तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : आपका फर्माना ठीक है। उचित व्यवस्था की जायेगी। बीस मिनिट हैं। जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वे बोलें।

श्री पी. के. चौधरी।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट है, इस पर विचार-विमर्श के लिये टाइम बहुत ही कम रखा गया है। मैं यह चाहूंगा कि एडवाईजरी कमेटी इसके लिये दो दिन का समय रखे तभी इस पर पूरी तौर से विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ही तय करेगी। तीन बजे एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग होने वाली थी किन्तु यहां पर ज्यादा टाईम लग गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ही इसको तय कर दें परन्तु कांशस ग्राफ दी हाउस भी है। दो दिन कम से कम इसके लिये रखे जायें। इसका प्रावधान होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री पी.के.चौधरी।

श्री.पी.के.चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, 1974–75 का इनका जो बजट है उसको पेश किया था सेशन के टाइम पर पिछले साल। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एन्युअल स्टेटमेंट ग्राफ एकाउन्ट्स हैं उनका बजट सेशन टाईम पर डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष एन्युअल स्टेटमेंट ग्राफ एकाउन्ट्स पर बहस होना चाहिए।

लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई है इस वक्त कि बिजली की रेट्स में जो इन्क्रीज हुई हैं, रेट बढ़ाया है उसके बारे में बिजली बोर्ड ने यह कहा है कि खर्चा पोसाता नहीं है। बात सही है। अब खर्चा नहीं पोसाता है तो समाज पर टैक्स लगाकर खर्चा वसूल करते या और तरीका हो उसको मीट आउट करने का। अध्यक्ष महोदय, 72–73 का जो ग्राडिटेड एन्युअल स्टेटमेंट ग्राफ एकाउन्ट्स आया है उसमें हम देखते हैं कि 71–72 में उनका ग्रास रैट ग्राफ रिटर्न है वह 6–8 पर्सेन्ट है और 72–73 में जो रेट ग्राफ रिटर्न है वह 5–68 पर्सेन्ट यानी एक डेढ़ पर्सेन्ट की रेट ग्राफ रिटर्न्स में कमी आई है।

(म.प. 4।। बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, रेट ग्राफ रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कम से कम 11–12 पर्सेन्ट का होना चाहिए। वह क्यों होता है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 72–73 के फीगर्स से मालूम होता है कि उनका जो एन्युअल प्रोडक्शन था यानी इलेक्ट्रिक पावर एवेलेबल फार सेल वह 2200–86 मिलियन यूनिट्स साल भर का प्रोडक्शन था। यह एवेलेबल था बिक्री के लिए, लेकिन उसमें से बिक्री किया है और उसमें जो लासेज हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो उनके लासेज जो 72–73 में हुए वह 523 मिलियन यूनिट्स और 71–72 में जो पावर एवेलेबल फार सेल थी वह 1647 मिलियन यूनिट्स। उसमें लासेज आये थे, उपाध्यक्ष महोदय उनके लाइन लासेज यानी ट्रांसमिशन लासेज वह आये थे 344 मिलियन यूनिट्स। इसका मतलब यह हुआ कि 71–72 में जो उन्होंने बिजली प्रोड्यूस की थी उसके ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रिब्यूशन

(92)

(श्री पी. के. चौधरी)

में जो लासेज हुए थे वह 20 पर्सेन्ट और 72–73 में जाकर वह लासेज हो गये 26 पर्सेन्ट। मेरे कहने का मतलब यह है कि एफिशियेन्सी इन मैनेजमेंट नहीं है जहां कि प्रोड्यूस का 26 पर्सेन्ट लास जाता है। यह लास जाने की एक वजह यह है कि उनका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वह गलत है। उन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम को और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को आर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं की शुरू में 1-1, 2-2 मील की लाइनें खींची गईं, और उसका नतीजा यह हुआ कि उनका 26 पर्सेन्ट बिजली की प्रोडक्शन लास में जाता है। यही बात नहीं है लेकिन उससे किसानों की मोटरें जल जाती हैं। उनकी मोटर जल जाती है तो उनको 600) रुपये का नुकसान आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रेट बढ़ाई है तो रेट बढ़ाने का जस्टिफिकेशन यह होना चाहिए कि आपका जो मैनेजमेंट है, जो इन्तजाम हैं वह एफिशियन्ट इन्तजाम हो और उसके बाद भी आपका खर्चा पूरा नहीं पड़ता है तो कन्ज्यूमर पर टैक्स लगायें तो उसको हम वेलकम कर सकते हैं, लेकिन आपकी इनएफिशियेन्सी के कारण जो आप पैदा करते हैं, उसमें लास लग जाता है, ज्यादा खर्चा लगा देते हैं, आप वेस्ट करते हैं तो उसके बाद आपको अधिकार नहीं रहता है कि आप रेट बढ़ायें।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज के जो इसमें फीगर्स दिये हुए हैं मेरे ख्याल में, उपाध्यक्ष महोदय, 7,14,87,000) का आउटस्टैंडिंग बैलेन्स है तो इस आउटस्टैंडिंग में से 3,80,00,000) करीब आधा पैसा उनका हाई टेन्शन कन्जूमर्स पर है जो कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, डी. सी. एम. कहिये, साहू जैन कहिये। जो हाई टेन्शन कन्जूमर्स हैं उनके ऊपर साढ़े तीन करोड़ रुपया बकाया है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ढाई करोड़ तो राइट आफ हो गया है।

श्री पी. के. चौधरी : यह राइट आफ का नहीं है उससे अलग है। साढ़े तीन करोड़ आउटस्टैंडिंग हैं, बकाया हैं। सरकार का बिजली का पैसा बकाया है और आप कहते हैं कि खर्चा पोसाता नहीं है। इन्डस्ट्रीज के पास से साढ़े तीन करोड़ वसूल नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है ? आप क्यों वसूल नहीं करते हैं ?

दूसरी बात, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 72–73 में रेट आफ रिटर्न 6–8 पर्सेन्ट आफ दी एवरेज केपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर, वहां जाकर 5–6 पर्सेन्ट आता है। 327 करोड़ का एडजस्टमेंट आफ प्रापर्टी आपने उनका किया है। इसके ऊपर हमको रिटर्न मिलता है। इसका मतलब यह है कि ड्यूज एमाउन्ट और लासेज कितने ज्यादा हो गये रेट आफ रिटर्न कम आता है यह उसका इन्डीकेशन करता है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपरेशनल एक्सपेन्डीचर अगर आप एन्युअल स्टेटमेंट आफ एकाउन्ट्स देखेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय 71–72 में उनका आपरेशनल एक्सपेन्डीचर 13 करोड़ 31 लाख, 72-73

(श्री पी. के. चौधरी)

में 15 करोड़ 73-74 में 19 करोड़ और 74–74 में 23 करोड़। आपरेशनल एक्सपेन्डीचर वह बढ़ते जाते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस से। उसके रीजन्स क्या बताये हैं? एक अजीब सा रीजन दिया है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया है उसमें लास जाता है। मैं बोर्ड से पूछना चाहता हूं कि आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में बिजली कितनी देते हैं? पिछले साल 72–73 में जो एवरेज है डेली कन्जम्पशन का वह करीब 30 लाख यूनिट्स का हुआ। अब उसमें से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में और एग्रीकल्चर में अगरचे आपने कुछ कम ही दिया है, आपने 15 पर्सेन्ट बिजली दी है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम लेकर यह कहना कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्चा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है वह हम सब को गुमराह करने की कोशिश है। उपाध्यक्ष महोदय, टोटल कन्जम्पशन है बिजली का 30,18,000 यूनिट्स उसमें से कृषि के ऊपर 6,38,000 यूनिट्स खर्चा हुआ है। इसका मतलब है कि 15–16 पर्सेन्ट बिजली का खर्चा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में होता है। 15 पर्सेन्ट का जहां खर्चा होता है और बिजली भी पूरी नहीं देते हैं वह इकोनामिकल हो गया और आपका आपरेशनल एक्सपेन्डीचर 74–75 के बजट में चार साल में, उपाध्यक्ष महोदय, 13 पर्सेन्ट से जाकर 25 पर्सेन्ट बन गया है। उस हिसाब से जब कि, उपाध्यक्ष महोदय, 1972 से उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं दिया, कम से कम जयपुर जिले में। 1972 से मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में सैंकड़ों लोगों ने सिक्योरिटी जमा की हुई हैं लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। पिछले साल यह कहा गया कि बिजली नहीं है, पावर नहीं है, अब कहते हैं कि कन्डक्टर नहीं हैं, तार नहीं है, इसलिए कनेक्शन नहीं मिल सकता है। 72–73 में जो गांव सेंक्शन हुए उनको आज दिन तक कनेक्शन नहीं दिया गया। वह मैं कहता हूं कि ऐसा आपकी एफिशियेन्सी का नमूना है। एक साल कहा कि पावर नहीं है और पावर की वजह से कनेक्शन नहीं दे पाते हैं। इस साल सुनते थे कि पावर सरप्लस है तो तार नहीं है। who is responsible for this? आखिर में ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, आप एक बिजनेस करते हैं, कामर्शियल शाप रखते हैं, आपने पिछले साल कनेक्शन नहीं दिया कि कन्डक्टर की कमी है और अब कहते हैं कि तार की कमी है। जब आपको सिक्योरिटी 72–73 में जमा करा दी तो क्यों नहीं कन्डक्टर और तार लेकर रखें? तो उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रेट बनाने से पहले इनको जो इनकी परफार्मेंस थी उसको देखना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि इनकी जो लाइन की कैपेसिटी है हमको याद है कि 64–65 में जब गांवों को लाइन जाती थी तो गांवों में सिर्फ 5 आदमी ही लेने वाले होते थे और आज जब गांवों में लाइन जाती है तो जाने के साथ में ही 10 आदमी तैयार होते हैं कनेक्शन लेने के लिए। होता क्या है वहां पर ट्रान्सफार्मर 15 के. वी. का लगा हुआ है जबकि 200 के. वी. का। इस प्रकार से that is the worst part of

Page No 94

(९५)

(श्री पी. के. चौधरी)

the department यानि जो वस्तु-स्थिति है, हकीकत है उससे उनका इन्टिसिपेशन काफी कम पड़ता है। यही कारण है कि आज पावर का 26 पर्सेन्ट वेस्ट जा रहा है। 523 मिलियन यूनिट में 53 करोड़ बिजली सालाना वेस्ट जा रही है। जहां 66 हजार होना चाहिए वहां 33 हजार लगाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड का जो यह लास होता है, उसको रोकिये। बाकी जो मैनेजमेन्ट है, उस पर मैं नहीं जाता हूं लेकिन जो आब्जेक्ट होता है— that is not fulfilled. You are wasting 20% of the power of the country,

आपकी नेग्लीजेंस की वजह से होता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एग्रीकल्चर लैण्ड के लिए आपने 12 पैसे का 21 पैसा कर दिया है। वैसे यह ओपीनियन बनी हुई है कि जो किसान काश्त करते हैं, वह मालदार होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सभी किसान मालदार होते हैं। वह उनको इकानामिक नहीं है। जयपुर जिले में 12 पैसे एक गेहूं की सिचाई का पैसा लगता है। खर्चा बढ़ा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यानि यहां पर 250 रु. कर दिया है। आपका जो एण्टी कन्ज्यूमर है जो 40 या 60 या 15% कन्ज्यूम करता है, उसको आप लास करके करना चाहते हैं। मैं एक पुरानी बात कहना चाहता हूं। इस सदन में 8-10 साल पहले गाम्बी सागर में जब पानी कम हो गया था। तो यह सरचार्ज लगाया गया था। जो जितना कंज्यूम करेगा, वह खर्चा करेगा। दूसरी स्टेट को हम दे रहे हैं। आपने एग्रीकल्चर लैण्ड का 12 पैसा से 21 पैसा कर दिया और इसके अलावा सरचार्ज भी है। मैं कहूंगा कि इस रेट को रिवाइज करना चाहिए। उनको काश्त इकानामिक नहीं रही है। कुछ बड़े बड़े कैपेटेलिस्ट है। मैं यह कहूंगा कि आप अपनी एफीशिएन्सी को बढ़ाइये। जो बेकार खाते में डालते हो उसको रोको।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर डिवीजन में दूसरा कोई इरिगेशन का साधन है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितने कुए हैं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर डिवीजन में 42 कुएं हैं। राजस्थान में 6 लाख कुएं हैं। उनमें 42 जयपुर डिवीजन में हैं। जयपुर डिवीजन में 2 लाख 52 हजार कुएं हैं। इनमें से 15 इलेक्ट्रिफाइड हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो राजस्थान में पूल लाइन है, उस पर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जयपुर डिवीजन के साथ में स्टेप मदर्ली ट्रीटमेन्ट हुआ है। हम डिमाण्ड करते हैं तो आपने कह दिया लम्बी लम्बी लाइन खींचने में ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन जयपुर जिले में ज्यादा खर्चा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले को बिजली देने से एक कुएं को बिजली देने से 15 कुओं को बिजली मिलती है। जोध-

(श्री पी. के. चौधरी)
पुर में 8.4 । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है ।

एक माननीय सदस्य : पुरानी बातें हैं।

श्री पी. के. चौधरी : पुरानी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में एक कुए में बिजली देने से 24 कुओं में बिजली जाती है। ऐवरेज एक कुएं में बिजली ले जाने से 24 कुओं को बिजली जाती है । 2,620 रु. पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में एक गांव में बिजली ले जाने से 5–6 कुओं को बिजली जाती है ।

(विराम)

वहां पर 7,142 रु. खर्च होते हैं। इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर डिवीजन में लम्बी लाइन नहीं खींचनी पड़ती है। उनका यह एन्युअल स्टेटमेन्ट है, उसमें बताया है । यह उन्होंने कहा है कि यह जो खर्चा हमारा ज्यादा होता है, इसकी वजह यह है कि वहां गांवों में लम्बी लम्बी लाइन खींचनी पड़ती हैं। गांवों में वहां लम्बी लम्बी लाइन क्यों खींचते हैं, जहां कुए नजदीक नजदीक हैं, आप उसको सेचुरेट कीजिये, जयपुर डिवीजन, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनूं अलवर, भरतपुर, जहां जहां नजदीक नजदीक कुए हैं वहां लाइन देते नहीं। आप लाइन ले जाते हैं जैसलमेर, लाइन ले जायेंगे बीकानेर।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जैसलमेर ले जाना जरूरी है ।

श्री पी. के. चौधरी : बीकानेर लाइन ले गये, उसकी एक मिसाल बताता हूं, वहां एक गांव में बिजली आई, कुए पर बिजली पहुंची तो 6,666 रुपये खर्च हुए। इतना खर्चा बीकानेर में बिजली पहुंचाने पर आता है। मेरा निवेदन यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, उसमें आपसे निवेदन करता हूं, बीकानेर के रिप्रजेंटेटिव हैं, लेबर रिप्रेजेंटेटिव हैं....

श्री गोपाल जोशी : जहां ज्यादा खर्च हो वहां बिजली नहीं जायगी।

श्री पी. के. चौधरी : बिजली जाय, हम मना तो नहीं करते हैं....

श्री गोपाल जोशी : उसको बैकवर्ड रखना चाहते हैं ?

श्री शीशराम ओला : आप बोलिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री पी. के. चौधरी : मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह दलील दी जाती है, जब सिंचाई की बात करते हैं, जहां माही हैं, वहां माही प्राजेक्ट बनेगा, जहां चम्बल है, वहां चम्बल प्राजेक्ट बनेगा, तो जहां कुए हैं, वहां पर बिजली क्यों नहीं दी जायगी ? यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार जब गये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सरकार की ओर से भरतपुर के बारे में स्टेटमेंट देना था साढ़े चार बजे।

श्री केसरी मल : साढ़े चार बजे स्टेटमेंट देना था।

श्री नत्था सिंह : साढ़े चार बज गये। भरतपुर के गोली काण्ड की चर्चा होगी।

श्री केसरी मल : भरतपुर गोली-काण्ड के बारे में स्थगन प्रस्ताव था ...

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा वक्त नहीं दिया जायगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : साढ़े चार बज गये।

श्री उपाध्यक्ष : (माननीय मुख्य मंत्री के सदन में आने पर) माननीय मुख्य मंत्री।

शासकीय वक्तव्य

सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर में गोलीकांड

श्री **गुलाब सिंह शक्तावत** (राज्य मंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय, सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, मोहर सिंह, गुरदयालसिंह सन्धु, निरंजन नाथ आचार्य, सुरेशचन्द्र, गिरधारी लाल भार्गव, मीठालाल मीणा, योगेन्द्रनाथ हाण्डा, रतिराम यादव द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार हैं ...

श्री **केशरीमल** : मेरा भी है।

श्री **मीठालाल** : खड़े हो जाइये।

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** : सबका नाम बोल दिया। मेरे पास है नहीं।

सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर में श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच गत जुलाई में हुई हड़ताल के बाद जो समझौता हुआ, उसके अनुसार प्रत्येक श्रमिक को 69 रुपये मिलने थे। 10 अगस्त को प्रातःकाल फैक्ट्री में जब श्रमिकों को वेतन भुगतान देना शुरू किया, उसमें से 37 रुपये वेतन वृद्धि के और 50 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते के जो 16 रुपये होता है काट कर वेतन दिया जाने लगा जिसके फलस्वरूप प्रत्येक श्रमिक को 16 रुपये मिलता था। इस पर श्रमिकों ने एतराज किया और अधिकतर श्रमिकों ने 16 रुपये लेने से इन्कार कर दिया। सायंकाल को दूसरी शिफ्ट के अवसर पर इसी बात पर फिर विवाद खड़ा हुआ और श्रमिकों ने फैक्ट्री के प्रशासनिक खण्ड के बाहर धरना शुरू कर दिया। इसकी इतला जब पुलिस को मिली तो स्थानीय पुलिस उप-अधीक्षक वहां पर फोर्स के साथ पहुंच गये। रात को करीब 11 बजे पुलिस उप अधीक्षक ने जिलाधीश, भरतपुर जो उस दिन धौलपुर दौरे में थे, को सूचना दी कि श्रमिकों में वेतन के मामले को लेकर काफी उत्तेजना है और यदि श्रमिकों को 69 रुपये नहीं दिये गये तो स्थिति बिगड़ सकती है। इस पर जिलाधीश भरतपुर ने फैक्ट्री के प्रेसीडेंट, गोयनका से टेलीफोन पर बात की और उन्हें सुझाव दिया कि फिलहाल एडहाक तरीके पर श्रमिकों को 69 रुपये दे दिये जायं और बाद में इस विवाद को हल करने का प्रयत्न किया जाय। श्री गोयनका इस पर राजी

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
हो गये और रात भर श्रमिकों को समझाने के प्रयत्न जारी रहे।

श्रमिकों की एक यूनियन को वह बात पसन्द नहीं आई और उन्होंने पूर्व में जो समझौता हुआ था उसको भी तोड़ना चाहा और यह मांग की कि वे पिछले समझौते पर पाबन्द नहीं रहेंगे तथा प्रत्येक श्रमिकों को 69 रुपये के बजाय 100 रुपये दिये जायं और समझौते का जो दस्तावेज था उसे फाड़ दिया और मजदूरों की भीड़ जो वहां एकत्रित थी उसे हिंसा के लिये प्रेरित किया और 11 अगस्त को करीब साढ़े सात बजे सुबह भीड़ ने प्रशासनिक इमारत पर पथराव शुरू कर दिया और दरवाजे तोड़ दिये और इमारत में भीड़ घुस गई। वहां पर जो गाड़ियां व स्कूटर आदि थे उनको नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने भीड़ को रोकने का काफी प्रयत्न किया और चेतावनी देने पर भी नहीं रुको तो पुलिस को इस पर अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा। जिस पर भी भीड़ नहीं रुकी तब लाठी चार्ज करना पड़ा। इस पर भी भीड़ नहीं रुकी और इमारत को अधिक नुकसान पहुंचाने और आग लगाने को कोशिश की और इमारत के एक हिस्से में आग भी लगा दी जिस पर तत्काल काबू पा लिया गया। भीड़ ने केश रूम का दरवाजा भी तोड़ दिया और मैनेजमेंट के अनुसार करीब 27,000 रुपये की धनराशि लूट ली। पत्थर और लोहे के टुकड़े फेंके जिससे वहां पर मौजूद पुलिस पार्टी में से 20 जवान घायल हो गये और पुलिस को घेर लिया गया जिससे पुलिस को अपनी जान का भारी खतरा हो गया। इस पर पुलिस ने आत्म रक्षा में 14 गोलियां चलाई जिससे एक श्रमिक की मौके पर मृत्यु हो गई और 8 श्रमिकों को चोटें आई जिनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां एक श्रमिक की मृत्यु हो गई। पुलिस जवानों में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रमिकों को इस प्रकार हिंसक कार्यवाही और नुकसान पहुंचाने से फेक्ट्री को करीब 3 लाख रुपये की क्षति हुई।

इस घटना के फलस्वरूप 3 मुकदमें प्रबन्धकों, पुलिस और श्रमिकों की सूचना पर दर्ज किये गये और अन्वेषण जारी है।

भरतपुर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और रैन्ज पुलिस उप महानिरीक्षक को भेजा गया है और समुचित पुलिस फोर्स भेज दी गई है।

स्थिति नियंत्रण में है। अतिरिक्त जिलाधीश भरतपुर को जांच के आदेश दिये गये है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो भरतपुर के गोली-काण्ड के बारे में कल से राजस्थान के जन मानस को आंदोलित कर रहा था, और आज माननीय मुख्य मंत्री ने हमें बताया कि उन्हें कुछ सूचना ऐसी मिलने वाली है जिसको कि वेरीफाई करना चाहते हैं और डिफरेन्ट वर्शन है। एक तो मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करें, वह कौनसा दूसरा वर्शन था, जिसको वह वेरीफाई करना चाहते थे और उस वेरीफिकेशन से क्या निष्कर्ष निकला ?

माननीय उप मंत्री महोदय ने . . .

कई माननीय सदस्य : राज्य मंत्री हैं।

श्री गुमान मल लोढा: राज्य मंत्री। क्षमा करेंगे। मैं उनका स्तर नीचा नहीं करना चाहता . . .

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम ऊंचा करना चाहते हैं, एक केबिनेट स्तर का।

श्री गुमान मल लोढा : माननीय राज्य मंत्री महोदय ने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, उनमें से कुछ बातें स्पष्ट रूप से उभर कर आयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार से उन्होंने यह बताया कि श्रमिकों को 69 रुपये देने के लिए जिलाधीश ने फैक्ट्री के प्रशासन, स्थिति जिस समय बहुत बिगड़ चुकी थी, को उस समय सुझाव दिया। स्पष्ट है कि यदि जो निर्णय पहले हो चुका था, जो फैसला हो चुका था और जो पेमेन्ट उसके अनुसार करना था, फैक्ट्री का प्रशासन उस पेमेन्ट को कर देता, हठधर्मी नहीं करता, उससे नहीं मुकरता और दूसरे तरीकों से उसको सरकम्वेन्ट करने का प्रयास नहीं करता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती उपाध्यक्ष महोदय, एक बार सेटिलमेंट हो जाए, निर्णय हो जाए, श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच में मध्यस्थता के द्वारा और उसके बाद में यदि मैनेजमेंट के लोग उससे मुकरने का प्रयास करें तो स्वाभाविक है कि श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। स्पष्ट रूप से सारे कांड के अंदर जिम्मेवारी फैक्ट्री प्रशासन की है और जिला प्रशासन को चाहिए था कि समय रहते पहले ही इस तरह के प्रभावी कदम उठाते जिससे यह स्थिति पैदा नहीं होती। स्थिति बिगड़ने के बाद यह प्रयास करना कि जिला प्रशासन ने बाद में प्रबंधकों को सलाह दी, उन्होंने मान लिया लेकिन श्रमिकों ने इन्कार कर दिया, यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना ही नहीं है बल्कि जिन श्रमिकों का खून बहाया गया है, जिन पर गोली चलाई गई है, जिन्होने फैक्ट्री प्रशासन और वहां के पुलिस अधिकारियों ने मजदूरों के खून से अपने हाथ लाल किए हैं, उनको बचाने का घिनौना षड़यंत्र मात्र है। सारे कांड की हाई लेविल जुडीशियल जांच होनी चाहिए यह तरीका नहीं है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि जांच करें। कम से कम राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार जहां दो व्यक्ति पुलिस की गोलियों से मारे जा चुके हैं और जहां पर राज्य सरकार स्वयं समझती है कि फैक्ट्री के मैनेजमेंट को 69) के हिसाब से पेमेंट कर देना चाहिए था और उन्होंने इससे मुकर कर जिस प्रकार का रूख अपनाया उस कारण से ऐसी स्थिति पैदा हुई वहां पर अतिरिक्त जिलाधीश जांच के लिए नियुक्त एक मखौल है।

आज हमारा सत्र प्रारंभ हुआ है श्रमिकों के खून के बीच में, मजदूरों की लाशों पर, उनकी लाशें चिताओं पर जल रही हैं और हम यहां पर बैठकर विचार करते हैं और उसमें दोषी उनको ठहराया जा रहा है, यह लीपापोती करने का प्रयास है। आवश्यकता यह थी मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में भावना देख ली थी और आज कल इस प्रकार जहां पर कांड होते हैं, यह कोई साधरण बात नहीं, लाठी या अश्रु गैस नहीं लेकिन गोलीकांड हो चुका है, दो व्यक्ति मर चुके हैं, कई घायल हुए हैं, वहां पर अपेक्षा थी कि मुख्य

(श्री गुमान मल लोढ़ा)
मंत्री स्वयं घोषणा करते कि हाई पावर जुडीशियल एन्क्वायरी की जाएगी। पुलिस अधिकारी जो मौके पर थे जिन्होंने गोलीकांड किया, क्यों नहीं हवाई फायर किया, क्यों नहीं जैसे समाचार-पत्रों में आया है, दो व्यक्ति जो मर चुके हैं एक के सर पर गोली लगी दूसरे को छाती पर गोली लगी। क्या मानव का रक्त इतना सस्ता है, क्या मनुष्य जीवन के साथ राजस्थान की धरती पर खिलवाड़ नहीं है? जो मजदूर बोनस की मांग करते हैं, खड़े होते हैं उस समय क्या उनको गोलियों से भून दिया जाएगा? यह प्रबंधकों का घृणित तरीका है कि मांगों को ठुकराकर पुलिस द्वारा साजिश कराकर फायरिंग करवाई है और इस प्रकार से यह लाठी गोली की सरकार, समाजवादी सरकार, विकासवादी सरकार, गरीबों की मसीहा सरकार मजदूरों का इस प्रकार खून वहाकर अपने को प्रगतिशील कहलाती है? कहा गया कि जिन व्यक्तियों ने गोली चलाई सेल्फ डिफेंस में चलाई, डिफेंस की नौबत कौनसी आई? कौनसा मजिस्ट्रेट था ड्यूटी पर? क्या पहले भीड़ को डिस्पर्स होने का आर्डर दिया गया था, क्या धारा 144 या अन्य कोई हथियार का प्रयोग किया गया था, क्या अल्टोमेटम दिया गया था? सारे मुद्दों का जवाब मिलना चाहिए। यह बयान तो रटी-रटाई भाषा में है, यह पुलिस की रपट है कि आत्म रक्षा के लिए गोली चलाई। फैक्ट्री में कितने मजदूर होंगे? कितनी पुलिस थी? आर. ए. सी. थी या सिविल पुलिस थी? गोली चलाने से पहले क्या क्या किया गया? डिस्पर्स होने के लिए कितना समय दिया गया? आज मंत्री महोदय का जिस प्रकार का वक्तव्य है इतना समय लेने के बाद भी, वह अपर्याप्त है, सारे मुख्य मुद्दों पर शांत है, इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन्स के बारे में जो समस्यायें हो सकती हैं उन पर साइलेंट है। ऊपरी तौर से आत्म रक्षा का नाम लेकर, सेल्फ-डिफेंस का नाम लेकर, मजदूरों पर गोली चलाई गई, उससे बचने का प्रयास किया गया है। जो पुलिस अधिकारी स्पाट पर थे उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय कम है लेकिन जिन माताओं की कोख सूनी हो चुकी है, जिन बहनों का सिंदूर समाप्त हो चुका है, जिनकी चिताएं जल रही हैं उनका चित्कार करने के लिए हमें दो आंसू बहाने का समय भी नहीं मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में कहें, बोलने वाले बहुत हैं।

श्री **गुमानमल लोढा**: मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा लेकिन इससे पहले मेरी तीन मांगें हैं। जो पुलिस अधिकारी मौके पर थे उनको सस्पेंड किया जाए, वहां से हटाया जाए, (2) हाई पावर जुडीशियल जांच कराई जाऐ, उसके दौरान जितने अधिकारी वहां पर थे उनको हटा दिया जाए वरना न्याय नहीं मिल सकेगा, (3) जो व्यक्ति गोलीकांड में मरे हैं उनके परिवारों को हर्जाने के रूप में धनराशि दी जाए और मैनेजमेंट के द्वारा जो हटधर्मी की गई है, जिन्होंने इस स्थिति को पैदा किया है, उन

१०८

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रासीक्यूट किया जाए। नहीं तो सदन में हो सकता है कि आपकी घंटी से मेरी आवाज बंद हो जाएगी, यह भी हो सकता है कि हम कितना ही संघर्ष करें, अंततोगत्वा आपके बहुमत के कारण हम सफल नहीं हो सकेंगे लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए, राजस्थान के श्रमिकों की चिता पर दो आंसू बहाने के लिए संघर्ष होगा सदन के बाहर भीड़ आएगी, श्रमिक आयेंगे और आवाज उठेगी हर फैक्ट्री में आवाज उठाई जाएगी, हर विश्वविद्यालय में उठाई जाएगी, उसका भी जवाब हमको देना पड़ेगा। आखिर ढाई करोड़ जनता के हम प्रतिनिधि हैं हम उनकी आवाज को रोक नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाई पावर जुडीशियल जांच की मांग कन्सीड की जाए, संबंधित पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, मैनेजमेंट के खिलाफ कार्यवाही की जाए, मृतक व घायल व्यक्तियों के परिवारों को तुरंत कम्पनसेशन दिलाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर के श्रमिकों पर जो गोली चलाई गई है और राज्य सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है, मुझे गोली चलने पर इतना अफसोस नहीं है जितना राज्य सरकार के बयान पर अफसोस है। मैंने मुख्य मंत्री को कुछ जानकारी दी थी। अगर मंत्रीजी के बयान की एक भी लाईन सही हो तो मैं राजनीति को छोड़ सकता हूं, विधान सभा से स्तीफा देना तो छोटी बात है। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का झूठा स्टेटमेंट सदन में रखा जाता है। आखिर झगड़ा क्या था ? मजदूरों ने आंदोलन किया, कारखाने ने समझौता कर लिया। समझौता किन किन हालात में किया, मैं सारे संदर्भ को छोड़ देता हूं लेकिन समझौता हो गया तो कारखाने का फर्ज था उसको निभाना। परसों तनख्वाह

(समय म.प. 4.38 बजे)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

का दिन था, मजदूर इकठे नहीं हुए थे। मजदूरों ने मांग की कि जो समझौता हुआ है उसका पालन किया जाना चाहिए। प्रबंधकों की ओर से कहा जा रहा था कि हम जो समझौता हुआ है, उसका पालन करेंगे लेकिन जो आपका रुपया बढ़ा है उसमें अनिवार्य जमा योजना के बाद बचा हुआ 100) एडवांस में देना चाहेंगे। जो बयान दिया गया है कि मजदूर इस बात की जिद कर रहे थे कि पैसा दिया जाए यह सही नहीं है। मजदूर जानते थे कि समझौते के बाद राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है और बढ़े हुए पैसों का आधा उस योजना में जमा कराना पड़ेगा। झगड़ा केवल 16) रुपया का था। प्रबंधक कह रहे थे कि एडवांस में 16) रुपये देने है। मजदूर कह रहे थे कि पे-स्लिप पर लिख दिया जाए। मजदूरों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि अगर यह भी नहीं दे सकते तो केवल तनख्वाह दी जाए और जब फैसला हो जाए तब देना। फिर दूसरी आफर यह भी दे दी कि आप मजदूरों से बात कर लें, जिला अधिकारियों से बात

(श्री राम किशन)

कर लें, दुर्भाग्य से जिला अधिकारी एक भी मौजूद नहीं था उसके बाद उन्होंने कहा कि पे शीट पर 16) रु. चढ़ाकर आज दे दें क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है पैसा नहीं है तो तनख्वाह दो तीन बाद दे सकते हैं। इस बीच में प्रबंधकों की तरफ से निरंतर कहा जाता रहा कि हम जल्दी फैसला कर देते हैं। कई बार मजदूरों को भीतर बुलाया। बयान में कहा गया है कि उनकी हिंसा की मन्शा थी, आग लगाने की कोशिश की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और यह स्थिति होती तो वहां गोयनका और चतुर्वेदी तीन हजार मजदूरों के बीच में क्या करते। प्रबंधक निरंतर बात करते रहे हैं, अंत में पे शीट पर पैसा बढ़ाकर देने से मैनेजमेंट ने मना कर दिया। इसी दरमियान में पुलिस आ गयी। इस पुलिस दल के साथ में श्री विश्नोई डी. वाई. एस. पी. भी साथ थे। आन्दोलन तो वहां कई बार हो चुके है और पुलिस वहां पहले भी आ चुकी है। मैंने वहां पर पुलिस के एस. पी. और भरतपुर के जिलाधीश से बातचीत की और उनको यह कहा कि आप भरतपुर के इस मजदूर आन्दोलन को जरा ठीक तरह से निवटें। अगर आप इस आन्दोलन को ठीक तरह से नहीं निबटेंगे तो इसके परिणाम घातक हो सकते है। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि पुलिस ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। पुलिस के डी. वाई. एस. पी. ने कहा कि मैं इसे दूसरा जलियांवाला बाग बना दूंगा। मैं इसमे खास तौर मे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सारा मामला ठीक तरह से निपट सकता था लेकिन पुलिस के डी. वाई. एस. पी. खुद ने वातावरण उत्तेजित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मजदूर पहले दिन दोपहर के तीन बजे से दूसरे दिन तक बैठे रहे। लेकिन मजदूरों को किसी ने कुछ नहीं पूछा। न प्रबन्धकों ने उनके खाने पीने की बात की और न ही उन्होंने समझौते के अनुसार ही उन्हे पेमेन्ट किया। बल्कि वहां के प्रबन्धक तो यह बात कर रहे थे कि अभी दस मिनट में फैसला हो रहा है अभी पांच मिनट में पेमेन्ट कर रहे हैं। अब यहां पर यह कहा था कि मजदूरों ने एग्रीमेन्ट को फाड डाला, यह कहना गलत है उन्होने कोई एग्रीमेन्ट के कागजों को नहीं फाडा था वह वहां के एक कांग्रेसी नेता थे उन्होंने जाकर मिल मालिकों व प्रबन्धकों को जाकर कहा कि आप समझौते के अनुसार पेमेन्ट क्यों नहीं कर रहे हो। उसमें यह कहा कि अगर आप एग्रीमेण्ट के अनुसार पेमेन्ट नहीं कर रहे हो तो फिर समझौता करने से क्या फायदा। इसी बीच में पुलिस द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गयी कि पुलिस के डी. वाई. एस. पी. ने एक मजदूर को चाटा मार दिया। दूसरे मजदूर को धक्का दे दिया। अध्यक्ष महोदय जिस व्यक्ति को चाटा मारा था उस व्यक्ति का नाम हरिसिंह था। यह वहां पर फैक्ट्री में वेल्डर का काम करता है। इस धक्का-धूम मे हो सकता है कि वहां के मजदूरों में थोडा आक्रोश फैल गया हो और मजदूरों में से किसी ने दो चार पत्थर पुलिस पर फेंक दिये हो। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है जैसा कि यहां पर सदन में कहा गया है कि प्रबन्धकों ने ऐसा कहा कि मजदूर हिंसा करने को उतारू हो गये थे।

(श्री राम किशन)

अगर मजदूर हिंसा करने को उतारू होते तो वहां पर फैक्ट्री में बन्दूकें करीबन 6 पड़ी हुई थी और वहां के मजदूरों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि भरतपुर के आस-पास के गांवों के थे जो कि बन्दूक चलाना भी जानते थे वह चाहते तो बन्दूक चलाकर लोगों को मार सकते थे। लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते थे। मजदूरों की हिंसा करने की बिल्कुल मन्शा नहीं थी। तो यह कहना गृह राज्य मन्त्री का, कि मजदूर हिंसा पर उतारू हो गये थे बिल्कुल गलत है। जैसा कि गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे भरतपुर से कलेक्टर ने टेलीफोन पर बताया तो मैंने भी उनसे बातचीत की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर का ही हूं। भरतपुर की फैक्ट्री के प्रबन्धकों का यह हमेशा से ही रवैय्या रहा है कि वह एग्रीमेन्ट तो कर लेते हैं लेकिन एग्रीमेन्ट को कभी भी कार्यान्वित नहीं करते। उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी एग्रीमेन्ट तो कर लिया लेकिन उसे पूरा करने की उनकी नीयत नहीं थी। इसके अलावा यहां पर यह बात कही गयी कि मजदूरों द्वारा 27 हजार रुपये वहां से लूट लिया गया यह भी गलत है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर फैक्ट्री में जहां पर यह पैसा रहता है वहां ऐसी पोजीशन है कि सेफ बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखी हुई है। इसके अलावा उसके आस पास मे बिजली का करेन्ट भी लगा रहता है हालांकि उस दिन करेन्ट ऑन नहीं था। इसके अलावा वहां पर दो पुलिस के सिपाही भी तो बन्दूकें लिये हुए उस सेफ का पहरा देते हैं। यह तो पुलिस ने गोली चलाने के बाद जब वहां पर मजदूरों की मृत्यु हो गयी और हालत गम्भीर हो गयी तो यह एक मनगढन्त कहानी बनायी कि मजदूरों ने वहां पर सेफ को लूटने की कोशिश की। उनकी मंशा डाका डालने की थी या प्रबन्धकों की हत्या करने का विचार उनका था। इसके अलावा गैस सिलेन्डर में आग लगाने की जो बात यहां पर कही गयी है उसके लिये भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि गैस सलेन्डर में आग किस तरह से लग सकती है जब तक दियासलाई गैस सिलेन्डर को ऊपर से खोलकर नहीं दिखावो तब तक उसमें आग कैसे लग सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह डाकाजनी, लूट, हत्या और फैक्ट्री में आग लगाने की जो बात यहां पर कही गयी है वह सभी बातें मनगढ़न्त हैं और पुलिस ने अपने बचाव के लिये कही है और पुलिस आम तौर पर ऐसी बातें कहा करती है। अध्यक्ष महोदय, आज वहां पर जो गोली काण्ड हुआ है उसके लिये वहां की जनता में यह बात काफी फैली हुई है कि न सिर्फ पुलिस ने ही गोली चलायी बल्कि वहां के प्रबन्धकों ने भी मजदूरों पर गोली चलाई। वहां पर कारखाने के प्रबन्धकों में से एक श्री गिरीश चतुर्वेदी ने फैक्ट्री की सेकन्ड फ्लोर पर अपने रिवोल्वर से मजदूरों पर गोली चलायी। यह बयान वहां की फैक्ट्री के एक मजदूर देवीसिंह ने कहा है। देवीसिंह ने अपने आंखों से श्री गिरीश चतुर्वेदी को रिवोल्वर से गोली चलाते देखा था। इससे मजदूरों को गोली लगी। इसके अलावा पुलिस के डी. वाई. एस. पी. ने मजदूरों को चांटा मारा और धक्के दिये। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के

(श्री राम किशन)

इन अफसरों के साथ साथ वहां प्रबन्धकों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिये। अब अगर वहां प्रबन्धक यह कहते हैं कि फैक्ट्री की तीन लाख रुपये का नुकसान हो गया तो वह तीन लाख का बतावें, दो लाख का बतावें यह उनकी मरजी है। मैं इस बारे में एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि जो बता सकूं कि वास्तव में स्थिति क्या है लेकिन में इतना जरूर कह सकता हूं कि वहां के गोली कांड से एक मजदूर तो मर गया है दूसरे को हालत खराब है वह मरने जा रहा है तीसरे एक मजदूर के गोली लगी है वह इतनी गम्भीर हालत में है कि कल उसका ब्लडप्रेशर 60 से भी कम हो गया था। अब अगर यहां पर यह कहा जाता है कि पुलिस के सिपाहियों के भी चोटें आयी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि वहां के काफी लोगों को जानता हूं और जब मैं अस्पताल में घायल मजदूरों को देखने गया तो मुझे मजदूर तो वहां घायल पड़े हुए दिखायी दिये लेकिन पुलिस का एक भी सिपाही वहां पर मुझे मजदूरों के हाथ से घायल हुआ नहीं मिला। यहां पर यह कहा गया कि मजदूरों के पत्थर लगने से पुलिस के सिपाही घायल हो गये। मैं समझता हूं कि मजदूरों के हाथ से पत्थर तो क्या सिपाहियों के कंकड़ भी नहीं लगे। इसके अलावा जो मजदूर मरा है और जो घायल हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, सभी व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं। जिनकी उम्र, अध्यक्ष महोदय, 20, 30 साल से ज्यादा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है वह व्यक्ति विजय-सिंह नाम का है जो कि भरतपुर के पास ही गांव जगीना का रहने वाला है उसकी औरत जाकर फैक्ट्री के प्रबन्धकों से मिली और कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है, तो वहां पर पुलिस ने उस औरत को धक्के दिये और उसके बच्चे को जमीन पर पटक दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर राज्य सरकार का यही रवैय्या है तो बहुत खराब है। राज्य सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। वरना मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार अपने आपको कैसे लोकतान्त्रिक सरकार कहती है, कैसे अपने आपको समाजवादी बतला रही है। यह सरकार अपने आपको कैसे मजदूरों और गरीबों का मसीहा बता रही है। आज सदन में खड़े होकर किस प्रकार से मजदूरों का हामी होने के लम्बे लम्बे भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह लाठी गोली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मैं आपके सामने यह मिसाल पेश करना चाहता हूं कि जितनी बार अंग्रेजों ने अपने 150 सौ दो सौ साल में गोली नहीं चलायी उससे कहीं अधिक बार सन् 47 के बाद भारत में जगह जगह पर निरन्तर गोलियां सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं। यह बिलकुल गलत बयान है कि मजदूरों ने, प्रबन्धकों की हत्या करने का प्रयास किया था वहां पर लूट खसौट करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बात से चाहे मुंह से बोल कर कहें या नहीं कहें पर कांग्रेस के बहुत से माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस सारे मामले की न्यायिक जांच किसी बड़े न्यायाधीश से करायी जानी चाहिये।

(श्री राम किशन)
यह जांच किसी ए.डी. एम. लेवल के व्यक्ति से नहीं कराई जानी चाहिये क्योंकि ए.डी. एम. के वस की बात इस इन्क्वायरी को करने की नहीं है इसका कारण यह है कि वहां के जो फैक्ट्री के मालिक और प्रबन्धक जो भी है उनके खिलाफ में वहां का ए. डी. एम. कोई सही जांच नहीं कर सकते है। वहां के ए. डी. एम. को फैक्ट्री के मालिक कवायद करा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय जब तक यह डिबेट समाप्त नहीं हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय डिबेट समाप्त हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढाया गया।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, वहां के कारखाने के मालिक और प्रबन्धक इतने प्रभावशील है कि ए. डी. एम. उनके खिलाफ में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कारखाने की जांच की ही बात नहीं कर रहा हूं वैसे भी वे लोग ए. डी. एम. की कवायद करा सकते हैं। इसलिये मेरा मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इस भरतपुर में हुए गोली कान्ड के लिये जो लोग इसमें मर गये हैं या घायल हो गये हैं उनके परिवार वालों को पूरा पूरा मुआवजा दिया जाय। दूसरे वहां पर जो डी. वाई. एस. पी. है उनको तुरन्त सस्पेन्ड करके उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। इसके अलावा जो फैक्ट्री प्रबन्धक इसमें दोषी हों उन पर भी उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुझे भय है कि वहां की हालत बहुत ही खराब हो रही है। हालांकि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन विद्यार्थी वर्ग इसमें आ गया है कल सारा दिन भरतपुर में हड़ताल रही थी। हालांकि कोई राजनैतिक दल ने विद्यार्थियों को नहीं बुलाया लेकिन वह स्वतः ही इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं और यह छोटी सी घटना एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है। वहां विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं। सारे लोग हड़ताल पर हैं। भरतपुर वन्द है। आपने लोपा पोती का जवाब दिया है और पुलिस की रिपोर्ट को आपने सदन मे पढ कर सुना दिया है तो यह राज्य सरकार और कांग्रेस के हित में अच्छा नहीं होगा।

यदि आप कारखाने को चलाना चाहते हैं, इतना बड़ा कारखाना किसी पूंजीपति के हाथ में नहीं रहना चाहिये। यह तो आगे बात है। राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये और इतने बड़े कारखाने का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

चार चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो गिरीश चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया जाय। दूसरी डी, वाई. एस. पी को सस्पेन्ड करके गिरफ्तार किया जाय। तीसरी चीज मरने वालों के परिवार को मुआवजा दिया जाय

(श्री रामकिशन)
और चौथी चीज ज्युडिशियल इन्क्वायरी की जाय।

इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भरतपुर में एक दो दिन में सुन लेना, हम लोगों का हाथ नहीं है, हम वहां नहीं हैं, क्या स्थिति पैदा होती है। जिन लोगों की हत्या की गयी है वे हरिजन है। न जिनके पास जमीन है, न खाने को अन्न है तीन तीन बच्चे अपने पीछे छोड़ गये है। एक के चार बच्चे हैं। एक के बूढ़े मां और बाप और तीन बच्चे हैं। बड़ी उलझन है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनायें। तब ही बहस सार्थक हो सकती है। किन्तु अभी जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, आपने अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है, नयी जानकारी करने की कोशिश नहीं की है।

यह जो झगड़ा हुआ है यह कोई यूनियन का झगड़ा नहीं है। मरने वाले कांग्रेस के समर्थक हैं। लोकल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आप उनसे पूछ लीजिये कि क्या स्थिति है वास्तविक रूप से। राजनैतिक मामला भी नहीं है। मजदूरों से जो समझौता हुआ उसको पूरा करने का सवाल है। राजनैतिक दलों का झगड़ा नहीं है। मैंने नीचे लिखा हुआ देखा है "सीटू जिन्दाबाद" मजदूरों को तोड़ने के सम्बन्ध में सीटू वालों से परिचित हैं। बिड़ला की तस्वीर को नहीं तोड़ा है। वह वैसी की वैसी है। वे सब सुरक्षित हैं। इस तरह से सब यह बनाया हुआ मामला है। मैं नहीं समझता कि मजदूरों ने दस पांच पत्थर न मारे हों। बाहर पुलिस वालों की जीप खड़ी थी। पुलिस वालों ने स्वयम् ने टायर निकाले हैं। यह सब लोग वहां पर खड़े हुए देख रहे थे। आप इसकी प्राईवेट जांच करा लें कि किस प्रकार जीप को जलाया है। फैक्टरी वालों से जिन लोगों का घनिष्ठ परिचय है उन लोगों से पूछ लें। आप एक मानवीय दृष्टिकोण रखें और लोकतन्त्रीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिये। अगर गरीब भूखे हैं, भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो क्या बुरा है। लोग आन्दोलन करेंगे। यदि आप उनको पूरा वेतन नहीं दिला सकेंगे, उनको महंगाई के अन्दर पूरी तरह से निर्वाह करने के लिये आप व्यवस्था न करेंगे तो आन्दोलन ही वे करेंगे। आपका कहना यह है कि यह तो इन्टरनेशनल क्राइसिस है। इसलिये आप भी इन्टरनेशनल स्वरूप तलाश करने की कोशिश करें जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा। यदि आप पुलिस को नियन्त्रित नहीं करेंगे तो आपके लिये घातक होगा। कांग्रेस के जो लोग हैं आप उन्हीं से जांच करा लीजिये कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्षजी, दो प्रश्न इस सम्बन्ध में हैं। पहला यह है कि समझौता हुआ। वहां के कारखानेदारों ने उस समझौते को माना। समझौता माना और बढ़े हुए पैसे को देना माना। मतभेद केवल सी. डी. के पैसे को जमा कराने के बारे में था। यह समझौता होने के बाद व्यवस्थापकों ने नहीं माना। फैक्टरी के मालिक मजदूरों को प्रवोक करते

(श्री केसरी मल)

रहे। समझौता न मानकर मजदूरों को प्रवोक किया। मालिक प्रवोक करें. मजदूर प्रवोक हो जांय तो न सिर्फ गलती मालिकों की है और व्यवस्थापकों की है किन्तु सरकार की गलती है। समझौते का पालन कराने के लिये आखिर वह क्या कर रही थी? कलेक्टर ने क्या किया? सरकार क्यों बीच में गयी? यदि गयी तो समझौते का पालन कराने की कोशिश क्यों नहीं की?

यह प्रश्न इसके साथ भी जुड़ा हुआ था कि जो मजदूरों को पैसा मिल रहा है वह ना काफी है। महंगाई बढ़ रही है और वेतन बढ़ने के पहले ही महंगाई बढ जाती है। संकट बढ़ने का कारण यह है कि मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। लेकिन यह बिलकुल गलत है। मजदूरों का वेतन तो कभी बढ़ता नहीं है। वह तो पीछे ही रह जाता है। वेतन बढता है लेकिन बढने से पहले ही महंगाई इतनी बढ जाती है कि वह बिलकुल पीछे रह जाता है। कर्मचारी उसको पूरा करने की कोशिश करता है। बाजार में वेतन बढ़ने से पहले भाव बढ़ जाते हैं। कंट्रोल रेट से जो चीजें मिलती हैं वे पहले ही ना काफी मिलती हैं जिसमें मजदूर की जिन्दगी चल नहीं पाती है। और जितनी भी आवश्यक वस्तु हैं वे उनको बाजार में बढ़े हुए भावों पर ही खरीदनी होती हैं। न तो इन्डेक्स नम्बर सही निकलता है और न ही भाव उस प्रकार के रहते हैं। मजदूर का वेतन कम है और वह अपने आप कम होता जा रहा है इसलिये कि भाव बढ़ते जा रहे है। मजदूर यह कहते हैं कि उनको पूरा करने के लिये तनख्वाहें बढ़ाओ।

यह पूंजीवादी सरकार इल्जाम लगाती है यह वेतन बढ़ाने की बात कह रहे हैं और इस प्रकार संकट पैदा कर रहे हैं। यह संकट तो कालेबाजारियों और कारखानेदारों का पैदा किया हुआ है। मजदूर तो यह कहता है कि जिन्दगी नहीं चलती है। कुछ पैसा बढ़ाओ। कारखानेदार ने पैसा बढ़ाने का कहा किन्तु उसने समझौते को तोड़ा यह सरकार की कमजोरी है।

इस समझौते को लागू करवाने के लिये मजदूर प्रयास कर रहे थे। पुलिस कारखानेदारों के हाथ में है, जो सरकार के नेता और मंत्री लोग हैं वह उनके हाथ में हैं उनके कहने में है, यह सारी सरकारी मशीनरी, पुलिस आदि इन पैसे वालों के हाथ में खेलती है, और उनके इशारे पर ही काम करती है। वहां के मजदूरों ने मांग की तो पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गये जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, मांग की डी. वाई. एस. पी. साहब, वे वहां कहते हैं कि जलियांवाला बाग बना दूंगा। उन्होंने चांटा मारा मजदूरों के। समझौता मजदूरों के साथ किया हुआ था और मालिक उसको भंग करे, खुद पुलिस चांटा मारे और यह कहे कि जलियांवाला बाग बना दूंगा तो यह साफ है कि इस सरकार की तरफदारी पुलिस के साथ है, कारखाने के मालिकों और व्यवस्थापकों के साथ है, और मजदूरों के हितों का कोई खयाल नहीं जब यह स्थिति कहें तो इस तरह के दंगे सब जगह होंगे। अभी हुआ है और आगे हो सकते हैं। मजदूरों की तरफ से नहीं किन्तु मजदूर को, मालिकों और पुलिस वालों के प्रवोक करने के कारण हुए हैं।

(श्री केसरी मल)

मजदूरों ने मांग की तो बुरा क्या किया। मजदूर जन्माष्टमी के दिन यह इच्छा करके चले कि शक्कर पहुंच जाय उसके यहां भी ताकि उसके बच्चे भी शक्कर से रोटी खा लें लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सका इसलिये बढ़ा हुआ पैसा देने के बजाय गोलियां चला कर मजदूरों को भूनने की कोशिश की। हमारा सत्र शुरू हुआ यह मजदूरों के खून का टीका लगाकर शुरू हुआ है। मजदूरों ने गलती की तो पता लगाया जाय कि क्या गलती की। मिल के मालिकों ने खड़े रह कर गोलियां चलवायीं। आप ग्वालियर के बिडला के कारखाने की घटना देखें जहां कारखाने के अधिकारियों ने अपने ही गुण्डे अन्दर से बाहर भेजकर एम. एल. ए. तक को और दूसरे लोगों को पिटवाया। आज तो कारखानेदारों का यह तरीका हो गया है कि दस बीस गुण्डे टाइप आदमियों को वे पैसे से खरीद कर अपने पास रखते हैं और जब मजदूर अपने हकों की बात करते हैं और मांग करते हैं उनके हमदर्द लोग उनका साथ देते हैं तो उन सबको इन गुण्डों द्वारा अच्छा सबक सिखा देते हैं। पुलिस की भी उनको परवाह नहीं है, पुलिस आवे या न आवे, उनके ये किराये के गुण्डे ही बहुत होते हैं। खुद गोली तक चला देते हैं। अब गंगानगर फैक्टरी में मालिक गोली चला सकता है तो सिमको फैक्टरी का मालिक या अधिकारी जिसका नाम बताया जा रहा है। उसने खुद ने गोली चला दी तो इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे लोग किराये पर इन सरमायेदारों को बहुत मिल जाते हैं जो गोलीकाण्ड और हत्याकांड तक करवाकर मजदूरों को दबाने में इन्स्ट्रूमेंट का काम करते हैं।

फिर इस सरकार का रवैया भी, इसी सरकार का नहीं, केन्द्रीय सरकार तक का रवैया भी, गोली, डण्डा, पुलिस, लाठी और दमन से मजदूरों को कुचल कर रख देने का है। चाहे कितनी हड़तालें हों, मजदूरों का, कामगरों का पक्ष कितना भी न्याय संगत हो यह सरकार उनको भी लाठी, डण्डा और पुलिस से दबाकर रखना चाहती है। इन हड़तालों को उनकी न्यायपूर्ण मांगों को कुचलने के लिए फौज, पुलिस और लाठी डण्डा सबका प्रयोग यह सरकार करती है। मजदूरों ने महंगाई और पैसे बढ़ाने की बात कही कि इन्होंने फौज और पुलिस लगाई डण्डा लाठी चलाया। अभी रेलवे हड़ताल के अवसर पर यही देखा गया। फौज ने व पुलिस ने यहां तक कह दिया कि हम जगह जगह जलियां वाला बाग बना देंगे।

सरकार की अगर नीयत साफ होती तो अवश्य मजदूरों का न्यायपूर्ण पक्ष लेती जैसे बरकत साहब के समय में देखा है हमने। उन्होंने पुलिस पर काफी कन्ट्रोल किया था। आन्दोलन होता था कोई तो उसमें पुलिस को भेजने से साफ इन्कार कर दिया था उन्होंने। हां नागरिक अथवा राजकीय सम्पत्ति की तोड़ फोड़ का अवसर जहां आया वहीं पुलिस को भेजा गया अन्यथा नहीं। पर आज तो पुलिस हर बात पर अपना डन्डा, लाठी लेकर पहुंच जाती है। और हर मजदूरों के आन्दोलन को डण्डा लाठी के जोर से कुचलना चाहती है। चाहे अलवर का आन्दोलन हो, 9 तारीख का ही मामला है, एम. एल. ए. का सिर

(श्री केसरी मल)

फोड़ दिया अगर सरकार ने यह नीति बना ली है मजदूरों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि यह नीति हमें कहां ले जावेगी।

यहां बयान में कहा गया कि मजदूरों ने पैसा चुरा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमूमन छोटे से भी दुकानदार के पास अपना गल्ला रखने का छोटा मोटा लोहे का सन्दूक सा गल्ला रखता है, लकडी का रखता है। लोहे की तिजोरी रखते हैं उसमें बड़े व्यापारी। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान का बेताज का बादशाह बिडला उसके पास क्या वह रुपया पैसा रखने का सन्दूक या तिजोरी नहीं होगी, कोई इसे मान सकता है। उसके पैसे की हिफाजत के लिये तो न जाने कितनी बन्दूकें और गोलियां लिये लोग घेरे खड़े रहते हैं। वैसे बन्दूकों और गोलियों के पहरे में से कोई पैसा निकाल कर ले जाय यह कितनी हास्यास्पद बात है। ये मजदूरों के खून से पलने वाले लोग मजदूरों को ही चोर बताने की हिमाकत करें यह गलत बात और गलत नीति होगी। झूठा इलजाम लगाने की एक साजिश है। हां, कहा जाता है कि पुलिस को घेर लिया, यह मैं मान सकता हूं कि पुलिस को घेर लिया होगा। मजदूर के चांटा लगावें और भीड़ गुस्सा न हो न घेरे यह सम्भव नहीं। यह स्वाभाविक है। इसलिये घेर लेना सम्भव है। पत्थर वर्षा का होना भी सम्भव है। ये मजदूरों के खून के प्यासे मिल मालिक लोग अपनी चालाकी से हकूमत से मिल कर मजदूरों को गुस्सा दिला कर आतंक की स्थिति पैदा करना खुद चाहते हैं। इसके लिये नाटक करते हैं। यह मैंने भुगता भी स्वयं ने और देखा भी है। एक मिल मालिक ने अपने एक नौकर के चांटा लगाया है किसी ने यह दिखाने के लिये मूंज की रस्सी के टुकड़े से उस हिस्से को रगड़ कर लाल कर दिया और तरीके से लाल दिखा कर आरोप लगाया कि चांटा मारा उसकी रिपोर्ट की गई और उसको लेकर सात आदमियों को सस्पेण्ड कर दिया। ये कितने बड़े बेईमान लोग हैं और जालिम हैं। जालसाज हैं इसका और नमूना देखिये। वहां कृष्णा मिल वालों ने 452 का मुकदमा दाखिल किया।

तो मालिक इस तरह के हथकण्डे इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं इसमें तो आज हमारी यह सरकार भी उनसे मिलकर लाठी गोली का निशाना इन मजदूरों को बनाने लग गई है। अगर सरकार इस स्थिति का निर्माण स्वयं अपने हाथों करने के लिये उतारू हो गई है तो एक भरतपुर नहीं देश में कई भरतपुर के नज्जारे दिखलायी देंगे। कई भरतपुर बनेंगे। इस सबकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उस सूरत में।

आज कहा जाता है कि मजदूरों ने पत्थर मारे। मजदूर आखिरी दम तक पत्थर नहीं मारता, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसको मशीनों से, कारखानों से प्यार होता है उसको कारखाने की हर चीज से प्यार है क्योंकि यह उसकी जिन्दगी का, आमदनी का सबसे बड़ा आधार है। मजदूर जानता है वह उसकी देश की सम्पत्ति है। आज भरतपुर का वह कारखाना वैगन बनाता है जो सारे सरकार लेती है। ऐसी स्थिति में हमारा कहना है कि क्यों नहीं सरकार इस

(श्री केसरी मल)

कारखाने का राष्ट्रीयकरण करके अपने हाथों में ले लेती है। आज भी अगर मशीनों को कहीं से नुकसान होने का अन्देशा होता है तो मजदूर अपनी जान पर खेलकर उनको बचाता है। ब्यावर में मजदूरों ने यह किया। मालिक ने साजिश करके कुछ गुण्डे किराये पर करके कारखाने में मशीनों में तोड फोड़ करने के लिये भेजे। उनसे मजदूरों ने बाकायदा मोर्चा लिया और मशीनों को आंच नहीं आने दी।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आज सरकार भरतपुर के मामले में मालिक की तरफदारी करके इस तरह के स्टेटमेन्ट देकर सारे मामले पर पर्दा डालना चाहती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में जो चार बातें रामकिशनजी ने कहीं हैं उनको सरकार माने। मैं उनकी ताईद करता हूं। आज वहां कलेक्टर और आपके नीचे के अधिकारी क्या जांच करेंगे जो स्वयं इसमें इन्वाल्वड हैं जो सुरा और सुन्दरी के गुलाम हैं जिनकी सुरा और सुन्दरी का प्रलोभन देकर इन मिल मालिकों ने अपनी हिफाजत करने वाले पालतू जानवर बना रक्खा है। ये सुरा और सुन्दरी के क्रीत दास जांच नहीं कर सकते। जांच ही अगर करानी है आपको तो ज्युडीशियल जांच करवाइये। मरे हुए मजदूरों के परिवार वालों को मुआवजा भी दिलवाया जावे। गोली चलाने में जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जावे कारखाने को खुलाया जावे। समझौता भंग करने वालों को दण्ड दिया जावे चाहे वह मालिक फिर बिड़ला ही क्यों न हो। उन व्यवस्थापकों को समझौता भंग के आरोप में इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मातहत गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जावे। यह आप करेंगे तो ही मजदूरों को राहत मिलेगी। आप जिस तरह का स्टेटमेंट देकर चलना चाहते हैं उससे यह संकट टलेगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी खुली अदालती जांच कराई जावे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के दुखद काण्ड पर जो सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया उससे इस समाजवादी सरकार के चलने के तरीके की असलियत मालूम होती है। यह सारा काण्ड योंही नहीं हो गया। इस तरह के कितने ही काण्ड होते आ रहे हैं मजदूरों के साथ में। समाजवादी नजरिया अगर इनका है तो मजदूरों के साथ इनका रवैया ही दूसरी तरह का होना चाहिये। पर असलियत दूसरी है। समाजवाद का तो ऊपर से इन्होंने मुखोटा लगा रखा है। अन्दर से तो ये पूरी तरह से भ्रष्ट पूंजीपति और सामन्त हैं। यही कारण है कि आज इन्होंने अपनी पुलिस को इन मोनोपोलिस्ट मिल मालिकों की हर तरह से हिफाजत करने के और मजदूरों पर हर तरह का जुल्म और ज्यादती करने के असीम अधिकार दे रक्खे हैं। इन्होंने दमनकारी नीति अख्तियार कर रखी है। अगर सही समाजवादी दृष्टिकोण होता तो ये घटनायें नहीं घट सकती थीं। इस एक काण्ड का सवाल नहीं है। ये होते क्यों हैं, इस पर विचार करना है आज सरकार की क्या नीति है इस पर गौर करना पड़ेगा। जिस नक्शे कदम पर कांग्रेस चल रही है वह तरीका तो समाजवाद की तरफ जाने का कतई नहीं है

लेकिन इसके बावजूद समय का तकाजा

(श्री मोहरसिंह)
है कि वास्तव में समाजवाद का जहां नारा लगाया जाता है तो उसको असली रूप में चरितार्थ करें....

श्री अध्यक्ष : जिस विषय पर स्थगन प्रस्ताव है...

श्री मोहरसिंह : सही विषय पर आ रहा हूं। हमारी फन्डामेन्टल विचार-धाराओं में डिफेक्ट है। इसलिये ये काण्ड होते हैं। जगह जगह अपना जुल्म इस्तेमाल करते हैं। मजदूरों को बुरी तरह सता रहे हैं। तरह तरह के किस्से राजस्थान में आ रहे हैं। उसी तरह का नमूना भरतपुर में आया है। कहा गया पुलिस पर वार किया गया है, पथराव किया गया है। मुझे मालूम हुआ एक माननीय सदस्य से जो वहां के हैं–घटनास्थल के आस पास में पत्थर ही नहीं है। क्या पहले पत्थर इकट्ठे करवाये गये थे? मजदूरों के लिए इस प्रकार की चीज घड़ी गई है। इसकी सही एन्क्वायरी करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, दो आदमियों का खून किया गया, अखबारों में तीन को बताते हैं। आदमी जरूर गये हैं पता लगाने हमारी तरफ से, साथी रामकिशन जी ने बताया उसके आधार पर कह सकता हूं। पुलिस जिस प्रकार मामले को घड़ रही है मिल मालिकों को खुश करने के लिये घड़ रही है। जैसा हमारा नजरिया अब तक चलता आया है। मजदूरों को पीटने की घटनायें आये दिन होती जा रही हैं।

जब तक प्रशासन का नजरिया नहीं बदलेगा जो भरतपुर का किस्सा हुआ है वह आये दिन जगह जगह होता रहेगा। बड़ा दुखदायी विषय है। थानों पर हम देखते हैं वहां आरक्षी केन्द्र लिखा हुआ होता है लेकिन हालत इन किस्सों से यह है कि रक्षा करना तो दूर इस साइन बोर्डों पर लिखना होगा नरभक्षी केन्द्र। यह भी शायद हमको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार की जलियां वाला बाग की घटना है। आज उस घटना का बदला लेने वाले उधम सिंह की अस्थियों पर फूल माला अर्पित की जा रही है। हमारे पुलिस अधिकारी ये कहें मैं जलियांवाला बाग बना दूंगा इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो जुल्मी अफसर है जो चेतावनी दिये बिना फायर करता है उसको जल्दी से जल्दी सस्पेन्ड करके भरतपुर से अन्यत्र भेज दिया जाय, नहीं तो, एन्क्वायरी में गड़बड़ी करेगा। राज्य के किसी अधिकारी को बैठाने के बजाय किसी हाई कोर्ट लेवल के आदमी को बैठाया जाय। साथ ही मुआवजा उनके घर वालों को दिया जाय।

इसी प्रकार जो गलत मुकदमें मजदूरों पर बनाये हैं मुख्य मन्त्री जी की तरफ से आश्वासन हो कि गलत मुकदमें नहीं बनाये जायेंगे।

ये चार चीजें हैं। इनको माना जाना चाहिये और जल्दी से जल्दी ज्युडिशियल एन्क्वायरी बिठाई जानी चाहिये जिससे मजदूरों को कुछ राहत मिल सके। समाजवाद पर चलने वाली सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही है यह अहसास उनको हो सके लेकिन आज सरकार केवल मिल मालिकों की चापलूसी और चाकरी करने को रह गई है। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है उनको मुआवजा दिया जाय और जो अपराधी हैं, दोषी हैं उनको वहां से

(श्री मोहरसिंह)
हटाकर अन्यत्र भेज दिया जाय और मजदूरों पर किसी प्रकार का मुकदमा न बनाया जाय जब तक जांच न हो जाय।

पिछले इतिहास से आप जानते हैं गलत मुकदमें मजदूरों पर चलते रहे हैं। मैं यह मानता हूं लज्जास्पद घटना है उस पर विचार करना चाहिये और उस पर सख्त कदम उठाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्य।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, कुछ माह पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य तो नहीं दिया लेकिन पुलिस काफ्रेन्स में अपना मत प्रकट किया था कि समय बदल रहा है, समाज विकृत होता जा रहा है, अभाव अभियोग सन्तप्त है, आक्रोश है इस संदर्भ में पुलिस का कर्तव्य भी बदलता है और पुलिस को यह समझकर अपने कर्तव्य को इस संदर्भ में में किस प्रकार जनता से व्यवहार किया जाना चाहिये, इस प्रश्न को विचार करना चाहिये और फिर अपने को बदलना चाहिये। मुख्य मंत्री जी का आग्रह पुलिस की मान्यताओं को, पुलिस की स्थिति को जो पहले से चली आ रही है, उनको बदलना था लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य मंत्री जी का मत, उनका आग्रह जबसे उन्होंने भाषण दिया तब से मेरा विश्वास है पुलिस इस वर्तमान समय के संदर्भ में नहीं बदल रही है।

डेमोक्रेसी, आन्दोलन और मजदूरों की उग्रता, महंगाई, ये सारे प्रश्न ऐसी विकृति में होते जा रहे हैं, इसको बदलना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में इस प्रश्न को देखा जाना चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

मैं इसके वाकियात पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन राइट आफ सेल्फ डिफेन्स जो अपनाया है अभी, मैं चाहूंगा एन्क्वायरी बाकी है और मुख्य मंत्री जी का अपना सेल्फ डिफेन्स का स्टेटमेंट हो गया और तथ्यों के आधार पर स्टेटमेंट दे देते तो मुमकिन है सदन की समझ में आता कि निष्पक्षता से आपने तथ्यों को रखा है लेकिन राइट आफ सेल्फ डिफेन्स आपने कह दिया और राइट आफ सेल्फ डिफेन्स कहने के बाद ए. डी. एम. या पार्ट एन्ड पार्सल आफ दी एडमिनिस्ट्रेशन है और ए. डी. एम. इज पार्ट एण्ड पार्सल आफ दी मैनेजमेंट है। आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे वहां का ए. डी. एम. या दूसरा ए. डी. एम. कितनी निष्पक्षता से एन्क्वायरी कर सकता है जबकि आपका राइट आफ सेल्फ डिफेन्स का मत है।

अगर प्रापर्टी को नष्ट होने का खतरा पैदा हुआ तो सेल्फ डिफेन्स का कोई कारण नहीं होना चाहिये और अगर प्रापर्टी नष्ट हो रही है तो गोली से जवाब नहीं देना था। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं पुलिस को मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिये और पुलिस को मैनेजमेंट का अध्ययन करना चाहिये। उनका मानस किस तरह पैदा हुआ कि उनका राइट आफ सेल्फ डिफेन्स पैदा हो गया था, किस प्रकार एस्टाब्लिश करके कहा गया। आप सैकड़ों जजमेंट देखेंगे जिनमें शहादत को फेब्रीकेट करने का आरोप स्पष्ट मिलेगा अगर ऐसी स्थिति में प्रापर्टी के सम्बन्ध में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सेल्फ डिफेन्स की भ्रांति में बुलेट तो नहीं चलानी चाहिये। आदमी मारे गये यह समझ में नहीं आता सामान्य स्थिति से उग्रता पैदा हुई जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकट की है जिसमें फेब्रीकेशन के बहुत आधार हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपकी भावनाओं को ऐसा उग्र नहीं करना चाहता हूं जिससे आपको सदमा हो लेकिन दो आदमी मरे और एक और के मरने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आपका ए.डी.एम. को जांच करने के लिये कहना न्याय संगत नहीं है। मोर्चे होती हैं बुलेट चलती हैं और इस विषय में स्थिति पैदा करके मजदूरों को उग्र किया गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि आपका सदन को कान्फीडेन्स में लेने का ही केवल कर्तव्य नहीं है बल्कि जनता को कान्फीडेन्स में लेने का कर्तव्य भी है। इसलिये अब आपको टेस्ट करने का मौका आया है। राजस्थान की जनता को कान्फीडेन्स में लिया जाय और पुलिस के कथन का परीक्षण किया जाय कि यह राइट आफ सेल्फ डिफेन्स का प्रश्न पैदा होता है या नहीं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं यह आक्रोश बढ़ने वाला है। दिन ज्यादा खराब आ रहे हैं इसलिए जनता को विश्वास में लेना चाहिये। और विश्वास में लेने का आधार मुख्य मंत्री जी सिर्फ यह है कि यह टेस्ट आपका यहां हो रहा है कि जहां दो लाशें पड़ी हैं वहां ए.डी.एम. को आप कहते हैं कि जांच कर डालो और पुलिस के अधिकारी वहीं के वहीं रहें। ए.डी.एम. और पुलिस के अधिकारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, पुलिस अधिकारी और मैनेजमेन्ट एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए राजस्थान की जनता को विश्वास देना आपका कर्त्तव्य है क्योंकि आगे आने वाला समय आपका और भी विषम है, विकृतियों से भरा है इसलिए जनता को विश्वास देने के लिए जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए आर्डर देना आपका कर्तव्य है ताकि आने वाले दिनों में आपमें विश्वास पैदा हो और लोग कह सकें कि पुलिस यदि ज्यादती करती है तो हमारे मुख्य मंत्री उसका नियंत्रण करते हैं। इसलिए फेब्रीकेशन के एलीमेंटस आयेंगे, शहादतें बनेंगी। 25 हजार रुपये लेकर चले गये। यह बहुत साधारण से एलीगेशन हैं। आर्डीनरी थेफ्ट में भी कागनीजेबल आफेन्स बनाने के लिए रुपये जेब से लेकर चले गये, घर से लेकर चले गये—इस तरह की शहादत बनाई जाना मामूली सी बात है। इतना बड़ा मैनेजमेन्ट और 25 हजार की लूट बताई उसमें कोई असाधारण बात नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में निष्पक्षता की जांच कराने के लिए, भरतपुर की जनता को विश्वास देने के लिए और गवाहों को निष्पक्षता से आने देने के लिए कोई ए.डी. एम. माध्यम नहीं हो सकता। पुलिस गवाहों को लायेगी। गवाह स्वयं आयें और पुलिस नहीं लाये, निडर होकर आयें, न्याय के मार्ग पर आयें और आपको विश्वास देते हुए आयें यह संभव नहीं। हम पुलिस को सुधारना चाहते हैं और आज के सन्दर्भ मे पुलिस सुधरे, इस सन्दर्भ से मेरा विश्वास है कि सदन की भावनायें आप समझेंगे, भविष्य की भावनायें आप समझेंगे। जनता में जो आक्रोश बढ़ रहा है उसको आप समझेंगे

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

और जनता को विश्वास में लाने की प्रक्रिया के स्वरूप आप जुडीशियल इन्क्वायरी की बात को मन्जूर करेंगे और जब आप जुडीशियल इन्क्वायरी को बात को मन्जूर करते हैं तो वहां से पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर करने पर भी सोचें। डी.एस.पी. और एस.पी. सेल्फ डिफेन्स के राइट को जब असर्ट करने के लिए कहते हैं तो फिर दूसरा पक्ष भी राइट्स असर्ट करेंगे तो जब तक राइट्स असर्ट नहीं हो जाते तब तक मैनेजमेन्ट और डी.एस.पी. एक्यूज्ड हैं। कौन सही है और गलत है यह अभी द्वन्द पड़ा हुआ है। आप उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेण्ड कर सकें तो अच्छा है। अगर आप इस नतीजे पर आचुके हैं कि राइट आफ सेल्फ डिफेन्स किसी व्यक्ति की जान को खतरा होने पर नहीं हुआ क्योंकि पुलिस वाला कोई नहीं मारा गया। प्रापर्टी के सम्बन्ध में राइट आफ सेल्फ डिफेन्स था और प्रापर्टी के संबंध में बन्दूक चलाई जाना तो कानून के माफिक नहीं। मैं आग्रह करूंगा कि वहां के स्टाफ को हटाइये, सस्पेण्ड कीजिए। आप इतनी हिम्मत रखते हैं तो आप दोनों तरफ के लोगों को कस्टडी में लें और जुडीशियल इन्क्वायरी करा दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपमें जनता का विश्वास होगा और आपका भाषण पुलिस को दिशा बतलाने का जो था उसका भी टेस्ट हो जायेगा। इसलिए जुडीशियल इन्क्वायरी ही एक तरीका है जिससे जनता को विश्वास में ले सकते हैं और मेरा खयाल है कि जहां लाशें गिरी हों, फेब्रीकेशन्स के एलीमेन्ट्स हों, ए. डी. एम. और पुलिस मिलकर कार्य करती हो–इस सन्दर्भ में स्वतः ही डिसीजन आप लेंगे और जुडिशियल इन्क्वायरी का आदेश लेकर जनता में विश्वास पैदा करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय···

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें भी थोड़ा समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं प्राथमिकता उनको देना चाहता हूं···

श्री नत्थासिंह : हरिजन मरे हुए हैं इसलिए मुझे कुछ जानकारी है···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : यह इन्टक का प्रश्न है इसलिए हमें भी बोलने का अधिकार मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सुनिये ! मैं यह कह रहा था कि जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव हैं पहले वह बोलें। उसके बाद में और लोग चाहेंगे तो मैं समय दे दूंगा। एक बात जरूर कहना चाहता था कि भाषण के समय नियंत्रण रखना है। जैसी आपकी मर्जी हो वैसे ही कर सकते हैं। जैसी सदन की इच्छा हो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए डिबेट होना जरूरी है और वक्त इतना जरूरी नहीं है जितना कि लोगों का खून बहा है। हम डिबेट करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : डिबेट करने से मना नहीं किया। मैंने समय की बात कही है और आपने डिबेट की बात समझ ली। मैं यह जानना चाहता था कि कुछ समय का नियंत्रण रखना है या नहीं रखना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : समय का नियंत्रण तो क्या खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : वह तो मैं कर लूंगा। मैं तो समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हर एक सदस्य अपनी बात कहेगा तो दस दस मिनिट बोल लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सबसे बड़े कारखानेदार और देश के सबसे बड़े इजारेदार के पक्ष में आज जो बयान सदन में प्रस्तुत हुआ है उसके बाद मेरा विचार है कि कांग्रेस के भी बहुत से सदस्य जो कि नहीं चाहते'' '

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि हर माननीय सदस्य को दस दस मिनिट दूंगा। 5 मिनिट में घन्टी बजा दूंगा और 10 मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कृष्ण जन्माष्टमी के केवल 7।। घन्टे बाद भरतपुर के अन्दर' ''

कुछ माननीय सदस्य : पहले, पहले ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कुछ फर्क नहीं पड़ता है पहले या बाद में। इस राज्य के बिरला भक्तों के लिए क्या फर्क पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, बिरला जी के कारखाने में गोलियां चलीं और मजदूर मारे गये। राज्य सरकार का कहना है कि दो मजदूर मरे हैं और अखबारों का कहना है कि 10 मारे गये और 12 घायल हो गए। अलग अलग क्लेम्स हैं अखबारों के अन्दर और राज्य सरकार के और माननीय सदस्यों के। लेकिन गोलियां चली हैं और एक दो राउण्ड नहीं 14 राउण्ड गोलियां चली हैं–इसमें कोई दो राय नहीं है और दो गोलियां छाती में लगी हैं तो पीठ में भी लगी हैं। जो व्यक्ति अभी हास्पीटल के अन्दर पड़ा हुआ सिसक रहा है बिशनसिंह उसकी पीठ में गोली लगी है जो कि सारे शरीर को चीरती हुई शरीर के बाहर आई है। जिस प्रकार का बयान माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है कि 3 लाख की सम्पत्ति का नुकसान हो गया और 27 हजार रुपये लूट लिए गए और फैक्टरी में आग लगा दी गयी। ऐसा मालूम होता है कि राज्य करने वाले लोगों ने भी आज बिरला जी की वकालत करने का इस सदन के अन्दर ठेका लिया हुआ है। यह छिपी हुई बात नहीं है कि जहां जहां बिरला की फैक्ट्रीज हैं चाहे वह ग्वालियर की जीयाजी राव की फैक्टरी हो, चाहे एल्यूमिनियम की फैक्टरी हो या वह बिरला टैक्सटाइल हो आज देश जानता है कि बिरला हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन को खरीदता है, बिरला कर्मचारियों को खरीदता है। भरतपुर की सिमको फैक्टरी का भी इतिहास रहा है। दो दो महीने हड़तालें रही हैं और बिरला जी ने फैक्टरी के अन्दर लाक-अप किया और तिरंगे झण्डे को लेकर हड़तालें चली हैं और जो समझौते थे उनकी रक्षा नहीं हुई है। सिमको फैक्टरी की हमेशा सरकार ने रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि आज तक सिमको में दो दो महीने की हड़ताल हुई, लाक-अप की स्थिति आ गयी लेकिन कभी आग नहीं लगी, कभी लूट नहीं हुई, कभी इस तरह की घटनायें नहीं हुईं।

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

कोई भ्रान रैकर्ड हो तो राज्य करने वाले लोग बतायें कि क्या कभी ऐसी घटना इसके पहले हुई है और जन्माष्टमी के दिन इस प्रकार की घटनायें हो जायें, वहां गोलियां चल जायें और लूटने के लिए मजदूर आमादा हो जायें।

आखिर यह आपकी इजारेदारों की रक्षा करने की नीति कब तक चलेगी ? आज सौ रुपये के नोट को जब्त करने के लिए, काले धन को खत्म करने के लिए आप तैयार नहीं हैं लेकिन बढ़े हुए मंहगाई भत्ते को बढ़ी हुई तनख्वाह को आप फ्रीज करना चाहते हैं। आप इन इजारेदारों की सम्पत्तियों को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहते हैं। आज आप देश के दो सौ परिवारों की सम्पत्ति पर हाथ नहीं डालना चाहते। आज आप 75 परिवारों की सम्पत्ति के हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। इस भयंकर मंहगाई के अन्दर जब कि इंडेक्स नम्बर रिकार्ड तोड़ रहा है, आज तक आप हाथ नहीं डालना चाहते और मजदूरों की तनख्वाह को फ्रीज कर उस पर हाथ डालना चाहते हैं, कर्मचारी की तनख्वाह पर हाथ डालना चाहते हैं। आज आपका एडमिनिस्ट्रेशन बन्दूक पकड़ कर इन इजारेदारों की रक्षा करने के लिए उनका रक्षक बन कर खड़ा हो जाता है और मजदूरों की छातियों में गोलियां उतार कर छलनी करना चाहता हैं इससे ज्यादा लज्जाजनक और क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सफाई दी गई वह झूठी सफाई है। वह राज्य गृह मंत्री नहीं बोल रहा है, वह देश के शासक लोगों को अपने हाथ में चलाने वाला, देश की नीतियों के अन्दर मोड लाने की शक्ति रखने वाला देश का इजारेदार बोल रहा है। नहीं तो, देश का गृह राज्य मंत्री जब सफाई दे रहा है, गृह मंत्री जब सफाई दे रहा है तो जब कि साढ़े सात बजे गोलियां चली, जब मेरे दफ्तर में टेलीफोन आ रहे थे, सारी जगहों पर टेलीफोन आ रहे थे तो देश के गृह राज्य मंत्री खुद भरतपुर में होते। खुद मौके पर होते। खुद जाकर मौके की जांच करते। लेकिन आज इस देश की बागडोर उसके साथ में हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम देश की अर्थ व्यवस्था को इन 75 और 200 परिवारों से मुक्त करें। आज अगर देश के अन्दर आपको मंहगाई खत्म करना है तो वह मजदूर की छाती को चीर कर मंहगाई खत्म नहीं होगी, वह मंहगाई मजदूर को दबाकर खत्म नहीं होगी और अगर आपका इन इजारेदारों की सम्पत्ति को ले लेने का मानस नहीं बनता और आप इजारेदारों के चौकीदार बन कर बैठे रहते हैं तो वह दिन दूर नहीं है जब यह जनता आपसे राज्य करने का अधिकार छीन लेगी। वह वक्त आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, यही ग्वालियर के अन्दर हुआ था। इसी प्रकार से बिरला की मिल के अन्दर जियाजी राव फैक्ट्री के अन्दर हुआ था। वहां पर भी इसी प्रकार से गोलियां चलीं। मध्यप्रदेश के अन्दर। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी जब वहां के एम. एल. एज. ने

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

हड़ताल की तो वहां के संचालक गुप्ता साहब के हाथों में, जहां पर कि हजारों मजदूरों ने हड़ताल कर जुलूस निकाला था; उसी जगह से मैनेजमेंट के हाथों के अन्दर वहां के मैनेजमेंट को पकड़ करके उनके हाथों के अन्दर हथकड़ियां डालीं। आज वही ताकत के लिए मैं राज्य के मुख्य मंत्रीजी से बड़े अदब और कायदे से कह देना चाहूंगा कि अगर मजदूरों के हितों के अन्दर वह अपना समर्थन प्रकट करना चाहते हैं, अगर उनके राज्य का प्रशासन राज्य के अन्दर कुछ मजदूरों के हित में कदम उठाना चाहता है, अगर वह प्रतिक्रियावादी, दक्षिण पंथी ताकतों से लोहा लेना चाहता है तो उनका पहला काम यह होना चाहिए कि बिरला साहब, गोयनका साहब और चतुर्वेदी साहब के हाथों में हथकड़ी डालें और जिस जगह पर मजदूर का खून गिरा है उसी जगह से उनको हथकड़ी डाल कर ले जायं। आखिर वहां पर डी. एस. पी. क्या करते हैं ? आई. जी. क्या करता है ? जगह जगह पर मजदूरों पर गोलियां चले। इजारेदारों का महन्त श्रीवास्तव अपनी फैक्ट्री गंगानगर में गोलियां चलावें। कई गुण्डों को बुला कर विभिन्न फैक्ट्रियों में गोलियां चलाई जाती हैं। कई जगह बिरला साहब स्वेच्छा से उनके अपने हित में वे फैसला कर लेते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। उन पर महंगाई भत्ता का फार्मूला लागू नहीं होता, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता, कोई मजदूर कानून लागू नहीं होता और उनकी प्रोपर्टी के सैल्फ डिफेंस की बात की जाती है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इससे ज्यादा लज्जाजनक स्थिति नहीं हो सकती कि हमारे देश के सबसे बड़े इजारेदार के सम्बन्ध में, उसकी प्रोपर्टी के सम्बन्ध में सेल्फ डिफेंस की चर्चा करें। उसकी प्रोपर्टी का झगड़ा हुआ तो कई मजदूरों की पीठ से गोलियां निकाल दी गईं। क्या कोई मजदूर के हाथ में बन्दूक थी ? कोई मजदूर के हाथ में बेलचा था कोई डांगा था ? कोई गोली चला रहा था उसके विरुद्ध माइल्ड हथियार भी काम में लिया जा सकता था। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि राज्य के मुख्य मंत्री ने उनके सीधी गोलियां दाग दीं और मजदूर की छाती को छलनी कर दिया ? कौन सी इस प्रकार की स्थिति थी ? मैं कह देना चाहता हूं अदब और कायदे के साथ कि देश की करोड़ों जनता आपकी ओर देख रही है और यह देश की साठ फी सदी नेशनल वैल्थ आज दो सौ जेबों में सिकुड़ कर इकट्ठी हो गई जो आपने इन दो सौ परिवारों को दे रखी है, जिससे देश की इंडस्ट्रियल हालत, देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। जिससे काले धन की दीवार खड़ी हो गई है। आज मजदूर, किसान, कर्मचारी, विद्यार्थी और मध्यम वर्ग के लोग, ये छोटे पूंजीपति सब मिल कर इस दीवार को तोड़ने के लिए एक जुट हो चुके हैं जिनसे कोई डिफेंस इन परिवारों को, इन इजारेदारों को नहीं बचा सकती, कोई शक्ति नहीं बचा सकती।

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू।

श्री मीठालाल।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के

(श्री खेत सिंह)

17 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक 12 अगस्त, 1974 को मध्याह्नोत्तर 4.15 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 13 अगस्त से 16 अगस्त, 1974 तक लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाय।

मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 1974 :

(1) राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1974।

(2) राजस्थान मोटरगाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974।

(3) राजस्थान यात्री एवं माल कर (संशोधन) विधेयक, 1974।

(4) राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार व उनका पारण।

बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 1974 :

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) विधेयक, 1974।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974।

(3) राजस्थान कृषि उपज विपणि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उनका पारण।

गुरुवार, दिनांक 16 अगस्त, 1974 :

(1) राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974।

(2) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974।

(3) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उनका पारण।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 17 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रगट करता है।

(स्वीकृति)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

सिमको वैगन फैक्ट्री में हुए गोली कांड पर अग्रेतर विचार

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गृह राज्य मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है और दूसरी तरफ माननीय रामकिशनजी बोले हैं इस सदन के अधिकांश सदस्यों के गले, मैं समझता हूं कि रामकिशनजी की बात ज्यादा उतरी बनिस्बत राज्य मंत्रीजी की। और राज्य मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है वह इस ढंग का दिया गया है जो अधिकांश सदस्यों के, मैं समझता हूं कि सारे माननीय सदस्यों के, मन में एक अलग तरह की भ्रांति पैदा हो गई है। अगर सिमको के प्रबन्धक गोयनकाजी या चतुर्वेदीजी स्टेटमेंट देते, या मिस्टर विश्नोई द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता तो मैं समझता हूं कि इसके स्टेटमेंट और गृह राज्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं होता। और जहां तक तर्क की बात है, गृह राज्य मंत्रीजी की शायद यह बात भी गले नहीं उतरी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वह कहां तक उचित है। इस मामले

(श्री मीठा लाल)

में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किए हैं। मैं दो तीन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो यह कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई और इस स्थिति को अगर समय पर सम्भाल लिया जाता तो जिन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अगर पहले सम्भाल लिया जाता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा ही नहीं होती, क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ भी, जिन्होंने समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया उन अधिकारियों के विरुद्ध भी, कुछ कार्यवाही करने के बारे में सोचेगी ?

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि उस सिमको कारखाने के प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर, आज तक जितने भी समझौते हुए हैं उन समझौतों का प्रबन्धकों ने पालन नहीं किया और जो स्टेटमेंट पुलिस के मार्फत आया है, अधिकारियों की ओर से, पुलिस की ओर से, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? और इससे ऐसा जाहिर होता है कि पुलिस ने ही अगुवा बन कर मजदूरों पर नाजायज तरीके से प्रहार किया और मजदूरों के साथ गाली गलोच किया। यह कहीं भी गले उतरने वाली बात नहीं है कि तीन हजार मजदूरों के बीच में कुछ पुलिस कर्मचारी या अधिकारी जा करके उनमें बीच बचाव करें और मजदूरों की ओर से झगड़ा किया जावे। झगड़ा पुलिस द्वारा किया गया, केवल इने गिने पुलिस कर्मचारियों के मामूली चोट आई।

अगर इन मजदूरों की ओर से झगड़े की कोई बात होती, मजदूर उनको मारना चाहते तो पुलिस कर्मचारी तो थोड़े थे और मजदूर तीन हजार के करीब थे। वे इन पुलिस कर्मचारियों की तुलना में काफी थे और पुलिस कर्मचारी इने गिने थे वे चाहते तो उनको भारी आघात पहुंचा सकते थे। दूसरी बात कही गई कि उन्होंने कारखाने में आग लगाई, ये सब ऐसी बातें हैं जो पुलिस ने अपने बचाव के लिये मनगढन्त तरीके से रखी हैं। जब गोली चली तो वहां पर कोई न्यायाधीश नहीं था। अगर न्यायाधीश वहां पर होता तो मालूम हो सकता था कि गोली चलाना आवश्यक था या नहीं। इस घटना के समय वहां पर कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं होने के कारण पुलिस अधिकारियों ने मनमानी तरीके से गोलियां चला दीं और खुद के बचाव के लिये गोलियां चलाईं। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिये। ए. डी. एम. से न्यायिक जांच कराने के आदेश देना कोई उचित निर्णय नहीं है। इसके लिये उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करायी जानी चाहिये। इस गोलीकांड में जो आहत हुए हैं, जो मजदूर शहीद हो गये हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये और डी. वाई. एस. पी. मिस्टर विश्नोई हैं या जो अन्य सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने कि नाजायज तरीके से गोली चलायी है उनको भरतपुर से निकाल दिया जाये ताकि सही जांच हो सके। यह सुनने में आ रहा है कि चतुर्वेदी नाम के जो प्रबन्धक हैं उन्होंने पहले गोली चलाना प्रारम्भ किया था। उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिये और उनको तत्काल गिरफ्तार करके उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच में जो समझौता हुआ था, और बाद में समझौते को टालते रहे, इस समझौते से

(श्री मीठा लाल मीणा)
मुकरते रहे। इस बीच में मजदूरों का-नुकसान हो गया। इसलिये इसकी तत्काल जांच करके उचित मुआवजा दिया जाये।

श्री झाबरमल सूण्डा : अध्यक्ष महोदय मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन तो नहीं था, किंतु एक मिनिट निवेदन करना चाहता हूँ,

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के एडजोर्नमेन्ट मोशन हैं वे ही कृपया बोलें।

श्री रतिराम यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, सिमको वेगन फैक्ट्री में जो गोली काण्ड हुआ उसके बारे में गृह मंत्री महोदय ने जो सदन में बयान दिया है मैं समझता हूं कि वह बिलकुल बनावटी और फर्जी है। इससे यह जाहिर होता है कि वास्तव में आज की यह सरकार जो एक तरफ यह कहती है कि वह समाजवादी सरकार है, समाजवाद के नारे देती है, दूसरी तरफ मिल मालिकों की तरफ इस प्रकार की कार्यवाही करके वफादारी प्रकट करती है। इससे यह सब प्रकट होता है कि एक तरफ आप अपनी रिपोर्ट में स्वतः ही मानते हैं कि वहां के जिलाधीश ने इस प्रकार के आदेश दिये कि 61|— रुपयों का पेमेन्ट कर दो। उसके बाद में समझ में नहीं आता कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हुईं, ऐसी कौनसी रुकावटें आईं जिनको वजह से इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इसकी नौबत आ गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में यह जो हमारी सरकार की मौजूदा नीतियां है, स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि जब से हमारे मुख्य मन्त्री ने हमारे राजस्थान की बागडोर सम्भाली है तब से उन्होंने पुलिस को इस प्रकार की खुली छूट दे दी है। इस प्रकार से पुलिस में अनुशासनहीनता व्याप्त हो गई है। जगह जगह से इस प्रकार के समाचार मिले हैं। हमारे मुख्य मन्त्री कहते हैं कि वे गरीबों के हिमायती हैं। वे कहते हैं मेरी सरकार का तो यह सब से पहला कर्तव्य होगा कि इस राज्य के अन्दर हरिजनों की रक्षा हो, इस राज्य के अन्दर गरीबों, मजदूरों और किसानों की रक्षा हो और दूसरी ओर प्रत्यक्ष में इस प्रकार के हत्याकांड देखने में आ रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि इनके मुख्य मन्त्रीत्व काल में जितने भी मसले देखने में आये हैं, ऐसे मसले अधिकतर मिलेंगे जहां पर पुलिस के द्वारा गरीबों पर अत्याचार हुए हैं, उन पर गोलियां चलाई गई हैं और हरिजनों के साथ अत्याचार किये गये हैं। दूसरी तरफ ऐसे मामले भी कम देखने को नहीं मिलेंगे जहां कि हरिजनों पर जुल्म ढाये गये हैं, उनकी झोपड़ियों को जला दिया गया है और हरिजनों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये हैं यहां तक कि अबलाओं के साथ अत्याचार किये गये हैं। ऐसी जगहों पर इनकी लाडली पुलिस इनकी रक्षा को नहीं पहुँची। मेरे पास ऐसे मसले है अगर मुख्य मन्त्रीजी कहेंगे तो मैं इनको सदन में रखूंगा। इनके मुख्य मन्त्रीत्व काल में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, इनकी लाड़ली पुलिस ने अबलाओं के साथ बलात्कार किया है, न केवल असामाजिक तत्वों के द्वारा बल्कि इनकी लाड़ली पुलिस के द्वारा भी बलात्कार हुए हैं और उनके प्रति आवाज उठाई गई, शिकायत की गई लेकिन आज तक उनके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की

(श्री रतिराम)

घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में अलग से स्थगन प्रस्ताव रखूंगा। तब विस्तार से उनके बारे में प्रकाश डालूंगा कि पुलिस का दमन इनके मुख्य मंत्रीत्व काल में हमारे प्रान्त में बढ़ा है विशेष रूप से यह जो सिमको फैक्ट्री है, उसकी जो यह घटना है वह वास्तव में एक ऐसी भयंकर घटना है इनके काल की कि इसके बारे में अफसोस होना चाहिए और मैंने यह देखा है कि इसके बारे में अफसोस तो दूर रहा बल्कि जो कुछ हुआ है, जो मजदूरों का खून बहा है, उनके बारे में इनके मुंह से इस रिपोर्ट में एक शब्द भी नहीं है। उनके बारे में व्यक्तिगत तौर से इस बात को नहीं कहा है कि इसके बारे में इन्क्वायरी करा कर जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे मेनेजमेन्ट का हो, उसको फौरन सस्पेन्ड करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जो मजदूर मरे है, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं हैं और फौजी तौर पर राहत देंगे, ऐसी भी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। ऐसी कोई बात इस सदन के सामने नहीं रखी है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री को कि यह जो घटना हुई है वह एक बहुत भयंकर और शर्मनाक घटना है इनके मुख्य मन्त्रीत्व काल की। इस पर एक मानवीय आधार पर विचार करना चाहिये। मुख्य मन्त्री होने के नाते उनको इस पर विचार करना चाहिये इससे भी अलग हट कर इनको मानवता के आधार पर विचार करना चाहिये। वहां पर जो भी मजदूर मरे हैं, जो हमारे समाज के सबसे पीड़ित हैं, जो पददलित वर्ग के हैं उनको राहत दी जाये। मैं यह भी मांग करूंगा कि इस गोलीकांड में जो पुलिस अधिकारी, प्रशासन के लोग अथवा मेनेजमेंट कमेटी के लोग दोषी हैं उनको शीघ्र ही सस्पेन्ड किया जाये, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये।

दूसरी मैं यह मांग करता हूं कि जो भी मृक हैं, इसके नीचे जो मजदूर मरे हैं उनके परिवार के लिए मुआवजा दिया जाय।

तीसरी मांग मैं यह करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो इस रिपोर्ट के अन्दर जो गृह राज्य मंत्री ने रखा है कि वहां पर एस. डी. एम. साहब को न्यायिक जांच के लिये कह दिया गया है, मुझे इस बात में सन्देह है और मैंने जगह जगह देखा है कि कहने को यह कहा जाता है कि राजस्थान में ज्युडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया गया है लेकिन असली तौर पर, जब पुलिस दमन के बारे में अपना प्रस्ताव लाऊंगा उस समय मैं यह बात रखूंगा कि किस तरह से असल के अन्दर यह एक्जीक्यूटिव और ज्युडिशल पावर अभी तक राजस्थान के अन्दर मिली हुई है और पहले से भी खतरनाक स्थिति इस राज्य के अन्दर पैदा हुई है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी स्थानीय अधिकारी से इसकी जांच नहीं करायें बल्कि बाहर से कोई उच्चाधिकारी इसकी न्यायिक जांच करे। इतना ही मुझे इसके बारे में कहना है।

श्री मौहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : (श्री सुरेन्द्र व्यास से) आपका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ई मेरा एजोर्नमेंट मोशन।

श्री अध्यक्ष : आपके लिये नहीं कह रहा हूं माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से एजोर्नमेंट मोशन तो नहीं है...

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा था कि पहले जिनका स्थगन प्रस्ताव है उनको मौका दिया जाय उसके बाद में और लोगों को दिया जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अगर आप इजाजत दें तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, असल में इस सवाल के ऊपर दो किस्म के बयानात आये हैं। एक तो हमारे माननीय सदस्य रामकिशनजी ने कुछ तथ्य रखे हैं और एक मिनिस्टर आफ स्टेट की तरफ से यह तथ्य रखें। तो इन तथ्यों के अन्दर जो वाकेआत अक्ल के मुताबिक सही हों उनको आधार बनाकर हम कहें तो यह बिलकुल स्पष्ट है कि दियासलाई की आग से या छोटी मोटी गर्मी से कोई सिलेण्डर बस्र्ट नहीं हो सकता है, न ऐसी घटना घटित हुई है जैसा कि यहां पर देखा जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि 25 आदमी जख्मी होते हैं तो हमारा यह फर्ज है कि हम उन 25 आदमियों के बारे में जानें, लेकिन जो मरे हैं उनके बारे में जानकारी है या नहीं ? वे जख्मी हुए हैं तो कौन से अस्पताल में दाखिल किये गये और क्या इलाज किया गया ? किस स्टेट्स के वह लोग थे ? तीसरी चीज यह है कि तीन हजार का मजमा था और पुलिस बहुत सीमित थी तो अगर मजदूर वायलेन्स पर उतर आता तो उनको समाप्त नहीं किया जा सकता था ? असल में यह चीजें उभर कर आती हैं। दोनों बयानात को इस बैकग्राउण्ड पर आपको देखना होगा। राज्य सरकार की नीति हमेशा सरमायेदारों के पक्ष में रही है, पूंजीपतियों के पक्ष में रही है। इनका प्रशासन जो है वह इतना करप्ट है कि वह उनके साथ में बिका हुआ है। हम यह मानकर चलते हैं कि जो लोग रिश्वतें खाते हैं, पूंजीपतियों के साथ बैठकर शराबखोरी करते हैं या किसी किस्म से उनके साथ एसोशियेट होते हैं तो उनकी एन्क्वायरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में आपको तय करना होगा। अगर राज्य सरकार असल में यह चीज चाहती है कि एक क्लीन प्रशासन हो, साफ सुथरा इन्तजामियात कायम हो तो फिर राज्य सरकार को इन तथ्यों को रखने से पहले मुख्य मंत्रीजी को जाना था, गृह मंत्री को और ट्रेजरी बैन्चेज के जो मिनिस्टर्स हैं उनको जाना चाहिए था और पता लगाना चाहिए था कि वह कहां तक सही है कि सिलेण्डर बर्स्ट दियासिलाई से हो सकता है। हम लोग सिलेण्डर हर घर में इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसी घटनाएं घटने लग जायें तो कोई आदमी जिन्दा न रहे। यह जो तथ्य है वह साइन्टिफिकली और मेटेरियली बिल्कुल गलत मालूम होते हैं अगर गलत है तो फिर मैं समझता हूं कि हमारी इस सदन की गरिमा का, हमारी परम्पराओं का उल्लंघन है, और इसके लिए हम उन साहब

(श्री मोहम्मद गफ्फार मंजी) को जिन्होंने यह बयान किये हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं। मैं यह चाहूंगा कि ज्युडिशियल एन्क्वायरी होगी वह होती रहेगी, उसके पहले इस सदन के अपोजीशन के एक एक मेम्बर और कांग्रेस दल के भी कुछ मेम्बर सभी आ जायें और स्पीकर साहब उनको नामजद कर दें सब वहां जाकर पता लगायें ज्युडिशियल एन्क्वायरी के लिए आइमाफेशी बात को सही करने के लिए। यह बात सही है कि कागज पकड़े गये थे और आग लगाई गई। उनका दर्शन यह है कि दियासिलाई से आग लगाई थी। यह बात सही है कि बिरला साहब का आफिस इन्टेक्ट रहा और बाकी सब चीजें टूट गईं। मैं यह आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को आप स्पीकर साहब पर छोड़ दें कि इस मामले की एन्क्वायरी के लिए एक कमेटी का निर्माण कर दें जिसमें कांग्रेस के लोग जो हैं वह भी हों और अपोजिशन के भी लोग एक एक पार्टी में से एक एक ले लिया जाय, तो हम सब स्पॉट पर जाकर एन्क्वायरी करने को तैयार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस प्रपोजल को नहीं मानना चाहेगी, क्योंकि उनकी सांठगांठ पूंजीपतियों के साथ यहां पर ही नहीं हिन्दुस्तान भर में बड़े पैमाने पर है। अपोजिशन के लोग हैं तो उसको नजरअन्दाज किया जा सकता है। अपोजिशन के लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है तो 100 रुपये के नोट बन्द कर दो लेकिन उनको आप वापिस नहीं लेना चाहते हैं। करेन्सी इन्फ्लेशन को नहीं रोका जा सकता है, महंगाई को कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है और मजदूरों पर कन्ट्रोल किया जा सकता है और ऐसे जरिये इस्तेमाल किये जाते हैं कि जिनसे मजदूरों पर बरडन पड़े और उनका पैसा वहां पर जमा होता रहे और उसका फायदा वह पूंजीपति लेता रहे।

इसमें 2 मरे हैं या 5 मरे हैं या 10 मरे हैं क्योंकि कुछ अखबारों में 10 की रिपोर्ट है। वह मैं मानता हूं कि वह मुबालिगहाल रिपोर्ट है। इस तरह से आदमियों का गोलियों से मर जाना एक गम्भीर घटना है। यह एक चुनौती है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी जम्हूरियत के लिए, हमारी उन परम्पराओं के लिए जिनको हम यहां पर कायम करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्युडिशियल एन्क्वायरी की मांग जो है वह उचित है, लेकिन उनके लिए कम से कम हजार रुपया फी परिवार मिलना चाहिए जो जख्मी हो चुके हैं, और मजदूर जो काम करता हुआ मर जाता है तो उसको 10 हजार मिलता है, किसी घटना में मर जाता है तो उसको 10 हजार मिलता है और जो आज को गोलियों का शिकार हुआ है वह हकदार है कि फौरन 10 हजार उसकी फेमिली को मुआवजा दिलवायें। जो जख्मी हुए हैं उनके बारे में जो गृह मंत्री ने बयान दिये हैं वे साइन्टिफिकली निराधार हैं और गलत हैं, और अगर यह गलत साबित हों तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है, सदन के प्रिविलेज का ब्रीच है। मैं चाहूंगा कि इस चुनौती को मन्जूर किया जाय (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह और जो करना है वह करे लेकिन उसके पहले स्पीकर साहब को अधि-

Page No 123

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और दिया जाय कि वह एक कमेटी सदन के मेम्बरों की निर्माण करें और वह जाकर ऑन दी स्पाट एन्क्वायरी करें। उसमें एक एक मेम्बर अपोजिशन पार्टीज का ले लिया जाय और 5—7 मैम्बर कांग्रेस के ले लिये जायें क्योंकि उसमें भी बहुत से लोग बैठे हैं जो इस घटना से दुखी हैं। वह चाहते हैं कि इसमें जिन जिन लोगों का हाथ रहा है वह स्पष्ट होना चाहिए। वह भी सब एन्क्वायरी कराने को तैयार हैं और करने को तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग को दोहराऊंगा कि उनको तुरन्त मुआवजा दिलायें, ज्युडिशियल एन्क्वायरी की बात करें जल्दी से जल्दी और इसके पहले सदन के मेम्बरों की एक कमेटी का निर्माण कर दें ताकि वह ऑन दी स्पोट जाकर इस मामले की छानबीन करें और इस नतीजे पर पहुंचें कि कौन से तथ्य सही हैं। आया अपोजिशन की तरफ से जो रखे गये हैं वह सही हैं या आपके प्रशासन ने जो इत्तिला दी है वह सही है क्योंकि आपकी तो कोई व्यक्तिगत जानकारी है नहीं इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने जो कुछ तथ्य रखे हैं वह निराधार हैं और वह उन लोगों के कहने से रखे हैं जिनकी उन पूंजीपतियों से सांठगांठ है और जो यह कहते हैं हम जलियांवाला बाग कर देंगे। ऐसे आदमी को तुरन्त मार देना चाहिए जो यह कहता है कि जलियांवाला बाग बना दूंगा। आखिर जलियांवाला बाग बनाने वाले डायर को भी इंग्लैण्ड जाकर हमारे बहादुर ने मारा है। अभी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग जिन्दा हैं जो अगर जलियांवाला बाग बनाने वाला है उसको हम जिन्दा तक रहने नहीं दे सकते।

जो यह कह सकते हैं कि हम जलियांवाला बाग कर देंगे, ऐसे व्यक्ति को जिन्दा जला देना चाहिए। जो जलियांवाला बाग कर देने को कहता है। जो जलियांवाला बाग करता है, उसको हमारा एक एक आदमी उसको इंगलैंड में जाकर मारता है।

(समय—समाप्ति—सूचक—घण्टी)

अगर वह ऐसा कहता है। सरकार को इस पर सख्त ऐक्शन लेना चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में कल गोली चलाकर 2 नवयुवकों की हत्या कर दी गई है। हमारी यह सरकार उस पर लीपापोती कर रही है। हमारी सरकार का जो प्रशासन है, उसका यह उदाहरण देता हूं। कल 9 बजे मुझे फोन आया कि भरतपुर में 12 व्यक्ति गोली से मार दिये गये। मैंने होम कमिश्नर को फोन किया तो उत्तर मिला कि वह अजमेर गये हुये हैं। मैं असेम्बली में चला आया। 4 बजे के लगभग चीफ सेक्रेटरी का फोन आया कि एक आदमी मरा है। इसलिए मैंने जो काल अटेन्शन मोशन दिया है, उसमें एक आदमी के मरने का कहा गया है। बाद में पता चला कि राज्य सरकार के पास अपटूडेट जानकारी थी लेकिन जानबूझकर छुपाया गया। अगर जनतन्त्र के जीवन में यही छुपाया गया तो यह जनतन्त्र समाप्त हो जायेगा। इसकी जड़ें ही समाप्त हो जायेंगी। कहा गया है कि ए. डी. एम. इन्क्वायरी करेगा। वह क्या इन्क्वायरी करेगा ? ए. डी. एम.

(श्री भानु कुमार शास्त्री)

पुलिस वालों की पुष्टि किया करता है। उदयपुर में कोमला भील की हत्या की गई थी। मैं उस बारे में मिला भी था। उन्होंने वही कहा जो पुलिस ने कहा था। इसलिए ए. डी. एम. की एन्क्वायरी में हमें विश्वास नहीं है। आज के निरंकुश प्रशासन में अगर राज्य सरकार यह समझती है, अगर केन्द्रीय सरकार यह समझती है, कि जनता के अभाव अभियोगों को हम गोलियों से कुचल कर रख सकते हैं। यदि भूख की, पेट की मांग की, अगर आन्दोलन चलाया तो इस प्रकार से उनको खत्म कर दिया जायेगा। उसका परिणाम यह होगा कि आन्दोलन करने पर तुम गोलियों के शिकार होंगे। बेमौत मारे जाओगे। कुत्ते की मौत मारे जाओगे। उसका यह हाल होगा। सरकार उसकी लीपापोती करे। गलत बयान दे जिससे समाज में निराशा पैदा हो। जिससे कि भविष्य में कोई मांग नहीं करे। समाज में कोई उत्साह नहीं रहे। मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार अगर सच्ची है तो क्या चिन्ता है? न्यायाधिकरण से जांच करायें। जो रिपोर्ट वह देता है, मैनेजमेन्ट अपराधी है, मैनेजर अपराधी है, उसको दण्ड देने की बात आती है तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री को क्या आपत्ति है? उसको भी कठघरे में खड़ा कर दें। यह नहीं कि उस रिपोर्ट को कोल्ड स्टोरेज में डाल दें। उदयपुर में स्कूटर काण्ड हुआ उसकी जांच करने के लिए बंगाणी को नियुक्त किया गया। आज तक उस रिपोर्ट का पता नहीं है। बेरी आयोग की क्या दशा हुई? मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार का गोलीकाण्ड हुआ है, भगवान न करे, जो मरने और जीने के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनको कुछ और हो। लेकिन यह कौन सा विवाद का विषय है, ए. डी. एम. से एन्क्वायरी करवायेंगे। आज भरतपुर में क्या दशा होगी? उन गरीबों के घरों में भी मां बहिनों का कुहराम मचा होगा। यदि हमने समय पर शान्ति करने के लिए न्यायाधिकरण की मांग को नहीं माना तो आग भड़केगी। अगर आप राजस्थान को बिहार और गुजरात नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा रास्ता अपनायें। राजस्थान सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं और मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। आज की पुलिस यह मानती है कि हम शासक दल हैं। वह यह नहीं मानती है कि हम समाज की रक्षा करने के लिए नियुक्त हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो सत्ताधारी दल है, उनके पीछे पीछे घूमते हैं। यह होना नहीं चाहिए। अगर पुलिस अपने कर्तव्य को पूरा करे तो यह परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती है। पुलिस आज निरंकुशता के रास्ते पर चल रही है। जलियांवाला बाग बनाने के लिए कहा जा रहा है। भरतपुर की धरती को नौनिहालों को मारकर रक्त रंजित कर दिया। इसलिए मैं अधिक न कहता हुआ मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, जनतन्त्र चहारदीवारी में सीमित नहीं है। यह नहीं है कि बटन दबायें और सत्र का अवसान हो जाये। यह भावना आकाश में उड़ जाये। ढाई करोड़ लोगों के बीच में हत्या होती है। सरकार के लिए यह प्रतिष्ठा का

(श्री भानु कुमार शास्त्री)

प्रश्न नहीं है। पुलिस इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना सकती है। सरकार नहीं बना सकती है। मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य मानवीय दृष्टिकोण रखता है। आप देखेंगे तो उसी परिणाम पर पहुंचेंगे। गैस सिलेण्डर में आग लग सकती है। क्या खिड़की फूट सकती है। यह सब मैटर आफ एन्क्वायरी है। मैं समझता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारे मुख्यमन्त्री उदारता से घोषणा कर सकते हैं। यह कोई विवाद का विषय नहीं रहा है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। गोली चलाने वाला क्या डी. एस. पी. है, मैनेजर है, या चतुर्वेदी है, कौन है? लोग कहते हैं कि धमकी देकर डी. एस. पी. ने गोली चलवाई है। चाहे वह डी. एस. पी. हो, ए. आई. जी. हो, आई. जी. हो। कोई भी हो। इस प्रकार का उदाहरण सरकार के लिए कलंक है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं। इसकी कानूनी जांच हो। दलित वर्ग के व्यक्ति मारे गये हैं। उनको मुआवजा दिया जाये। पुलिस अधिकारी को सस्पेण्ड किया जाय। मैनेजर को हटाकर उस पर केस चालू किया जाये।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर गोलीकाण्ड का समाचार सदन के सामने आया है। इस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। इस प्रकार के गोलीकाण्ड पहले भी होते रहे हैं। सरकार कहती है कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। मन्त्रिमण्डल ने जैसे पुलिस को बचाने की जिम्मेदारी ले ली हो। गोलीकाण्ड होते रहते हैं। इधर सरकार यह कहती है, मुख्य मंत्री यह कहते रहते हैं कि हम मजदूरों के समर्थक हैं। एक तरफ आप मजदूरों को हिम्मत बंधा रहे हैं। दूसरी तरफ सदन में इस प्रकार के वक्तव्य दिये जायें। इस प्रकार की स्थिति से सख्ती से निबटने का फैसला करना पड़ेगा। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, पुलिस अधिकारी हो, मैनेजर हो, जो भी दोषी मिलता है उसको सजा मिलनी चाहिए। वास्तव में ऐसी स्थिति से सख्ती से निपटना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि ए. डी. एम. से जांच करायें और फिर सजा देना चाहें। यह केवल लीपापोती की बात है कि आप ए.डी.एम. से सही जांच की उम्मीद करते हैं। मैं विचार करता था, कल जब खबर सुनी, तो मैं सोचता था, कल सदन की कार्यवाही होगी तो सर्वप्रथम मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे इस गोली कांड के अन्दर न्यायिक जांच की, और जो भी दोषी है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन मुझे खेद है कि यह बात भी विरोधी दल को उठानी पड़ी, यह बात विरोधी दल को स्थगन प्रस्ताव के जरिये लानी पड़ी, यह बात कहनी पड़ी कि इस मामले में कार्यवाही की जाय। सरकार यह चाहती है कि जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं हो, सरकार सख्ती से इस मामले में निपटना नहीं चाहती, सरकार यह नहीं चाहती कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय, डी. आई. जी. को मोअत्तिल किया जाय। मैं समझता हूं कि इस

(श्री सुरेशचन्द्र)

अधिक शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि इस गोली कांड की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि ए. डी. एम. इस मामले में जांच करे। क्या ए. डी. एम. सही जांच कर सकता है। पुलिस प्रशासन डंडे का प्रशासन है। ए.डी.एम. उसके प्रभाव में आसानी से आ सकता है। इस प्रकार ए.डी.एम. सही रिपोर्ट नहीं दे सकता। यहां पर राज्य मंत्री गृह ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे भी ऐसा लगता है कि विभाग ने जो रिपोर्ट बना कर दे दी, वह वैसी की वैसी यहां रख दी। मेरा निवेदन है कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच करानी चाहिए, उच्चस्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी दोषी पाये जायें, उनको सजा दी जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : नत्थीसिंह।

अध्यक्ष महोदय, छः बजे से भरतपुर के...

कई माननीय सदस्य : साढ़े चार बजे से।

श्री नत्थीसिंह : साढ़े चार बजे से भरतपुर के गोली-कांड पर चर्चा चल रही है अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही बताऊंगा, माननीय राज्य मंत्री जी ने जो बयान इस सदन में दिया है, उसमें साफ जाहिर किया है, गलती समझौते को पूरा न करने की है, मजदूरों की गलती नहीं है, और वह सिमको वेगन फैक्ट्री के अधिकारियों की गलती है। ऐसा साफ जाहिर होता है। यदि सिमको वेगन फैक्ट्री के अधिकारियों की गलती नहीं होती तो कलेक्टर एक दिन पहले, या दस घंटे, बीस घंटे पहले सिमको वेगन फैक्ट्री के अधिकारियों से यह नहीं कहता कि इनका जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक इन मजदूरों को भुगतान कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जन्माष्ठमी का दिन था, इस दिन मजदूर इस गोली-काण्ड में मरे है, यह मजदूर भरतपुर के जाटव थे या और कहीं के जाटव थे, मंत्री महोदय ने, जो स्टेट मिनिस्टर ने बयान दिया है, उसमें उनका नाम तक नहीं बताया कि फलां जाटव मर गया, फलां जाटव मरा है। यह नहीं बताया है। वह बच्चों से बिछुड़ कर गांव से साइकिल पर निकले थे और बिड़ला फैक्ट्री में रात भर रहे थे। सुबह कह कर आये थे कि तनख्वाह लेकर आयेंगे, बच्चों के लिए सेवई लेकर आयेंगे, बच्चों को हलुआ पूड़ी करके खिलायेंगे, शाम तक तनख्वाह ले आयेंगे। वह मजदूर बच्चों को विश्वास देकर आये थे, लेकिन वह मजदूर तनख्वाह लेकर वापस नहीं आये उन मजदूरों के बच्चे बजाय खुशी के, बड़े दुःख के साथ में बिलख बिलख कर रो रहे थे।

मैं एक बात और बताऊंगा। यह खूनी काण्ड हुआ है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, अगर उसमें पुलिस की गलती नहीं होती तो जिन हरिजनों को मारा गया उनकी लाश को पुलिस दे देती। लेकिन उनकी लाश को पुलिस ने नहीं दिया। जब भरतपुर में यह देखा गया कि उनके घर वालों को उनके माता पिता की, उनकी

(श्री नत्थासिंह)

बतिन—बोकी को वाह कर्म के लिए पुलिस लाश नहीं दे रही है, तो भरतपुर में बाजार बन्द हो गया, और वहां के जन प्रतिनिधि अधिकारियों से मिले, कलेक्टर से मिले, पुलिस अधिकारियों से मिले । उन्होंने कहा कि आपको लाश परिवार वालों को देनी पड़ेगी तब हमारे हरिसिंह, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, व और लोगों के साथ, इन अधिकारियों से मिले और मिलने पर बड़ी मुश्किल के साथ इन पुलिस अधिकारियों ने परिवारों को लाश दी।

मैं ज्यादा सदन का टाइम नहीं लूंगा, मैं यह कहूंगा कि जिन परिवारों को, उनके बच्चों के लिए, तनख्वाह तक नहीं पहुंची, वह कौन हैं? वह हरिजन कौम के हैं, जाटव लोग हैं। उन परिवारों के पास सवेरे तक, के लिए खाना नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी उन परिवारों को, जिनके सदस्य इस गोली—काण्ड में मारे गये हैं, सहायता मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कम से कम दस दस हजार रुपया उन हरिजन परिवारों को दिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि बिड़ला, टाटा का लड़का, बड़े बड़े पूंजीपति का लड़का मेरी गोली से मरे और एक लाख रुपया मुझसे ले ले। क्या यह सही है। क्या एक आदमी के खून की कीमत दस हजार रुपये होती है। मैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिये। माननीय सदस्य ने बताया कि इस सदन की एक कमेटी बना कर जांच होनी चाहिए, तो घसीटा, आदि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के यहां बैठे, हुए हैं, उनको भी एक दो को इस कमेटी में रख लिया जाय।

इतना कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

एक माननीय सदस्य : थोड़ा समय मुझे भी दें।

श्री राजेन्द्र भारतीया : मैं काफी देर से समय चाह रहा हूं। ऐसी क्या नाराजगी है? मैं काफी देर से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सब पर सैमदृष्टि रखता हूं।

श्री राजेन्द्र भारतीय : फिर क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : नाराजगी किसी पर नहीं रखता।

श्री राजेन्द्र भारतीय : नाराजगी महसूस हुई इसलिए अर्ज किया।

श्री अध्यक्ष : आपको ख्याल है। मैंने आपकी तरफ देखा, लेकिन आप खड़े नहीं हुए। आप पर नजर डाली लेकिन आप सतर्क नहीं थे उस वक्त!

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर का गोली-कांड सिमको बैगन फैक्ट्री में हुआ, इसको लेकर विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के लोग भी उतने चिन्तित हैं, जितने विरोधी दल के

श्री प्रद्युम्न सिंह)
सदस्य। अभी तथ्य ऐसे सामने आये हैं जिनमें पुलिस ज्यादती की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। यह कहा गया कि एक मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी ने गोली चलाई। इन बातों का एक ही इलाज है कि सरकार सही जांच कराये कि पुलिस ने ज्यादती की या नहीं की। इसके लिए सरकार को विशेष इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करनी चाहिए। वैसे जनसंघ के माननीय सदस्यों की तरफ से जब ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग आती है तो अजीब लगता है। क्योंकि पिछली दफा एक मामला उठा था, उस वक्त जुडिशियल इन्क्वायरी की बात को नामन्जूर किया था। उनका डबल स्टैंड है, जहां लगता है सूट करेगा तो जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग करते है, जहां सूट नहीं करता है तो उसका विरोध करते हैं। इसलिए, मैं आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री को एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आज देश के अन्दर एक हवा चल रही है, उसमें जिस प्रकार का रोल है सीटू का, सारे देश में लेफ्ट एडवेन्चरिज्म, राइट रिएक्शन का। इस देश में बिहार में जो कुछ कर रहे हैं, गुजरात में जो कुछ हुआ, उससे इस सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं प्रजातन्त्र के तरीके से काम किया जाय, हमारा प्रजातन्त्र के तरीके में विश्वास है, लेकिन सीटू का विश्वास उसमें है नहीं, सारे संसार में कहीं नहीं है। प्रजातंत्र के तरीके पर से धीरे धीरे विश्वास समाप्त करके हिंसा का वतावरण फैलाते जा रहे हैं। इससे सरकार को सतर्क रहना चाहिए। जो सही स्थिति है, इन्होंने क्या किया है, पुलिस ने क्या किया है- यह जुडिसियल इन्क्वायरी से सामने आनी चाहिए। इसलिए मेरी मांग है कि इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री मनोहर लाल : चलो जाटव मार्क्सवादी हुए।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी):-- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही एक गम्भीर विषय है। यह विषय है जिस पर आज विरोध का एडजोर्नमेंट मोशन होते हुए जो उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, उस पर हमें बोलने को बाध्य होना पड़ा। परन्तु मुझे अत्यन्त अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि सरकार का स्टेटमेंट इस प्रकार का स्टेटमेंट था, जैसे बिड़ला जी का यह स्टेटमेंट हो। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री से कि वह अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने सदन के सामने यह भी फर्माया था, मैं इसके बारे में जानकारी करना चाहता हूं। कलेक्टर और एस. पी. से जानकारी करने के बजाय, इन ब्यूरोक्रेट्स से जानकारी करने के बजाय अच्छा होता, वह जानकारी करते ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से मैं समझता हूं सरकार ने अपना स्टेटमेंट देने से पहले आज तक अभी तक इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझी कि ट्रेड यूनियन को भी महत्व किया जाए। हमारी 25 साल की आजादी के बाद ट्रेड यूनियन का महत्व क्या है और ट्रेड यूनियन को विश्वास में लिया गया या नहीं। इसके साथ साथ मैं पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहता किन्तु इस बात को कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी लैप्स है वह श्रम विभाग की

(श्री राजेन्द्र भारतीय)

है। ट्रेड यूनियन ला के आधार पर इस बात को कहना चाहता हूं और हमारे श्रम मंत्री जो कि बहुत बड़े लेफ्टिस्ट कहलाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है सदन के सामने इस बात पर स्टेटमेंट देने की, वहां सहायक आयुक्त होगा या कन्सीलिएशन अधिकारी होगा, क्योंकि भरतपुर एक जिला मुख्यालय है, उसने क्या किया, क्यों नहीं जांच की गई? उसका फर्ज था कि एग्रीमेंट हो जाने के बाद उसका क्रियान्वियम कराते। जिन्होंने मजदूरों के खून से होली खेली है, जो कहते हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, एक डी. वाई. एस. पी. औकात रखता है कि वह कह दे कि किसी को एक पैसा दिया तो ऐसा कर सकता हूं।

दूसरा, बकोल रामकिशनजी के स्टेटमेंट से, यह बात स्पष्ट है कि वहां का मजदूर कानून के अंदर चलना चाहता था, सरकार के द्वारा लगाया गया अध्यादेश के तहत पैसा जमा करना चाहता था और बाकी पैसा लेना चाहता था। हमारे लिए शर्म की बात है कि इतना हो जाने के बावजूद हमारी सरकार ने उन्हीं लोगों के जिस्मों को चीरकर आगे और पीछे से गोलियां चलाई। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, उनकी सरकार का सबसे बड़ा इम्तहां होगा कि वह किस प्रकार वर्किंग क्लास के साथ अपनी नीति अपनाती है। इंटक का क्या हाल हुआ? इंटक के उपाध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं कि चित्तौड़गढ़ में इंटक के साथ राज्य सरकार का क्या बरताव रहा? भीलवाड़ा में जो राज्य सरकार का बर्ताव रहा, राजस्थान के अंदर जबसे जोशीजी ने बागडोर संभाली, वर्किंग क्लास के साथ आपका पार्टिजन बर्ताव रहा। उनको इतनी तरजीह नहीं दी जाती जितनी पूंजीपति पक्ष को दी जाती है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। मैं निहायत अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि एक तरफ मजदूरों की इस तरह की घटना सामने आती है दूसरी और राज्य का किसान हमसे प्रसन्न नहीं है। अगर दोनों वर्किंग क्लास को छोड़कर पूंजीपतियों के आधार पर राजस्थान में राज करना चाहते हैं और आप बांगड़ और बिरला से पहले मिलना चाहते हैं, हम आपके घर आते हैं, हमसे बाद में मिलें कोई बात नहीं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार मेरे साथ कुछ भी करे, वर्किंग कमेटी में चाहे डिसीपिलनरी एक्शन लिया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि अपनी जिंदगी वर्किंग क्लास के साथ लगाऊंगा और लगती रही है और उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि इससे बड़ा कांड और बड़ी लेप्स सरकार के प्रति नहीं हो सकती। मैं जोशीजी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जुडीशियल एन्क्वायरी करायें और ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दें और अब तक चतुर्वेदी और गोयनका को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, अब तक सरकार को यह कदम उठाकर सदन के सामने आना चाहिए था। जय हिंद।

श्री मीठालाल: अब तो ये बिल्कुल सुधर गया।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मौलिक रूप से मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि कहीं पर भी कानून व

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई लाठी चार्ज हो जाए और गोली चलाई जाए और उसके बाद आवश्यक रूप से जांच बिठाई जाए तो पुलिस और प्रशासन डीमारेलाइज होता है लेकिन जो वर्तमान केस है उसमें मंत्रीजी का वक्तव्य अपने आप में अपूर्ण है और थीयरी आफ सेल्फडिफेंस जो दी गई है उसको एस्टेब्लिश नहीं करता, सबसटेंशिएट नहीं करता, ऐसी हालत नेरैट की है जिनके अन्दर प्रापर्टी को नुकसान करना उसके बदले में फायरिंग पुलिस की तरफ से होना और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होना जिससे दो आदमी मर जायं, यह गम्भीर स्थिति है। तर्क के लिए मान लिया जाए कि 27000 रु. लूट लिए तो राइट आफ सेल्फ डिफेंस उस सीमा तक नहीं होता है कि पुलिस इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करती और दो आदमी मारे जाते। इसलिए जांच का विषय निश्चित रूप से बनता है कि गोया इस प्रकार की परिस्थितियां थीं कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी या पुलिस ने फायरिंग करके एक्सेसिव यूज आफ फोर्स किया, तो इसकी जांच होनी चाहिए।

अब सवाल यह है कि जांच किससे होनी चाहिए। ए. डी. एम. से जांच कराते हैं तो यह सही है कि वह जांच नहीं कर सकता क्योंकि इस विवाद में तीन पार्टीज हैं—मैनेजमेन्ट, मजदूर यूनियन और पुलिस। वर्तमान परिस्थिति में चूंकि फायरिंग पुलिस की तरफ से हुई और फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए हुई और एक तरफ से मैनेजमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए तो मैनेजमेंट का इन्टरैस्ट और मैनेजमेंट की पोजीशन पुलिस से भिन्न नहीं है यह बात माननी पड़ेगी कि पुलिस जिला प्रशासन का वाइटल पार्ट है और ए.डी. एम. भी वाइटल पार्ट है। तो आप ए. डी. एम. से अपेक्षा करें कि जो कुछ थ्योरी पुलिस ने दी है उससे अलग रख कर ए.डी.एम. दूसरी थ्योरी देगा, यह नहीं होगा। जांच सिर्फ इस बात की कि पुलिस फायरिंग जस्टीफाइड थी या नहीं, वह भी अपर्याप्त होगा क्योंकि सीरीज आफ इवेंट्स हैव लेड टु दिस एवीडेंस कि पहले मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो विवाद चल रहा था और उस विवाद को दोहराना किस आदमी का काम था? जब कम्प्रोमाइज हो गया तो किसने अपनी पोजीशन से रेजाइज किया? भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में चार्ज लगाया है कि मैनेजमेंट उनको 16 रु. एडवांस दे रहा था और कम्पलसरी डिपोजिट शो नहीं करना चाहता था, यह अपने आप में सीरियस चार्ज है कि आज हमने मूल्यों को फ्रीज करने के लिए जो अध्यादेश निकाला तो उसको विभिन्न राजनैतिक दल और पोलिटिकल कन्सीडरेशन अपोज कर रहे हैं और मजदूरों को बहकाकर एजीटेट करायें, यह बात हो सकती है और मजदूरों के रैजिस्टेंस को मीट करेंगे तो मजदूरों को पोलिटिकल एजूकेशन देनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा यह आपके फायदे के लिए किया है, मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए किया है लेकिन उद्योगपति उसके नीचे यदि इस प्रकार परसनल बेनिफिट उठाना चाहें कि 16 रु. एडवांस शो करें तो यह सीरियस मैटर है It is a very serious matter उस सब की जांच होनी चाहिए। ए.डी.एम.

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

के द्वारा जांच आपको भी संतुष्ट नहीं कर सकती है। लेबर को भी संतोष नहीं हो सकता और जनता को भी विश्वास नहीं हो सकता, सदन को भी विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए आपको जुडीशियल एन्क्वायरी इन्सटीट्यूट करनी चाहिए, न करें तो हाई पावर कमीशन नियुक्त करें किसी सीनियर अधिकारी को भेजें कम से कम उस जिले के प्रशासन का कोई अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता।

दूसरा सवाल वहां के डी. वाई. एस.पी. को सस्पेंड करने का पैदा होता है। अगर आप प्राइमा फैसी मानते हैं, बिना एन्क्वायरी के इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि पुलिस ने बदनीयत से किया है तो उसको सस्पेंड यदि न करें तो ट्रांसफर जरूर करें। अध्यक्ष महोदय, उस डी. वाई. एस. पी. का ट्रांसफर तो इमीडियेटली किया जाना चाहिए ताकि वह ड्यूरिंग इन्क्वायरी अपना इन्फ्लुएन्स काम में लेकर जो गवाहान होते हैं उन्हें उसकी खिलाफत करने से रोक नहीं सके। यह बहुत ही जरूरी है कि उसका ट्रांसफर होना ही चाहिए इसके अलावा कुछ मैं मैनेजमेंट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि वहां के मजदूरों ने कहा है मैनेजमेंट का एक अधिकारी श्री गिरीश चतुर्वेदी ने मजदूरों पर फायरिंग किया था। हो सकता है उनकी लेबर यूनियन के मारफत यह बात कही गयी हो और वैसे भी. अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो आदमी तो मर ही चुके हैं। अगर आर्डिनरीली कहीं पर दो आदमी मर जाते हैं, जब वहां की लेबर यूनियन ने यह दरख्वास्त पुलिस में दे दी कि भरतपुर फैक्ट्री के जनरल मैनेजर श्री चतुर्वेदी ने मजदूरों पर फायरिंग की तो प्राईमाफेशी केस तो चतुर्वेदी के खिलाफ बन ही जाता है। आज कोई भी मर्डर केस की रिपोर्ट लिखाने जावे और उसमें किसी के खिलाफ में प्राईमाफेसी केस बन जाता है तो आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर ही सकते हैं और उसके खिलाफ में सेक्सन 302 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि उसको गिरफ्तार करना चाहिये और उसके खिलाफ में केस चलाना चाहिये।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गृह राज्य मंत्रीजी ने जो अपना हाउस में स्टेटमेंट दिया वह वक्तव्य पूरे फैक्टस के साथ नहीं दिया। उन्होंने पुलिस को डिफेन्ड करते हुए स्टेटमेंट दिया है। इसमें दो वर्शन हो सकते हैं, एक वर्शन तो यह कि जो पुलिस द्वारा सूचना दी गयी, या यों कहिये कि हमारी गवर्नमेंट ने जो सूचना दी उसको भी मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता। इसके अलावा दूसरा वर्शन यहां पर उसी स्टेटमेंट के बाद श्री रामकिशनजी ने दिया है उसके बारे में में मैं यही कह सकता हूं कि उनका स्टेटमेंट जिम्मेवाराना नहीं था। उनका यह कहना कि पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेन्स में गोली नहीं चलायी अपितु उन्होंने जानकर यह सारा कांड किया। उन्होंने कहा कि पुलिस आफिसर ने यह कहा कि मैं यहां पर जलियांवाला बाग बना दूंगा। यह गलत कन्टेन्शन है। और गृह राज्य मंत्री का स्टेटमेंट जो है वह भी सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाना मैं सही नहीं समझता। गृह राज्य

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

मन्त्री ने यह नहीं बताया कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां बन गयी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसके साथ साथ रामकिशन जी ने यह कहा कि पुलिस ने मजदूरों को जलियांवाला बाग बनाने की बात की। मैं नहीं समझता कि पुलिस को पहले से ही उनमें वैमनस्यता या शत्रुता होगी। हो सकता है कि इसमें पुलिस की कुछ नेगलीजेन्स रही होगी पर मैं नहीं समझता कि पुलिस आफिसर यह कह सकता हो कि मजदूरों की हत्या कर दी जायेगी। और न ही इस बात को सही मानता हूं कि मजदूरों ने वहां हत्या करने की या डाका डालने की कोशिश की हो। यह सारा का सारा बाद में मैनेजमेन्ट द्वारा फैबरीकेट किया हुआ मामला होगा। अभी यहां पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि आज तो थोड़े से आदमी आये हैं, कल विधान सभा के बाहर, कल विधान सभा के अन्दर आजायेंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि न्याय और जनता की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। यह दायित्व सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है बल्कि यह जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। आप सभी लोगों को भी इस मसले को सीरियसली लेना चाहिये। यह सिर्फ पार्टी लेवल का ही मामला नहीं और न ही ऐसे वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ पोलीटिकल फायदा उठाने का ही है। वैसे हम तो पार्टी आईडोलोजी से कमिटेड हैं और यह कांग्रेस सरकार का दायित्व है कि वह पब्लिक को प्रोटेक्शन दे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ज्यूडिशियल इन्क्वारी इस कांड की होनी चाहिये और वह किसी उच्च न्यायधीश से होनी चाहिये, कोई कमीशन बैठनी चाहिये। इसके साथ साथ वहां पर जो डी.वाई.एस.पी. है उसको तुरन्त वहां से हटाया जाना चाहिये। और अगर उसके खिलाफ में एलोबरेट सबूत हों तो उसके खिलाफ में केस रजिस्टर किया जाना चाहिये और मैनेजमेन्ट के खिलाफ केस चलाया जाना चाहिये। मैनेजमेन्ट में जो गिरीश चतुर्वेदी हैं उन्हें गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ साथ मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं, मेरा मतलब यह है कि मुझे कब बोलने को कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अभी दो तीन माननीय सदस्य और हैं फिर आप बोल लें।

श्री भावरमल सुन्डा (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में जो गोली काण्ड हुआ है उसके लिये मुझे यह निवेदन करना है कि आज देश में मजदूरों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। आज एक तरफ तो यह अपेक्षा की जा रही है कि प्रोडेक्शन को बढ़ाया जाय। तो मेरा निवेदन यह है कि प्रोडेक्शन बढ़ाने वाला कौन है, या तो मजदूर या किसान। आज आप इन्हीं पर गोली चला रहे हो तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्शन बढेगा। आज आप उनका बुरी तरह से पहले से ज्यादा निरन्तर अपमान कर रहे हैं। आज कांग्रेस सरकार में मजदूरों और खास तौर से गरीब वर्ग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रह

(श्री झाबर मल सून्डा)

है। अध्यक्ष महोदय, अभी मध्यावधि के अन्दर कांग्रेस ने जो गरीबी मिटाओ का नारा देकर इसी बिड़ला को राजस्थान में बुरी तरह से हराया इसका कारण यह था कि मजदूर वर्ग और किसान वर्ग ने इन पून्जीपतियों का विरोध किया था। आज यह टेस्ट केस है जिस जनता ने कांग्रेस के साथ पूंजीपतियों के खिलाफ में वोट दिया था वह अब कांग्रेस गवर्नमेंट का पूंजीपतियों का मदद करने से अब जनता का उसमें विश्वास दिनों दिन कम हो रहा है और अभी यही कारण था कि जो उप चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के हाथ 50 प्रतिशत सीटें ही हो सकी। तो यह सब क्यों हो रहा है? इसका कारण स्पष्ट है कि कांग्रेस मजदूर वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों का साथ न देकर पूंजीपतियों को अनुचित लाभ पहुंचा रही है। यही कारण है कि आज सी. पी. आई. और सी. पी. आई. एम. जो कि उग्रवादी हैं उन्हें राजस्थान में सीटें मिली हैं आज हमारे देश में साम्यवाद पनप रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं साम्यवाद का घोर विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में साम्यवाद पनपे। लेकिन इसके पनपने का कारण यह है कि आज जो पुलिस को कांग्रेस सरकार में मजदूर वर्ग को एसकोर्ट करना चाहिए था वहां पुलिस ने मजदूरों को एसकोर्ट न करके पूंजीपतियों को एसकोर्ट किया और भरतपुर के मजदूरों के ऊपर गोलियां चलायी। अध्यक्ष महोदय, मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच में 36 घण्टे तक बातचीत चलती रही और क्या सरकार समझती है कि अगर मजदूरों का इरादा हत्या करने का या डाका डालने का अथवा और कोई इरादा होता तो क्या मजदूर 36 घन्टे में पत्थर इकट्ठा नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूं मजदूरों के मन में ऐसी भावना ही नहीं थी। उसके बाद भी वहां के कलेक्टर ने भी, जिसको कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं वह मजदूरों का हिमायती है, उसने प्रबन्धकों को कहा कि आप मजदूरों को एग्रीमेंट के अनुसार पेमेन्ट कर दो। वह नहीं किया गया। उल्टे उन पर गोलियां चलायी गयी और जब उसमें दो आदमी मर गये तो उन पर झूठे केस फेबरीकेटेड मामला बनाया गया। राज्य सरकार का यह कहना कि पुलिस ने सेल्फ डिफेन्स के अन्दर गोलियां चलायी यह बात सरासर गलत है। इसके अलावा जब वहां पर पुलिस को बुलाया गया तो वहां पर मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं बुलाया गया? मजिस्ट्रेट को बुलाने की बात को एवाइड किया गया इसका मतलब साफ है कि प्रबन्धकों ने और पुलिस ने साजिश करके यह सारा कांड किया। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि फैक्ट्री के मालिक उन्हें किसी भी प्रकार से ओबलाईज कर सकते हैं, उनके कहने से किसी को नौकरी दे सकते हैं, कोई एजेन्सी दे सकते हैं जिससे कि वास्तविक बात छिपायी जा सकती है। इसके लिये मेरा यह कहना है कि कोई मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी नहीं करायी जाय। इसके लिये तो विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करायी जाय। क्योंकि वास्तविक जांच न तो मजिस्ट्रेट कर सकता है और नहीं कोई ए. डी. एम.। जनता को सन्तोष तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर जांच हो तो

(श्री झाबर मल सुण्डा)

सन्तोष हो सकता है। किसी मजिस्ट्रेट या ए.डी.एम. के द्वारा जांच नहीं करायी जाकर सिर्फ जन प्रतिनिधियों से ही जांच करायी जाय ताकि सही जांच हो सके। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हालांकि जो लोग इसमें मरे हैं वह हो सकता है कि जोईन्ट फेमिली वाले हों, लेकिन फिर भी मेरा राज्य सरकार से और खासतौर से मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो लोग उन पर डाईरेक्टली डिपेन्डेन्ट हों उनको पूरा पूरा मुआवजा तो दिया जाय ही इसके साथ साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाय। क्योंकि जो मुआवजा आप देंगे वह इतना नहीं होगा जिससे कि उस पर आश्रित लोग अपना पेट पूरी तरह से पाल सकें। इसलिये मेरी मुख्य मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त है कि वह उन मृतकों के बच्चों को तथा उन पर जो आश्रित हों उन्हें सरकार में स्थान देने की व्यवस्था करें ताकि वह नौकरी करके अपना पेट पाल सकें।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कह दूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत देर हो गयी। खैर। कह दीजिये।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिमको फैक्टरी में घटना घटी। मैं मजदूरों के संगठनों से मेल जोल रखता हूं और कुछ मुलाकात भी है मैं यह कह सकता हूं कि अभी से नहीं किन्तु कई साल से मालिकों का रुख मजदूरों के प्रति अच्छा नहीं है। आपस में मजदूरों को लड़ाने झगड़ाने, गुन्डे रखना, जिस तरह से भी मजदूरों को दबा सकते हैं हर तरीके से उनको दबाया जाय, चाहे पैसा देकर के उनको हमेशा दबाने की कोशिश की गयी है। राजस्थान की अदालतों में मजदूरों और सिमको फैक्टरी और मजदूरों के आपसी झगड़ों के मुकदमें चल रहे हैं। इतना कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना इस सिमको फैक्टरी के मजदूरों के मामले में मुकदमे आपस में चल रहे हैं। जब हड़तालें होती थी तो तिरंगे झंडों को गुन्डों के द्वारा जलवाया जाता, मजदूरों के टेन्टों में आग लगवायी जाती, बुरी तरह से उनकी पिटवायी करायी जाती थी। यह नतीजा हर तरीके से रहा और आखिर में यह घटना घट गयी। भरतपुर में सिमको और इतनी बड़ी फैक्टरियां हैं वहां के मजदूरों की मांगों की पूर्ति करते नहीं। वायदा करके, एग्रीमेंट करके भी उसको इम्पलीमेन्ट करते नहीं। यह कोई नया तरीका नहीं, है यह तो हमेशा से चलता आया है। मैनेजमेंट में परिवर्तन नहीं हुआ। राज्य सरकार क्या कर सकेगी? मैं निवेदन करूंगा कि अपने पर्सनल लेवल से माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े बड़े सेठों से मिलकर इसमें दस्तन्दाजी करेंगे तो अच्छा है।

जहां तक इस घटना का प्रश्न है, मैं मौजूद नहीं था, क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में नहीं कह सकता। जो स्टेटमेंट सरकार की ओर से आया है उस स्टेटमेन्ट के लिए विपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि बिलकुल

(श्री गिर्राज प्रसाद तिवाडी)

गलत है, यह मैं नहीं मानता। जितने तथ्य सरकार के लिये प्राप्त किये जा सकते थे वह तथ्य प्राप्त करके प्रस्तुत किये गये हैं। स्टेटमेंट सुनकर एक बात का आश्चर्य हुआ। लेबर ने केसेज दर्ज करवाये हैं। तो लेबर के खिलाफ मालिकों ने भी दर्ज करवाये हैं। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ मालिक। मजदूरों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। उनके सिर पर एक और तलवार लटका दी गयी है। इसमें राज्य सरकार दस्तन्दाजी करने की कोशिश करेगी और इसको रोकथाम लायेगी तब ही उचित रहेगा।

जहां तक इन्क्वायरी का सवाल है तथ्यों के बारे में कहना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से इस राय का हूं कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। विरोधी दल की ओर से बड़ी हमदर्दी बताई जा रही है, कांग्रेस पक्ष के पास भी हमदर्दी की कमी नहीं है हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि पूरी चीज सामने आये और पूरी जानकारी दी जाय और इन्क्वायरी की जाय।

जहां तक मुख्य मन्त्री जी का सवाल है, मैं पूरी तरह जानता हूं कि शायद और कहीं के लेबर को वे जानते न हों लेकिन सिमको के लेबर के बहुत से आदमियों को और पदाधिकारियों को माननीय मुख्य मन्त्रीजी घनिष्ठता से जानते हैं और निश्चित रूप से जानते हैं। उनकी उनसे कई बार बातचीत हुई है। इसकी भी उसी हमदर्दी के साथ सुन कर इन्क्वायरी करने की कोशिश करेंगे और वह ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

जहां तक हाउस की कमेटी के फोर्मेशन का सवाल है, सरकार या तो कमेटी का फोर्मेशन करे या इन्डस्ट्री मिनिस्टर या लेबर मिनिस्टर के साथ जाकर ओन दी स्पोट प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करे। यदि सरकार इसको बनाना पसन्द न करे तो माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वैसे ही पांच सात आदमी जाकर इसकी जानकारी कर सकते हैं।

मुआवजा उन लोगों को पूरा मिलना चाहिए। बिड़ला से ही मिलना चाहिये। जो बीमार हैं, इन्जर्ड हैं उनके ट्रीटमेन्ट का माकूल इन्तजाम बिड़ला से होना चाहिये।

श्री मनोहरलाल (कामां) : माननीय मंत्री महोदय को पूरी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : वह दे दी ना।

श्री मनोहरलाल : नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये तो यह अत्यन्त ही वेदना और दर्द का विषय है कि दो व्यक्ति पुलिस की गोली के शिकार हुए। मैं पिछले वर्षों में निरन्तर इस राय का रहा हूं कि पुलिस को आत्मसंयम से काम लेना चाहिए और बाज मर्तबा मैं पुलिस अधिकारियों की, और विशेष कर पुलिस कान्स्टेबल्स की, दयनीय स्थिति को भी देखता हूं जब उनको क्रुद्ध भीड़ का मुकाबला करना होता है। और आखिर वे भी मनुष्य हैं। वे कभी अपना संयम खो

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं। किन्तु मूल रूप में मैं इस राय का हूं कि पुलिस को कम से कम फोर्स यूज करना चाहिये और ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिऐ कि जिससे मनुष्य जीवन की हानि न हो।

यह घटना तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ही किन्तु एक प्रकार से वार्निंग देकर यह घटना राज्य सरकार के समक्ष आयी थी और वह 2 मार्च के बन्द का आयोजन कुछ विरोधी पक्ष ने किया था तब मैंने पूरे राजस्थान भर से डी. आई.जी. ही और एस. पीज. को यहां बुलाया था और उन्हें मैंने स्पैसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे कि किन्हीं भी स्थितियों के अन्दर किसी भी तरह के अन्दर किसी तरह के प्रवोकेशन के अन्दर भी गोली नहीं चलाई जानी चाहिए। इसलिए आज जब यह घटना मेरे सामने आई तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन इससे खिन्न था और दुखी था।

अध्यक्ष महोदय, मैं किन्हीं लोगों का ब्रीफ होल्ड नहीं करता हूं, न ही उन अधिकारियों का ब्रीफ होल्ड करता हूं जो वहां पर हैं और न ही बिड़ला मैनेजमेन्ट का करता हूं। मेरे मन में एक चीज बहुत साफ है कि राज्य सरकार को कभी यह मंशा नहीं थी कि एक्सेसिव फोर्स यूज की गई तो की जाय और जो पुलिस अधिकारी इस स्थिति के अन्दर हैं मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें नहीं जानता। इसलिए यह समझना कि हम आया मैनेजमेंट को अथवा किन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं यह कतई खयाल नहीं किया जाना चाहिये।

मैं कल से ही उत्सुक था इन सारी चीजों को जानने के लिए किन्तु कल फखरुद्दीनअली साहब यहां थे। मुझे उनके साथ रहना पड़ा इसलिए मैं सीधो बातचीत नहीं कर सका। आज भी ऐसी कुछ स्थिति आई कि मैं सीधी बात नहीं कर सका और यह अत्यन्त खेद का विषय है कि मैंने आपसे और सदन से समय मांगा था किन्तु दुर्भाग्य से आगरा होकर टेलीफोन लाइन नहीं मिली, सीधी लाइन तो खराब थी लेकिन आगरा होकर भी नहीं मिली। थोड़ी सी देर के लिए बात हुई और पूरी बात नहीं हो सकी।

इसलिये जिन चीजों की सफाई कराना चाहता था वे चीजें, विशेष करके भरतपुर से जो कराना था नहीं करा पाया। मैंने तथ्यों को अपने ढंग से भी कलेक्ट करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। जो वहां से सम्पर्क रखते हैं उनसे बातें कीं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से बात की। मैं समझना चाहता था कि दूसरा वर्शन क्या है। माननीय सदस्यों ने जो अभी यहां पर कहा है उन बातों को मेरे सामने रखा भी था।

अब जो चीज सामने है वह यह है कि इसमें पार्टी का भी इतना प्रश्न नहीं है जितना उसको उस निगाह से देखा जा रहा है। इस सिमको फैक्टरी में बहुत बड़ी संख्या में लेबर कांग्रेस के हैं। सीटू ने वहां प्रवेश करने की कोशिश की पर उतनी नहीं कर सका। उसकी संख्या नगण्य है इसकी उनको नाराजगी है। इसकी भी नाराजगी है कि पिछली बार इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज में यहां हड़ताल हुई थी उसमें मैनेजमेंट का समझौता इन्टक के साथ हुआ था।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस चीज की ओर भी ले जाना चाहता हूं जब इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री में स्ट्राइक का नोटिस आया। तब स्वाभाविक रूप से सरकार द्वारा प्रोटेक्शन के लिए मैनेजमेन्ट के लोग बाग मुझसे मिले थे। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि लेबर जब तक पीसफुल रहकर अपना वो करती है तब तक इसमें इन्टरफीयर करने के हक में नहीं हूं। लेबर लीडर भी आये थे तब भी मैंने साफ कह दिया था कि आपका यह अधिकार है, आप अपने वेजेज के लिये मांग करें और उसे मनवावें।

अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रेड यूनियन वर्कर नहीं रहा हूं। फिर भी मैं लेबर के कलेक्टिव बारगेनिंग के अधिकार में विश्वास रखकर चलता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि लेबर को इस बात की अपोचुंनिटी मिलनी चाहिये कि वह कलेक्टिव बारगेन से अपनी स्थिति को सुधार सके। और इसलिए आपने देखा होगा कि अठारह दिन तक जयपुर और दूसरी जगह के कारखानों में हड़ताल रही पर फिर भी सरकार ने कोई इन्टरफीयरेन्स कहीं नहीं किया। लेबर ने स्वयं मैनेजमेन्ट को झुकाया और फिर राजस्थान के अन्दर सभी जगह जहां जहां जिसका बहुमत था वहां वहां पर उनके साथ में मैनेजमेन्ट को समझौता करना पड़ा। एक बार नहीं, मैनेजमेन्ट कई बार सरकार के पास आई और उसने कहा कि सरकार किसी भी तरह से इस में इन्टरफीयर करके ऐसी स्थिति पैदा करे कि लेबर और उनके बीच में समझौता हो जावे। पर मैंने साफ इन्कार कर दिया था इन्टरफीयर करने से। इसलिये जो लोग इसको यह शक्ल देना चाहते हैं कि सरकार तो एण्टी लेबर है अथवा यह है वह है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उनका अपना नजरिया है। मैं इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, इस केस के बारे में कहां किसकी कितनी ज्यादती है, मेरे लिये इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है इस लिये मुश्किल है कि लेबर का वर्शन एक है, तो अफसर जो आन दी स्पाट थे उनका वर्शन एक है और मैनेजमेन्ट का वर्शन मेरे सामने कोई आया ही नहीं।

दुर्भाग्य की स्थिति यह रही, अध्यक्ष महोदय, कि उस दिन कोई सीनियर अफसर वहां पहुंच ही नहीं सका। एस. पी. दस दिन की छुट्टी पर कुछ दिन पहले जा चुके थे। कलेक्टर थे वह धौलपुर में थे। ए. डी. एम. थे। उनका टेलीफोन खराब था ऐसा अभी मालूम हुआ। मगर डिप्टी एस. पी. ने जब स्थिति खराब होते हुए देखी तो वे वहां पर फोर्स लेकर गये और घण्टे दो घण्टे नहीं रहे, पूरी रात भर वे वहां पर थे। उन्होंने रात के लगभग 11 बजे कलेक्टर से धौलपुर में बात की है। मैसेज भेजा। उसके इनीशियेटिव पर कलेक्टर ने मैनेजमेन्ट को इन्स्ट्रक्सन्स दिये हैं। डिप्टी एस. पी. ने यहां पर डी. आई. जी. से बात की और सिचुएशन से एप्राइज करने की कोशिश की। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर ऐसा कोई एकदम से हुआ हो ऐसा नहीं है। सवेरे तक ऐसा लगता है डिप्टी एस. पी. इस विश्वास पर थे कि मामला सुलट जावेगा। कुछ लोगों ने पैसा ले भी लिया। ऐसी स्थिति में इस समय मैं इस फैसले पर नहीं आन

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहता कि मैनेजमेन्ट दोषी था अथवा लेबर दोषी थी या पुलिस एक्सेसिव फोर्स यूज किया। मेरे मन में रह रह कर इतना जरूर होता है कि यदि कोई और सीनियर अफसर वहां होता तो शायद इस चीज को एवर्ट किया जा सकता था अधिक टैक्टफुल्ली या अधिक एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी से।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं यहां व्यक्त की हैं मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे मनों में कभी भी यह नहीं है कि पुलिस को अंट लूज कर दिया जावे और पुलिस लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करे। मेरे किसी भाषण का हवाला भी दिया गया पर मैं ऐसा समझता हूं कि ह्यूमन मैटीरियल इलेक्ट्रिसिटी की तरह नहीं है कि स्विच आन कर दें तब बिजली लग जावे और आफ कर दे तो बुझ जावे। मुझे खुद को भी खौफ होता है जिसके कि कारण से। पर मैं तो एक ही बात कह सकता हूं और वह यही है कि मेरा निरन्तर प्रयत्न होगा कि न केवल पुलिस बल्कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन को मशीनरी आम जनता के प्रति रैस्पोन्सिब हो और जनता की सेवा करने की अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। अगर यह मशीनरी अपने आपको जनता के प्रति रैस्पोन्सिब नहीं महसूस करती है तब एक प्रकार से ऐसा हो जावेगा कि सोना भी क्या काम का जो कान में पड़ा कान को काटता है। अब जहां कहीं भी कोई भी ऐसा समझे कि मैं अमुक आदमी जो कोई गलती कर रहा है उसको प्रोटेक्शन देना चाहता हूं यह चीज कतई नहीं है और इस दृष्टि से माननीय सदस्यों ने जो अपनी अपनी भावनाएं यहां व्यक्त की हैं उनको ध्यान में रखकर मैं यह व्यवस्था करूंगा कि जूडिशियल एन्क्वायरी इस काण्ड की की जावे और सारे तथ्य लोगों के समक्ष आवें कि जिससे उनको यकीन हो सके। यह मैं इस लिये भी जरूरी समझता हूं कि कोई पुलिस अधिकारी भी यह न करे कि ज्यादती करके एक्सेसिव फोर्स यूज करे। एडमिनिस्ट्रेशन के हक में भी मैं समझता हूं कि अच्छा है कि इस तरह की जांच हो।

जहां तक उन लोगों को सस्पेण्ड करने की बात है मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने सब कुछ कहा लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है कि आज उनको सस्पेण्ड करने का मतलब यह है कि प्राइमाफेसी यह एस्टेब्लिश करना है कि इतने आदमी दोषी हैं। इसलिए इसमें कुछ अधिक तफतीश की जरूरत है मगर मैं किन्हीं एक माननीय सदस्य ने कहा था उनकी राय से सहमत हूं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इसका इन्वेस्टीगेशन नहीं सौंपा जाये। इसलिए मैं यह व्यवस्था करूंगा कि रेगुलर पुलिस इसका इनवेस्टीगेशन न करके सी. आई. डी. करे और वह तीनों पार्टीज को एग्जामिन करे।

अध्यक्ष महोदय, एक एफ. आई. आर. लेबर्स की ओर से दाखिल की गयी है, एक एफ. आई. आर. पुलिस की ओर से दाखिल की गयी है और एक एफ. आई. आर. मैनेजमेन्ट की ओर से दाखिल की गयी है। एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि मौके पर यह गये हैं और मौके पर वह गये हैं इस बात का फैसला यहां नहीं करना चाहिए और किसी सीनियर आफिसर को यह काम सौंप

(श्री हरिदेव जोशी)
रहा हूं और यदि मैनेजमेन्ट में से कोई दोषी है तो उसको किसी तरह से माफ नहीं किया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप डी. एस. पी. को स्थानान्तरित नहीं करेंगे तो इन्क्वायरी होने में बाधा होगी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो लोग इस घटना के अन्दर मरे हैं स्वाभाविक रूप से हमारी सहानुभूति उनके परिवारों के साथ में होगी। उसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती। मैं तो यह मानकर भी नहीं चलता कि जिनको गोलियां लगीं वही दोषी हैं। बहुत मुमकिन है कि किसी लेबर में से किसी ने ज्यादती की हो। तो जो आदमी मरे हैं वह दोषी नहीं हो सकते लेकिन एक मिनट के लिए मान लिया जाये कि वह स्वयं दोषी थे तो पीछे रहने वाले परिवार किसी हालत में भी दोषी नहीं हैं इसलिए वह परिवार निश्चित रूप से राज्य सरकार की सहानुभूति के पात्र होने चाहिए और हम यह देखेंगे कि उनको निश्चित रूप से ढंग की सहायता मिले और उन्हें उचित ढंग से मदद दी जाये।

इन शब्दों के साथ में, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि अधिकारी वहां रहें मैं इस हित में नहीं हूं क्योंकि यह उनके हित में भी नहीं होगा और एक एडमिनिस्ट्रेशन के हित में होगा कि एक अधिकारी जिसको लेकर इतना टेन्शन पैदा हो गया है वह वहां काम नहीं कर सके तो मैं ऐसा समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इन स्थितियों को पसन्द नहीं करेगा। राज्य सरकार की ओर से कोई गलत काम करे और वह लोग किसी भी तरह से हमारी सहानुभूति के पात्र हों, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। अलबत्ता अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों का इलाज कुछ नहीं कर सकता जिनके दिमाग में तो दूसरी चीजें हैं और कहते कुछ दूसरी बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि लोग तथ्यों को समझेंगे और यह महसूस करेंगे कि राज्य सरकार किन्हीं बायस्ड धारणाओं को लेकर नहीं चल रही है। इन शब्दों के साथ में और जो माननीय सदस्यों ने यहां पर आपने विचार व्यक्त किये थे उनको भी देखूंगा कि ठीक ढंग से इसको इम्प्लीमेन्ट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 अगस्त, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7–15 बजे मंगलवार दिनांक 13 अगस्त, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(140)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 2 की सूची)

दिनांक 25–4–74 की मिटिंग में लिये गये निर्णयों की सूची।

1. पाली जिले को केरोसीन का कोटा जो एक लाख दस हजार लीटर है वह अपर्याप्त है इसे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार एवं कम्पनीयों को लिखा जाय।

2. डीजल 1 लाख लीटर प्राप्त हुआ इसे कम माना गया एवं प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

3. सीमेन्ट के लिये वर्षा ऋतु से पहिले ही प्राप्ति के प्रयास किये जाय ताकि मरम्मत हेतु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीमेन्ट उपलब्ध कराया जा सके।

4. शक्कर अरनेस्ट मनी समय पर जमा करवाने के पश्चात् भी मिलों से शक्कर नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिला स्तर से मिल मेनेजमेन्ट से सम्पर्क करने का आश्वासन दिया।

5. मख्यालय पर नये राशन कार्ड वितरण हो चुके तदनुसार ही अन्य स्थानों पर नये राशन कार्ड वितरण करवाने हेतु परगना अधिकारी एवं प्रधान साहबान कार्यवाही करें।

परिशिष्ट--2

(ता. प्र. सं. 3 की सूची)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र की मण्डियों की सूची

ए–क्लास
1. हनुमानगढ़ जंक्शन
2. हनुमानगढ़ टाऊन
3. सूरतगढ़

बी–क्लास
1. रावतसर
2. अनूपगढ़
3. जैतसर
4. छतरगढ़
5. श्री विजयनगर
6. पूगल

सी–क्लास
1. टी. बी.
2. बड़ोपल
3. घस्साना
4. गोविन्दसर
5. डाबां
6. दन्तोर
7. बीरमाना
8. रामजनवाला
9. रामसिंहपुर
10. क्रोसिंग आफ अनूपगढ़, रायसिंह नगर एण्ड जैतसर सलीमपुर रोड।

(142).

परिशिष्ट–3.

(ता. प्र. सं. 4 की सूची)

S. No. 1	Name of Basti. 2	Population 3
1.	Nari Ka Naka	19065
2.	Bassi Sitarampura.	1625
3.	Bassisitaram pura & Naya Khara Jhotwara.	89
4.	Dadu C/o Chak Hasanpura.	272
5.	Fatehsinghji ki Dharamshala	591
6.	Barodia Basti.	2289
7.	Grain Mandi Chandpole	—
8.	Swamion Ki Basti near Parik College.	873
9.	Tonk Bisala opposite Polo Victory	144
10.	Ajad Basti Sansar Chandra Road	189
11.	Shanischarji ke Mandir ke opposite Moti lal Nehru Basti	502
12.	Kassabpura near Cattle Hospital	1305
13.	Hathroi Bavri	1049
14.	Vidhayakpuri Hathroi Fort	682
15.	Marwari Basti Hathroi	449
16.	Natanion ka Bagh Ajmeri road	341
17.	Hassanpura opposite lokoshed Hathipura road enclosed Harijan Basti.	6539
18.	Hassan purakpatipura road	2215
19.	Laxminagar	374
20.	Gram Khatipur Bin	380
21.	Madrampura opposite Bombaywale ki Kothi	580
22.	Madrampura Bharupatel ki Bumi ke nikat.	227
23.	Jamna Dairy	678

1	2	3
24.	Sodala	1882
25.	Swaj Farm	442
26.	Mohalla Kumawatan	614
27.	Chak Sundar ka Bas	439
28.	22 Godown opposite of Gijgarh House	1327
29.	22 Godown Bass of Purohitji	395
30.	Gram Sushilpura Ajmer road Char mile Paththar ke Nikat	903
31.	Gram Jamdoli Agra road	460
32.	Khaniya Kachchi Basti	303
33.	Tiba Naykan Ghat ki Guni	667
34.	Gote walon ki Bagichi Near the Truck Stand	343
35.	Nagtalai	780
36.	Laxmi Narain Puri	1757
37.	Gangapole Darwaje ke Bahar	51
38.	Chhipon ki Basti outside Char Darwaja	759
39.	Mandi Khatikan	587
40.	Bass Badanpura	746
41.	Bass Badanpura Rager Basti	501
42.	Bass Badanpura Fakiron ki Doongri	217
43.	Dargah ke Samne (A) Lal Dungri	363
	(A) Laxman Dungri	44
44.	Mohalla Dakotan	446
45.	Parasrampuri	303
46.	Paras rampuri Gujarghati	210
47.	Sitaram Puri Badri Narain ji ki doongri	504
48.	Fathehtiba	455
49.	Fathehtiba Shamshan	281
50.	Bagarion Ki Basti	309
51.	Sant Angle School Ke Behind Kabreper	876
52.	Janta Colony Ext. Harijan Colony.	743

Page No 144

(144)

1	2	3
53.	Janta Colony Ext. Kachhi Basti	156
54.	Tiwariji Ka Bagh Adarshnagar	443
55.	Behind Ganga Takij	4070
56.	Dhanna das Ki Bagichi or Bansi Maharaj Ka area	898
57.	Behind Muslim School	311
58.	Anandpuri Scheme	638
59.	Amratpuri Scheme	661
60.	Lal Kothi	868
61.	Bajaj Nagar Ke Samne	871
62.	S.M.S. Highway Ext. Tanki Ke Samne	239
63.	O.T.S. Ke Samne	566
64.	Near Jhanlana Doongri Kachhi basti	490
65.	Durgapura	552
66.	Gator Ghoti near Hawai Adda	—
67.	Jagatpura	32
68.	Ramjipura	—
69.	Khoka Bass	11
70.	Buday Singh Pura	36
71.	Gopalpura	202
72.	Kartarpura Ragar Basti	183
73.	Lakhaji Ki Dhani Madhusudanji Ka Bagh	476
	TOTAL—	69716

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर

लेवी की वसूली एवं किसानों को खाद व सीमेंट

8. **श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने किसानों से रबी के गेहूं की लेवी वसूल करने से पूर्व यह घोषणा की थी कि जो किसान लेवी देंगे उन्हें खाद व सीमेंट कन्ट्रोल रेट पर एवं खाद कीमत बढ़ने से पूर्व की रेट पर उपलब्ध कराई जावेगी? यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी खाद व सीमेंट काश्तकारों को उपलब्ध कराई गई ?

(2) क्या यह सही है कि खाद विक्रेता इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से एक स्टे लाये हैं। जिस आधार पर वे बढ़ी हुई कीमतों पर ही खाद बेचेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने गेहूं की लेवी देने वाले किसानों को 1 जून 74 के पहले से लागू कीमत पर खाद देने के आदेश प्रसारित किये थे। यह भी आदेश प्रसारित किये गये थे कि जो कृषक लेवी वसूली में सहयोग दे उन्हें सीमेंट देने में विशेष ध्यान रखा जाय। काश्तकारों को खाद व सीमेंट जो उपलब्ध कराई उसकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

FERTILIZER AND CEMENT DISTRIBUTION AGAINST LEVY.

(In. M. T. Nutrients)

S. No.	Name of Districts	Fertilizer N	Fertilizer P	Cement
1	2	3	4	5
1.	Ajmer	2	—	—
2.	Alwar	273.5	—	2786 Bags
3.	Bharatpur	953	98	—
4.	Jaipur (East)	5	—	—
5.	Jaipur (West)			
6.	Jhunjhunu	17	16	8600 Bags
7.	Sikar			1762 Sikar
8.	Sawai Madhopur	245	49	Entire stock received was given to producers.

(खाद्य मंत्री)

1	2	3	4	5
9.	Anupgarh			
10.	Hanunamgarh	1904	126	
11.	Sriganganagar			65% given out of quantity Recd.
12.	Churu/Bikaner	22	3	—
13.	Jalore/Barmer	13	—	—
14.	Jodhpur	—	—	65098
15.	Jaisalmer	—	—	42 Tonnes
16.	Nagaur	73	—	—
17.	Pali	—	—	12689 Bags
18.	Sirohi	15	—	—
19.	Bundi	167	19	1962 Bags
20.	Kota	963	47	320 Tonnes.
21.	Banswara	1	—	1031 Bags.
22.	Jhalawar	43	7	669 Bags.
23.	Tonk	—	—	—
24.	Bhilwara	272	65	6530 Bags.
25.	Chittorgarh	254	89	1996 Bags.
26.	Dungarpur	90	1	—
27.	Udaipur	—	—	—
	Total :—	5322.5	520	

Information from districts Tonk / Udaipur not received so far.

टोंक जिले में शिक्षा उप कर से प्राप्त राशि

9. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में भिन्न-भिन्न पंचायत समितियों में शिक्षा उप कर जनता पर शिक्षा भवन के सुधार एवं विकास हेतु लगाया गया था ? यदि हां, तो सन् 1967 से 1973 तक इन पंचायत समितियों में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध हुई है ?

(2) क्या उक्त धनराशि उस क्षेत्र के शिक्षा भवनों के निर्माण या सुधार पर खर्च कर दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ? तथा कितनी-कितनी धनराशि भिन्न-भिन्न पंचायत समितियों में बाकी है ? और इसे कब तक शिक्षा भवनों पर खर्च कर दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

टोंक में सरकारी भवन पर नाजायज कब्जा

10. श्री मंजीतसिंह (टोंक)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार टोंक जिले में बनास नदी की पुलिया के पास एक सरकारी भवन सराय के नाम से है और यह भवन दो लाख की लागत का है ?

(2) क्या यह सही है कि टोंक स्टेट खत्म होने पर इस भवन में सरकार ने पटवार ट्रेनिंग स्कूल चालू किया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस भवन की देख-रेख और मरम्मत सरकार द्वारा होती रही है ?

(4) क्या यह सही है कि अब इस भवन को तहसीलदार, टोंक ने किसी के नाम दर्ज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नाजायज तरीके से सरकारी भवन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान लागत 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) आंकी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, देख-रेख भवन एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा की जाती है।

(4) टोंक तहसीलदार ने इस भवन को किसी के नाम दर्ज नहीं किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग अतिक्रमणी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर रहा है।

लेवी की वसूली में व्यय की गई राशि

11. श्री केदारनाथ (गंगानगर):—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य सरकार ने गेहूं पर लेवी लगाने का फैसला कब किया और आज तक कितनी लेवी वसूली की गई। लेवी वसूल करने में राज्य सरकार का दिनांक 31 जुलाई, 1974 तक कुल कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

राज्य सरकार ने व्यापारियों पर लेवी लगाने का निर्णय दिनांक 17-4-74 तथा कृषकों पर लेवी लगाने का निर्णय दिनांक 11-6-74 को किया।

आज तक व्यापारियों से 20028.5 टन तथा कृषकों से 98585.6 टन गेहूं लेवी में क्रय किया गया है।

लेवी वसूली में प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक लगभग 3,00,000 व्यय हुआ है।

आबकारी अधिकारी, जयपुर

12. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

जयपुर जिले के वर्तमान आबकारी अधिकारी श्री आर्य की क्या योग्यता है? क्या ये इस पद के लिये निर्धारित सभी वांछित योग्यता पूरी करते हैं? तथा वे इस पद पर कितने वर्षों से काम कर रहे है? यदि उन्हें बीच में हटाया गया तो कब और कितने समय के लिए?

उत्तर

श्री आर्य की शैक्षणिक योग्यता 9 वीं कक्षा तक की है। ये भूतपूर्व राजस्थान होम गार्ड विभाग के पब्लिसिटी इन्चार्ज थे। राजस्थान बनने पर इनकी सेवाओं का एकीकरण राजस्थान सबार्डिनेट सर्विस में हुआ और इनकी नियुक्ति नागरिक रसद विभाग में हुई। सन् 1953 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सम्मति से इनकी नियुक्ति आबकारी विभाग में द्वितीय श्रेणी के इन्सपेक्टर के पद पर हुई। सन् 1955 में ये प्रथम श्रेणी इन्सपेक्टर के पद लिये गये। इसके बाद श्री आर्य सन् 1956 से 1960 तक पैट्रोलिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट और सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर रहे। माह मई, 1960 में ये वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी रूप से सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर नियुक्त किये गये तब से ये अब तक इसके समकक्ष पदों पर अस्थायी रूप से चले आ रहे हैं। इतने वर्षों तक अस्थाई रूप से चले आने का कारण सेवा नियमों का अभाव था। अब हाल ही में आबकारी सेवा नियम बन चुके हैं जिनके अनुसार चयन समिति का गठन किया जावेगा। यह चयन समिति श्री आर्य और आबकारी विभाग के सभी अस्थायी अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति करने अथवा न करने के बारे में अपनी सिफारिश सरकार को देगी।

श्री आर्य जब से सहायक आयुक्त आबकारी विभाग बने हैं तब से निम्न पदों पर नियुक्त रहे हैं:—

स्थान एवं पद	समय
1. सहायक आयुक्त, जयपुर डिवीजन, जयपुर	1-5-60 से 28-7-60
2. सहायक आयुक्त, निरोधक दल, जयपुर	28-9-60 से 14-5-63
3. सहायक आयुक्त, झालावाड	15-5-63 से 4-7-63
4. सहायक आयुक्त, टोंक	5-7-63 से 4- -64
5. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर	5-5-64 से 4-7-67
6. जिला आबकारी अधिकारी, सवाई माधोपुर झुन्झुनू, जयपुर	5-7-67 से 2-10-70
7. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	3-10-70 से 20-5-71
8. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)	21-5-71 से 4-11-72
9. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (नगर)	5-11-72 से अब तक

कस्बा छींपा बड़ौद को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने का मामला

13. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कस्बा छींपा बड़ौद जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है को नगरपालिका क्षेत्र घोषित किए जाने की कार्यवाही विभाग के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कब से और इसे कब तक नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जुलाई, 1972 से मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन संबंधी नियम

14. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी नियम लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने कुछ बड़े शहरों को छोड़ कर छोटे कस्बों के लिये अभी तक नियमों के अधीन परिवर्तन की दरें निश्चित नहीं की हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसका निश्चय कर लिया जायेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार इस प्रकार टुकड़ों-टुकड़ों में और अलग-अलग परिवर्तन दरों के घोषित करने की प्रक्रिया को सामान्यतः नागरिकों में परस्पर विभेद और अवबोध करने की स्थिति नहीं मानती और क्या यह छोटे कस्बों के प्रति अन्याय नहीं है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि का आवास या वाणिज्य हेतु परिवर्तन करने के लिए राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ कन्वर्सन आफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फार रेजिडेंशियल एण्ड कामर्शियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स 1971 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (कनवर्जन आफ एग्रीकल्चर लैण्ड फार रेजिडेंशियल एण्ड कामर्शियल परपजेज इन रूरल ऐरियाज) रूल्स 1971 प्रसारित किये हैं।

(2) छोटे कस्बों के लिए परिवर्तन दरें निर्धारण करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही दरें निर्धारित की जायेंगी।

(3) जी नहीं।

बीज की खरीद के मामले की जांच

15. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीज की खरीद के मामले में राज्य सरकार द्वारा

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

तीन उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन बहुत समय पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया है।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, नहीं। प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में निदेशक, कृषि विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा शेष दो अधिकारी उपनिदेशक कृषि (बीज) एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी कृषि विभाग को चार्ज शीट दो जा चुकी है।

(प्रति व्यक्ति सबसे कम व्यय की गई राशि वाले जिले)

16. श्री बनवारी लाल (निवाई):–क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में विकास सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय में अब तक प्रति व्यक्ति सबसे कम व्यय कौन से 3 जिलों में हुआ है और इन जिलों में विकास सम्बन्धी क्या योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है ?

उत्तर

राज्य स्तर की योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय के जिलेवार आंकड़ों के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति व्यय बाड़मेर, जालोर व नागौर जिले में हुआ है। इन जिलों में द्रुतगति से विकास के लिये कुछ विशिष्ट कार्यक्रम जैसे Drought Prone Areas Programme तथा न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

(पंचायत समिति खंडेला की नर्सरी)

17. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, खंडेला (सीकर) द्वारा संचालित नर्सरी में काफी घाटा हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कितना घाटा हो चुका है ? पंचायत समिति द्वारा अब तक कितनी राशि इसमें खर्च हो चुकी है तथा यह नर्सरी कब से चालू है ?

(2) क्या यह सही है कि घाटा हर वर्ष होने के बावजूद भी उसको रोकथाम नहीं की गई ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसी नर्सरी जिनमें बराबर घाटा लग रहा है को बन्द करना चाहेगी, या उनमें घाटा नहीं लगे यह व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या तथा किस प्रकार ?

(स्थगित किया गया)

करौली रेन्ज के जंगल की लकड़ी

18. बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करौली रेंज में जंगल से लकड़ी काटने का व एकत्रित करने का कार्य स्टेट ट्रेडिंग द्वारा हो रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) लकड़ी काटने तथा एकत्रित करने पर, रायल्टी तथा सुपरविजन पर कितना-कितना व्यय होता है ? आइटम वाइज आंकड़े बताने का कष्ट करें।

(3) यह लकड़ी करौली शहर में तथा करौली से बाहर किस भाव पर बेची जाती है?

उत्तर

(1) जी हां। 1-10-72 से कार्य प्रारम्भ हुआ।

(2) भिन्न-भिन्न कूपों में निम्नानुसार व्यय होता है:

कूप का नाम	लकड़ी कटाई	रायल्टी	सुपरविजन	योग
		व्यय रुपये प्रति क्विंटल		
1—वीरम की गुवाडी	2-60	2-50	1-75	6-85
2—खोरी	3-60	2-50	1-75	7-85

(3) करौली शहर से राजकीय आगार योजना का विक्रय केन्द्र नहीं है। कूप डिपो पर लकड़ी निम्न भाव पर बेची जाती है:—

कूप का नाम	विक्रय दर प्रति क्विंटल
वीरम की गुवाडी	सूखी लकड़ी 11 रु.
	गीली लकड़ी 8 रु.
खोरी	सूखी लकड़ी 15 रु.

भवानी मण्डी में एस. डी. ओ. का कार्यालय

19. श्री ओंकारलाल चौहान (झालावाड़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील गंगधार, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ का एस. डी. ओ. कार्यालय झालावाड़ में स्थित है?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त तहसीलों के लिये भवानी मण्डी में एस. डी. ओ. का कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है जिससे जनता को सुविधा प्राप्त हो सके और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके, यदि हां, तो कब तक यह योजना अर्थात् एस. डी. ओ. का कार्यालय भवानी मंडी में कायम कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां, इस समय ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभी संभव नहीं है।

ग्राम नोहरा में खान पर अवैध कब्जा

20. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लल्लूराम शर्मा ग्राम नोहरा तहसील करौली जिला सवाई माधोपुर ने ग्राम केलादेवी खसरा नं. 3685।2872 में जबरन बिना आदेश व बिना ठेका लिये खान काटी है ?

(2) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र रामजीलाल अग्रवाल केलादेवी ने की थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवैध रूप से कटती हुई खान को संयुक्त निदेशक उदयपुर ने 16–6–70 को व तहसीलदार करौली व राजस्व अपील अधिकारी ने 3–7–72 को तथा जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने ता. 1–1–73 को मौके पर देखा तथा उचित कार्यवाही करने को लिखा ? यदि हां, तो सम्बन्धित विभाग ने श्री कल्याण प्रसाद शर्मा के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) इन प्लाटों को अवैध रूप से काटने पर कितनी रायल्टी का राज्य सरकार को नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) श्री कल्याण प्रसाद को एक लीज सेन्डस्टोन की दिनांक 10–12–68 को मंजूर की गई जिसमें तीन प्लाट्स हैं। इनमें खसरा नं. नहीं अंकित किया गया था। क्षेत्र को वर्ग फुट में नापकर सीमांकन किया गया व खनन कार्य डिमारकेटेड क्षेत्र में किया गया। जिलाधीश सवाई माधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 1–1–73 में कहा है कि श्री कल्याण प्रसाद ने खसरा नं. 3685 में जो कार्य किया है वह अनाधिकृत है।

(2) जी हां, 1971 के प्रथम पखवाड़े में।

(3) संयुक्त निदेशक ने दिनांक 16–6–70 को मौका मुलाहिजा किया था व आदेश दिये थे कि सर्वेयर मौके पर जाकर जांच करे। सर्वेयर ने दिनांक 7–7–70 व 20–8–70 से 22–8–70 को क्षेत्र की जांच की व पाया कि श्री कल्याण प्रसाद अपने स्वीकृत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तहसीलदार करौली व राजस्व अपील अधिकारी ने कब मौके पर देखा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। जिलाधीश सवाई माधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 1–1–73 में खसरा नं. 3685 में हुए कार्य को अनाधिकृत माना व कार्यवाही करने के निर्देश दिये। खनिज अभियन्ता ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव निदेशालय/राज्य सरकार को भेजे हैं जो विचाराधीन हैं।

(4) मामला सबजूडिस व राज्य सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने पर ही नुकसान होने या न होने का निर्धारण किया जाना सम्भव है।

संजीवन क्रय-विक्रय समिति फतहनगर की आयल मिल एवं सालवेन्ट प्लान्ट

21. श्री रामलाल (बाड़ी)—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि संजीवन क्रय-विक्रय समिति, फतहनगर द्वारा आयल मिल एवं सालवेन्ट प्लान्ट समिति द्वारा लिए गए प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किए गए ? यदि हां, तो आयल मिल स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) आयल मिल एवं सालवेंट प्लांट को चलाने एवं व्यवस्था करने का दायित्व समिति के किस सदस्य को कब दिया गया और उनके द्वारा उक्त प्लान्ट्स की स्थापना के लिए क्या क्या काम किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों प्लांट्स का कारोबार अब बन्द है ? यदि हां, तो कबसे और क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त दोनों प्लांट्स सम्बन्धित कई अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच डिप्टी रजिस्ट्रार, उदयपुर एवं संजीवन क्रय-विक्रय समिति द्वारा निर्मित एक कमेटी के माध्यम से कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और किन-किन आरोपों के ?

उत्तर

(1) जी हां, संजीवन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. फतहनगर द्वारा सालवेन्ट प्लान्ट लगाने के सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 22-4-70 की प्रति सदन के पटल पर रखदी गई है। आयल मिलिंग उक्त योजना का अंगमात्र है। कोई अलग यूनिट नहीं है। जिसके लिये किसी पृथक् प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

(2) प्रस्तावित प्लान्ट की स्थापना, चलाने एवं व्यवस्था का दायित्व मुख्य रूप से श्री प्रकाशमल चतुर तत्कालीन अध्यक्ष समिति के संचालक मंडल के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 22-4-70 द्वारा सौंपा व तत्पश्चात् श्री चतुर द्वारा दिनांक 17-6-72 को अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद फुल संचालक की हैसियत से दिनांक 4-7-72 को प्लान्ट की व्यवस्था का भार सौंपा गया जिन्होंने आयल मिलिंग का कार्य पूर्ण करा कर दिनांक 25-12-73 से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कराया गया व सालवेन्ट प्लान्ट का इन्सटालेशन कार्य चल रहा है।

(3) जी हां, आयल मिलिंग का कार्य दिनांक 7-5-74 से बन्द कर दिया गया व सालवेन्ट प्लान्ट ने कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया था। आयल मिलिंग का सीजन समाप्त होने व उत्पादन व्यय अधिक आने से आगामी सीजन तक कार्य बन्द किया गया है।

(4) जी हां, उप रजिस्ट्रार उदयपुर के माध्यम से आदेश दिनांक 28-3-74 द्वारा समिति को कच्चे माल के क्रय एवं उत्पादित माल के विक्रय में अनियमितताओं के सन्देह में जांच राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 70

(सहकारिता मंत्री)
के अन्तर्गत कराई जा रही है। समिति द्वारा ऐसी जांच हेतु किसी भी उप समिति का गठन नहीं किया गया है।

संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. फतेहनगर के संचालन मंडल की बैठक दिनांक 22-4-60 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 की प्रतिलिपि

समिति द्वारा एन सी डी सी नई दिल्ली की मार्फत प्रोसेसिंग कार्य में सालवेन्ट एक्स्ट्रेक्शन प्लान्ट के बारे में की गई कार्यवाही की जानकारी कराना एवं आगे के लिये योजना बद्ध कार्यक्रम तैयार करा इसको कार्यरूप में परिणित करने पर विचार करना, इसी सम्बन्ध में समिति को हिस्सा पूंजी बढाये जाने का निर्णय लेना।

निर्णय:–

सदन को समिति द्वारा इस कार्य के लिये अब तक की गई कार्यवाही जैसे प्रार्थना-पत्र दिया जाकर रजिस्ट्रार महोदय से सिफारिश करा राजस्थान सरकार को सिफारिश से एन सी डी सी नई दिल्ली को भेजा गया व एन सी डी सी में भी समिति के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक गये व वहां से आश्वासन प्राप्त हुआ कि इस कार्य को एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति भिजवा दी जावेगी समिति द्वारा लघु मध्यम उद्योगों में सालवेन्ट एक्स्ट्रेक्शन प्लान्ट को ही चुना गया क्योंकि यहां की स्थानीय परिस्थितियां इसके अनुकुल हैं जैसे इस क्षेत्र में मूंगफली, तिलहन व कपास का उत्पादन अधिक है व स्थानीय मण्डी में 13 आईल एक्सपेलर मिल्स हैं वह दो काटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियां हैं व आस पास के क्षेत्र में अन्य कई आयल मिल्स हैं जिनकी खाल को यहां काम में लिया जा सकेगा?

इस उद्योग के लिये होस्मेट इन्डिया प्रा. लि. बम्बई से व सबटिक से स्कीमें मंगाई गई व राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ के सुझावानुसार होस्मेट कं. से ही इस उद्योग का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया जिससे सदन को अवगत कराया जाकर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कम्पनी को समिति द्वारा आर्डर दे दिया जावे इसके लिये समिति के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया?

इस कार्य को कार्यरूप में परिणित करने के लिये समिति को कम से कम 6 लाख रुपये की अतिरिक्त हिस्सा पूंजी एकत्रित करना आवश्यक है जिसके लिये सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति के वर्तमान उपनियमानुसार ही व्यक्तिगत सदस्यों से ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पूंजी एकत्रित की जाय व क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया जाकर सभी मूंगफली एवं तिलहन उत्पादन कृषकों व अन्य इस उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाकर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा राशि एकत्रित की जाय इसके लिये समिति के कार्यक्रम के अनुसार निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये–

1.	पंचायत समिति	मावली	150000
2.	,,	भीण्डर	150000
3.	,,	रेलमगरा	125000
4.	,,	भूपालसागर	100000

(सहकारिता मंत्री)

इस कार्य के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया

इस कार्य को शीघ्र ही कार्यरूप देने के लिये व हिस्सा राशि आदि बढ़ाने के लिये समिति के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

पिछड़े जिलों के विकास की योजना

22. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने सन् 56–57 से लेकर सन् 73–74 तक पंचवर्षीय एवं वार्षिक कुल योजनाओं में विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया ? सदन में आंकडे प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त जिलों को जिन पर योजनाओं में प्रति व्यक्ति बहुत कम व्यय होने के कारण बहुत पिछड़े हुए हैं विकास में दूसरे जिलों के मुकाबले में उनको पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देकर अधिक व्यय करेगी ताकि वे उनके बराबर आ सकें ? यदि हां, तो पिछड़े जिलों में क्या विशेष योजनाएं बना कर उनका विकास करेगी ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य स्तर की योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय के जिलेवार आंकड़े निम्नांकित हैं। जिलेवार व्यय में तथा राज्य के औसत में राज्य मुद्रणालय पर स्थित स्टाक उपकरण तथा ऐसा व्यय जो किसी जिले विशेष को लाभान्वित नहीं करता, इसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1971–72 एवं 72–73 के आवंटन के ही आंकड़े लिये गये हैं। प्रति व्यक्ति औसत व्यय वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर निकाला गया है।

जिले	1956–57 से 1972–73 तक प्रति व्यक्ति व्यय (रुपयों में)
1	2
1. अजमेर	226
2. अलवर	129
3. बांसवाड़ा	150
4. बाड़मेर	78
5. भरतपुर	168
6. भीलवाड़ा	185
7. बीकानेर	911
8. बूंदी	360
9. चित्तौड़गढ़	195
10. चूरू	112
11. डूंगरपुर	129
12. श्री गंगानगर	652
13. जयपुर	288
14. जैसलमेर	2905
15. जालौर	89
16. झालावा	167
17. झुंझुनूं	137
18. जोधपुर	236
19. कोटा	477

(सहकारिता मंत्री)

1	2
20. नागौर	107
21. पाली	160
22. सवाई माधोपुर	122
23. सीकर	135
24. सिरोही	171
25. टोंक	155
26. उदयपुर	235
औसत राजस्थान	251

(2) केवल उपरोक्त आंकड़े किसी जिले के विकास के तुलनात्मक अध्ययन के लिये न तो पर्याप्त हैं और न उपयुक्त। पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं को राज्य के विभिन्न भागों के पिछड़ेपन एवम् विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुये तैयार किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के द्रुतगति से विकास के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम जैसे Drought Prone Areas Programme तथा राज्य के जनजाति क्षेत्र के लिये एक एकीकृत योजना का क्रियान्वयन भी प्रस्तावित है। इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों का विकास उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा।

शुद्धि-पत्र

सोमवार, 12 अगस्त, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
82	नीचे से 1	अध्य	अध्यक्ष
114	ऊपर से 9	लाके	इलाके
144	,, 12	र	रह
168	,, 3	अधिसूचायें	अधिसूचनाएं
168	नीचे से 4	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
169	ऊपर से 8	सदसें	सदस्यों
257	ऊपर से 1	श्री राजेन्द्र	श्री राजेन्द्र कुमार
279	नीचे से 3	मख्यालय	मुख्यालय
284	ऊपर से 6	को उपलब्ध कराई गई ?	—
284	,, 13	—	को उपलब्ध कराई गई?